CENTER FOR
CIVIL SERVICES
DEDICATED TO UPSC CSE

फरवरी
2024

करेन्ट अफेयर्स मैगजीन

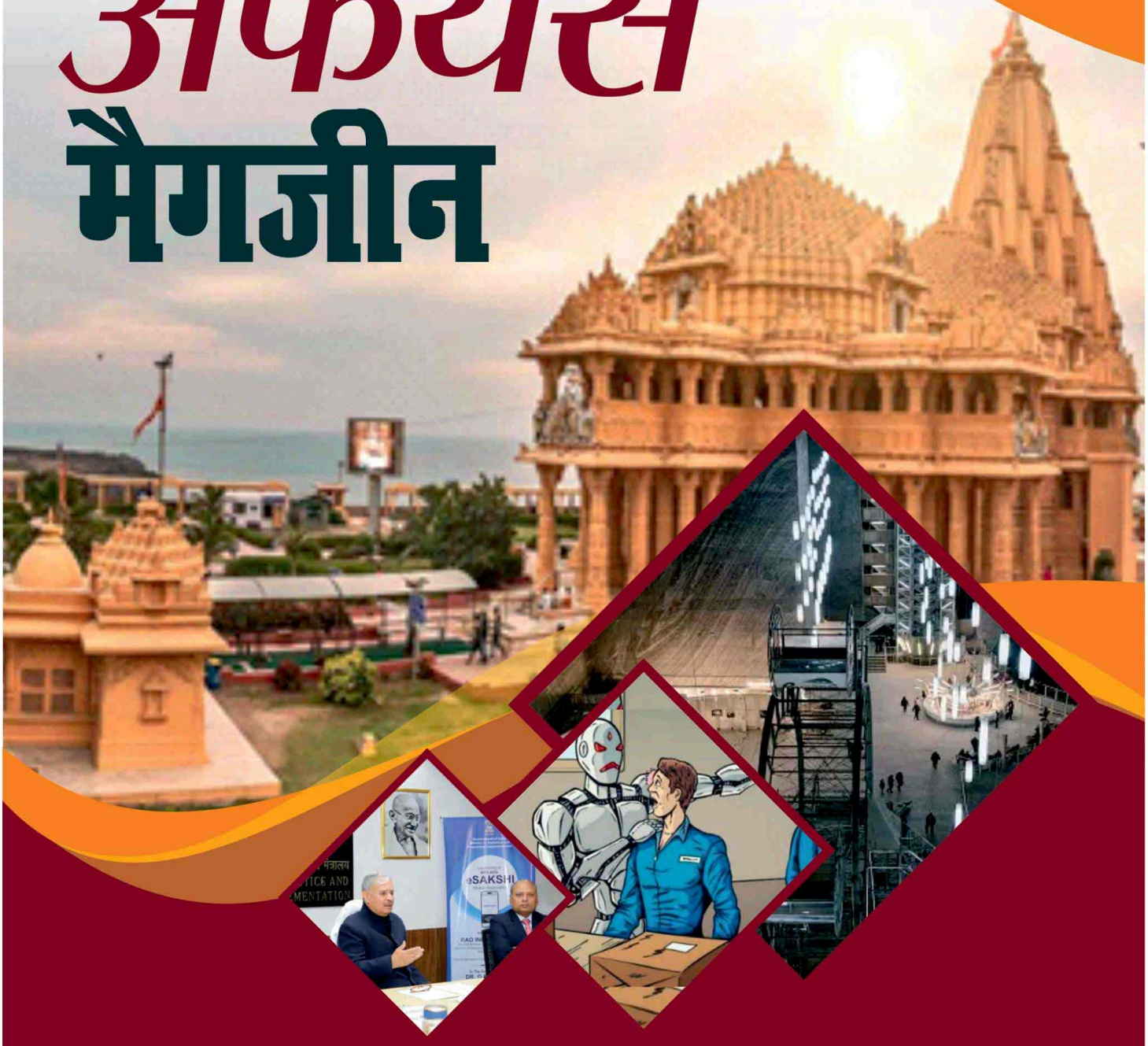

CENTER FOR
CIVIL SERVICES
DEDICATED TO UPSC CSE

Address: Police Line Road, Daltonganj, Palamu, Jharkhand
Contact: 7909017633
email: contact@ccsupsc.com Website: ccsupsc.com

CCS UPSC & JPSC

@ccsupsc

CCS UPSC

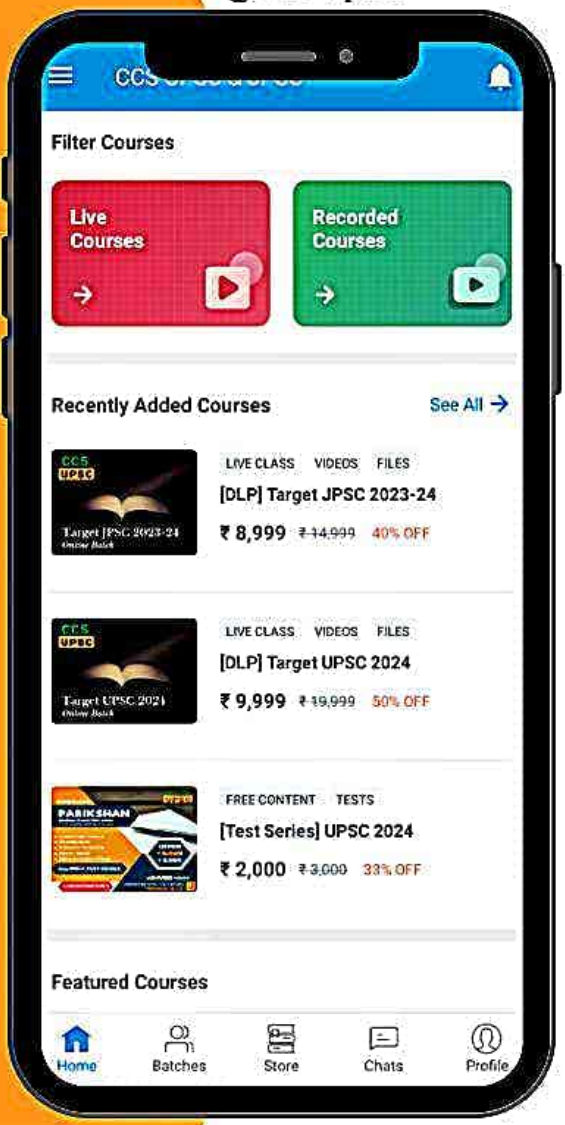

अब करें तैयारी UPSC/JPSC/BPSC की कहीं से!

- Live + Recorded क्लास
- विशेष रूप से तैयार समग्र पाठ्यसमग्री
- अखिल भारतीय टेस्ट सीरीज
- नि:शुल्क पाठ्यसमग्री
- नि:शुल्क टेस्ट सीरीज
- करेंट अफेयर्स
- 24*7 डाउट समाधान
- बेहद किफायती फीस
- उच्च गुणवत्ता की तैयारी

GET IT ON Google Play

Download: ccsupsc.com/get-app

फरवरी- 2024

करेंट अफेयर मैगज़ीन

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
कला एवं संस्कृति	**1-6**
पूरे भारत में फसल उत्सव	
तिरुवल्लुवर दिवस	
वीरभद्र मंदिर	
सोमनाथ: मंदिर का संक्षिप्त इतिहास	
गुरुवयूर मंदिर	
मंदिर वास्तुकला की नागर शैली	
राम मंदिर: एक नए युग का वास्तुशिल्प चमत्कार	
बोरदोवा सात्रा (बताद्रवा थान)	
कदम्ब शिलालेख	
राजनीति और शासन	**7-45**
दसवीं अनुसूची को समझना	
MPLADS ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन	
राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची	
अनुसूचित जाति का उप-वर्गीकरण	
आंध्र प्रदेश ने जाति जनगणना शुरू की	
जेनरेटिव एआई गवर्नेंस पर एआई गवर्नेंस एलायंस रिपोर्ट	
भारत में खेल क्षेत्र	
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी)	
एनएचआरसी ने इडेट आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर जोर दिया	
भारतीय भाषाओं में डिजिटल अध्ययन सामग्री	
एक साथ मतदान	
गैर सरकारी संगठनों के लिए एफसीआरए पंजीकरण रद्द करना	
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना	
जन नायक कर्पूरी ठाकुर	
सामाजिक लेखापरीक्षा सलाहकार निकाय (एसएएबी)	
दूरसंचार अधिनियम, 2023	
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)	
एआईएसएचई रिपोर्ट 2021-22	
अल्पसंख्यक दर्जा और अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू)	
उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने की संभावना है	
वैश्विक सर्जरी	
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023	

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी)
पूरे न्यायालय परिसर में विकलांग लोगों के लिए बुनियादी ढांचे की कमी
कोचिंग क्षेत्र के लिए मसौदा दिशानिर्देश
बोइंग 737 मैक्स विमान और सुरक्षा मुद्दा
हिट-एंड-रन मामलों के लिए भारतीय न्याय संहिता
संशोधित फार्मा विनिर्माण नियम
बीमारियों का अध्ययन करने के लिए अपशिष्ट जल की निगरानी
प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023
एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग का एनसीडीसी सर्वेक्षण
7वीं नेपाल-भारत संयुक्त आयोग की बैठक
भारत में मलिन बस्तियाँ
भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता
सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी
आय सहायता कार्यक्रम
रोगाणुरोधी प्रतिरोध, इसका खतरा
आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS)
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 में संशोधन
ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल सामग्री को विनियमित करना
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)
सुगंधित फसलें और फूलों की खेती

पर्यावरण और पारिस्थितिकी **46-60**

झारखंड में गिद्ध रेस्तरां:
पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव
पौधों और अनगुलेट्स के बीच सहविकासवादी संतुलन
गहरे समुद्र में मूंगा चट्टान का मानचित्रण
मॉस्किटोफिश
स्क्रब टाइफस
वेज बैंक इकोसिस्टम
कोयला गैसीकरण
ग्रीन हाइड्रोजन: भारत में अपनाने के लिए सक्षम उपाय रोडमैप
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के 5 वर्ष
GM सरसों पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता
यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा कर
पेरिसियन पैंसिस में स्व-परागण
आक्रामक प्रजातियाँ और जलवायु परिवर्तन प्रभाव: "डीकार्बोनाइजिंग परिवहन में ई-ईंधन की भूमिका" रिपोर्ट
वेटलैंड सिटी प्रत्यायन योजना
कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन
भारत में कोयला उत्पादन में वृद्धि

अर्थव्यवस्था **61-75**

भारत की K-आकार की पुनर्प्राप्ति बहस
भारत का 1991 का आर्थिक संकट
भारत का खिलौना उद्योग
पर्वतमाला परियोजना
आय में बढ़ता अंतर

भारत का पहला AI यूनिकॉर्न
भारत में मसूर उत्पादन में वृद्धि
भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह
चाय उद्योग का अंधकारमय चरण
स्विट्जरलैंड का आयात शुल्क हटाने का निर्णय
मॉडल-आधारित एल्गोरिदम ऋण
प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात 9 वर्षों में 150% बढ़ा
आय में बढ़ता अंतर
दिवालियापन तंत्र समूह
विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक: Trends 2024 रिपोर्ट
भारत की GDP वृद्धि
ग्रामीण भारत में आजीविका

विज्ञान और तकनीक **76-93**

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नौकरी का नुकसान
प्रकाश उत्सर्जक डायोड
उत्तर कोरिया ने ठोस ईंधन मिसाइलों का परीक्षण किया
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन
भारत का पहला ग्राफीन केंद्र
मिट्टी से चलने वाला ईंधन सेल
संकट चेतावनी ट्रांसमीटर
खाद्यान्न के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग
सरलता: मंगल हेलीकाप्टर
Mpemba प्रभाव
डी.के. बसु जजमेंट
कैनबिस यौगिक में एंटीबायोटिक प्रभाव होता है
कुष्ठ रोग के इलाज के लिए तीन-दवा आहार
निसार सैटेलाइट
क्वांटम कम्प्यूटिंग
तीस मीटर टेलीस्कोप (TMT) परियोजना
LK-99 में अतिचालकता
OTT सेक्टर
आवाज क्लोनिंग
'डीप टेक' नीति
आदित्य L1 मिशन
जीसैट-20
भारत का पाम तेल आयात
स्मार्ट 2.0
वर्चुअल एसेट प्रदाताओं के खिलाफ FIU IND अधिनियम
रेडियोकार्बन डेटिंग
XPoSat (एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट) मिशन

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध **94-114**

चाबहार बंदरगाह के विकास पर समझौते पर हस्ताक्षर
भारत और सऊदी अरब
विश्व आर्थिक मंच
ईरान-पाकिस्तान संघर्ष

भारत और क्यूबा
भारत-म्यांमार सीमा मुक्त आवाजाही व्यवस्था
दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक
19वाँ NAM शिखर सम्मेलन
नाटो
तुर्की अंततः स्वीडन की नाटो बोली का समर्थन करता है
भारत और फ्रांस ने संबंधों को मजबूत किया
ICJ में इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का मामला
भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम (TPF)
भारत और चेक गणराज्य संबंध
विश्व तमिल प्रवासी दिवस
भारत और ब्रिटेन ने द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय कैडेट विनिमय कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
लाल सागर संकट
भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA का एक वर्ष
ब्रिक्स का विस्तार
राज्यपाल की भूमिका और सुधार की आवश्यकता
म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त होगी
भारत, पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठानों की विनिमय सूची

योजना फरवरी 2024 **115-119**

1. जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 संकल्पना और विकास
2. नागरिकों पर भरोसा करना अपराधमुक्त करने का तरीका
3. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GEM) डिजिटल लहर का नेतृत्व कर रहा है
4. नाजुक संतुलन: विनियामक प्रवर्तन और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण
5. दक्षिण-दक्षिण सहयोग के बीच भारत-अफ्रीकी संबंध

कुरुक्षेत्र फरवरी 2024 **120-124**

1. ग्रामीण परिदृश्य को पुनर्परिभाषित करना: स्टार्टअप समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं
2. कृषि-स्टार्टअप के माध्यम से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन
3. स्टार्टअप के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को फिर से परिभाषित करना
4. पूर्वोत्तर भारत के लिए विकास के इंजन के रूप में स्टार्टअप
5. महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप का समर्थन करना

1 कला एवं संस्कृति

पूरे भारत में फसल उत्सव

खबरों में क्यों?

- प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से मनाए जाने वाले मकर संक्रांति और फसल उत्सव के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं।

मकर संक्रांति

बारे में

- फसल उत्सव भारत में हर साल उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है और इसे भारत के विभिन्न राज्यों में देखा जा सकता है।
- ये त्यौहार अलग-अलग जलवायु और फसल पैटर्न के कारण वर्ष के अलग-अलग समय पर मनाए जाते हैं, और खेती किए गए भोजन का जश्न मनाने का एक क्षण है।
- भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, इसकी अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है और इसकी वृद्धि और समृद्धि का श्रेय धरती माता और प्रकृति को जाता है।
- ये त्योहार जीवन और मृत्यु के चक्र की याद दिलाते हैं और कृषि चक्र के अंत और वर्ष के अंत की शुरुआत का भी संकेत देते हैं।
- यह एक प्रतिकूल चरण के अंत और एक पवित्र चरण की शुरुआत का प्रतीक है।
- यह महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में मनाया जाता है।
- कुंभ मेला इस त्योहार के दौरान प्रमुख आकर्षणों में से एक है।

पोंगल

- यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है, और दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल त्योहारों में से एक है।
- यह उत्तरायण (सूर्य की उत्तर की ओर यात्रा अर्थात सूर्य का मकर राशि में गोचर) की शुरुआत का प्रतीक है।
- पोंगल का शाब्दिक अर्थ 'फैलना' है, और इसे एक बर्तन में चावल उबालने की परंपरा के कारण ऐसा कहा जाता है जब तक कि वह गिरने न लगे।
- जल्लीकट्टू, बैल को वश में करने का एक खेल है, जो पोंगल उत्सव के हिस्से के रूप में तमिलनाडु राज्य में व्यापक रूप से मनाया जाता है।

बैसाखी

- यह भारत में फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है जो किसानों के लिए समृद्धि का समय है।
- इसे हिंदू समुदाय द्वारा नए साल के रूप में मनाया जाता है।

लोहड़ी

- यह फसल के मौसम की शुरुआत का उत्सव है।
- मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में सिख और हिंदू समुदायों द्वारा मनाया जाता है।

अन्य उत्सवों में शामिल हैं

- कर्नाटक में एलु बिरोधु; त्रिपुरा में हंगराई; पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति; पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में पुस्ना; कश्मीर घाटी में शिशुर सेन्क्रात; पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में टुसू और गुजरात में उत्तरायण; आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में उगादि; ओडिशा में नुआखाई; केरल में ओणम; महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी और असम में माघ बिहू या भोगाली बिहू।

इन त्योहारों का महत्व

- फसल उत्सव सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं का प्रतीक हैं।
- यह त्यौहार देश में कटाई के मौसम की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है और संभवतः यह एकमात्र त्यौहार है जो भारत के हर क्षेत्र में एक ही दिन, लेकिन अलग-अलग तरीकों और नामों से मनाया जाता है।
- सूर्य की उत्तर दिशा की ओर गति: यह सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा से जुड़ा है।

तिरुवल्लुवर दिवस

खबरों में क्यों?

- तमिलनाडु के राज्यपाल ने तिरुवल्लुवर दिवस पर तमिल कवि-संत तिरुवल्लुवर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

बारे में

- तिरुवल्लुवर दिवस पहली बार 1935 में 17 और 18 मई को मनाया गया था।
- वर्तमान समय में, यह आमतौर पर तमिलनाडु में 15 या 16 जनवरी को मनाया जाता है और पोंगल उत्सव का एक हिस्सा है।

तिरुवल्लुवर कौन हैं?

- वह एक महान कवि और दार्शनिक थे, और तमिलों द्वारा उन्हें एक सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता था।
- तिरुवल्लुवर के प्राथमिक कार्य तिरुक्कुरल में 1330 दोहे (कुराल) हैं जो प्रत्येक 10 दोहे के 133 खंडों में विभाजित हैं।
- पाठ को धर्म, अर्थ और काम (सदाचार, धन और प्रेम) पर शिक्षाओं के साथ तीन भागों में विभाजित किया गया है।

सामाजिक प्रभाव

- मायलापुर में एकंबरेश्वर मंदिर परिसर के भीतर एक मंदिर बनाया गया था और यह 16 वीं शताब्दी की शुरुआत में तिरुवल्लुवर को समर्पित था।
- वल्लुवर कोटाम, 1976 में चेन्नई में बनाया गया एक मंदिर स्मारक। यह एशिया के सबसे बड़े सभागारों में से एक है।
- बेंगलुरु के पास कन्याकुमारी और उत्सूर में तिरुवल्लुवर की मूर्तियों का अनावरण क्रमशः 2000 और 2009 में किया गया था।
- लंदन के रसेल स्क्वायर में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज के बाहर वल्लुवर की एक मूर्ति भी लगाई गई थी।

वीरभद्र मंदिर

खबरों में क्यों?

- प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर में दर्शन और पूजा की।

वीरभद्र मंदिर के बारे में

- इसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
- शब्द का शाब्दिक अर्थ है लेपा + अक्षी, क्षत-विक्षत आंख या चित्रित आंख।
- यह वीरभद्र (भगवान शिव का उग्र अवतार) को समर्पित है।
- हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, दक्ष ने अपने द्वारा आयोजित एक भव्य यज्ञ में अपनी बेटी सती और उनके पति शिव का अपमान किया था।
- अपमान सहन करने में असमर्थ सती ने अपने क्रोधी वीरभद्र रूप का बदला लेने के लिए आत्मदाह कर लिया।
- उल्लेखनीय विशेषताएं: इसमें शिव, विष्णु, पापनाथेश्वर, रघुनाथ, राम और अन्य देवताओं को समर्पित मंदिर हैं।
- यह 11वीं सदी के चालुक्य काल से लेकर 15वीं सदी के आरंभिक विजयनगर काल तक के मानवीय मूल्यों और सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं के आदान-प्रदान को प्रदर्शित करता है।
- वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण हिंदू मंदिर वास्तुकला की चौलुक्य शैली में किया गया था और मई 1951 में पूरा हुआ।
- पुनर्निर्माण वल्लभभाई पटेल द्वारा पूरा किया गया था।
- क्या आप जानते हैं? विजयनगर मूर्तिकला और चित्रकला कला परंपरा के लिए जाने जाने वाले अनंतपुर जिले के लेपाक्षी में श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर और मोनोलिथिक बुल (नंदी) को विश्व धरोहर समिति की अस्थायी सूची में जगह मिली है और इसे प्रकाशित किया गया था। यूनेस्को विश्व विरासत कन्वेंशन वेबसाइट।

सोमनाथ: मंदिर का संक्षिप्त इतिहास

खबरों में क्यों?

- अयोध्या के पुजारी का कहना है कि 'अधूरे राम मंदिर' का दावा भ्रामक है, सोमनाथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का हवाला दिया गया है।

सोमनाथ मंदिर के बारे में

- यह गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित है।
- इसका अर्थ है "चंद्रमा देवता का रक्षक"।
- यह शिव के बारह ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला माना जाता है।
- सोमनाथ का स्थल त्रिवेणी संगम (तीन नदियों - कपिला, हिरण और सरस्वती का संगम) होने के कारण प्राचीन काल से एक तीर्थ स्थल रहा है।

- महमूद गजनी का हमला: महमूद का आखिरी बड़ा हमला 1025 ईस्वी में गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर पर था।
- कई मुस्लिम आक्रमणकारियों और पुर्तगालियों द्वारा बार-बार नष्ट किए जाने के बाद अतीत में कई बार पुनर्निर्माण किया गया।
- वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण हिंदू मंदिर वास्तुकला की चौलुक्य शैली में किया गया था और मई 1951 में पूरा हुआ।
- पुनर्निर्माण वल्लभभाई पटेल द्वारा पूरा किया गया था।
- महमूद गजनवीमहमूद गजनी ने 1000-1026 ई. के दौरान भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद ग़ज़नी वह ग़ज़नी राजवंश के संस्थापक और तुर्की गुलाम कमांडर सबुकतिगिन का पुत्र था। महमूद के भारत पर हमले केवल भारत की प्रसिद्ध संपत्ति हासिल करने के लिए थे। यह धन उसे मध्य एशिया में अपने विशाल शासन को मजबूत करने में मदद करेगा। वह भारत में साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता था।

गुरुवयूर मंदिर

खबरों में क्यों?

- भारत के प्रधान मंत्री ने हाल ही में श्री कृष्ण मंदिर, गुरुवयूर का दौरा किया।

मंदिर के बारे में

- गुरुवायूर ऐतिहासिक श्री कृष्ण मंदिर का घर है, जिसे दक्षिण का द्वारका कहा जाता है।
- यह त्रिशूर, केरल में सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है।
- मंदिर पारंपरिक केरल स्थापत्य शैली में बनाया गया है और माना जाता है कि केंद्रीय मंदिर का पुनर्निर्माण 1638 ई. में किया गया था।
- परंपरा के अनुसार, मंदिर का मुख पूर्व की ओर है जिसमें दो गोपुरम (मीनार) हैं, एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में।
- नालम्बलम (एक चौकोर आकार का स्तंभ) के सामने और पूर्व की ओर प्रकाश के स्तंभ हैं जिन्हें दीपस्तंबम कहा जाता है। मंदिर में ऐसे अनेक प्रकाश स्तंभ हैं।
- गुरुवयूर मंदिर में सबसे लोकप्रिय प्रसादों में से एक है तुलाभरम, जहां भक्तों को उनके वजन के बराबर केले, चीनी, गुड़ और नारियल एक विशाल तराजू पर तौले जाते हैं।

मंदिर वास्तुकला की नागर शैली

खबरों में क्यों?

- अयोध्या में राम मंदिर को मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में डिजाइन किया गया है।

नागर शैली के बारे में

- मंदिर वास्तुकला की नागर शैली पांचवीं शताब्दी ईस्वी में, गुप्त काल के अंत में, उत्तरी भारत में उभरी।
- इसे दक्षिणी भारत की द्रविड़ शैली के साथ जोड़कर देखा जाता है, जो उसी काल में उभरी थी।
- विशेषताएं: नागर मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं, जिसमें गर्भगृह होता है - जहां देवता की मूर्ति विश्राम करती है - जो मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा होता है।
- गर्भ गृह के ऊपर शिखर (शाब्दिक रूप से 'पर्वत शिखर') है, जो नागर शैली के मंदिरों का सबसे विशिष्ट पहलू है।
- इसमें गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ और इसके समान धुरी पर एक या अधिक मंडप (हॉल) भी शामिल हैं।
- विस्तृत भित्ति चित्र और नक्काशी अक्सर इसकी दीवारों को सुशोभित करते हैं।

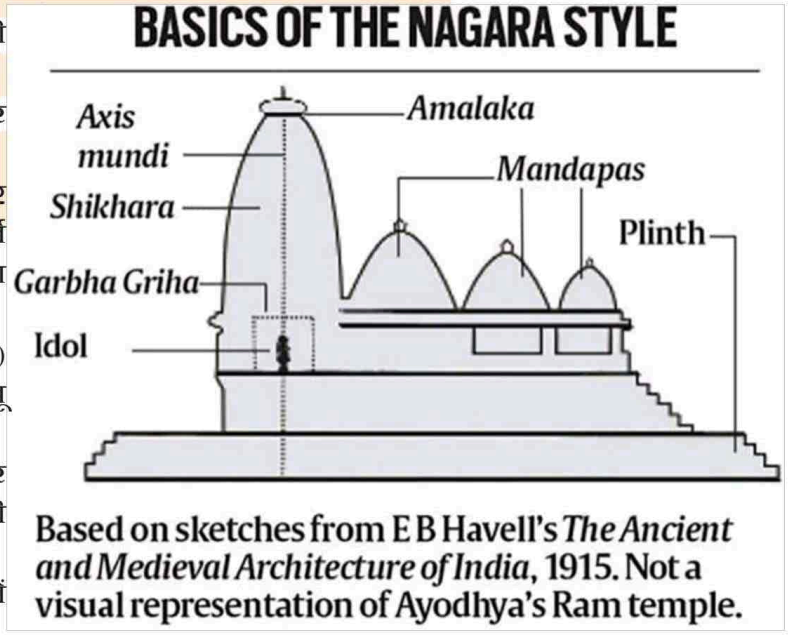

राम मंदिर: एक नए युग का वास्तुशिल्प चमत्कार

खबरों में क्यों?

- 22 जनवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में राम लला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा (प्रतिष्ठा) समारोह हुआ।
- यह मंदिर लोहे या स्टील के उपयोग के बिना सुंदर बलुआ पत्थरों का एक नए युग का वास्तुशिल्प चमत्कार है।

मंदिर के बारे में मुख्य तथ्य

- यह लगभग 3 हेक्टेयर में फैला हुआ है और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है और जटिल नक्काशी से सजाया गया है।

- मंदिर पारंपरिक डिजाइन को अत्याधुनिक तकनीक के साथ मिश्रित करता है और इसे लोहे, स्टील या सीमेंट के उपयोग के बिना तैयार किया गया है।
- मंदिर के गर्भगृह (जिसे गर्भगृह भी कहा जाता है) के अंदर भगवान राम की मूर्ति; मूर्ति को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने काले पत्थर से तराशा था।

निर्माण सामग्री:

- स्थिरता पर जोर देने के साथ-साथ पारंपरिक निर्माण प्रथाओं के साथ तालमेल को प्रतिबिंबित करने के लिए उनके निर्माण में पारंपरिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है।
- इसमे शामिल है:
- बंसी पहाड़पुर

राजस्थान के भरतपुर से गुलाबी बलुआ पत्थर (मुख्य मंदिर संरचना के लिए);

- चबूतरे में ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है
- जड़ाई कार्य के लिए सफेद मकराना और रंगीन संगमरमर का उपयोग किया गया है
- मंदिर के दरवाजे के निर्माण में सागौन की लकड़ी का उपयोग किया गया है।
- 'श्री राम' अंकित विशेष ईंटें: यह आधुनिक शिल्प कौशल को प्राचीन प्रतीकवाद के साथ जोड़ती है।
- प्रयुक्त अन्य सामग्री: शालिग्राम शिला, तांबे की प्लेटें, सोना और अष्टधातु

Facts & Figures
- Estimated cost of temple: ₹1
- Total land: 70 acres
- Main temple land: 2.77 acres
- Floors: 3
- Gates: 12
- Doors: 44
- Total built-up area: 57,400 S
- Height of each floor: 20 ft.
- No. of columns in ground flo
- No. of columns in first floor:
- No. of columns in second flo
- No. of pedks and pavilions: 5

वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं:

- नींव: मंदिर की नींव के निर्माण के लिए कृत्रिम चट्टान की तरह दिखने वाली रोलर-कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 मीटर मोटी परत का उपयोग किया गया है।
- जमीन की नमी से सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट का 21 फुट ऊंचा चबूतरा बनाया गया है।
- मुख्य मंदिर: मुख्य मंदिर नागर शैली में बना है। इसमें कुल पाँच मंडप (हॉल) शामिल हैं - नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप।
- इसमें तीन मंजिलें हैं (भूतल और दो मंजिलें, प्रत्येक मंजिल भक्तों को भगवान राम की दिव्य यात्रा के विभिन्न चरणों का अनुभव देने के लिए डिज़ाइन की गई है, मंदिर की प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची होगी), और 392 खंभे हैं।
- मंदिर के भूतल को भगवान राम के जन्म और बचपन की कहानी को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है, और पहली मंजिल को भगवान राम के दरबार की तरह डिजाइन किया गया है।
- मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है, जिसमें हाथियों, शेरों, भगवान हनुमान और गरुड़ की अलंकृत मूर्तियों की एक श्रृंखला है।
- मंदिर परिसर कुबेर टीला परिसर के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित है।
- इस भाग में स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है।
- रामायण के पात्र 'जटायु' की कांस्य प्रतिमा स्थापित है।
- घंटा अष्टधातु (सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, लोहा और पारा) से बना है।
- मंदिर परिसर के भीतर निर्माण के लिए प्रस्तावित कुछ अन्य मंदिर महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वाल्मिकी, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, देवी अहिल्या और माता शबरी को समर्पित हैं।

अनूठी खासियत:

- भव्य मंदिर के चारों ओर एक आयताकार परिधि है जिसे पेरकोटा कहा जाता है, यह विशेषता दक्षिण भारत के मंदिरों में पाई जाती है, लेकिन आम तौर पर उत्तर भारत में नहीं।
- परिसर का लगभग 70% भाग हरित क्षेत्र होगा।
- मंदिर परिसर में दो सीवेज उपचार संयंत्र, एक जल उपचार संयंत्र और बिजलीघर से एक समर्पित बिजली लाइन है।
- तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सुविधाएं और लॉकर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25,000 क्षमता का एक तीर्थयात्री सुविधा केंद्र।

अन्य वास्तुशिल्प पहलू:

- मंदिर के ठीक नीचे, जमीन से लगभग 2,000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है। कैप्सूल में एक तांबे की प्लेट है जिस पर राम मंदिर, भगवान राम और अयोध्या के संबंध में प्रासंगिक जानकारी अंकित है।
- इस टाइम कैप्सूल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मंदिर की पहचान समय के साथ बरकरार रहे ताकि भविष्य में इसे भुलाया न जाए।
- मंदिर एक भूकंप प्रतिरोधी संरचना है, जिसकी अनुमानित आयु 2500 वर्ष है।

बोरदोवा सात्रा (बताद्रवा थान)

खबरों में क्यों?

- हाल ही में राहुल गांधी को बताद्रवा थान जाने से रोका गया था।

बारे में

- बताद्रवा थान, असमिया वैष्णवों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है और इसकी स्थापना 1494 ई. में श्रीमंत शंकरदेव ने की थी।
- स्थान: यह असम के नागांव जिले में श्रद्धेय वैष्णव सुधारक-संत श्रीमंत शंकरदेव (1449-1568) के जन्मस्थान पर स्थित है।
- वास्तुकला: परिसर में नटघर (नाटक हॉल), अलोहिघर (अतिथि कक्ष), सभाघर (असेंबली हॉल), राभाघर (संगीत कक्ष), हाथीपुखुरी, आकाशी गंगा, डोल मंदिर (उत्सव मंदिर) और अन्य जैसी विविध संरचनाएं शामिल हैं।

श्रीमंत शंकरदेव का दर्शन

- शिक्षण: उनका शिक्षण मूर्ति पूजा के बजाय प्रार्थना और नाम जप पर केंद्रित था।
- धर्म: उनका धर्म देव (भगवान), नाम (प्रार्थना), भक्त (भक्त), और गुरु (शिक्षक) के चार घटकों पर आधारित था।
- एक सरन नाम धर्म: संत ने एक सरन नाम धर्म का प्रचार किया, जो गायन और उनके नाम और कर्मों के सामूहिक श्रवण के माध्यम से भगवान कृष्ण की भक्ति के रूप में पूजा पर केंद्रित था।
- शंकरदेव ने जाति भेद, रूढ़िवादी ब्राह्मण अनुष्ठानों और बलिदानों से मुक्त, समानता और भाईचारे पर आधारित समाज का समर्थन किया।
- संत ने पूरे असम में यात्रा की, अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया और 16वीं शताब्दी में सत्रों/थानों को धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों के केंद्र के रूप में स्थापित किया।

कदम्ब शिलालेख

खबरों में क्यों?

- कन्नड़, संस्कृत में लिखा गया 10वीं सदी का कदंब शिलालेख हाल ही में दक्षिणी गोवा के काकोडा में महादेव मंदिर में खोजा गया है।

शिलालेख के बारे में (खोज और अध्ययन)

- यह गोवा में कदंब काल पर प्रकाश डालता है और एक शुभ शब्द 'अच्छा रहो' (स्वस्ति श्री) के साथ खुलता है।
- यह गोवा के काकोडा में महादेव और सातेरी-बेताल के मंदिरों के बीच में पड़ा हुआ पाया गया था।

पुरालेख विवरण:

- इसमें दर्ज है कि जब तलारा नेवैया मंडला का प्रशासन कर रहे थे, तो उनके बेटे गुंडैया ने गोवा के बंदरगाह के गोपुर पर कब्जा करने की अपने पिता की इच्छा को पूरा करने की शपथ ली थी, और अपने पिता की इच्छा पूरी करने के बाद लड़े और मर गए।
- इसका अभिलेख कन्नड़ और नागरी अक्षरों में उत्कीर्ण है।
- यह उसी काल के जयसिम्हा प्रथम के तलंग्रे शिलालेख की साहित्यिक शैली में है।
- कदंब शिलालेख के गूढ़ रहस्य ने ऐतिहासिक और सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला है।

ऐतिहासिक आख्यान:

- गोवा के कदम्ब कल्याण के चालुक्यों के अधीनस्थ थे।
- चालुक्य सम्राट तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंकने में मदद के लिए कदंब शास्तादेव को गोवा का महामंडलेश्वर नियुक्त किया।
- कदंब शास्त्रदेव ने 960 ई. में चंदवारा शहर पर विजय प्राप्त की, और गोपकपट्टन (वर्तमान गोवा) के बंदरगाह पर विजय प्राप्त की।
- ऐसा माना जाता है कि तलारा नेवय्या के पुत्र गुंडैया ने युद्ध में भाग लिया था और अपने जीवन की कीमत पर गोपकपट्टन बंदरगाह जीता था।
- उनके पिता, तलारा नेवैया ने अपने बेटे की वीरतापूर्ण लड़ाई की स्मृति में कैकोडा के महादेव के मंदिर में शिलालेख के साथ एक स्मारक पत्थर बनवाया।

सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व:

- काकोरा गांव नौगम्य जलमार्गों के आसपास स्थित है जो कर्नाटक की ओर जाने वाले डिग्गी घाट के प्राचीन मार्ग के माध्यम से ऊपरी घाट क्षेत्र से जुड़ता है।
- कैकोडा, जो अब गोवा में कचोरिम कैकोरा नगर पालिका के अंतर्गत एक जनगणना शहर है और इसमें इष्टदेव महादेव का मंदिर है, जिसमें बेताल, दाना गही, सिद्ध, भूमिपुरुष, पाइक, विट्ठल, वागरो के संबद्ध देवता और समर्पित एक मंदिर है।

कदम्ब राजवंश

- कदंब एक प्राचीन कर्नाटक शाही राजवंश थे जो उत्तरी कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र को नियंत्रित करते थे, जिसकी स्थापना लगभग 345 ईस्वी में मयूरशर्मा ने की थी।
- वे पश्चिमी गंगा राजवंश के साथ रहते थे और इस क्षेत्र पर स्वायत्त रूप से शासन करने वाले पहले स्थानीय राज्यों में से एक बनाया।

कदंब इतिहास के प्रमुख स्रोत:

- संस्कृत और कन्नड़ में तलगुंडा, गुंडनूर, चंद्रवल्ली, हलासी और हल्मिडी जैसे शिलालेख।
- तालगुंडा शिलालेख: यह उनके शुरुआती शिलालेखों में से एक है जो मयूरशर्मा को राज्य के संस्थापक के रूप में स्थापित करता है और कदंब राजशाही के निर्माण के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है।

वास्तुकला:

- इसमें अद्वितीय विशेषताएं शामिल हैं, जिनमें चालुक्य और पल्लव शैलियों की कुछ समानताएं शामिल हैं और यह सातवाहन वास्तुकला परंपरा से प्रेरित था।
- उनकी वास्तुकला का सबसे उल्लेखनीय पहलू कदंब शिकारा है।

CCS UPSC

2 राजनीति और शासन

दसवीं अनुसूची को समझना

खबरों में क्यों?

- महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया है।

दलबदल क्या है?

- इसका अर्थ है एक विधायक द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में निष्ठा का स्थानांतरण। यह किसी व्यक्ति या पार्टी द्वारा विद्रोह, असहमति और बगावत का संकेत देता है।
- राजनीतिक परिदृश्य में यह वह स्थिति होती है जब किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे दलों से हाथ मिला लेता है।
- परंपरागत रूप से, इस घटना को 'फ्लोर क्रॉसिंग' के रूप में जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी, जहां एक विधायक ने फ्लोर क्रॉस करने पर अपनी निष्ठा बदल दी थी और सरकार से विपक्ष की ओर चला गया था, या इसके विपरीत।

भारत में दलबदल

- भारतीय राजनीति में 'दलबदल' की प्रथा हमेशा राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता का प्रजनन स्थल रही है, जिससे अक्सर ध्यान 'शासन' से 'सरकारों' की ओर स्थानांतरित हो जाता है।
- दलबदल भारत सहित संसदीय लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है।
- चव्हाण समिति की रिपोर्ट (1969) के अनुसार, चौथे आम चुनावों के बाद, भारतीय राजनीति में कई राज्यों में विधायकों द्वारा पार्टी की निष्ठा बदलने के कई उदाहरण सामने आए।
- इसलिए, निर्वाचित सरकारों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, 52वें संवैधानिक संशोधन ने 1985 में दसवीं अनुसूची के माध्यम से 'दलबदल विरोधी' कानून पेश किया।

दल-बदल विरोधी कानून (ADL)

- इसे विधायकों के बीच एक पार्टी से दूसरी पार्टी में वफादारी बदलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए तैयार किया गया था।
- यह निम्नलिखित प्रकार के दलबदल को संबोधित करता है:
- किसी सदस्य द्वारा स्वेच्छा से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देना जिसके चुनाव चिन्ह पर वे निर्वाचित हुए थे।
- किसी सदस्य द्वारा किसी विशेष तरीके से मतदान करने या मतदान से दूर रहने के लिए अपनी पार्टी द्वारा जारी निर्देश (व्हिप) का उल्लंघन करना।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने' की व्यापक रूप से व्याख्या करते हुए फैसला सुनाया है कि एक विधायक का आचरण (विधानमंडल के अंदर और बाहर) यह संकेत दे सकता है कि उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी है या नहीं।
- कानून सांसदों/विधायकों के एक समूह को दलबदल के लिए जुर्माना लगाए बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने (यानी, विलय) की भी अनुमति देता है।
- कानून किसी पार्टी को किसी अन्य पार्टी में विलय करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि उसके कम से कम दो-तिहाई विधायक विलय के पक्ष में हों।
- मनोनीत विधायक: कानून निर्दिष्ट करता है कि मनोनीत विधायक सदन में नियुक्त होने के छह महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, न कि इतने समय के बाद।
- इनमें से किसी भी परिदृश्य में कानून का उल्लंघन करने पर विधायक को दलबदल के लिए दंडित किया जा सकता है।

निर्णय लेने वाला प्राधिकारी

- दल-बदल विरोधी कानून सदन के किसी अन्य सदस्य की याचिका के आधार पर विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष, सभापति) द्वारा विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करता है। हालाँकि, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि विधायक अपने निर्णयों को उच्च न्यायपालिका के समक्ष चुनौती दे सकते हैं।
- एडीएल कोई समय सीमा प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दलबदल मामले का फैसला करना होगा। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि, आदर्श रूप से, स्पीकर को तीन महीने के भीतर दलबदल याचिका पर निर्णय लेना चाहिए।

अयोग्यता के लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान

एडीएल का महत्व

- स्थिरता: एडीएल का लक्ष्य पार्टी अनुशासन को बढ़ावा देने के साथ-साथ विधायकों को दल बदलने से हतोत्साहित करके सरकारों में स्थिरता लाना है।

- ईमानदारी : एडीएल सदस्यों में अपनी पार्टी के प्रति ईमानदारी की भावना लाने का प्रयास करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि पार्टी के समर्थन से और पार्टी घोषणापत्र के आधार पर चुने गए उम्मीदवार पार्टी की नीतियों के प्रति वफादार रहें।

एडीएल के आसपास आलोचनाएँ

- स्वतंत्र रूप से कार्य करने की कोई गुंजाइश नहीं: एडीएल स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए विधायकों को दंडित करता है, यह संसदीय लोकतंत्र के विचार के खिलाफ है।
- एडीएल विधायकों को किसी भी मुद्दे पर उनकी पार्टी द्वारा अपनाई गई आधिकारिक स्थिति से बांधता है।
- निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जवाबदेही: सांसदों को दल बदलने से रोककर, यह संसद और लोगों के प्रति जवाबदेही को कम करता है।
- अयोग्यता के खिलाफ बचाव के रूप में विभाजन: यदि किसी विशेष पार्टी में विभाजन होता है, और एक तिहाई विधायक अलग हुए समूह के साथ चले जाते हैं, तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो, विभाजन अयोग्यता के विरुद्ध एक बचाव था।
- इसकी गलत व्याख्या की जा रही है जैसा कि महाराष्ट्र में देखा गया है क्योंकि कानून की कोई आधिकारिक व्याख्या नहीं है।
- विभाजन की अस्पष्ट प्रकृति: हाल के वर्षों में, कुछ राज्यों में विपक्षी विधायक सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के लिए धीरे-धीरे छोटे समूहों में टूट गए हैं।
- इनमें से कुछ मामलों में, विपक्ष का 2/3 से अधिक हिस्सा सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गया है। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यदि विपक्ष के 2/3 से अधिक सदस्यों के सत्तारूढ़ दल में चले जाने के बाद भी पीठासीन अधिकारी कोई निर्णय लेता है, तो उन्हें अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा या नहीं।
- पद का लालच: यह व्यापक रूप से दावा किया जाता है कि भारत में वैचारिक दलबदल नहीं होता है और विधायक पद के लालच में दलबदल करते हैं।

ADL पर विभिन्न समितियों द्वारा सुझाव

- चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी समिति (1990): अयोग्यता उन मामलों तक सीमित होनी चाहिए जहां:
  - कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है;
  - कोई सदस्य विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव में मतदान से अनुपस्थित रहता है, या पार्टी व्हिप के विपरीत मतदान करता है।
- अयोग्यता का मुद्दा चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा तय किया जाना चाहिए।
- विधि आयोग (170वीं रिपोर्ट, 1999): विभाजन और विलय को अयोग्यता से छूट देने वाले प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए।
- दलबदल विरोधी कानून के तहत चुनाव पूर्व चुनावी मोर्चों को राजनीतिक दलों के रूप में माना जाना चाहिए।
- राजनीतिक दलों को व्हिप जारी करने को केवल उन मामलों तक ही सीमित रखना चाहिए जब सरकार खतरे में हो।
- संविधान समीक्षा आयोग (2002): दलबदलुओं को शेष कार्यकाल की अवधि के लिए सार्वजनिक कार्यालय या किसी पारिश्रमिक वाले राजनीतिक पद पर रहने से रोक दिया जाना चाहिए।
- किसी दलबदलू द्वारा किसी सरकार को गिराने के लिए डाला गया वोट अवैध माना जाना चाहिए।
- चुनाव आयोग: दसवीं अनुसूची के तहत निर्णय चुनाव आयोग की बाध्यकारी सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा किए जाने चाहिए।

संबंधित SC निर्णय

- किहोटो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू और अन्य (1992): सुप्रीम कोर्ट ने एडीएल की वैधता को बरकरार रखा और स्पीकर के आदेश को सीमित आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन बना दिया।
- यह माना गया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

आगे की राह

- भारतीय संविधान में दसवीं अनुसूची की शुरूआत का उद्देश्य राजनीतिक दलबदल पर अंकुश लगाना और स्थिर सरकार बनाना था, लेकिन यह राजनीतिक दलबदल पर अंकुश लगाने और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रही है।
- हालाँकि यह कानून उचित तरीके से सफल हुआ है लेकिन अपनी कुछ खामियों के कारण यह वह सर्वोत्तम उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया है जो यह कर सकता था।
- लोकतंत्र को और अधिक क्षरण से बचाने के लिए शीर्ष अदालत को विवादास्पद दसवीं अनुसूची की समीक्षा करनी चाहिए।

MPLADS ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन

खबरों में क्यों?

- सरकार ने MPLAD योजना के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है।

समाचार के बारे में

- मोबाइल ऐप सुविधा और पहुंच प्रदान करेगा, जिससे सांसदों को अपनी उंगलियों पर परियोजनाओं का प्रस्ताव देने, ट्रैक करने और निगरानी करने की अनुमति मिलेगी।
- यह वास्तविक समय पहुंच निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ाती है, जिससे उभरती जरूरतों या मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो पाती है।

- एप्लिकेशन सांसदों और संबंधित अधिकारियों के बीच संचार को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे सूचनाओं के अधिक कुशल आदान-प्रदान की सुविधा मिलेगी।

एमपीएलएडी योजना के बारे में

- MPLADS भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक योजना योजना है।
- प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र की वार्षिक MPLADS निधि पात्रता रु. 5 करोड़.
- सांसदों को हर साल अनुसूचित जाति आबादी वाले क्षेत्रों के लिए वर्ष के लिए एमपीएलएडीएस पात्रता का कम से कम 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों के लिए 7.5 प्रतिशत लागत वाले कार्यों की सिफारिश करनी होती है।
- लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य चुनाव वाले राज्य के भीतर कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।
- राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं।
- योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित एमपीएलएडीएस के तहत निर्वाचन क्षेत्र में टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे और विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी कार्यों की अनुमति है।

राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची

खबरों में क्यों?

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने पहली बार वर्तमान राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची (एनईडीएल) को संशोधित करना शुरू किया।

राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची (एनईडीएल) के बारे में:

- पृष्ठभूमि: 2018 में, WHO ने ऑनसाइट प्रयोगशाला के साथ या उसके बिना सुविधाओं में स्वास्थ्य सेवा पिरामिड के विभिन्न स्तरों पर इन-विट्रो डायग्नोस्टिक्स की उपलब्धता की सुविधा के लिए एक NEDL के विकास और कार्यान्वयन की सिफारिश की थी।
- भारत का पहला एनईडीएल 2019 में आईसीएमआर द्वारा जारी किया गया था, ताकि डायग्नोस्टिक्स की उपलब्धता को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक अनिवार्य घटक बनाया जा सके।
- यह आवश्यक और सबसे बुनियादी परीक्षणों को सूचीबद्ध करता है जो ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विभिन्न स्तरों, उप-स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होने चाहिए।
- इसमें न्यूनतम नैदानिक परीक्षण शामिल हैं जो स्वास्थ्य सुविधाओं पर उपलब्ध होने चाहिए;
  - परीक्षण की अनिवार्यता: आवश्यक नैदानिक परीक्षण वे हैं जो जनसंख्या की प्राथमिकता वाली स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और इनका चयन निम्न के आधार पर किया जाना चाहिए:
- रोग का प्रसार
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रासंगिकता;
- प्रभावकारिता का प्रमाण
- शुद्धता,
- लागत प्रभावशीलता
  - रोग का बोझ: परीक्षण को उच्च रोग बोझ या महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रासंगिकता वाली स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- नैदानिक परीक्षणों की शुरूआत से रोग निदान और प्रबंधन पर स्पष्ट प्रभाव पड़ना चाहिए।
  - भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) 2022 के साथ संरेखण: प्रस्तावित परीक्षण में उस स्तर पर उपयोगिता और आवश्यकता का दस्तावेज होना चाहिए जिसके लिए इसका सुझाव दिया गया है।
- प्रस्तावित वृद्धि आईपीएचएस 2022 के अनुसार उपकरण, बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की उपलब्धता के अनुरूप होनी चाहिए।

आईसीएमआर के बारे में:

- यह जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए भारत में शीर्ष निकाय है
- यह समाज के लाभ के लिए चिकित्सा अनुसंधान का संचालन, समन्वय और कार्यान्वयन करता है।
- यह चिकित्सा नवाचारों को उत्पादों/प्रक्रियाओं में परिवर्तित करता है और उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में पेश करता है।

अनुसूचित जाति का उप-वर्गीकरण

खबरों में क्यों?

- केंद्र सरकार ने देश भर में अनुसूचित जातियों (एससी) को लाभ का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
- अनुसूचित जाति का उप-वर्गीकरण तेलंगाना के मडिगा समुदाय द्वारा उठाई गई मांग पर विचार करने के प्रधान मंत्री के वादे के बाद आया है।

अनुसूचित जाति के भीतर उप-वर्गीकरण

- इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के सबसे पिछड़े लोगों की पहचान करना और उनकी मदद करना है।

- पिछले दो दशकों में, पंजाब, बिहार और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने एससी को उप-वर्गीकृत करने के लिए राज्य स्तर पर आरक्षण कानून लाने की कोशिश की है।
- पिछले दो दशकों में, पंजाब, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत करने के लिए राज्य स्तर पर आरक्षण कानून लाने की कोशिश की है।

उप-वर्गीकरण की वैधता

- ई. वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004): सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 5-न्यायाधीशों की पीठ के माध्यम से कहा कि एक बार जब किसी समुदाय को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रपति की सूची में शामिल किया जाता है, तो वे लोगों के एक बड़े वर्ग का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे आरक्षण के प्रयोजनों के लिए व्यापक जाल बिछाया जाता है।
- यह माना गया कि राज्य के पास इस एकल वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने की विधायी शक्ति नहीं है और ऐसी कार्रवाई समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगी। हालाँकि, सभी योजनाएँ अदालतों में रुकी हुई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का फैसला करने के लिए अपनी बड़ी संविधान पीठ (दविंदर सिंह मामले में) का गठन किया है।
- आरक्षण में उप-वर्गीकरण का मुद्दा बिना सुनवाई के लगभग दो वर्षों से 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष लंबित है।

अनुसूचित जाति के भीतर उप-वर्गीकरण के पक्ष में तर्क

- श्रेणीबद्ध असमानताएँ: एससी के उप-वर्गीकरण के लिए मुख्य तर्क एससी समुदायों के बीच श्रेणीबद्ध असमानताएँ रही हैं।
- इसका जोर इस बात पर है कि हाशिए पर रहने वाले लोगों के बीच भी ऐसे समुदाय हैं जिनकी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच कम है।
- असमान प्रतिनिधित्व: कुछ समुदाय अधिक पिछड़े हैं और दूसरों की तुलना में उनका प्रतिनिधित्व कम है। उदाहरण के लिए, मडिगा समुदाय ने दावा किया है कि एससी वर्ग के लिए आरक्षण सहित लाभ, माला समुदाय द्वारा हड़प लिया गया है, जबकि मडिगा को छोड़ दिया गया है।
- कानूनी दृष्टिकोण: न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने अन्य जातियों को किसी भी लाभ से वंचित किए बिना अनुसूचित जातियों में सबसे कमजोर लोगों को अधिमान्य उपचार देने की राज्यों की क्षमता की पुष्टि की है।
- न्यायालय ने कहा है कि अनुसूचित जाति सूची में कई जातियाँ शामिल हैं और इन्हें एक सजातीय समूह के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- लाभ का समान वितरण: केंद्र सरकार ने देश भर में 1,200 से अधिक अनुसूचित जातियों के बीच सबसे पिछड़े समुदायों को लाभ, योजनाओं और पहलों के समान वितरण के लिए एक पद्धति का मूल्यांकन करने और उस पर काम करने के लिए सचिवों की एक समिति का गठन किया है।

अनुसूचित जाति के भीतर उप-वर्गीकरण के विरुद्ध तर्क

- ये मुख्य रूप से इससे जुड़ी कानूनी और व्यावहारिक चुनौतियों पर आधारित हैं।
- कानूनी चुनौतियाँ: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य के पास अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में समुदायों को एकतरफा उप-वर्गीकृत करने की शक्ति नहीं है।
- संविधान में प्रावधान किया गया है कि ये सूचियाँ केवल संसद द्वारा बनाई जा सकती हैं और राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जा सकती हैं।
- सामाजिक-आर्थिक स्थिति का डेटा: 2011 की जनगणना के बाद से एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों से संबंधित जनसंख्या डेटा अपडेट नहीं किया गया है।
- यह उप-वर्गीकरण के उद्देश्य और वैज्ञानिक आधार को बाधित करता है।
- अस्पृश्यता: सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं किया जा सकता है। अस्पृश्यता के कारण अनुसूचित जाति को विशेष उपचार दिया जाता है, जिससे वे सदियों से पीड़ित हैं।

निष्कर्ष

- भारत का संविधान संसद को एससी को उप-वर्गीकृत करने से नहीं रोकता है, लेकिन सरकार को यह उचित ठहराने की जरूरत है कि यह कदम सभी जातियों की 100% गिनती होगी - प्रत्येक समुदाय और उप-समुदाय की जाति जनगणना और उनके संबंधित सामाजिक आर्थिक डेटा
- सरकार को संविधान और अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की आबादी के लिए लाभ, योजनाओं और पहलों के समान वितरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

आंध्र प्रदेश ने जाति जनगणना शुरू की

खबरों में क्यों?

- आंध्र प्रदेश हाल ही में राज्य में सभी समुदायों की गणना के लिए जाति जनगणना करने वाला बिहार के बाद दूसरा राज्य बन गया है।

समाचार के बारे में

- आंध्र प्रदेश सरकार स्वयंसेवी प्रणाली के साथ-साथ जाति जनगणना के लिए ग्राम सचिवालय प्रणाली को बड़े पैमाने पर तैनात करेगी।
- राज्य भर में ग्राम सचिवालय प्रणाली के अधिकारी अंतिम रिकॉर्ड बनाने से पहले स्वयंसेवकों द्वारा एकत्र की गई जानकारी की सटीकता की पुष्टि करेंगे और यदि आवश्यक हो तो इसे सही करेंगे।

जाति जनगणना: एक ऐतिहासिक संदर्भ

- जनसंख्या की जाति-वार गणना 1881 में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के तहत शुरू की गई थी और 1931 की जनगणना तक जारी रही।
- हालाँकि, स्वतंत्र भारत ने सामाजिक विभाजन की संभावना और जातिगत पदानुक्रम को मजबूत करने का हवाला देते हुए जाति गणना को छोड़ दिया।
- 1951 से 2011 तक स्वतंत्र भारत में प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर डेटा प्रकाशित किया गया है, लेकिन अन्य जातियों पर नहीं।

जाति जनगणना के लिए तर्क

- प्रभावी शासन को सक्षम बनाता है: हाशिए पर रहने वाले समुदायों और उप-जातियों सहित भारत की जाति संरचना की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है।
- प्रगति को ट्रैक करता है: जाति वितरण पर आधिकारिक डेटा की अनुपस्थिति से सकारात्मक कार्रवाई में प्रगति को ट्रैक करना, जाति-आधारित भेदभाव को संबोधित करना और संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करना मुश्किल हो जाता है।
- नीति निर्माण में निश्चितता: उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि एससी, एसटी और ओबीसी पिछड़ रहे हैं लेकिन इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि कौन से जाति समूह सबसे अधिक प्रगतिशील हैं और कौन से सबसे अधिक हाशिए पर हैं, जिससे प्रभावी नीति निर्माण में बाधा आती है।
- सामाजिक न्याय: लगातार भेदभाव का सामना करने वाले समूहों के प्रति सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों और नीतियों को बेहतर ढंग से लक्षित करने में सक्षम बनाता है।
- ऐसी कई जातियां हैं जिन्हें अभी तक सरकार से कल्याणकारी योजनाएं नहीं मिली हैं और जनगणना से उन्हें इससे निपटने में मदद मिलेगी।
- संसाधन आवंटन: विभिन्न जाति समूहों की आवश्यकताओं के आधार पर संसाधनों के समान वितरण में मदद करता है।
- सामाजिक सुधार: जाति-आधारित असमानताओं को संबोधित करने वाली सामाजिक सुधार पहल के लिए डेटा-संचालित साक्ष्य प्रदान करता है।

जाति जनगणना के विरुद्ध तर्क

- सामाजिक विभाजन: आलोचकों का तर्क है कि यह जाति की पहचान को मजबूत कर सकता है, तनाव बढ़ा सकता है, और प्रभुत्व और पदानुक्रम के नए दावों को जन्म दे सकता है।
- असंवैधानिक: जनगणना कराने का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार को है, न कि राज्यों को, इस प्रकार यह संविधान की अनुसूची VII, जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 का उल्लंघन है।
- संविधान के सातवें VII में संघ सूची में प्रविष्टि 69 में जनगणना की गणना की गई थी।
- डेटा का दुरुपयोग: राजनीतिक लाभ या कुछ जाति समूहों के खिलाफ भेदभाव के लिए डेटा के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं मौजूद हैं।
- यह बेईमान जाति के नेताओं को उनके जाति भाइयों की कीमत पर अपने संकीर्ण राजनीतिक हित की सेवा करने में मदद कर सकता है।
- नए मुद्दे: सर्वेक्षण डेटा इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए आरक्षण पर 50% की सीमा पर लंबे समय से चली आ रही बहस को फिर से खोल सकता है।
- तार्किक चुनौतियाँ: राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना आयोजित करना एक जटिल और महंगा उपक्रम है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है।
- वैकल्पिक डेटा स्रोत: कुछ लोगों का तर्क है कि मौजूदा डेटाबेस और सर्वेक्षण जाति और सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर पर्याप्त डेटा प्रदान कर सकते हैं।

आगे की राह

- जातिगत डेटा तीन महत्वपूर्ण कारकों को समझने की कुंजी है - श्रम बाजार की कार्यप्रणाली, धन असमानता और नीति योजनाओं का कार्यान्वयन, जो देश के विकास पैटर्न को समझने में मदद कर सकता है।
- इस तरह के डेटा सामाजिक संरचनाओं में असमानताओं को उजागर करेंगे, बेहतर नीति निर्माण को सक्षम करेंगे और वास्तविक समान भागीदारी और शक्ति और संसाधनों के पुनर्वितरण के युग की शुरूआत के लिए नीति कार्यान्वयन में बाधाओं की पहचान करेंगे।
- इसलिए, जाति जनगणना का राजनीतिकरण करने के बजाय, प्रत्येक राजनीतिक दल को इस विचार को अपनाना चाहिए ताकि राज्य नागरिकों के सबसे हाशिए वाले वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सके।

जेनरेटिव एआई गवर्नेंस पर एआई गवर्नेंस एलायंस रिपोर्ट

खबरों में क्यों?

- एआई गवर्नेंस एलायंस (एआईजीए) ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर तीन नई रिपोर्टों की एक श्रृंखला जारी की।

समाचार के बारे में

- कागजात जेनेरिक एआई गवर्नेंस, इसके मूल्य को अनलॉक करने और जिम्मेदार एआई विकास और तैनाती के लिए एक ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- रिपोर्ट "जेनरेटिव एआई गवर्नेंस: शेपिंग अवर कलेक्टिव ग्लोबल फ्यूचर" में मुख्य आकर्षण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर है।
- यह विकास और तैनाती दोनों के संदर्भ में एआई तक अधिक समावेशी पहुंच का भी आग्रह करता है।
- जेनरेटिव एआई से मूल्य अनलॉक करना: जिम्मेदार परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन हितधारकों को जेनरेटिव एआई को अधिक जिम्मेदारी से अपनाने के बारे में मार्गदर्शन करता है।
- विशेष रूप से, यह उपयोग के मामले के मूल्यांकन, बहुहितधारक शासन और पारदर्शी संचार पर प्रकाश डालता है।
- प्रेसिडियो एआई फ्रेमवर्क: सुरक्षित जेनरेटिव एआई मॉडल की ओर एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो मॉडल जीवनचक्र प्रबंधन को मानकीकृत करता है।
- यह साझा जिम्मेदारी और सक्रिय जोखिम प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित करता है। एआई गवर्नेंस एलायंस (एआईजीए) वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2023 में एआई गवर्नेंस एलायंस लॉन्च किया।
- यह जिम्मेदार जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर केंद्रित एक समर्पित पहल है।
- यह जिम्मेदार वैश्विक डिजाइन और पारदर्शी और समावेशी एआई सिस्टम जारी करने के लिए उद्योग जगत के नेताओं, सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों का एक संघ है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कंप्यूटर विज्ञान की एक व्यापक शाखा है जो उन कार्यों को करने में सक्षम स्मार्ट मशीनों के निर्माण से संबंधित है जिनके लिए आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों को मानव मस्तिष्क की क्षमताओं का मॉडल बनाने या उनमें सुधार करने की अनुमति देती है।
- सेल्फ-ड्राइविंग कारों के विकास से लेकर चैटजीपीटी और गूगल के बार्ड जैसे जेनरेटिव एआई टूल्स के प्रसार तक, एआई तेजी से रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रहा है - और एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हर उद्योग निवेश कर रहा है।

जनरेटिव AI

- जेनरेटिव एआई एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक है जो टेक्स्ट, इमेजरी, ऑडियो और सिंथेटिक डेटा सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री का उत्पादन कर सकती है।
- जेनरेटिव एआई मॉडल अपने इनपुट प्रशिक्षण डेटा के पैटर्न और संरचना को सीखते हैं और फिर समान विशेषताओं वाले नए डेटा उत्पन्न करते हैं।
- चैटजीपीटी, डीएएलएल-ई और बार्ड जेनरेटिव एआई अनुप्रयोगों के उदाहरण हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए संकेतों या संवाद के आधार पर टेक्स्ट या छवियां उत्पन्न करते हैं।

विनियमन की आवश्यकता

- एआई उपकरणों में पारदर्शिता का अभाव: एआई और गहन शिक्षण मॉडल को समझना मुश्किल हो सकता है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो सीधे प्रौद्योगिकी के साथ काम करते हैं।
- एआई तटस्थ नहीं है: एआई-आधारित निर्णय अशुद्धियों, भेदभावपूर्ण परिणामों, अंतर्निहित या सम्मिलित पूर्वाग्रह के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- डेटा गोपनीयता का अभाव: एआई सिस्टम अक्सर उपयोगकर्ता अनुभवों को अनुकूलित करने या एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत डेटा एकत्र करते हैं।
- अनियंत्रित स्व-एआई: एक चिंता यह भी है कि एआई बुद्धिमत्ता में इतनी तेजी से प्रगति करेगा कि यह मनुष्यों के नियंत्रण से परे कार्य करेगा - संभवतः दुर्भावनापूर्ण तरीके से।
- सुरक्षा और सुरक्षा: एआई सिस्टम, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन और वित्त जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, कुछ सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: एआई विकास एक वैश्विक घटना है, और नियामक ढांचे सामान्य मानकों और सिद्धांतों को स्थापित करने में मदद कर सकते हैं।
- दुरुपयोग से बचना: नियमों के बिना, एआई का उपयोग दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किए जाने का जोखिम है, जैसे कि डीपफेक निर्माण, साइबर हमले या स्वायत्त हथियार।
- सार्वजनिक विश्वास: स्पष्ट नियम स्थापित करने से एआई प्रौद्योगिकियों में जनता का विश्वास बढ़ सकता है।

आगे की राह

- एआई सिस्टम पूर्वाग्रह, भेदभाव और गोपनीयता पर आक्रमण जैसे नैतिक मुद्दे उठा सकते हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए विनियम आवश्यक हैं कि एआई प्रौद्योगिकियां नैतिक मानकों का पालन करें और सामाजिक असमानताओं में योगदान न करें।
- कानूनी नियमों को लागू करके और मानव-केंद्रित सोच के साथ एआई विकास का मार्गदर्शन करके इन खतरों को कम किया जा सकता है।

भारत में खेल क्षेत्र

खबरों में क्यों?

- प्रधानमंत्री ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का उद्घाटन किया।

समाचार के बारे में

- भारत के प्रधान मंत्री ने हाल ही में खेलों में भारत की सफलता के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों को श्रेय दिया।
- इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि खेल केवल मैदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ा आर्थिक अवसर भी प्रस्तुत करता है, उन्होंने कहा कि देश का खेल-संबंधी उद्योग कुछ वर्षों में कम से कम 1 लाख करोड़ का होगा।
- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में खेल प्रतिभाओं का विशाल भंडार है और वह 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है।

खेल क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गये सुधार:

प्रतिभा विकास और एथलीट सहायता:

- खेलो इंडिया कार्यक्रम: 2017 में शुरू किया गया यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम विभिन्न खेलों में छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिताओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर युवा प्रतिभाओं की पहचान करता है और उनका पोषण करता है।
- लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स): ओलंपिक खेलों में पदक जीतने की क्षमता वाले विशिष्ट एथलीटों को समर्पित वित्तीय और तार्किक सहायता प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार: एथलीटों, प्रशिक्षकों और प्रशासकों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देता है और पुरस्कृत करता है।
- भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI): देश भर में SAI प्रशिक्षण केंद्रों में बुनियादी ढांचे और कोचिंग स्टाफ को नया रूप दिया गया।

बुनियादी ढांचे का विकास:

- खेलो इंडिया यूथ गेम्स: 2018 से उन्नत बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का उपयोग करते हुए, युवा एथलीटों के लिए वार्षिक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है।
- खेल बुनियादी ढांचे का विकास योजना: मौजूदा खेल बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और नए खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्यों और खेल निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी): खेल सुविधाओं के विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

शासन और नीति सुधार:

- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA): स्वच्छ और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए डोपिंग रोधी उपायों को मजबूत करती है और कड़े नियम लागू करती है।
- भारत का राष्ट्रीय खेल विकास कोड: भारत में खेलों के प्रशासन, वित्त पोषण और विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को सशक्त बनाना: उनके संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए एनएसएफ में सुधार करना।

खेल को करियर के रूप में बढ़ावा देना:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) खेल छात्रवृत्ति योजना: उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय: विश्व स्तरीय शैक्षणिक और एथलेटिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 643.34 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत लागत पर मणिपुर में देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया।
- करियर मार्गदर्शन और कौशल विकास कार्यक्रम: एथलीटों को सेवानिवृत्ति के बाद के करियर में सफलतापूर्वक बदलाव के लिए कौशल और संसाधनों से लैस करता है।

भारत में खेल क्षेत्र

- भारत भर में खेल उद्योग का बाजार आकार 2022 में लगभग 142 बिलियन भारतीय रुपये था और 2027 तक 300 बिलियन भारतीय रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।
- क्रिकेट प्रमुख खेल बना हुआ है, लेकिन कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी जैसे अन्य खेल लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं और महत्वपूर्ण दर्शकों और निवेश को आकर्षित कर रहे हैं।

विकास के संचालक

- बढ़ती प्रयोज्य आय: व्यय शक्ति में वृद्धि से खेलों में भागीदारी और खेल से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं की खपत में वृद्धि होती है।
- सरकारी पहल: खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना जैसी योजनाएं एथलीट विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार को प्राथमिकता देती हैं।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी: लीग, फ्रेंचाइजी और खेल बुनियादी ढांचे में निगमों और उद्यमिता द्वारा निवेश बढ़ रहा है।
- मीडिया और प्रौद्योगिकी: बेहतर प्रसारण, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और ऑनलाइन गेमिंग प्रशंसक जुड़ाव और राजस्व धाराओं का विस्तार कर रहे हैं।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- असमान विकास: क्रिकेट को असंगत ध्यान और संसाधनों का आनंद मिलता है, जिससे अन्य खेलों के विकास में बाधा आती है।
- बुनियादी ढांचे की कमी: ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में गुणवत्तापूर्ण खेल सुविधाओं की कमी पहुंच और प्रतिभा विकास को सीमित करती है।

- जमीनी स्तर पर फोकस की कमी: विशिष्ट एथलीटों पर ध्यान अक्सर जमीनी स्तर पर व्यापक भागीदारी और प्रतिभा की पहचान की उपेक्षा करता है।
- डोपिंग और भ्रष्टाचार: एक निष्पक्ष और स्वस्थ खेल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए इन मुद्दों से निपटना महत्वपूर्ण है।

अवसर एवं उपाय

- विविधीकरण: अन्य खेलों, विशेष रूप से ओलंपिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करने से विकास और पदक गौरव की अपार संभावनाएं हैं।
- प्रौद्योगिकी और नवाचार: स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप और डेटा एनालिटिक्स प्रशिक्षण, प्रशंसक जुड़ाव और राजस्व सृजन में क्रांति ला सकते हैं।
- ग्रामीण आउटरीच: ग्रामीण खेल बुनियादी ढांचे और प्रतिभा पहचान कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए सरकारी और निजी प्रयास समावेशिता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- महिला खेल: महिलाओं के खेलों में बढ़ती भागीदारी और निवेश से विकास और सशक्तिकरण की जबरदस्त संभावना है।

आगे की राह

- बढ़ती आय, बढ़ती जागरूकता और बढ़ते सरकारी और निजी क्षेत्र के निवेश के कारण भारतीय खेल क्षेत्र एक आकर्षक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
- अपनी अपार संभावनाओं और चल रहे विकास के साथ, भारतीय खेल क्षेत्र एक रोमांचक भविष्य के लिए तैयार है।
- चुनौतियों का समाधान करना, अवसरों का लाभ उठाना और एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना एक संपन्न और समावेशी खेल परिदृश्य बनाने में महत्वपूर्ण होगा जो सभी हितधारकों को लाभान्वित करेगा।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी)

खबरों में क्यों?

- पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से किए गए विभिन्न घोटालों के बारे में उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दी है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) के बारे में

- इसे औपचारिक रूप से 1970 में गृह मंत्रालय के तहत मौजूदा पुलिस अनुसंधान और सलाहकार परिषद (1966) को एक नई दिशा देते हुए स्थापित किया गया था।
- वर्षों से, इसे राज्यों और केंद्रीय पुलिस संगठनों में प्रशिक्षण आवश्यकताओं और प्रशिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

उद्देश्य:

- देश में पुलिस की आवश्यकताओं एवं समस्याओं की पहचान करना।
- अनुसंधान परियोजनाएं और अध्ययन शुरू करना, और समस्याओं और चुनौतियों को दूर करने और पुलिस की जरूरतों और जरूरतों को पूरा करने के लिए तौर-तरीके सुझाना।
- पुलिस के काम में उचित प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत और विदेश दोनों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम विकास से अवगत रहना भी अनिवार्य था।
- पहल: वर्ष 2008 के दौरान, भारत सरकार ने देश में पुलिस बलों को आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव के लिए प्रभावी साधन में बदलने के लिए बीपीआर एंड डी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय पुलिस मिशन बनाने का निर्णय लिया।

एनएचआरसी ने इडेट आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर जोर दिया

खबरों में क्यों?

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एनटी, एसएनटी और डीएनटी के कल्याण के लिए इडेट आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश और विमुक्त जनजातियाँ (एनटी, एसएनटी और डीएनटी)

- खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदायों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।
- विमुक्त जनजातियाँ (DNTs) वे समुदाय हैं जिन्हें 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाले कानूनों की एक श्रृंखला के तहत ब्रिटिश शासन के दौरान 'जन्मजात अपराधी' के रूप में 'अधिसूचित' किया गया था।
- ये वे समुदाय हैं जो सबसे अधिक असुरक्षित और वंचित हैं।

एनटी, एसएनटी और डीएनटी द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- मान्यता और दस्तावेज़ीकरण का अभाव: विमुक्त समुदायों के पास नागरिकता दस्तावेज़ों का अभाव है, जिससे उनकी पहचान अदृश्य हो जाती है और सरकारी लाभ, संवैधानिक और नागरिकता अधिकार प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है।

- सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व: इन समुदायों के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व उनके लिए अपनी चिंताओं को उठाना और अपने अधिकारों की वकालत करना चुनौतीपूर्ण बनाता है।
- सामाजिक कलंक और भेदभाव: एनटी, एसएनटी और डीएनटी को अक्सर उनकी ऐतिहासिक गैर-अधिसूचित स्थिति और उनके जीवन के विशिष्ट तरीके के कारण भेदभाव और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है।
- आर्थिक हाशिए पर जाना: संसाधनों, बाजारों और रोजगार के अवसरों तक पहुंच की कमी के परिणामस्वरूप इन समुदायों का आर्थिक हाशिए पर जाना होता है।
- शैक्षिक अभाव: इन जनजातियों के लिए शैक्षिक अवसर सीमित हैं, जिससे निरक्षरता दर उच्च है।

इडेट आयोग:

- 2014 में, तीन साल की अवधि के लिए भीकू रामजी इदाते की अध्यक्षता में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था।
- आयोग ने निम्नलिखित सिफ़ारिशें दी हैं;
- आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 और बाद में आदतन अपराधी अधिनियम, 1952 के अधिनियमन द्वारा लगाए गए कलंक के कारण एनटी, एसएनटी और डीएनटी के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और बाद के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को संशोधित करने का तरीका निकालने की आवश्यकता है।
- इसने कई अन्य बातों के अलावा, एससी/एसटी/ओबीसी के तहत डीएनटी/एनटी/एसएनटी को शामिल न करने और पूर्व के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने का भी सुझाव दिया।
- भारत में खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश और विमुक्त जनजातियों (एनटी, एसएनटी और डीएनटी) के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना।
- इसने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी दस्तावेजों जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाने में समुदायों द्वारा सहन की जाने वाली बाधाओं को समझने के लिए उपाय करने पर जोर दिया।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- इडेट आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 2019 में DNTs, SNTs &NTs (DWBDNCs) के लिए विकास और कल्याण बोर्ड का गठन किया।
- नीति आयोग द्वारा वि-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों (डीएनसी) की पहचान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक समिति भी गठित की गई है।
- डीएनटी (एसईईडी) के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना: यह योजना विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश समुदायों के कल्याण के लिए 2022 में शुरू की गई थी।
- बजट: मंत्रालय को रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना के लिए 2021-22 से 2025-26 तक पांच वित्तीय वर्षों में 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- घटक: डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण योजना के चार घटक हैं;
  1. डीएनटी उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली कोचिंग प्रदान करना;
  2. उन्हें स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना;
  3. सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल को सुविधाजनक बनाना; और
  4. इन समुदायों के सदस्यों के लिए घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

आगे की राह

- "आपराधिक प्रवृत्ति" वाली विमुक्त जनजातियों के बारे में औपनिवेशिक मानसिकता को बदलने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो।
- उनकी पहचान के उचित दस्तावेजीकरण में तेजी लाने की जरूरत है ताकि उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और उन्हें बुनियादी जरूरतें प्रदान की जा सकें।
- एनएचआरसी ने सुझाव दिया है कि उनके सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए संसद, सरकारी संस्थानों और उच्च शिक्षा में विमुक्त जनजातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

भारतीय भाषाओं में डिजिटल अध्ययन सामग्री

खबरों में क्यों?

- भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि स्कूल और उच्च शिक्षा के तहत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

इस कदम के पीछे तर्क

- उपरोक्त दिशा-निर्देश हर स्तर पर शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों से उभरे हैं, ताकि छात्रों को अपनी भाषा में अध्ययन करने का अवसर मिले और सीखने के बेहतर परिणाम मिल सकें।
- इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को अपनी भाषा में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना था।
- अपनी भाषा में अध्ययन करने से छात्र को बिना किसी भाषाई बाधा के नवोन्वेषी ढंग से सोचने का स्वाभाविक अवसर मिल सकता है।

चुनौतियां

- अन्य भाषाओं में अध्ययन सामग्री विकसित करना और वितरित करना महंगा हो सकता है।
- अन्य भाषाओं में सामग्री की गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- स्थानीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी और डिजिटल संसाधनों तक सीमित पहुंच एक महत्वपूर्ण बाधा हो सकती है।
- शिक्षा क्षेत्र में अवसर ढूंढने में कठिनाई।

सरकार द्वारा कदम

- अनुवादिनी एआई आधारित ऐप: यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून, यूजी, पीजी और कौशल पुस्तकों का अनुवाद करता है।
- ई-कुंभ पोर्टल: यह अनुवादित पुस्तकों को होस्ट करता है जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।
- दीक्षा: स्कूली शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में भी अध्ययन सामग्री कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें दीक्षा (नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर) पर 30 से अधिक भाषाएं शामिल हैं।
- क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित करना: जेईई, एनईईटी, सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं।

एक साथ मतदान

खबरों में क्यों?

- केंद्रीय कानून मंत्रालय ने हाल ही में सूचित किया कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर पैनल को 81% नागरिकों से एक साथ चुनाव के विचार की पुष्टि मिली है। भारत में एक साथ चुनाव
- यह चुनावों की बारंबारता और उनसे जुड़ी लागतों को कम करने के इरादे से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार को संदर्भित करता है।
- यह 'एक राष्ट्र एक चुनाव' की तर्ज पर है।
- भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा का पालन 1967 तक पहले तीन लोकसभा चुनावों में किया गया था।
- हालाँकि, राजनीतिक अस्थिरता और संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के कारण चक्र बाधित हो गया था।

संबंधित रिपोर्ट

- ईसीआई की वार्षिक रिपोर्ट (1983): इसमें सिफारिश की गई कि एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए ताकि चुनाव एक साथ आयोजित किए जा सकें।
- विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999): इसमें कहा गया कि हमें अतीत में जाना चाहिए जब लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे।
- संसदीय स्थायी समिति की 79वीं रिपोर्ट (2015): इसने एक साथ चुनाव के विचार का समर्थन किया जिसे 2017 में नीति आयोग के एक पेपर द्वारा दोहराया गया था।

कार्यान्वयन

- एक साथ चुनाव कराने के लिए चुनाव प्रणाली में बदलाव के बारे में राजनीतिक सहमति होनी जरूरी है। इसके अलावा, संविधान में संशोधन तैयार करने की आवश्यकता है।
- 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के कार्यान्वयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता है:
- अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि से संबंधित हैं, और निर्वाचित लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए पांच साल के कार्यकाल की गारंटी देते हैं, जब तक कि वे जल्दी भंग न हो जाएं।
- अनुच्छेद 85 छह महीने से अधिक के अंतराल पर संसदीय सत्र बुलाने की राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है।
- राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी है।
- अनुच्छेद 356 किसी राज्य में शासन और संवैधानिक विफलता की स्थिति में लागू होता है और राष्ट्रपति शासन से संबंधित है।
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में संगठित आचरण और स्थिरता के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 और दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन किया जाना चाहिए।

एक साथ चुनाव के लाभ

- लागत दक्षता: भारत में पिछले 36 वर्षों से हर साल एक राज्य या एक राष्ट्रीय चुनाव होता रहा है।
- इसमें भारी वित्तीय संसाधनों और प्रयासों की खपत होती है, और सरकार और राजनीतिक दलों के लिए समय चिंता का विषय प्रतीत होता है।
- यदि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव होते हैं तो नई ईवीएम खरीदने के लिए ईसीआई को हर 15 साल में अनुमानित 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
- सरकारी नीतियों का सुचारू कार्यान्वयन: देश के कुछ हिस्सों में 'आदर्श आचार संहिता' के साथ लगातार होने वाले चुनाव शासन से ध्यान भटकाते हैं और नीतिगत पंगुता की ओर ले जाते हैं।
- आवश्यक सेवाओं में बाधा: नियमित चुनाव चुनाव प्रक्रिया में बड़ी संख्या में शिक्षकों सहित लोक सेवकों की व्यस्तता के कारण आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में बाधा डालते हैं।

- राष्ट्रीय पार्टियों पर दबाव: राष्ट्रीय पार्टियाँ वे हैं जो लगातार चुनावों का दबाव महसूस कर सकती हैं क्योंकि देश के किसी भी हिस्से मंस होने वाले नगरपालिका या राज्य चुनावों में उनका राष्ट्रीय नेतृत्व शामिल होता है।
- सुरक्षा बलों की नियुक्ति: सुरक्षा बलों की तैनाती आम तौर पर पूरे चुनाव के दौरान होती है और बार-बार होने वाले चुनावों में ऐसे सशस्त्र पुलिस बल का एक हिस्सा छीन लिया जाता है जिसे अन्यथा अन्य आंतरिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बेहतर ढंग से तैनात किया जा सकता था।

संबद्ध चिंताएँ

- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर): इसने व्यक्त किया कि एक साथ चुनाव से 'कृत्रिम रूप से निर्वाचित विधानसभाओं की शर्तों में कटौती या विस्तार होगा जो संसदीय लोकतंत्र की जड़ पर हमला करता है।'
- इसमें उल्लेख किया गया है कि ऐसी 'गंभीर आशंकाएं' थीं कि एक साथ चुनाव की वकालत 'संविधान के संघीय चरित्र को एकात्मक संरचना में बदलने के उद्देश्य से की गई हाथ की सफाई' थी।
- संघवाद को बाधित करें: यह संघवाद के मूल सिद्धांत को कमजोर करता है, जो हमारे संवैधानिक ढांचे का एक बुनियादी घटक है।
- लॉजिस्टिक चुनौतियाँ: सभी राज्यों और केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण चुनौतियों सहित बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।
- क्षेत्रीय विविधताएँ: समकालिक चुनाव इन क्षेत्रीय विविधताओं को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रख सकते हैं।
- वित्तीय निहितार्थ: चुनाव कराना महंगा है और इसके लिए जनशक्ति जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होती है
- विघटन का मुद्दा: अविश्वास मत के कारण समय से पहले विघटन।
- पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से चुनाव आयोग के लिए कई व्यावहारिक कठिनाइयां होती हैं।
- इससे यह सवाल उठता है कि क्या सत्तारूढ़ दल के पास सभी 29 राज्यों में पूर्ण बहुमत है। ऐसे में क्या नये चुनाव की जरूरत पड़ेगी।
- क्षेत्रीय पार्टियों के लिए नुकसान: इससे प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी या केंद्र में मौजूदा पार्टी को मदद मिलेगी।

निष्कर्ष:

- एक साथ चुनाव का विचार संभावित रूप से कई लाभ ला सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।
- इन चुनौतियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत और परामर्श की आवश्यकता है।
- यदि एक साथ चुनाव कराने से चुनाव कराने की अवधि कम हो जाती है, तो राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने और शासन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय होगा।

गैर सरकारी संगठनों के लिए एफसीआरए पंजीकरण रद्द करना

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, दो प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) - सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) और वर्ल्ड विजन इंडिया (डब्ल्यूवीआई) का विदेशी योगदान रद्द कर दिया गया है।

समाचार के बारे में

- गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) - सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) और वर्ल्ड विजन इंडिया (डब्ल्यूवीआई) को रद्द कर दिया गया है।
- जनशक्ति जैसे महत्वपूर्ण संसाधन।
- विघटन का मुद्दा: अविश्वास मत के कारण समय से पहले विघटन।
- पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से चुनाव आयोग के लिए कई व्यावहारिक कठिनाइयां होती हैं।
- इससे यह सवाल उठता है कि क्या सत्तारूढ़ दल के पास सभी 29 राज्यों में पूर्ण बहुमत है। ऐसे में क्या नये चुनाव की जरूरत पड़ेगी.
- क्षेत्रीय पार्टियों के लिए नुकसान: इससे प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी या केंद्र में मौजूदा पार्टी को मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

- एक साथ चुनाव का विचार संभावित रूप से कई लाभ ला सकता है, लेकिन यह प्रस्तुत भी करता है
- गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि सीपीआर ने "विकासात्मक परियोजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई" के लिए विदेशी दान का इस्तेमाल किया और "भारत के आर्थिक हितों को प्रभावित करने" के लिए धन का दुरुपयोग किया।
- 2015 से, उल्लंघन के कारण 16,000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। वर्तमान में देश में 16,989 एफसीआरए-पंजीकृत एनजीओ सक्रिय हैं।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 क्या है?

- एफसीआरए का उद्देश्य राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करना है।
- उत्पत्ति: इसे पहली बार 1976 में अधिनियमित किया गया था, लेकिन निरस्त कर दिया गया और बाद में 2010 में नए कानून के साथ बदल दिया गया। इसे 2020 में और संशोधित किया गया।

अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार हैं;

- विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या एनजीओ को अधिनियम के तहत पंजीकृत होना होगा।
- पंजीकृत समूह सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं।
- धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करना जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया है, और जैसा कि अधिनियम मी निर्धारित है।
- उन्हें वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की भी आवश्यकता होती है, और उन्हें किसी अन्य एनजीओ को धनराशि हस्तांतरित नहीं करनी चाहिए।
- अधिनियम चुनाव के उम्मीदवारों, पत्रकारों या समाचार पत्र और मीडिया प्रसारण कंपनियों, न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों, विधायिका और राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके पदाधिकारियों और राजनीतिक प्रकृति के संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाता है।
- 2020 संशोधन: किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर रोक।
- प्रशासनिक खर्चों के लिए विदेशी अंशदान के उपयोग की सीमा को 50% से घटाकर 20% किया गया।
- एफसीआरए 2022 नियम: जुलाई 2022 में, एमएचए ने एफसीआरए नियमों में बदलाव पेश किए। इन बदलावों में समझौतायोग्य अपराधों की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 करना शामिल है।
    - नियमों ने विदेशी रिश्तेदारों के योगदान की सीमा भी बढ़ा दी है, जिसे सरकारी अधिसूचना की आवश्यकता के बिना 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक किया जा सकता है। साथ ही, बैंक खाते खोलने के बारे में सरकार को सूचित करने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई।
    - वैधता: पंजीकरण पांच साल के लिए वैध है, जिसके बाद एनजीओ को नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
    - केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) एफसीआरए के कार्यान्वयन की निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे फंड देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें।

भारत में विदेशी योगदान को विनियमित करने का महत्व

- भारतीय मामलों में हस्तक्षेप को रोकना: एफसीआरए को व्यक्तियों और संघों को विदेशी दान को विनियमित करके विदेशी शक्तियों को भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: एफसीआरए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है जो धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
- गृह मंत्रालय ने यह भी चिंता जताई है कि भारत में गैर सरकारी संगठन मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिमों के प्रति संवेदनशील हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा: एफसीआरए विदेशी संस्थाओं को उन गतिविधियों को वित्तपोषित करने से रोककर राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करने में भी मदद करता है जो भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती हैं।

विदेशी योगदान को विनियमित करने की चुनौतियाँ

- प्रशासनिक देरी: एफसीआरए के तहत पंजीकरण और नवीनीकरण प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है जिससे उनके काम में देरी होती है और धन प्राप्त करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप: एनजीओ के पंजीकरण रद्द करने या खातों को फ्रीज करने की सरकार की विवेकाधीन शक्तियों का कुछ मामलों में सरकार की आलोचना करने वाले एनजीओ को निशाना बनाने के लिए दुरुपयोग किया गया है, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगे हैं।
- सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा: विदेशी योगदान की कठोर अनुपालन आवश्यकताएं भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं।
- पारदर्शिता की कमी: एफसीआरए के तहत प्राप्त विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता की कमी के लिए कुछ गैर सरकारी संगठनों की आलोचना की गई है।
- चिंताएं अक्सर तब पैदा होती हैं जब इन फंडों के विशिष्ट उद्देश्यों और लाभार्थियों का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया जाता है।

आगे की राह

- जबकि एफसीआरए में संशोधन हुए हैं, इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि नागरिक समाज संगठनों की स्वायत्तता की रक्षा की आवश्यकता के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को संतुलित करने में कठिनाई।
- बहरहाल, विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकने और भारत में गैर सरकारी संगठनों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एफसीआरए के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में काम करना जारी रखना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना

खबरों में क्यों?

- प्रधानमंत्री ने एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करने के लिए सोलर रूफटॉप योजना की घोषणा की।

समाचार के बारे में

- सरकार एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' शुरू करेगी।
- इससे न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम होगा, बल्कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा।

वर्तमान स्थिति

- ऐसा अनुमान है कि देश में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की सुविधा वाले 10 लाख से भी कम घर हैं।
- 2022 तक 100 गीगावॉट स्थापित करने का लक्ष्य था - उपयोगिता परियोजनाओं (मेगा केंद्रित सौर पार्क) से 60 गीगावॉट और छत पर सौर ऊर्जा से 40 गीगावॉट।
- लेकिन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, दिसंबर 2023 तक भारत में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 73.31 गीगावॉट तक पहुंच गई है, जबकि छत पर सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 11.08 गीगावॉट है। विशेष रूप से, देश की मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा की बड़ी हिस्सेदारी है, जो लगभग 180 गीगावॉट है।
- कुल सौर क्षमता के मामले में राजस्थान 18.7 गीगावॉट के साथ शीर्ष पर है। गुजरात 10.5 गीगावॉट के साथ दूसरे स्थान पर है।
- जब छत पर सौर क्षमता की बात आती है, तो गुजरात 2.8 गीगावॉट के साथ सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद 1.7 गीगावॉट के साथ महाराष्ट्र है।

भारत में सौर ऊर्जा के विस्तार की आवश्यकता

- बढ़ती मांग: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के नवीनतम विश्व ऊर्जा आउटलुक के अनुसार, अगले 30 वर्षों में भारत में दुनिया के किसी भी देश या क्षेत्र की तुलना में सबसे बड़ी ऊर्जा मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- इस मांग को पूरा करने के लिए देश को ऊर्जा के एक विश्वसनीय स्रोत की आवश्यकता होगी और यह सिर्फ कोयला संयंत्र नहीं हो सकते।
- प्रतिबद्धताओं को पूरा करें: इसका लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना है।
- जैसा कि पहले बताया गया है, देश ने इसे 2010 में 10 मेगावाट से कम से बढ़ाकर 2023 में 70.10 गीगावॉट कर दिया है।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु अन्य योजनाएँ

- पीएम-कुसुम (किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान): इसका उद्देश्य गैर-जीवाश्म-ईंधन स्रोतों से विद्युत ऊर्जा की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता का सम्मान करने के साथ-साथ भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- सौर पार्क योजना: 2025-26 तक 40,000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता का लक्ष्य रखते हुए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) के विकास के लिए।
- अटल ज्योति योजना (अजय): ग्रिड पावर से कवर 50% से कम घरों वाले राज्यों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग (एसएसएल) सिस्टम की स्थापना के लिए सितंबर 2016 में अजय योजना शुरू की गई थी।
- राष्ट्रीय सौर मिशन: यह मिशन भारत को सौर ऊर्जा में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से 2010 में शुरू किया गया था।
- एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड (OSOWOG): यह वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाने, परस्पर जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए एक रूपरेखा पर केंद्रित है।

जन नायक कर्पूरी ठाकुर

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती पर (मरणोपरांत) 'भारत रत्न' (भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार) प्रदान किया।

भारत की आजादी से पहले जन नायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में:

- कर्पूरी ठाकुर महात्मा गांधी और सत्यनारायण सिन्हा से काफी प्रभावित थे.
- वह अपने स्कूली शिक्षा के दिनों में भारत के सबसे पुराने छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) में शामिल हुए।
- वह भारतीय राष्ट्रवादी विचार से प्रेरित थे, और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी स्नातक की पढ़ाई छोड़ दी, औपनिवेशिक ब्रिटिश शासकों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई एक विशाल लामबंदी थी।

आज़ादी के बाद:

- उन्होंने शुरुआत में अपने गांव में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया
- वह 1952 में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान सभा चुनाव में जीत के साथ सक्रिय राजनीति में लौट आए और जल्द ही सोशलिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व किया।
- वह श्रमिकों के अधिकारों के लिए अपनी सफल लड़ाई के कारण एक किंवदंती बन गए और इस तरह पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर जोर दिया।
- उन्होंने वर्ष 1970 में टेल्को में मजदूरों के हितों के लिए अपना आमरण अनशन आंदोलन शुरू किया और मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
- उनका जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के दो स्तंभों के इर्द-गिर्द घूमता रहा।

कर्पूरी ठाकुर द्वारा दिया गया योगदान

- सामाजिक न्याय: ठाकुर की राजनीतिक यात्रा को एक ऐसे समाज के निर्माण के महान प्रयासों द्वारा चिह्नित किया गया था जहां संसाधनों को उचित रूप से वितरित किया गया था और हर किसी को, उनकी सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना, अवसरों तक पहुंच थी।

- वह भारतीय समाज को त्रस्त करने वाली प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करना चाहते थे।
- ओबीसी राजनीति: उन्हें बिहार में ओबीसी राजनीति के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए कोटा लागू किया, एक ऐसा कदम जो मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए मंच तैयार करने में महत्वपूर्ण था।
- उन्होंने 1970 में मुंगेरी लाल आयोग की नियुक्ति की, जिसने 128 'पिछड़े' और 94 'सबसे पिछड़े' समुदायों की पहचान की।
- इसने 26% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला, ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और 'उच्च जातियों' के गरीबों को 3% मिला।
- सकारात्मक कार्रवाई: भारत में ठाकुर के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई तंत्र को मजबूत करने में उनकी भूमिका थी।
- उन्होंने आशा व्यक्त की कि उन्हें वह प्रतिनिधित्व और अवसर दिया जाएगा जिसके वे हकदार हैं।
- निस्वार्थता: बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, राजनीतिक नेताओं के लिए एक कॉलोनी बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन उन्होंने स्वयं इस योजना से कोई जमीन या पैसा नहीं लिया।
- शराब प्रतिबंध: ठाकुर को बिहार में 1970 में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है।
- शिक्षा: उन्होंने कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से बिहार के अविकसित क्षेत्रों में, यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा उन लोगों के लिए सुलभ हो जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर थे।

सामाजिक लेखापरीक्षा सलाहकार निकाय (एसएएबी)

खबरों में क्यों?

- सामाजिक लेखापरीक्षा सलाहकार निकाय (एसएएबी) की पहली बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी।

समाचार के बारे में

- बैठक की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव ने की.
- यह सलाहकार निकाय, अपनी तरह का पहला, मंत्रालय को उसकी विभिन्न योजनाओं के लिए सामाजिक ऑडिट को संस्थागत बनाने में मार्गदर्शन करने के लिए स्थापित किया गया है।
- सदस्य: प्रमुख मंत्रालयों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि इस सलाहकार निकाय के सदस्य हैं।

सोशल ऑडिट क्या है?

- सामाजिक लेखापरीक्षा वास्तविक जमीनी हकीकत के साथ आधिकारिक रिकॉर्ड की तुलना करने के लिए एक कार्यक्रम/योजना की जांच और मूल्यांकन है।
- इसमें विभिन्न स्तरों पर निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता के साथ-साथ किए गए संवितरण, नियोजित श्रमिकों की संख्या और उपयोग की गई सामग्रियों का विवरण भी शामिल है।
- उद्देश्य: सामाजिक लेखापरीक्षा का मूल उद्देश्य परियोजनाओं, कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
- महत्व: सामाजिक ऑडिट पारदर्शिता लाने और नागरिकों से मिले बहुमूल्य फीडबैक के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए राष्ट्रीय संसाधन कक्ष (एनआरसीएसए)

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राज्य स्तर पर समर्पित सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए राष्ट्रीय संसाधन कक्ष (एनआरसीएसए) की स्थापना की है।

दूरसंचार अधिनियम, 2023

खबरों में क्यों?

- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार दूरसंचार अधिनियम, 2023, वास्तविक संरचनात्मक सुधारों का एक समूह है।

समाचार के बारे में

- यह अधिनियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885), भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1933) और टेलीग्राफ वायर (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम, 1950 को निरस्त करने का प्रयास करता है।
- यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम, 1997 में भी संशोधन करता है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- स्पेक्ट्रम का आवंटन: निर्दिष्ट उपयोगों को छोड़कर, स्पेक्ट्रम को नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा, जहां इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। निर्दिष्ट उद्देश्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, मौसम पूर्वानुमान आदि शामिल हैं।
- रास्ते का अधिकार: सुविधा प्रदाता दूरसंचार बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर रास्ते का अधिकार मांग सकते हैं। इसे जहां तक संभव हो, गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-विशिष्ट आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए।

- डिजिटल भारत निधि: इसने वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए 1885 अधिनियम के तहत स्थापित यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया और अनुसंधान और विकास के लिए इसके उपयोग की अनुमति दी।
- ट्राई में नियुक्तियाँ: यह व्यक्तियों को भी अनुमति देने के लिए ट्राई अधिनियम में संशोधन करता है,
- अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए कम से कम 30 वर्ष का पेशेवर अनुभव, और सदस्यों के रूप में सेवा करने के लिए कम से कम 25 वर्ष का पेशेवर अनुभव।
- उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा: केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान कर सकती है जिसमें शामिल हैं:
- विज्ञापन संदेश जैसे निर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति,
- न्यायनिर्णयन प्रक्रिया: केंद्र सरकार अधिनियम के तहत नागरिक अपराधों के खिलाफ जांच करने और आदेश पारित करने के लिए एक न्यायनिर्णयन अधिकारी (संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पद का होना चाहिए) नियुक्त करेगी।
- निर्णायक अधिकारी के आदेशों के खिलाफ 30 दिनों के भीतर नामित अपील समिति (सदस्य कम से कम अतिरिक्त सचिव रैंक के अधिकारी होंगे) के समक्ष अपील की जा सकती है।
- नियमों और शर्तों के उल्लंघन के संबंध में समिति के आदेशों के खिलाफ दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) में 30 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है।
- कानूनी और नियामक ढांचा: यह एक सुरक्षित दूरसंचार नेटवर्क के लिए एक कानूनी और नियामक ढांचा तैयार करना चाहता है।
- यह दूरसंचार की परिभाषा से व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि जैसे ओवर द टॉप (ओटीटी) ऐप्स को हटाने का प्रयास करता है।

मुद्दे और चिंताएँ

- संचार अवरोधन: अधिनियम में प्रावधान है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी भी संदेश या संदेश के वर्ग को राज्य की सुरक्षा के हित, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था जैसे निर्दिष्ट आधारों पर रोका, निगरानी या अवरुद्ध किया जा सकता है। वगैरह।
- बायोमेट्रिक सत्यापन: उपयोगकर्ताओं के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता आनुपातिक नहीं हो सकती है और इसलिए, गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
- इंटरनेट सेवाओं का निलंबन: दूरसंचार विधेयक (2023) सरकार को 'अस्थायी कब्जे' को स्पष्ट किए बिना, नेटवर्क पर 'अस्थायी कब्ज़ा' लेने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है।
- सरकारों ने पहले भी शांतिपूर्ण स्थिति कायम होने तक हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने जैसे कदम उठाए हैं।
- यह परिसरों और वाहनों की तलाशी लेने की शक्तियों के संबंध में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट नहीं करता है।

आगे की राह

- दूरसंचार क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक विकास का एक प्रमुख चालक है। किसी राष्ट्र की सुरक्षा दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा पर अत्यधिक निर्भर है।
- इसलिए, सही कानूनी और नियामक ढांचे की आवश्यकता है जो एक सुरक्षित और संरक्षित दूरसंचार नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करता है जो डिजिटल रूप से समावेशी विकास प्रदान करता है।
- यह महत्वपूर्ण है कि डेटा प्रोसेसिंग जीवनचक्र में किसी भी इकाई द्वारा उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग न किया जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)

खबरों में क्यों?

- पीएमएवाई-यू के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा झुग्गीवासियों को 3,000 से अधिक फ्लैट आवंटित किए जाने की संभावना है।

पीएमएवाई-यू के बारे में

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने भारत सरकार के एक प्रमुख मिशन के रूप में, 2015 में प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) शुरू की।
- उद्देश्य: यह पात्र शहरी परिवारों के लिए पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) श्रेणी के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करता है।
- कवरेज: मिशन पूरे शहरी क्षेत्र को कवर करता है जिसमें वैधानिक शहर, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत कोई भी ऐसा प्राधिकरण शामिल है जिसे शहरी नियोजन और विनियमों के कार्य सौंपे गए हैं।
- कार्यान्वयन अवधि: योजना पहले 25.06.2015 से 31.03.2022 तक थी। अब योजना के तहत स्वीकृत सभी घरों को पूरा करने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) को छोड़कर इसे 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है।

विशेषताएँ

- पीएमएवाई-यू एक मांग-संचालित दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें आवास की कमी का निर्णय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा मांग के आकलन के आधार पर किया जाता है।
- यह एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने घरों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है।

योजना के घटक

- इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर): निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके आईएसएसआर के घटक के तहत पात्र झुग्गीवासियों के लिए बनाए गए सभी घरों के लिए प्रति घर 1 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकार्य है।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस): लाभार्थी 6 लाख रुपये, 9 लाख रुपये और 12 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर क्रमशः 6.5%, 4% और 3% की ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
- साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी): एएचपी के तहत, भारत सरकार द्वारा प्रति ईडब्ल्यूएस घर के लिए 1.5 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- एक किफायती आवास परियोजना विभिन्न श्रेणियों के लिए घरों का मिश्रण हो सकती है, लेकिन यह केंद्रीय सहायता के लिए पात्र होगी, यदि परियोजना में कम से कम 35% घर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए हैं।
- लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्द्धन (बीएलसी-एन/बीएलसी-ई): व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्द्धन के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को प्रति ईडब्ल्यूएस आवास 1.5 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- शहरी स्थानीय निकाय लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी और भवन योजना को मान्य करते हैं ताकि भूमि का स्वामित्व और आर्थिक स्थिति और पात्रता जैसे अन्य विवरण सुनिश्चित किए जा सकें।

एआईएसएचई रिपोर्ट 2021-22

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE), 2021-22 जारी किया है।

समाचार के बारे में

- यह 2011 से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें AISHE के साथ पंजीकृत देश के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों (HEI) को शामिल किया गया है।
- यह विभिन्न मापदंडों जैसे छात्र नामांकन, शिक्षकों का डेटा, ढांचागत जानकारी, वित्तीय जानकारी आदि पर विस्तृत जानकारी एकत्र करता है।

मुख्य निष्कर्ष

- उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2020-21 में 4.14 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है।
- 4.33 करोड़ में से 15.3% अनुसूचित जाति से हैं, 6.3% अनुसूचित जनजाति से हैं, 37.8% अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और शेष 40.6% छात्र अन्य समुदायों से हैं।
- महिला नामांकन में 2014-15 से 2021-22 में 32% की वृद्धि देखी गई है।
- अल्पसंख्यक नामांकन 2014-15 से बढ़कर 2021-22 में 38% हो गया है।
- 18-23 वर्ष आयु वर्ग के लिए उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2021-22 में बढ़कर 28.4 हो गया है, जो 2020-21 में 27.3 और 2014-15 में 23.7 था।
- छात्र नामांकन के मामले में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान हैं।
- विदेशी छात्रों की सबसे अधिक हिस्सेदारी नेपाल (28%) से है, इसके बाद अफगानिस्तान (6.7%), संयुक्त राज्य अमेरिका (6.2%), बांग्लादेश (5.6%), संयुक्त अरब अमीरात (4.9%), और भूटान (3.3%) का स्थान है।
- नामांकन कला (34.2%) में सबसे अधिक है, इसके बाद विज्ञान (14.8%), वाणिज्य (13.3%) और इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (11.8%) का स्थान है।

इंजीनियरिंग सबस्ट्रीम में छात्र नामांकन

- नामांकन के अनुसार इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की शीर्ष पांच उप-धाराएं कंप्यूटर इंजीनियरिंग (सीई), इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल हैं।
- इंजीनियरिंग (एमई), सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
- इनमें से केवल सीई और ईई में नामांकन में वृद्धि देखी गई जबकि एमई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में गिरावट देखी गई।

संस्थानों की संख्या

- पंजीकृत विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थानों की कुल संख्या 1,168, कॉलेजों की 45,473 और स्टैंडअलोन संस्थानों की 12,002 है।
- 2014-15 से 341 विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थान स्थापित किये गये हैं।
- 17 विश्वविद्यालय (जिनमें से 14 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं) और 4,470 कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं।

संकाय

- 2021-22 में संकाय/शिक्षकों की कुल संख्या 15.98 लाख है, जिनमें से लगभग 56.6% पुरुष और 43.4% महिलाएं हैं।
- महिला संकाय/शिक्षकों की संख्या 2014-15 में 5.69 लाख से बढ़कर 2021-22 में 6.94 लाख हो गई है (2014-15 से 22% की वृद्धि)

अल्पसंख्यक दर्जा और अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू)

खबरों में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट (एससी) की सात जजों की बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के अल्पसंख्यक चरित्र पर विवाद की सुनवाई कर रही है।

एएमयू के बारे में

- सर सैयद अहमद खान, एक मुस्लिम सुधारक, ने 1877 में इस्लामी मूल्यों की रक्षा करते हुए मुस्लिम शैक्षिक पिछड़ेपन को संबोधित करने के लिए अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज (एमएओ कॉलेज) की स्थापना की।
- MOA ने न केवल पश्चिमी शिक्षा प्रदान की बल्कि इस्लामी धर्मशास्त्र पर भी जोर दिया।
- एमएओ कॉलेज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन को एएमयू में शामिल करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनि-यम, 1920 (एएमयू अधिनियम) पारित किया गया था।

अल्पसंख्यक चरित्र पर विवाद

- 1951 में, एएमयू अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे मुसलमानों के लिए अनिवार्य धार्मिक शिक्षा और विश्वविद्यालय न्यायालय में विशेष मुस्लिम प्रतिनिधित्व जनादेश को हटा दिया गया।
- कानूनी विवाद 1967 में शुरू हुआ जब एस अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ (यूओआई) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1951 और 1965 के संशोधनों की समीक्षा की।
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि मुसलमानों ने एएमयू की स्थापना की थी, इसलिए उन्हें इसके प्रबंधन का अधिकार था। हालाँकि, पांच-न्यायाधीशों वाली एससी पीठ ने संशोधनों को बरकरार रखा, यह तर्क देते हुए कि एएमयू न तो मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया गया था और न ही प्रशासित किया गया था, केंद्रीय कानून के माध्यम से अधिनियम के अधिनियमन पर प्रकाश डाला गया।
- इस फैसले से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके कारण 1981 में एएमयू अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक स्थिति की पुष्टि हुई।
- 2005 में, एएमयू ने मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए 50% स्नातकोत्तर मेडिकल सीटें आरक्षित कीं।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डॉ. नरेश अग्रवाल बनाम यूओआई (2005) मामले में 1981 के संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए आरक्षण नीति को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में वाद

- शीर्ष अदालत दो मुद्दों पर विचार कर रही है - एक शैक्षणिक संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति निर्धारित करने के मानदंड और क्या किसी क़ानून के तहत स्थापित कोई संस्थान ऐसी स्थिति का आनंद ले सकता है।
- जबकि याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है, यूओआई अब एस अज़ीज़ बाशा के फैसले का समर्थन कर रहा है।
- इस मामले का फैसला सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों और कानूनी मान्यता को प्रभावित करने वाली एक मिसाल कायम करेगा।

'अल्पसंख्यक चरित्र' का गठन क्या होता है?

- भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लेख करता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 की विशेषताएं:

- अनुच्छेद 30(1) कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 30(1ए) अल्पसंख्यक समूहों द्वारा स्थापित किसी भी शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए राशि के निर्धारण से संबंधित है।
- अनुच्छेद 30(2) में कहा गया है कि सरकार को सहायता देते समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए कि यह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है, चाहे वह धर्म या भाषा के आधार पर हो।
- इन संस्थानों को प्रवेश और रोजगार दोनों में एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के कार्यान्वयन से छूट प्राप्त है। वे अपने समुदाय के छात्रों के लिए 50% तक सीटें आरक्षित कर सकते हैं।
- टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन (2002) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'अल्पसंख्यक' का निर्धारण संबंधित राज्य की जनसांख्यिकी द्वारा किया जाना है, न कि राष्ट्रीय जनसंख्या द्वारा।

उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने की संभावना है

खबरों में क्यों?

- भारत के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की संभावना है।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) क्या है?

- समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक कानून के प्रावधान को संदर्भित करती है, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि पर लागू होता है।
- वर्तमान में, विभिन्न प्रमुख धर्मों के सदस्यों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं।

संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के भाग IV में निहित अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य "भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा"।
- संविधान का भाग IV राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को रेखांकित करता है, जो कानून की अदालत में लागू करने योग्य या न्यायसंगत नहीं होने के बावजूद देश के शासन के लिए मौलिक हैं।

भारत में यू.सी.सी

- गोवा में यूसीसी: यह 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि गोवा में सभी धर्मों के लोग विवाह, तलाक और उत्तराधिकार पर समान कानूनों के अधीन हैं।
- 1962 का गोवा दमन और दीव प्रशासन अधिनियम, जो 1961 में गोवा के एक क्षेत्र के रूप में संघ में शामिल होने के बाद पारित किया गया था, ने गोवा को नागरिक संहिता लागू करने की अनुमति दी।
- गुजरात, मध्य प्रदेश और असम जैसे राज्यों ने भी यूसीसी का पालन करने की इच्छा व्यक्त की है, किसी ने भी इसे आधिकारिक तौर पर नहीं अपनाया है।

UCC के पक्ष में तर्क

- शासन में एकरूपता: कानूनों का एक सामान्य सेट होने से शासन और प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होंगी, जिससे राज्य के लिए न्याय करना और अपने नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा।
- महिलाओं के अधिकार: विभिन्न धर्मों में व्यक्तिगत कानूनों में भेदभावपूर्ण प्रावधान हो सकते हैं, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ, और एक समान कोड अधिक समतावादी कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।
- धर्मनिरपेक्षता: एक समान नागरिक संहिता को सभी नागरिकों के साथ उनकी धार्मिक संबद्धताओं के बावजूद समान व्यवहार करके देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को मजबूत करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय छवि: यूसीसी को लागू करने से समानता, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकारों के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बढ़ सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद सहित विभिन्न निर्णयों में। 1985 के अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम फैसले में समान नागरिक संहिता को लागू करने का आह्वान किया गया है।
- राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना: यूसीसी के कार्यान्वयन से विविध समुदायों के लिए एक साझा मंच स्थापित करके भारत के एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

यूसीसी के विरुद्ध तर्क

- मौजूदा कानूनों में बहुलता: विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि पहले से ही संहिताबद्ध नागरिक और आपराधिक कानूनों में बहुलता है, तो 'एक राष्ट्र, एक कानून' की अवधारणा को विभिन्न समुदायों के विविध व्यक्तिगत कानूनों पर कैसे लागू किया जा सकता है।
- कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे: संहिता का कार्यान्वयन कठिन रहा है क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां विभिन्न धार्मिक समुदाय अपने निजी कानूनों का पालन करते हैं।
- यह तर्क दिया गया है कि आदिवासी समुदायों द्वारा मनाए जाने वाले विवाह और मृत्यु अनुष्ठान हिंदू रीति-रिवाजों से भिन्न होते हैं, और चिंता है कि इन प्रथाओं पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
- कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती: यह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा और इसके लागू होने पर देश में बहुत अशांति फैल सकती है।
- संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध: यूसीसी को अनुच्छेद 25 और 26 और संविधान की छठी अनुसूची में दिए गए अपने चुने हुए धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है।
- अल्पसंख्यकों के बीच डर: एक विवाद है कि समान नागरिक संहिता संभावित रूप से एक ऐसा कोड लागू कर सकती है जो सभी समुदायों में हिंदू प्रथाओं से प्रभावित है।
- भारत के विधि आयोग ने कहा कि यूसीसी "इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है"। इसने सिफारिश की कि किसी विशेष धर्म और उसके व्यक्तिगत कानूनों के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं, पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादिता का अध्ययन और संशोधन किया जाना चाहिए।

आगे की राह

- अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया में समावेशिता, पारदर्शिता और विविध दृष्टिकोणों के सम्मान के माहौल को बढ़ावा देने के लिए यूसीसी को लागू करने से पहले समाज के विभिन्न वर्गों के साथ परामर्श करना चाहिए।
- विधि आयोग ने "समुदायों के बीच समानता" हासिल करने के बजाय "समुदायों के बीच समानता" हासिल करने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।

वैश्विक सर्जरी

खबरों में क्यों?

- वैश्विक सर्जरी वैश्विक स्वास्थ्य में उपेक्षित घटक है, खासकर दक्षिण एशिया में।

ग्लोबल सर्जरी क्या है?

- वैश्विक सर्जरी का तात्पर्य वैश्विक स्तर पर सर्जिकल देखभाल के प्रावधान से है, जिसका ध्यान सर्जिकल सेवाओं तक पहुंच में असमानताओं को दूर करने और दुनिया भर में सर्जिकल परिणामों में सुधार लाने पर है।
- इन "सर्जरियों" में सर्जरी, प्रसूति, आघात और एनेस्थीसिया (एसओटीए) जैसी आवश्यक और आपातकालीन सर्जरी शामिल हैं।
- जबकि यह मुख्य रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) पर ध्यान केंद्रित करता है, यह उच्च आय वाले देशों (एचआईसी) में पहुंच असमानताओं और कम सेवा वाली आबादी को भी प्राथमिकता देता है।

वैश्विक परिदृश्य

- लैंसेट कमीशन ऑन ग्लोबल सर्जरी (एलसीओजीएस) के अनुसार, पांच अरब लोगों या वैश्विक आबादी के 70% से अधिक लोगों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षित और किफायती सर्जिकल देखभाल तक समय पर पहुंच का अभाव है।
- पांच अरब लोगों में से, पहुंच से वंचित 1.6 अरब से अधिक लोग दक्षिण एशिया में रहते हैं।
- सबसे गंभीर रूप से, निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों (एलएलएमआईसी) में क्रमशः 99% और 96% लोगों को उच्च आय वाले देशों (एचआईसी) में 24% की तुलना में पहुंच अंतराल का सामना करना पड़ता है।

चिंताओं

- 2010 में, लगभग 17 मिलियन मौतें शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार योग्य स्थितियों के कारण हुई, जो एचआईवी/एड्स, तपेदिक और मलेरिया के संयुक्त मृत्यु दर को पार कर गई।
- बीमारी के बोझ से आर्थिक बोझ भी पड़ता है। सर्जिकल देखभाल के पैमाने में कमी के कारण 2030 तक 128 देशों में सकल घरेलू उत्पाद को संचयी अनुमानित नुकसान 20.7 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है।

ग्लोबल सर्जरी के लिए उठाए गए कदम

- भारत में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने निचले 40% भारतीयों को शून्य या नगण्य लागत पर लाखों सर्जरी प्रदान की है।
- दक्षिण एशिया में, पाकिस्तान ने एक राष्ट्रीय सर्जिकल केयर विजन तैयार किया है और नेपाल ने एक राष्ट्रीय सर्जिकल, प्रसूति और एनेस्थीसिया योजना (एनएसओएपी) शुरू की है।

आगे की राह

- अनुसंधान और नवाचार, नीति फोकस और निरंतर वित्तपोषण वैश्विक सर्जरी चुनौतियों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और गैर-लाभकारी समूह जैसे संगठन वैश्विक सर्जरी पहल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023

खबरों में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 पर अंतरिम रोक लगाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

समाचार के बारे में

- यह अधिनियम चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 का स्थान लेता है।
- अधिनियम ने सीईसी और ईसी का वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान स्तर पर निर्धारित किया।
- इसमें उनकी नियुक्ति प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया, जिसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता रहा।

पृष्ठभूमि

- 2023 में, सीईसी और ईसी की नियुक्ति की जांच करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि उनकी नियुक्ति केवल कार्यपालिका द्वारा नहीं की जानी चाहिए।
- न्यायालय ने कहा कि ईसीआई को कार्यकारी नियंत्रण से स्वतंत्र होना चाहिए।
- इसने एक चयन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया, जो संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक जारी रहेगी।
- न्यायालय ने निर्देश दिया कि नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए।
- चयन समिति में शामिल होंगे: (i) प्रधान मंत्री, (ii) लोकसभा में विपक्ष के नेता, और (iii) भारत के मुख्य न्यायाधीश।

संविधान का अनुच्छेद 324

- संविधान के अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और उतनी संख्या में चुनाव आयुक्त (ईसी) शामिल होंगे, जितना राष्ट्रपति तय कर सकते हैं।

- भारत का चुनाव आयोग (ECI) मतदाता सूची की तैयारी के प्रबंधन और संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।
- संविधान निर्दिष्ट करता है कि संसद के एक अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, राष्ट्रपति सीईसी और ईसी की नियुक्ति करेगा।

सीई और ईसी नियुक्ति अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताएं

- चुनाव आयोग: चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्त (ईसी) शामिल होंगे। राष्ट्रपति समय-समय पर ईसी की संख्या तय करेंगे।
- आयोग की नियुक्ति: आयोग की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
- चयन समिति में प्रधान मंत्री, कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) शामिल होंगे।
- कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति को पांच नाम सुझाएगी।
- चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर भी विचार कर सकती है।
- पात्रता मानदंड: सीईसी और ईसी को: (i) ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, (ii) चुनाव के प्रबंधन और संचालन में ज्ञान और अनुभव होना चाहिए, और (iii) सरकार का सचिव (या समकक्ष) होना चाहिए या होना चाहिए।
- कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति: चुनाव आयोग के सदस्य छह साल तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।
- आयोग के सदस्यों को दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता।
- यदि किसी ईसी को सीईसी के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो कार्यकाल की कुल अवधि छह वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है।
  - वेतन और पेंशन: सीईसी और ईसी का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी।
- निष्कासन: विधेयक संविधान में निर्दिष्ट सीईसी और ईसी को हटाने के तरीके को बरकरार रखता है।
- सीईसी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है।
- ईसी को केवल सीईसी की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।

अधिनियम की चिंताएँ

- चुनाव आयोग की स्वतंत्रता: संविधान चुनाव आयोग (ईसीआई) की एक स्वतंत्र संस्था के रूप में परिकल्पना करता है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।
- विधेयक में कई प्रावधान ईसीआई की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकते हैं।
- चयन समिति पर सरकार का प्रभुत्व है: चयन समिति में प्रधान मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे, जिसका अर्थ है कि अधिकांश सदस्य तत्कालीन सरकार से होंगे।
- चयन समिति की वैधता: अधिनियम चयन समिति की वैधता को बरकरार रखता है, भले ही समिति के गठन में कोई रिक्ति या दोष हो।
- खोज समिति की भूमिका: चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए पांच लोगों के पैनल में से नामों का चयन करती है।
- चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए नामों से आगे बढ़ सकती है, और किसी अन्य उम्मीदवार का चयन कर सकती है जो खोज समिति की भूमिका को कमजोर कर सकता है।
- पात्रता मानदंड: केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जो सरकार के सचिव के समकक्ष रैंक पर है या रहा है।
- सीईसी और ईसी की पात्रता मानदंड को सिविल सेवकों तक सीमित करके, विधेयक अन्य योग्य व्यक्तियों को ऐसे पदों से बाहर कर सकता है।
- वेतन: अधिनियम सीईसी और ईसी के वेतन को सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर करता है। पहले इसे सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर किया जाता था
- दोनों वेतन वर्तमान में बराबर हैं लेकिन उन्हें अलग-अलग तरीके से विनियमित किया जाता है।
- कैबिनेट सचिव का वेतन केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार द्वारा तय किया जाता है जो सीईसी और ईसी के वेतन का निर्धारण करने में कार्यपालिका के अधिक नियंत्रण की अनुमति देता है।

निष्कर्ष

- सीईसी और ईसी नियुक्ति अधिनियम 2023 ईसीआई के लिए चयन प्रक्रिया में सुधार दिखाता है, लेकिन यह कार्यकारी के हाथों सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया के संभावित अपहरण के बारे में भी चिंता पैदा करता है।
- सुझाए गए परिवर्तन संभावित रूप से भारत के चुनाव आयोग की स्वायत्तता और संचालन को प्रभावित कर सकते हैं।
- चुनावी प्रक्रियाओं के निष्पादन में निष्पक्षता और अखंडता की गारंटी के लिए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सर्वोपरि है।
- इन चिंताओं को संबोधित करना और चुनाव आयोग की गैर-पक्षपातपूर्ण प्रकृति को बरकरार रखना चुनावी प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने और निष्पक्ष और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023' प्रदान किए।

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के बारे में:

- इंदौर (मध्य प्रदेश में) और सूरत (गुजरात में) को एक साथ देश के सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, और नवी मुंबई (महाराष्ट्र में) तीसरे स्थान पर रहा।

- इंदौर को लगातार सातवीं बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है।
- स्वच्छ शहर (1 लाख से कम जनसंख्या): सासवद, पाटन और लोनावाला ने क्रमशः शीर्ष तीन स्थान हासिल किए।
- पश्चिम बंगाल में मध्यमग्राम, कल्याणी और हाओरा को सबसे नीचे रखा गया है।
- सबसे स्वच्छ छावनी: मध्य प्रदेश में महू छावनी बोर्ड;
- सफाईमित्र सुरक्षित शहर: चंडीगढ़;
- गंगा टाउन: वाराणसी और प्रयागराज ने क्रमशः पहली और दूसरी रैंक हासिल की।
- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने क्रमशः 1, 2 और 3 रैंक हासिल की।
- ओडिशा चौथे स्थान पर है, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, कर्नाटक, गोवा, हरियाणा और बिहार हैं।
- राजस्थान, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को रैंक में सबसे नीचे रखा गया।

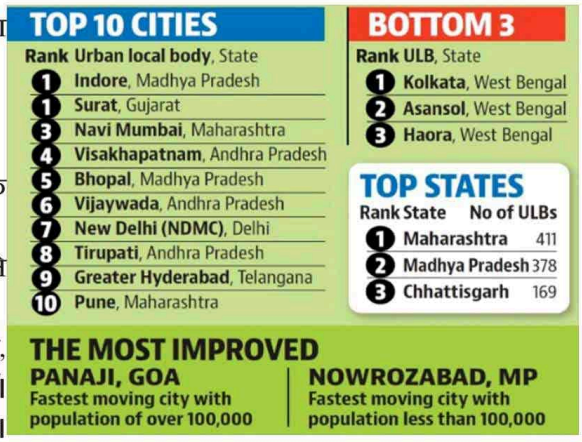

- कृषि उपयोग, औद्योगिक उपयोग आदि जैसे उद्देश्यों के लिए इसके सीधे पुन: उपयोग के विकल्प की खोज के बाद ही नदियों या किसी अन्य जल निकायों में निर्वहन की अनुमति दी जाती है।

स्वच्छ सर्वेक्षण:

- यह 2016 से स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के दायरे में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और सफाई सर्वेक्षण है।
- इसकी मेजबानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा की जाती है।
- यह नागरिकों को सेवा वितरण में सुधार लाने और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में कस्बों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने में सहायक रहा है।

थीम (2023): 'अपशिष्ट से धन'

- 2024 के लिए थीम: 'कम करें, पुन: उपयोग करें और रीसायकल करें'

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी)

खबरों में क्यों?

- गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने नई शक्तियां ग्रहण कर ली हैं।

समाचार के बारे में

- एनएमसीजी ने हाल ही में गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की।
- एनएमसीजी के पास अब उपचारित सीवेज के निर्वहन की अनुमति देने की शक्तियां हैं, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है।
- कृषि उपयोग, औद्योगिक उपयोग आदि जैसे उद्देश्यों के लिए इसके सीधे पुन: उपयोग के विकल्प की खोज के बाद ही नदियों या किसी अन्य जल निकायों में निर्वहन की अनुमति दी जाती है।
- इस कदम से नदियों में अधिक पानी सुनिश्चित होगा। उदाहरण के लिए, दिल्ली में ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से 560 न्यूनतम तरल डिस्चार्ज उपचारित सीवेज पानी को यमुना में छोड़ा जा सकता है, जिससे नदी का प्रवाह बढ़ जाएगा।
  - केंद्रीय जल शक्ति मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की अध्यक्षता में गंगा नदी पर सशक्त कार्य बल (ईटीएफ)।
  - राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी)।
  - राज्य गंगा समितियाँ।
  - राज्यों में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से सटे प्रत्येक निर्दिष्ट जिले में जिला गंगा समितियाँ।
- एनएमसीजी में दो स्तरीय प्रबंधन संरचना है और इसमें गवर्निंग काउंसिल और कार्यकारी समिति शामिल है। दोनों का नेतृत्व एनएमसीजी के महानिदेशक द्वारा किया जाता है और कार्यकारी समिति को 1000 करोड़ रुपये तक की सभी परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया गया है।

Nationa Mission for Clean Ganga
– NMCG was registered as a society on 12th August 2011 under the Societies Registration Act 1860.
– It acted as the implementation arm of National Ganga River Basin Authority(NGRBA) which was constituted under the provisions of the Environment (Protection) Act (EPA),1986.
a. NGRBA has since been dissolved with effect from the 7th October 2016, consequent to the constitution of National Ganga Council (National Council for Rejuvenation, Protection andManagement of River Ganga).
– Parent body: Ministry of Jal Shakti
– Mandate:
a. To ensure effective abatement of pollution and rejuvenation of the river Ganga by adopting a river basin approach.
b. To maintain minimum ecological flows in the river Ganga with the aim of ensuring water quality and environmentally sustainabledevelopment.
– The Act envisages five tier structure at national, state and district level:
a. National Ganga Council under the chairmanship of Prime Minister of India.

चुनौतियाँ

- एनएमसीजी, हालांकि नेक इरादे वाला है, गंगा नदी को पुनर्जीवित करने की अपनी खोज में कई चुनौतियों का सामना करता है।

फंडिंग और संसाधन संबंधी बाधाएँ:

- अपर्याप्त आवंटन: 20,000 करोड़ का मिशन होने के बावजूद, राज्यों को धनराशि का केवल एक अंश ही वितरित किया गया है, जिससे परियोजना कार्यान्वयन में बाधा आ रही है।

- वित्तीय निर्भरता: राज्यों के पास अक्सर नदी संरक्षण के लिए अपने स्वयं के बजट की कमी होती है, जिससे उन्हें केंद्रीय धन पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे देरी और अनिश्चितता पैदा होती है।

बुनियादी ढाँचा और तकनीकी सीमाएँ:

- पुराने सीवेज उपचार संयंत्र: कई मौजूदा एसटीपी को अपग्रेड करने की आवश्यकता है या वे खराब हैं, जिसके कारण अनुपचारित सीवेज नदी में बह रहा है।
- सीमित निगरानी और डेटा संग्रह: प्रभावी कार्रवाई के लिए वास्तविक समय में जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका कवरेज अपर्याप्त है।

सामाजिक और व्यवहारिक चुनौतियाँ:

- सांस्कृतिक प्रथाएँ: नदी में मूर्ति विसर्जन और कपड़े धोने जैसी पारंपरिक प्रथाएँ प्रदूषण में योगदान करती हैं।
- औद्योगिक अपशिष्ट निर्वहन: कारखानों से अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट नदी को प्रदूषित करना जारी रखते हैं, जिसके लिए पर्यावरणीय नियमों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता होती है।

नीति और शासन चुनौतियाँ:

- नदी तल से रेत खनन: अस्थिर रेत खनन प्रथाएं नदी तल को नुकसान पहुंचा सकती हैं और पारिस्थितिक संतुलन को बाधित कर सकती हैं।
- खंडित संस्थागत ढांचा: केंद्रीय राज्य और स्थानीय स्तर पर कई एजेंसियां शामिल हैं, लेकिन समन्वय और जवाबदेही की अक्सर कमी होती है।
- अपस्ट्रीम नदी घाटियों पर सीमित ध्यान: प्रदूषण नियंत्रण प्रयास मुख्य रूप से गंगा के मुख्य प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और अपस्ट्रीम सहायक नदियों की उपेक्षा करते हैं जो समस्या में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

उपाय

- कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों को चालू होने में समय लगा क्योंकि भूमि अधिग्रहण में समस्याएँ थीं। इसलिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने की जरूरत है।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जो एक परियोजना को निष्पादित करने के लिए कदम और विभिन्न अभिनेताओं की भूमिकाएं निर्धारित करती है, में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि ऐसी धारणा है कि उपचार संयंत्रों का निर्माण पूरी तरह से केंद्र की जिम्मेदारी है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपयोग किए जाने वाले पैरामीटर (घुलनशील ऑक्सीजन का स्तर, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग और मल कोलीफॉर्म), नदी के विभिन्न हिस्सों में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, जो दर्शाता है कि अभी भी बहुत आगे जाना बाकी है।
- वायु गुणवत्ता सूचकांक की तर्ज पर, जल गुणवत्ता सूचकांक विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि विभिन्न स्थानों की नदी-जल गुणवत्ता के बारे में बेहतर ढंग से संवाद किया जा सके।

आगे की राह

- एनएमसीजी ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जैसे अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित करना, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और नदी तट विकास को बढ़ावा देना।
- नवोन्मेषी समाधानों और बढ़ी हुई सार्वजनिक भागीदारी के साथ-साथ चुनौतियों का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास, मिशन की दीर्घकालिक सफलता और गंगा के अंतिम पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पूरे न्यायालय परिसर में विकलांग लोगों के लिए बुनियादी ढांचे की कमी

खबरों में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत भर की अदालतों में विकलांग लोगों के लिए पहुंच में गंभीर अंतर हैं।

समाचार के बारे में

- अपनी तरह की पहली रिपोर्ट, भारत भर में जिला न्यायालयों के बुनियादी ढांचे में अपर्याप्तताओं पर प्रकाश डालती है, विकलांग लोगों को न्याय तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं के बारे में गंभीर चिंताएं उठाती है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- आधे से अधिक जिला न्यायालय परिसरों में रैंप नहीं हैं, केवल 25.2% में व्हीलचेयर की उपलब्धता है।
- केवल 30.4% जिला न्यायालय परिसरों में अलग से विकलांग-अनुकूल शौचालय हैं।
- केवल 5.1% जिला न्यायालयों में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को न्यायालय भवन में नेविगेट करने में सहायता करने के लिए स्पर्शनीय फ़र्श है।
- भारत में केवल 2.8% जिलों में सांकेतिक भाषा दुभाषिए उपलब्ध हैं।
- जिला न्यायपालिका में 25,081 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में से, 20,831 अदालत कक्ष हैं जो 4,250 न्यायालय कक्षों के बुनियादी ढांचे के अंतर को उजागर करते हैं।
- जब अदालतें निजी किराए के भवनों में कार्य करती हैं, तो उन्हें न केवल आवश्यक सुविधाओं की अनुपलब्धता की चुनौती का सामना करना पड़ता है, बल्कि एक सुरक्षित कार्य वातावरण की भी चुनौती का सामना करना पड़ता है।
- डेटा पहुंच के संबंध में न्यायिक बुनियादी ढांचे में एक "गंभीर कमी" का प्रतीक है, जिस पर ठोस ध्यान और कार्रवाई की आवश्यकता है।

विकलांग लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006: यह शारीरिक पुनर्वास का समर्थन करती है, जिसमें प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप, परामर्श और चिकित्सा हस्तक्षेप और सहायता और उपकरणों का प्रावधान शामिल है।
- भारत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) का एक हस्ताक्षरकर्ता है: यह 2008 में लागू हुआ। कन्वेंशन से तीन महत्वपूर्ण दायित्व उत्पन्न होते हैं, अर्थात् यूएनसीआरपीडी के प्रावधानों का कार्यान्वयन, यूएनसीआरपीडी के साथ भारतीय कानूनों का सामंजस्य, और 2010 तक एक देश रिपोर्ट तैयार करना।
- सुगम्य भारत अभियान (सुगम्य भारत अभियान): 2015 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य विकलांग लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों और परिवहन को सुलभ बनाना है। इसमें सुलभ इमारतों, परिवहन और वेबसाइटों के प्रावधान शामिल हैं।
- शिक्षा और रोजगार में आरक्षण: सरकार विकलांग लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करती है।
- यह सुनिश्चित करता है कि सीटों और नौकरियों का एक निश्चित प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016: इस कानून ने विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान ले लिया।
- नए अधिनियम में विकलांगता की श्रेणियों का विस्तार किया गया, सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाया गया और पहुंच बढ़ाने के उपाय शामिल किए गए।
- आर्थिक सशक्तिकरण: राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को धन मुहैया कराने वाली एक शीर्ष संस्था है।

आगे की राह

- न्यायिक बुनियादी ढांचे को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए मौजूदा अदालत भवनों में किए जा सकने वाले संशोधनों का पता लगाने के लिए जिला न्यायाधीशों के साथ समन्वय में लोक निर्माण विभाग जैसी संबंधित एजेंसियों द्वारा नियमित निरीक्षण की आवश्यकता है।

कोचिंग क्षेत्र के लिए मसौदा दिशानिर्देश

खबरों में क्यों?

- सरकार गुमराह करने वालों को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस पर चर्चा कर रही है
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने दिशानिर्देश तैयार करने के लिए गठित समिति की पहली बैठक आयोजित की।
- आवश्यकता: हाल ही में, सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन के लिए 31 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है और उनमें से 9 पर भ्रामक विज्ञापन के लिए जुर्माना लगाया है।

दिशा-निर्देश

- प्रयोज्यता: दिशानिर्देश सभी कोचिंग संस्थानों पर लागू होंगे चाहे वे ऑनलाइन हों या भौतिक और फॉर्म, प्रारूप या माध्यम की परवाह किए बिना सभी प्रकार के विज्ञापनों को कवर करेंगे।
- भ्रामक विज्ञापन को परिभाषित करना: इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत परिभाषित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सफल उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना शामिल है।
- कोचिंग संस्थान सफलता दर या चयन की संख्या और किसी भी अन्य प्रथाओं के बारे में झूठे दावे नहीं करेंगे जो उपभोक्ता को गलतफहमी पैदा कर सकते हैं या उपभोक्ता की स्वायत्तता और पसंद को नष्ट कर सकते हैं।

विज्ञापन लाने से पहले क्या करें और क्या न करें:-

- कोचिंग संस्थान सफल उम्मीदवार की फोटो के साथ अपेक्षित जानकारी का उल्लेख करेगा - सफल उम्मीदवार द्वारा प्राप्त रैंक, सफल उम्मीदवार द्वारा चुना गया पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की अवधि, चाहे वह भुगतान किया गया हो या निःशुल्क।
- कोचिंग संस्थान 100% चयन या 100% नौकरी की गारंटी या प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा की गारंटी का दावा नहीं करेंगे।
- विज्ञापन में अस्वीकरण या महत्वपूर्ण जानकारी का फ़ॉन्ट वही होगा जो दावे/विज्ञापन में उपयोग किया गया है। ऐसी जानकारी का प्लेसमेंट विज्ञापन में प्रमुख और दृश्यमान स्थान पर होना चाहिए।
- कोचिंग क्षेत्र द्वारा भ्रामक विज्ञापन के लिए जुर्माना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)

- CCPA की स्थापना 2020 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत की गई थी।
- CCPA का प्राथमिक अधिदेश उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं से बचाना है।
- उपभोक्ता अधिकारों का प्रवर्तन: सीसीपीए के पास अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ जांच करने, पूछताछ करने और उचित कार्रवाई करने का अधिकार है।
- जुर्माना और मुआवजा: प्राधिकरण अनुचित व्यापार प्रथाओं के दोषी पाए जाने वाले व्यवसायों या व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकता है।

बोइंग 737 मैक्स विमान और सुरक्षा मुद्दा

खबरों में क्यों?

- एक विमान के पतवार नियंत्रण प्रणाली में ढीला बोल्ट पाए जाने के बाद बोइंग ने वैश्विक स्तर पर 737 मैक्स ऑपरेटरों को निरीक्षण करने के लिए कहा था।
- तीन भारतीय एयरलाइंस - अकासा एयर, स्पाइसजेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस - 737 MAX-8 विमानों का संचालन करती हैं, जिनका नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के निर्देशानुसार सुरक्षा चिंताओं के लिए निरीक्षण भी किया गया था।

भारत में विमानन क्षेत्र

- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है।
- भारतीय विमानन उद्योग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, 2020 में इसका मूल्य 20 बिलियन डॉलर था और 2027 तक दोगुना होने का अनुमान है।
- भारत में 137 हवाई अड्डे हैं जिनमें 103 घरेलू हवाई अड्डे, 24 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे शामिल हैं।

भारत में विमानन क्षेत्र का विनियमन

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास और विनियमन के लिए राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है।
- यह विमान अधिनियम, 1934, विमान नियम, 1937 और विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न अन्य कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
- यह नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और संबद्ध जनता जैसे संलग्न और स्वायत्त संगठनों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जैसे क्षेत्र के उपक्रम।
- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटने वाली नियामक संस्था है।
- यह भारत के लिए/से/भीतर हवाई परिवहन सेवाओं के विनियमन और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय भी करता है।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई): एएआई हवाई अड्डों और हवाई नेविगेशन सेवाओं सहित नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे के प्रबंधन और विकास के लिए जिम्मेदार है।
- नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो: बीसीएएस की मुख्य जिम्मेदारियों में भारत में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ानों की सुरक्षा के संबंध में मानक और उपाय तय करना शामिल है।
- द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते (बीएएसए): भारत अन्य देशों के बीच हवाई सेवाओं को विनियमित करने के लिए उनके साथ द्विपक्षीय समझौते में प्रवेश करता है। ये समझौते दोनों देशों के बीच उड़ानों की संख्या, मार्गों और अन्य परिचालन विवरणों को रेखांकित करते हैं।

भारतीय विमानन क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ, सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ

- पायलट की थकान: पायलट की थकान विश्व स्तर पर सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। यह सुनिश्चित करना कि पायलट विनियमित ड्यूटी घंटों का पालन करें, उड़ानों के बीच पर्याप्त आराम प्राप्त करें, और आराम के लिए पर्याप्त सुविधाओं तक पहुंच हो, थकान से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक है।
- तकनीकी एकीकरण: यह सुनिश्चित करना कि पायलटों को नई प्रौद्योगिकियों को संभालने और समस्या निवारण के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है, सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
- रखरखाव प्रथाएं: विमान सुरक्षा से समझौता कर सकने वाली तकनीकी विफलताओं को रोकने के लिए रखरखाव कार्यक्रम, नियामक मानकों का कड़ाई से पालन और गुणवत्ता वाले स्पेयर पार्ट्स का उपयोग आवश्यक है।
- विमान का पुराना होना: कुछ एयरलाइनों का पुराना बेड़ा सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ पैदा कर सकता है।
- संचार और समन्वय: हवाई यातायात नियंत्रण, एयरलाइंस और जमीनी सेवाओं सहित विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी संचार और समन्वय, गलतफहमी को रोकने और सुरक्षित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया तैयारी: इंजन की विफलता, चिकित्सा आपात स्थिति, या उड़ान के दौरान अन्य घटनाओं सहित आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार रहना आवश्यक है।

उद्योग संबंधी चुनौतियाँ

- उच्च परिचालन लागत: भारत में एयरलाइंस को अक्सर उच्च परिचालन लागत का सामना करना पड़ता है, जिसमें ईंधन की कीमतें, हवाईअड्डा शुल्क और रखरखाव खर्च शामिल हैं।
- ये कारक एयरलाइंस की लाभप्रदता को प्रभावित करते हैं और यात्रियों के लिए टिकट की कीमतें बढ़ा सकते हैं।
- कठोर मूल्य निर्धारण: यात्रियों को आकर्षित करने के लिए, भारत में एयरलाइंस अक्सर टिकट की कीमतों में नाटकीय रूप से कमी का सहारा लेती हैं, जिससे खातों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, खासकर जब परिचालन लागत अधिक रहती है।
- बुनियादी ढांचे की बाधाएं: महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद, भारत में कई हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचे को क्षमता, रखरखाव और आधुनिकीकरण के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- हवाई क्षेत्र में भीड़भाड़: हवाई क्षेत्र की सीमित उपलब्धता और पुरानी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणालियाँ उड़ान संचालन में भीड़भाड़ और देरी में योगदान करती हैं।

- ईंधन की कीमतों में अस्थिरता: वैश्विक तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव एयरलाइंस की परिचालन लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।
- तकनीकी प्रगति: जबकि तकनीकी प्रगति सुरक्षा और दक्षता को बढ़ा सकती है, तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों के साथ बने रहने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है।

सुझाव

- पुराने विमानों की उड़ानयोग्यता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रखरखाव, कड़ी जांच और सेवानिवृत्ति नीतियों का पालन महत्वपूर्ण है।
- उड़ान और ग्राउंड क्रू की तैयारियों को बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किए जाने चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) जैसे संगठनों द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मानकों का पालन करना विमान की सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
- अनुपालन विमानन सुरक्षा के लिए एक सुसंगत और मानकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।
- अधिक चुस्त और प्रतिक्रियाशील उद्योग के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है।

हिट-एंड-रन मामलों के लिए भारतीय न्याय संहिता

खबरों में क्यों?

- महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों के ट्रांसपोर्टरों और वाणिज्यिक ड्राइवरों ने हिट-एंड-रन घटनाओं से संबंधित हालिया कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है।

कानून के बारे में

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 106 (2) में दुर्घटना स्थल से भागने और किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर 10 साल तक की जेल और 7 लाख जुर्माने का प्रावधान है।
- यह कानून भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304ए के तहत जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए कार्यों के कारण मौत के औपनिवेशिक युग के प्रावधान के अतिरिक्त है।

कानून की जरूरत

- नया कानून भारत में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित चिंताजनक आंकड़ों की पृष्ठभूमि में आया है।
- 2022 में, भारत में सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई, 1.68 लाख से अधिक मौतें हुई।
- इसका उद्देश्य ड्राइवरों को तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से रोकना है जिससे मौत हो सकती है।
- इरादा उस स्थिति में किसी अपराधी को दंडित करना है जो लापरवाही से वाहन चलाने के कारण मौत का कारण बनने के बाद कानून से बचने का प्रयास करता है।
- कानून अपराधी के लिए ऐसी घटना की रिपोर्ट पुलिस या मजिस्ट्रेट को करने का सकारात्मक दायित्व बनाता है।
- वे ऐसे कर्तव्य के प्रदर्शन में चूक को आपराधिक बनाने के प्रावधान भी हैं।
- इस कानूनी कर्तव्य को लागू करना स्पष्ट रूप से सड़क दुर्घटना के पीड़ित के प्रति अपराधी की ओर से नैतिक जिम्मेदारी लागू करने के विधायी इरादे से उत्पन्न होता है।

विरोध का कारण

- ट्रांसपोर्टरों ने चिंता जताई है कि अपराध में कड़ी सजा का प्रावधान है, भले ही दुर्घटनाएं अनजाने में हुई हों।
- उनका कहना है कि जुर्माना अत्यधिक है और यह लंबे समय तक ड्राइविंग और कठिन सड़कों सहित उनकी चुनौतीपूर्ण कार्य स्थितियों पर विचार करने में विफल रहता है।
- उनका तर्क है कि दुर्घटनाएं चालक के नियंत्रण से परे कारकों के कारण हो सकती हैं, जैसे कोहरे के कारण खराब दृश्यता।
- कानून द्वारा प्रदान की गई सज़ा अनुपातहीन है और सड़क परिवहन की वास्तविकताओं और दुर्घटनाओं की प्रकृति के अनुरूप नहीं है।
- ड्राइवरों को यह भी चिंता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है।

सुझाव एवं निष्कर्ष

- आगे का रास्ता खंडों पर फिर से विचार करना और उनमें सामंजस्य स्थापित करना है ताकि व्यक्तिगत वाहन चालकों के अलावा देश में 35 लाख से अधिक ट्रक ड्राइवरों के साथ गलत व्यवहार न किया जाए।
- उदाहरण के लिए, जल्दबाजी या लापरवाही से काम करने की स्थिति में डॉक्टरों के लिए बीएनएस की धारा 106 (1) के तहत एक अपवाद बनाया गया है, जहां जुर्माने के साथ दो साल तक की सजा होगी।
- यह सीमित वर्गीकरण समस्याग्रस्त है और समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों के दायित्व को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
- श्रेणीबद्ध दायित्व और आनुपातिक दंड प्रदान करने के लिए, तेज गति से गाड़ी चलाने और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कृत्यों को अलग किया जाना चाहिए और दायित्व की अलग-अलग डिग्री के तहत रखा जाना चाहिए ताकि इस प्रकृति की सभी घटनाओं को एक श्रेणी में न रखा जाए, जिससे कर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

- सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मामूली चोटों को आपराधिक कृत्यों के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।
- यहां सामुदायिक सेवा या ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना या अनिवार्य ड्राइविंग रीटेस्ट आदि जैसे उपाय अपराधीकरण के तरीके हो सकते हैं।

संशोधित फार्मा विनिर्माण नियम

खबरों में क्यों?

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची एम के तहत संशोधित फार्मा विनिर्माण नियमों को अधिसूचित किया है।

समाचार के बारे में

- अनुसूची एम फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) को निर्धारित करती है।
- जीएमपी अनिवार्य मानक है जो सामग्री, विधियों, मशीनों, प्रक्रियाओं, कर्मियों और सुविधा/पर्यावरण आदि पर नियंत्रण के माध्यम से उत्पाद में गुणवत्ता बनाता है और लाता है।
- जीएमपी को पहली बार 1988 में औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची एम में शामिल किया गया था और अंतिम संशोधन 2005 में किया गया था।
- संशोधन के साथ, 'अच्छी विनिर्माण प्रथाएं' (जीएमपी) शब्द को 'अच्छी विनिर्माण पद्धतियां और फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए परिसर, संयंत्र और उपकरण की आवश्यकताएं' से बदल दिया गया है।

दिशानिर्देशों को संशोधित करने की आवश्यकता

- यह कदम 2022 के बाद से भारतीय निर्मित दवाओं से जुड़ी विदेशों में होने वाली मौतों के मद्देनजर उठाया गया है, जिससे दवा उद्योग की जांच बढ़ गई है।
- तेजी से बदलते विनिर्माण और गुणवत्ता क्षेत्र के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, वर्तमान अनुसूची एम में उल्लिखित जीएमपी के सिद्धांतों को संशोधित करने की आवश्यकता थी।
- यह जीएमपी सिफारिशों को वैश्विक मानकों, विशेष रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों के बराबर लाता है, और विश्व स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता वाली दवा का उत्पादन सुनिश्चित करता है।
- इससे दवाओं के गुणवत्ता मानकों में वृद्धि होगी, उद्योग की प्रतिष्ठा मजबूत होगी और रोगी परिणामों में सुधार होगा।

दिशा-निर्देश

- कार्यान्वयन: 250 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाली बड़ी कंपनियों को अगले छह महीने के भीतर दिशानिर्देश लागू करना होगा।
- 250 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले छोटे और मझोले निर्माताओं को एक साल का समय मिलेगा।
- डेटा सुरक्षा: कंपनियों के पास जीएमपी-संबंधित कम्प्यूटरीकृत सिस्टम होना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करे कि प्रक्रियाओं से संबंधित डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ न हो।
- परीक्षण और अंतिम उत्पाद: कंपनियों को सामग्री के परीक्षण पर "संतोषजनक परिणाम" प्राप्त होने के बाद ही तैयार उत्पाद का विपणन करना चाहिए और बैच के बार-बार परीक्षण या सत्यापन की अनुमति देने के लिए पर्याप्त मात्रा में नमूने रखना चाहिए।
- उत्पादों को जोड़ना: इसमें दवाओं की पांच नई श्रेणियां हैं जिनमें खतरनाक पदार्थ जैसे सेक्स हार्मोन, स्टेरॉयड (एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक), साइटोटॉक्सिक पदार्थ, जैविक उत्पाद और रेडियोफार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं।
- गुणवत्ता जोखिम प्रबंधन: जीएमपी और गुणवत्ता जोखिम प्रबंधन (क्यूआरएम) को शामिल करते हुए एक व्यापक रूप से डिजाइन और सही ढंग से कार्यान्वित फार्मास्युटिकल गुणवत्ता प्रणाली होनी चाहिए।
- इसने कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा सालाना उत्पाद गुणवत्ता समीक्षा (पीक्यूआर) की शुरुआत की।
- मूल्यांकन: निर्माता समीक्षा के परिणामों का मूल्यांकन करेगा और सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई या कोई पुनर्वैधीकरण किया जाएगा।

बीमारियों का अध्ययन करने के लिए अपशिष्ट जल की निगरानी

खबरों में क्यों?

- अपशिष्ट जल निगरानी मलेरिया, डेंगू आदि जैसी बीमारियों के रोगजनकों की उपस्थिति की निगरानी करने का एक उपकरण हो सकता है।

वेक्टर जनित रोग

- वेक्टर-जनित बीमारियाँ परजीवियों, वायरस और बैक्टीरिया के कारण होने वाली मानवीय बीमारियाँ हैं जो वैक्टर द्वारा प्रसारित होती हैं। उदाहरण: मलेरिया, डेंगू आदि।
- सभी संक्रामक रोगों में से 17% से अधिक वेक्टर-जनित बीमारियाँ होती हैं, जिससे सालाना 700,000 से अधिक मौतें होती हैं। वे परजीवी, बैक्टीरिया या वायरस के कारण हो सकते हैं।

अपशिष्ट जल निगरानी की आवश्यकता

- महामारी की प्रारंभिक चेतावनी: यह किसी समुदाय में वायरस या बैक्टीरिया जैसे संक्रामक रोगों की उपस्थिति के प्रारंभिक चेतावनी संकेत प्रदान कर सकता है। इससे संभावित प्रकोपों पर त्वरित प्रतिक्रिया और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के कार्यान्वयन की अनुमति मिलती है।

- बेंगलुरु में टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी (TIGS) द्वारा की गई अपशिष्ट जल निगरानी शहर में XBB.1.16 ओमिक्रॉन संस्करण की एक मूक लहर का पता लगाने में सक्षम थी।
- गैर-आक्रामक जनसंख्या स्क्रीनिंग: अपशिष्ट जल निगरानी एक निष्क्रिय विधि है जो परीक्षण चाहने वाले व्यक्तियों पर निर्भर नहीं करती है।
- स्पर्शोन्मुख वाहकों की पहचान: अपशिष्ट जल निगरानी उन व्यक्तियों की पहचान कर सकती है जो संक्रामक एजेंटों को छोड़ रहे हैं, भले ही वे स्पर्शोन्मुख हों।
- रुझानों और प्रकारों पर नज़र रखना: अपशिष्ट जल की निरंतर निगरानी से समय के साथ विशिष्ट रोगजनकों के प्रसार के रुझानों पर नज़र रखने की अनुमति मिलती है।
- लागत-प्रभावी और स्केलेबल: यह एक लागत-प्रभावी और स्केलेबल तरीका है, खासकर बड़ी आबादी के लिए। यह व्यक्तिगत परीक्षण की आवश्यकता के बिना पूरे समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, जो इसे एक संसाधन-कुशल दृष्टिकोण बनाता है।
- पारंपरिक निगरानी के साथ एकीकरण: अपशिष्ट जल निगरानी को पारंपरिक निगरानी विधियों, जैसे नैदानिक परीक्षण और मामले की रिपोर्टिंग के साथ पूरक स्वास्थ्य परिदृश्य की अधिक व्यापक समझ प्रदान करता है।

चुनौतियां

- डेटा व्याख्या: अपशिष्ट जल निगरानी से डेटा की व्याख्या के लिए महामारी विज्ञान, विषाणु विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। परिणामों की व्याख्या करने और उन्हें कार्रवाई योग्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में अनुवाद करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करना आवश्यक है।
- पता लगाने की सीमाएँ और संवेदनशीलता: अपशिष्ट जल में रोगजनकों का पता लगाने के तरीकों की संवेदनशीलता भिन्न हो सकती है, और कुछ कम सांद्रता का पता नहीं चल पाता है।
- प्रदूषण प्रभाव: सीवर प्रणालियों में अपशिष्ट जल के पतला होने से रोगज़नक़ सांद्रता का कम आकलन हो सकता है।
- रोगज़नक़ स्थिरता: अपशिष्ट जल में रोगजनकों की स्थिरता तापमान और पीएच जैसे पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित हो सकती है।
- परिणामों की रिपोर्ट करने में देरी: नए वेरिएंट की पहचान के लिए अधिकांश अपशिष्ट जल के नमूने प्रयोगशालाओं में भेजे जाते हैं, जिसमें विश्लेषण के लिए पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (पीसीआर) या जीनोम अनुक्रमण शामिल होता है। इन तरीकों से परिणाम रिपोर्ट करने में काफी देरी होती है।
- इसके अलावा अपशिष्ट जल में पीसीआर अवरोधकों की उपस्थिति से असंगत परिणाम हो सकते हैं।
- अनुचित परिणाम: भारत में, लोगों के मल के माध्यम से रोगजनकों को छोड़ने के अलावा, गैर-मानव प्राइमेट सहित कई स्तनधारी भी हैं, जो मलेरिया और डेंगू के भंडार मेजबान के रूप में काम करते हैं।
- इसलिए यह कहना मुश्किल है कि अपशिष्ट जल में पाए जाने वाले सभी मलेरिया और डेंगू रोगाणु केवल मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित होते हैं।

वैश्विक प्रथाएँ

- विभिन्न देशों में पोलियो वायरस पर नज़र रखने के लिए अपशिष्ट जल निगरानी का उपयोग दशकों से नियमित रूप से किया जाता रहा है।
- 2022 में, बांग्लादेश ने समुदायों में साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरा और रोटावायरस जैसे रोगजनकों को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए अपशिष्ट जल निगरानी कार्यक्रम शुरू किया।

आगे की राह

- अपशिष्ट जल निगरानी के प्राथमिकता वाले रोगजनकों का चयन करते समय, विभिन्न स्वच्छता प्रणालियों और मेजबान-परजीवी भूगोल से उत्पन्न होने वाली सीमाओं और चुनौतियों पर विचार करना आवश्यक है।
- इसलिए कार्यान्वित तकनीक संवेदनशील और विशिष्ट होनी चाहिए, व्यापक और वस्तुनिष्ठ डेटा प्रदान करना चाहिए, वास्तविक समय में परिणाम प्राप्त करना चाहिए, कई बीमारियों और प्रदूषकों की निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए, यहां तक कि जो विशिष्ट हैं, स्केलेबल और लागत प्रभावी होना चाहिए; और उपयोग में आसान हो और किसी विशेषज्ञ संसाधन की मांग न हो।

प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए मसौदा नियम, 2024 प्रस्तावित किया गया है।

प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023

- यह प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 का स्थान लेता है, जो 1867 से देश में प्रिंट और प्रकाशन उद्योग के पंजीकरण को नियंत्रित करता है।
- प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 एक औपनिवेशिक युग का अधिनियम है जिसका उद्देश्य प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों को विनियमित करना है और इसके प्रावधानों का पालन न करने पर कारावास सहित गंभीर दंड का प्रावधान है।

- अधिनियम के तहत प्रक्रियाएं बोझिल और जटिल थीं जिससे प्रकाशकों को समाचार पत्र चलाने में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

पीआरबी अधिनियम, 1867 और पीआरपी अधिनियम, 2023 के बीच मुख्य अंतर:

- पत्रिकाओं का पंजीकरण: 1867 का अधिनियम समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। यह पुस्तकों की सूचीकरण का भी प्रावधान करता है।
- 2023 अधिनियम पत्रिकाओं के पंजीकरण का प्रावधान करता है, जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टिप्पणियों वाला कोई भी प्रकाशन शामिल है।
- पत्रिकाओं में किताबें या वैज्ञानिक और अकादमिक पत्रिकाएँ शामिल नहीं हैं।
- विदेशी पत्रिकाएँ: किसी विदेशी पत्रिका का सटीक पुनरुत्पादन केवल केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से ही भारत में मुद्रित किया जा सकता है।
- ऐसी पत्रिकाओं के पंजीकरण का तरीका निर्धारित किया जाएगा।
- प्रिंटिंग प्रेस के लिए कोई घोषणा नहीं: 1867 अधिनियम में प्रावधान है कि प्रिंटर/प्रकाशक को निर्दिष्ट करने वाली एक घोषणा डीएम को की जानी चाहिए।
- 2023 अधिनियम किसी पत्रिका के प्रकाशक को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (पीआरजी) और निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारी के साथ एक ऑनलाइन आवेदन दाखिल करके पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- जिस व्यक्ति को किसी आतंकवादी कृत्य या गैरकानूनी गतिविधि के लिए दोषी ठहराया गया हो, या जिसने राज्य की सुरक्षा के खिलाफ काम किया हो, उसे पत्रिका प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- प्रिंटिंग प्रेस का पंजीकरण: 1867 के अधिनियम के अनुसार प्रिंटिंग प्रेस को डीएम के समक्ष घोषित करना आवश्यक है। पीआरपी अधिनियम, 2023 प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित जानकारी एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।
  - अपीलीय प्राधिकारी: नया अधिनियम एक अपीलीय प्राधिकारी का भी प्रावधान करता है।
- अपीलीय बोर्ड (प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड) में भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के अध्यक्ष और पीसीआई के दो सदस्य शामिल होंगे जो पंजीकरण देने से इनकार करने, कोई जुर्माना लगाने या पंजीकरण को निलंबित/रद्द करने के खिलाफ अपील सुनेंगे। पीआरजी द्वारा।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023

खबरों में क्यों?

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने हाल ही में 'स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023' पेश किया है।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 के बारे में

- यह स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए एक व्यापक ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है। ये नियम भारत में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रवेश, परामर्श और पाठ्यक्रम कार्य को कवर करते हैं।
- इन सुधारों का उद्देश्य चिकित्सा बिरादरी के भीतर गुणवत्ता, नैतिक अभ्यास और समावेशिता को बढ़ावा देना है, स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रशिक्षण के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करना है और देश भर में शिक्षा और अभ्यास के मानकों को बढ़ाना है।
- मेडिकल कॉलेज/संस्थान स्नातक कार्यक्रम शुरू करने के एक साल बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, उन्हें मौजूदा स्नातक पाठ्यक्रम चलाने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
- पहले, स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए आवेदन करने की अनुमति केवल एमबीबीएस छात्रों के तीसरे बैच को प्रवेश देने के बाद ही दी जाती थी।
- गैर-शिक्षण सरकारी अस्पताल जो बिस्तर, योग्य संकाय, रोगी संख्या और पर्याप्त बुनियादी ढांचे सहित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
- मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को अब अपने संसाधनों और बुनियादी ढांचे की सालाना स्व-घोषणा करनी होगी।
  - अवयव:
  - सैद्धांतिक ज्ञान;
  - व्यावहारिक और नैदानिक कौशल;
  - थीसिस लिखना;
  - संचार कौशल सहित सॉफ्ट स्किल विशेषताएँ;
- अनुसंधान पद्धति, चिकित्सा नैतिकता और मेडिको कानूनी पहलुओं में प्रशिक्षण।
- विनियमन छात्रों के एक चिकित्सा संस्थान से दूसरे में प्रवास पर रोक लगाता है।

प्रमुख चिंताएँ

- रेजिडेंट डॉक्टरों के बीच काम के घंटे, मानसिक स्वास्थ्य और बर्नआउट के मुद्दे, साथ ही वजीफे की अनियमितता - को नए पीजी चिकित्सा शिक्षा नियमों में संबोधित नहीं किया गया है।
- विकलांग डॉक्टर: विकलांग डॉक्टरों द्वारा दी गई सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया है।

- यह पीजी प्रवेश में विकलांग डॉक्टरों को 5% आरक्षण प्रदान करके समावेशिता प्रदान करता है, जो पहले से ही अस्तित्व में था।
- इसमें दावा किया गया है कि मानसिक बीमारी और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को निदान स्थापित करने के तरीकों की कथित कमी के कारण प्रवेश नहीं दिया जा सकता है, यह दावा मौजूदा नियमों के विपरीत है।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन: 'मध्यम' डिस्लेक्सिया जैसे नए शब्द पेश किए गए हैं, जो अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
- सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि सेरेब्रल पाल्सी (विकारों का एक समूह जो किसी व्यक्ति के चलने और संतुलन और मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है) से पीड़ित उम्मीदवार एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के तहत आरक्षण के लिए पात्र है।
- पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण पर दिशानिर्देश चुप हैं।

एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग का एनसीडीसी सर्वेक्षण

खबरों में क्यों?

- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने 15 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग का एक सर्वेक्षण किया।

मुख्य निष्कर्ष

- 11,588 दाखिलों और 9,652 पात्र रोगियों में से, 72% को एंटीबायोटिक्स निर्धारित की गई।
- इनमें से, केवल 45% को चिकित्सीय संकेतों के लिए एंटीबायोटिक्स निर्धारित किए गए थे, जिसका उद्देश्य संक्रमण या बीमारी का इलाज करना था।
- शेष 55% को रोगनिरोधी संकेतों के लिए दवाएं दी गई, जिसका उद्देश्य संक्रमण की घटना या प्रसार को रोकना था।
- केवल 6% को उनकी बीमारी का कारण बनने वाले विशिष्ट बैक्टीरिया के पुष्ट निदान के बाद एंटीबायोटिक्स निर्धारित की गई, जिन्हें निश्चित चिकित्सा कहा जाता है।
- शेष 94% किसी बीमारी के संभावित कारण का आकलन करने में डॉक्टर के नैदानिक अनुभव के आधार पर निर्धारित किए गए थे, जिसे अनुभवजन्य चिकित्सा कहा जाता है।
- WHO के एक्सेस, वॉच और रिज़र्व (AWaRe) वर्गीकरण का उपयोग करते हुए, यह पाया गया कि
  - केवल 38% नुस्खे एक्सेस समूह के थे,
  - 57% नुस्खे वॉच ग्रुप से संबंधित थे,
  - निर्धारित एंटीबायोटिक्स में से 2% रिज़र्व समूह से थे।
  - एंटीबायोटिक दवाओं का AWaRe वर्गीकरण
- AWaRe वर्गीकरण का उद्देश्य एंटीबायोटिक खपत की निगरानी करने, लक्ष्यों को परिभाषित करने और प्रबंधन नीतियों के प्रभावों की निगरानी करने के लिए एक उपकरण के रूप में है, जिसका उद्देश्य एंटीबायोटिक उपयोग को अनुकूलित करना और रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर अंकुश लगाना है।
- इसे 2017 में WHO विशेषज्ञ समिति द्वारा विकसित किया गया था।
- एंटीबायोटिक्स को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है, एक्सेस, वॉच और रिज़र्व। इसे हर 2 साल में अपडेट किया जाता है।
- एक्सेस समूह प्रतिरोध की संभावना को न्यूनतम करते हुए सर्वोत्तम चिकित्सीय मूल्य प्रदान करता है।
- वॉच समूह को विशिष्ट, सीमित संख्या में संक्रामक सिंड्रोम के लिए संकेत दिया गया है और एंटीबायोटिक प्रतिरोध का लक्ष्य होने की अधिक संभावना है। इन एंटीबायोटिक्स में एंटीबायोटिक प्रतिरोध विकसित करने की अधिक क्षमता होती है।
- दवाओं के रिज़र्व समूह का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्या है?

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं जिससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।

7वीं नेपाल-भारत संयुक्त आयोग की बैठक

खबरों में क्यों?

- विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके नेपाल समकक्ष एनपी सऊद ने नेपाल-भारत संयुक्त आयोग की सातवीं बैठक की सह-अध्यक्षता की।

समाचार के बारे में

- 1987 में स्थापित, भारत-नेपाल संयुक्त आयोग द्विपक्षीय साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- भारत और नेपाल ने पांच प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। वे हैं:
- अगले दशक में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता।
- नवंबर 2023 में नेपाल के जजरकोट क्षेत्र में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए भारतीय सहायता की पांचवीं किश्त।
- नेपाली अंतरिक्ष उपग्रह का प्रक्षेपण,

- नवीकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग,
- उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन,
- उन्होंने तीन 132-केवी क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन किया, जिसमें रक्सौल-परवानीपुर लाइन और कटैया-कुशहा लाइन के दूसरे सर्किट और न्यू नौतनवा-मेनहिया लाइन शामिल हैं।

भारत-नेपाल संबंध

- नेपाल क्षेत्र में अपने समग्र रणनीतिक हितों के संदर्भ में भारत के लिए महत्वपूर्ण है, और दोनों देशों के नेताओं ने अक्सर सदियों पुराने 'रोटी बेटी' रिश्ते पर ध्यान दिया है, जो दोनों के लोगों के बीच सीमा पार विवाह को संदर्भित करता है। देशों.
- साझा सीमा: देश पांच भारतीय राज्यों - सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1,850 किमी से अधिक लंबी सीमा साझा करता है। भूमि से घिरा नेपाल वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर है और समुद्र तक पहुंच भारत के माध्यम से होती है।
- भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि: 1950 में हस्ताक्षरित, यह भारत और नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है।
- नेपाली नागरिक संधि के प्रावधानों के अनुसार भारतीय नागरिकों के समान सुविधाओं और अवसरों का लाभ उठाते हैं। लगभग 8 मिलियन नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं और काम करते हैं।
    - रक्षा सहयोग: भारत उपकरण की आपूर्ति और प्रशिक्षण प्रदान करके नेपाल सेना (एनए) को उसके आधुनिकीकरण में सहायता कर रहा है।
- आपदाओं के दौरान सहायता, संयुक्त सैन्य अभ्यास, साहसिक गतिविधियाँ और द्विपक्षीय दौरे अन्य पहलू हैं।
- 'भारत-नेपाल बटालियन-स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण' भारत और नेपाल में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।
- 1950 से, भारत और नेपाल दोनों सेनाओं के बीच आपसी सौहार्दपूर्ण संबंधों को मान्यता देने के लिए एक-दूसरे के सेना प्रमुख को जनरल की मानद रैंक से सम्मानित करते रहे हैं।
- भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट आंशिक रूप से नेपाल के पहाड़ी जिलों से भर्ती करके बनाई गई हैं।
- कनेक्टिविटी और विकास साझेदारी: भारत तराई क्षेत्र में 10 सड़कों के उन्नयन के माध्यम से सीमा बुनियादी ढांचे के विकास में नेपाल की सहायता कर रहा है; जोगबनी-विराटनगर, जयनगर-बरदीबास में सीमा पार रेल संपर्क का विकास; और बीरगंज, विराटनगर, भैरहवा और नेपालगंज में एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना।
- जल संसाधन सहयोग: मुख्य रूप से आम नदियों से संबंधित जल संसाधनों में सहयोग द्विपक्षीय संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।
- दोनों देशों के बीच जल संसाधन, बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ और जलविद्युत में सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2008 में स्थापित एक त्रि-स्तरीय द्विपक्षीय तंत्र अच्छी तरह से काम कर रहा है।
- ऊर्जा सहयोग: भारत और नेपाल के बीच 1971 से एक दूसरे के ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पावर एक्सचेंज समझौता हुआ है।
- भारत वर्तमान में नेपाल को कुल लगभग 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रहा है। भारत और नेपाल के बीच 'इलेक्ट्रिक पावर ट्रेड, क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन और ग्रिड कनेक्टिविटी' पर एक समझौते पर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे।
- व्यापार और आर्थिक: वित्त वर्ष 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने के साथ, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना हुआ है। भारत नेपाल के लगभग पूरे तीसरे देश के व्यापार के लिए पारगमन प्रदान करता है।
- पिछले 10 वर्षों में नेपाल को भारत का निर्यात 8 गुना से अधिक बढ़ गया है जबकि नेपाल से निर्यात लगभग दोगुना हो गया है। महामारी के कारण कठिनाइयों के बावजूद, भारत ने नेपाल में व्यापार और आपूर्ति का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित किया।
- नेपाल भारत का 11वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जो 2014 में 28वें स्थान पर था।
- वित्त वर्ष 2021-22 में, यह भारत के निर्यात का 2.34% था। वास्तव में भारत से निर्यात नेपाल की जीडीपी का लगभग 22% है।
- 'कृषि में नई साझेदारी': इसकी घोषणा अप्रैल 2018 में की गई थी, जो कृषि, शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास में सहयोगी परियोजनाओं पर केंद्रित है।
- महाकाली नदी पुल: हाल ही में, भारतीय अनुदान सहायता के तहत धारचूला (भारत) को दार्चुला (नेपाल) से जोड़ने वाली महाकाली नदी पर एक मोटर योग्य पुल के निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- ऑपरेशन मैत्री और भूकंप के बाद पुनर्निर्माण सहायता: नेपाल में 2015 के भूकंप के महेनजर, भारत सरकार पहली प्रतिक्रियाकर्ता थी और उसने विदेश में अपना सबसे बड़ा आपदा राहत अभियान (ऑपरेशन मैत्री) चलाया।
- भारत ने आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति विरासत क्षेत्रों में भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के लिए अपनी दीर्घकालिक सहायता के रूप में नेपाल को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विस्तार किया।

भारत और नेपाल के बीच मुद्दे

- 1950 की शांति और मित्रता संधि: 31 जुलाई 1950 को, भारत और नेपाल ने "इन संबंधों को मजबूत करने और विकसित करने और दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने" के प्रयास में शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए।
- जैसे-जैसे समय बीतता गया, नेपाल का मानना था कि यह संधि "राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ असंगत" थी।
- मधेसी मुद्दा: नेपाल में भारत के मजबूत हितों को 2015 में झटका लगा, जब नव-पारित नेपाली संविधान में उनके हितों को हाशिए पर रखे जाने के खिलाफ मधेसियों और कुछ अन्य जातीय समूहों के विरोध प्रदर्शन के बाद सीमाओं पर नाकाबंदी शुरू हो गई।

- कालापानी विवाद: यह क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है लेकिन नेपाल ऐतिहासिक और मानचित्र संबंधी कारणों से इस क्षेत्र पर दावा करता है। यह क्षेत्र नेपाल और भारत के बीच सबसे बड़ा क्षेत्रीय विवाद है, जिसमें उच्च हिमालय में कम से कम 37,000 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
- सुस्ता सीमा विवाद: सुस्ता नेपाल और भारत के बीच एक विवादित क्षेत्र है। यह भारत द्वारा बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के हिस्से के रूप में प्रशासित है।
- नेपाल इस क्षेत्र को सुस्ता ग्रामीण नगरपालिका के तहत पश्चिम नवलपरासी जिले का हिस्सा होने का दावा करता है, उसका आरोप है कि सुस्ता में 14,860 हेक्टेयर से अधिक नेपाली भूमि पर भारत द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

आगे की राह

- महाराष्ट्र धारावी का घर है जिसके केवल 2 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन लोग रहते हैं।
- ऐसी कई परेशानियाँ हैं जो इस रिश्ते में तनाव पैदा कर रही हैं, और फिलहाल ऐसा लगता है कि दोनों सरकारें सौहार्दपूर्ण संबंधों की ओर लौटने के लिए एक ठोस प्रयास कर रही हैं, भारत सरकार विशेष संबंधों पर जोर देने के साधन के रूप में "धार्मिक कूटनीति" का उपयोग करना चाहती है।
- भारत-नेपाल संबंधों को आर्थिक और भू-राजनीतिक मुद्दों पर अधिक सार्थक साझेदारी की ओर बढ़ने की जरूरत है, साथ ही भारत सरकार विकास परियोजनाओं में नेपाली शासन की भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका बरकरार रखेगी।

भारत में मलिन बस्तियाँ

खबरों में क्यों?

- मलिन बस्तियों के विषय को पूरे इतिहास में भारतीय संसद की बहसों और चर्चाओं में प्रमुख स्थान मिला है।

भारत में मलिन बस्तियाँ

- राष्ट्रव्यापी डेटा: 65 प्रतिशत भारतीय कस्बों में मलिन बस्तियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक छह शहरी भारतीयों में से एक झुग्गी-झोपड़ियों में रहता है।
- आंध्र प्रदेश इस सूची में शीर्ष पर है, इसकी 36.1% शहरी आबादी मलिन बस्तियों में रहती है। अन्य राज्य हैं: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर और हरियाणा। भारतीय झुग्गी-झोपड़ी वाले घरों में कोई उचित जल निकासी व्यवस्था नहीं है, उनमें से 44% घरों में खुली नालियाँ हैं और लगभग 19% घरों में कोई जल निकासी कनेक्शन नहीं है।
- भविष्य का अनुमान: अगले 10 वर्षों में, भारत का 50 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करेगा, जो वर्तमान 28% से अधिक है।
- शहरी आबादी में इस वृद्धि के साथ, मलिन बस्तियाँ तेजी से बढ़ेंगी।

मलिन बस्तियों के लिए सरकारी नीतियों का विकास

- 1950 और 1960 के दशक के बीच, मलिन बस्तियाँ विभाजन और एक बड़ी आबादी के आगमन का परिणाम थीं।
- इसके परिणामस्वरूप लोग बुनियादी नागरिक सुविधाओं के बिना खराब इमारतों में रहने लगे।
- मलिन बस्तियों को एक महामारी माना जाता था जिसे खत्म करना आवश्यक था।
- स्लम क्षेत्र अधिनियम 1956 की शुरूआत के साथ यह बदल गया।
- 1970 के दशक की शुरुआत और 1980 के दशक के मध्य के बीच, मलिन बस्तियों के इर्द-गिर्द की कहानी बदल गई - इसे एक ऐसी जगह माना जाने लगा जिसे उन्मूलन की आवश्यकता थी, इसे एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा जाने लगा जिसे विकसित किया जाना था।
- नगर नियोजन एक शासन उपकरण के रूप में उभरा, जिसने मलिन बस्तियों को परिधि पर धकेल दिया। यह कथा मलिन बस्तियों को नष्ट करने के बजाय उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने को प्राथमिकता देने के लिए विकसित हुई।
  - 1980 के दशक के मध्य और 1990 के दशक के अंत के बीच।
- देनदारियों के रूप में देखे जाने से, शहरों और मलिन बस्तियों सहित शहरी स्थानों के लिए वित्त पोषण को अब राज्य की आर्थिक वृद्धि के लिए संपत्ति और निवेश के रूप में देखा जाने लगा।
- पहली दो राष्ट्रीय आवास नीतियां इसी अवधि के दौरान पेश की गईं।
- इसके अलावा, 1996 में स्लम पुनर्विकास के लिए केंद्र सरकार से लक्षित फंडिंग वापस लाते हुए राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था।

भारत में मलिन बस्तियों के विकास के कारण

- ग्रामीण से शहरी प्रवास: भारत में स्लम वृद्धि के प्राथमिक चालकों में से एक बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर लोगों का महत्वपूर्ण प्रवाह है।
- किफायती आवास की कमी: भारत में कई शहरी क्षेत्रों को किफायती आवास की कमी का सामना करना पड़ता है। इससे विकल्प के अभाव के कारण लोग अनौपचारिक बस्तियों में बस जाते हैं।
- अपर्याप्त शहरी नियोजन: शहर अपनी बढ़ती आबादी की जरूरतों को समायोजित करने में विफल हो सकते हैं, जिससे अनौपचारिक बस्तियों का विकास हो सकता है।
- गरीबी और बेरोजगारी: शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी लोगों को अनौपचारिक बस्तियों की ओर धकेलती है।

- अपर्याप्त सरकारी नीतियां: शहरी गरीबी और मलिन बस्ती विकास को संबोधित करने के लिए असंगत या अप्रभावी सरकारी नीतियां और कार्यक्रम समस्या को बढ़ा सकते हैं।

भारत में मलिन बस्ती विकास का महत्व

- गरीबी उन्मूलन: मलिन बस्तियाँ अक्सर आर्थिक रूप से सबसे अधिक वंचित आबादी का घर होती हैं। बेहतर जीवन स्थितियां, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच और आर्थिक अवसर प्रदान करके, स्लम विकास गरीबी में कमी और जीवन स्तर में सुधार में योगदान दे सकता है।
- सामाजिक समानता और समावेशन: यह सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर रहने वाली और कमजोर आबादी को सभ्य आवास, स्वच्छ पानी, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच मिले, जिससे सामाजिक असमानताएं कम हो सकें।
- स्वास्थ्य और कल्याण: स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बीमारियों के प्रसार को कम कर सकती है और झुग्गी निवासियों के समग्र कल्याण को बढ़ा सकती है।
- शिक्षा के अवसर: यह स्लम क्षेत्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने, गरीबी के चक्र को तोड़ने और एक उज्जवल भविष्य प्रदान करने की अनुमति देता है।
- आर्थिक सशक्तिकरण: स्लम विकास स्थिर आवास, बुनियादी ढांचे और नौकरी के अवसरों तक पहुंच प्रदान करके निवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता है। बदले में, इससे आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर बेहतर होता है।
- शहरी विकास: स्लम विकास को संबोधित करना भारतीय शहरों के व्यापक शहरी विकास का अभिन्न अंग है।
- अपराध में कमी: बेहतर रहने की स्थिति और आर्थिक अवसरों से झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में अपराध और हिंसा में कमी आ सकती है, जिससे निवासियों की सुरक्षा बढ़ सकती है।
- स्थिरता: इसमें न केवल आवास और बुनियादी ढांचा प्रदान करना शामिल है बल्कि आर्थिक अवसर और सामाजिक सेवाएं भी बनाना शामिल है जो स्थायी विकास का समर्थन करते हैं।

भारत में स्लम विकास की प्रमुख चुनौतियाँ?

- अधिक जनसंख्या: मलिन बस्तियाँ अक्सर घनी आबादी वाली होती हैं, जिससे अत्यधिक भीड़ होती है और रहने की जगह अपर्याप्त होती है। यह अधिक जनसंख्या पहले से ही सीमित संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर दबाव डाल सकती है।
- पुनर्वास चुनौतियाँ: रहने की स्थिति में सुधार के लिए झुग्गीवासियों को स्थानांतरित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसके लिए उपयुक्त भूमि खोजने, प्रभावित समुदायों के प्रतिरोध को संबोधित करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि पुनर्वास स्थलों पर पर्याप्त बुनियादी ढाँचा हो।
- राजनीतिक और नौकरशाही बाधाएँ: मलिन बस्ती विकास में अक्सर जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं को पार करना और राजनीतिक चुनौतियों पर काबू पाना शामिल होता है, जो प्रगति को धीमा कर सकता है और परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार हो सकता है।
- सामुदायिक भागीदारी का अभाव: सफल स्लम विकास के लिए अक्सर शासन और योजना में समुदाय की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

- भारत में मलिन बस्तियों का विकास गरीबी उन्मूलन, समानता संवर्धन, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सतत शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
- जमीनी स्तर के विकास समूह इन पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन सफलता के लिए सरकार द्वारा समर्थित व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
- यह प्रयास मानव कल्याण को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर गरीब झुग्गीवासियों के लिए।
- इसके लिए इन समुदायों के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को संरक्षित करते हुए किफायती आवास बनाने, बुनियादी सेवाएं प्रदान करने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और झुग्गीवासियों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने में सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है।

भारत में नि:शुल्क कानूनी सहायता

खबरों में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति (एससीएलएससी) के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति

- शीर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों में, समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3 ए के तहत सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का गठन किया गया था।
- अधिनियम की धारा 3ए में कहा गया है कि केंद्रीय प्राधिकरण (राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण या एनएएलएसए) समिति का गठन करेगा।
- इसमें एक वर्तमान एससी न्यायाधीश, जो अध्यक्ष हैं, के साथ-साथ केंद्र द्वारा निर्धारित अनुभव और योग्यता रखने वाले अन्य सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों दोनों को सीजेआई द्वारा नामित किया जाएगा।

संवैधानिक समर्थन

- अनुच्छेद 39ए में कहा गया है, "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा।" यह सुनिश्चित करें कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय पाने के अवसरों से वंचित न किया जाए।"
- अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 22(1) (गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित होने का अधिकार) भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और एक कानूनी प्रणाली सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाता है जो समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम

- स्थापना: 1987 में, कानूनी सहायता कार्यक्रमों को वैधानिक आधार देने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू किया गया था।
- योग्य समूह: इसका उद्देश्य महिलाओं, बच्चों, एससी/एसटी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों, औद्योगिक श्रमिकों, विकलांग व्यक्तियों और अन्य सहित पात्र समूहों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है।
- निगरानी निकाय: अधिनियम के तहत, कानूनी सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने और कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियां निर्धारित करने के लिए 1995 में NALSA का गठन किया गया था।
- कार्यान्वयन: कानूनी सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए अधिनियम के तहत एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की परिकल्पना की गई है।
- यह कानूनी सहायता योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों और गैर सरकारी संगठनों को धन और अनुदान भी वितरित करता है।
- राज्य कानूनी सेवाएं: हर राज्य में, NALSA की नीतियों और निर्देशों को लागू करने, लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देने और लोक अदालतों का संचालन करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) की स्थापना की गई थी।
- एक एसएलएसए का नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ एचसी न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- जबकि एचसी मुख्य न्यायाधीश एसएलएसए के संरक्षक-प्रमुख हैं, सीजेआई एनएएलएसए के संरक्षक-प्रमुख हैं।
- जिला कानूनी सेवाएं: इसी तरह, जिलों और अधिकांश तालुकों में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) और तालुक कानूनी सेवा समितियां स्थापित की गई।
- प्रत्येक डीएलएसए की अध्यक्षता संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
- तालुका या उप-विभागीय कानूनी सेवा समितियों का नेतृत्व एक वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश करता है।

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी

खबरों में क्यों?

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) का उपयोग करने वाली एकल महिलाओं की संख्या के संबंध में डेटा मांगा है।

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्या है?

- सहायक प्रजनन तकनीक (एआरटी) प्रजनन उपचार की एक श्रृंखला को संदर्भित करती है जिसका उद्देश्य बांझपन से पीड़ित जोड़ों या कृत्रिम तरीकों से बच्चा पैदा करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए प्रजनन में सहायता करना है।
- इन व्यवस्थाओं में इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (प्रयोगशाला में अंडे को निषेचित करना), युग्मक दान (शुक्राणु या अंडाणु), और गर्भकालीन सरोगेसी (जहां बच्चा जैविक रूप से सरोगेट मां से संबंधित नहीं है) शामिल हैं।

एआरटी की चिंताएं

- नैतिक मुद्दे: आरोपण के लिए भ्रूण के चयन की प्रक्रिया नैतिक प्रश्न उठाती है, खासकर जब इसमें आनुवंशिक जांच और हेरफेर की संभावना शामिल होती है।
- माता-पिता के अधिकार: माता-पिता के अधिकारों के निर्धारण के संबंध में कानूनी मुद्दे उठ सकते हैं, खासकर सरोगेसी, अंडा दान, या शुक्राणु दान से जुड़े मामलों में।
- दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव: एआरटी में उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रजनन उपचार और दवाओं के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है।
- पहुंच और सामर्थ्य: वित्तीय बाधाओं के कारण एआरटी तक पहुंच सीमित हो सकती है, जिससे इन प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की क्षमता में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के बारे में चिंताएं पैदा हो सकती हैं।

सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2021:

- एआरटी सेवाओं का प्रावधान: विधेयक एआरटी को परिभाषित करता है और सेवाएं इसके माध्यम से प्रदान की जाएंगी:
- एआरटी क्लीनिक, जो एआरटी से संबंधित उपचार और प्रक्रियाएं प्रदान करते हैं,

- एआरटी बैंक, जो युग्मकों को एकत्रित, स्क्रीन और संग्रहीत करते हैं।
- एआरटी क्लीनिकों और बैंकों का पंजीकरण: प्रत्येक एआरटी क्लीनिक और बैंक को राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- विधेयक के तहत एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी, जो देश के सभी एआरटी क्लीनिकों और बैंकों के विवरण के साथ एक केंद्रीय डेटाबेस के रूप में कार्य करेगी।
- बोर्ड: विधेयक में प्रावधान है कि सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 के तहत गठित राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड एआरटी सेवाओं के विनियमन के लिए राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड के रूप में भी कार्य करेंगे।
- एआरटी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के अधिकार: एआरटी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे को कमीशनिंग जोड़े का जैविक बच्चा माना जाएगा और कमीशनिंग जोड़े के प्राकृतिक बच्चे के लिए उपलब्ध अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा।
- दाता के पास बच्चे पर कोई माता-पिता का अधिकार नहीं होगा।

आय सहायता कार्यक्रम

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने आगामी 2024 के आम चुनावों में सत्ता में आने पर अपनी NYAY योजना की वकालत की।

समाचार के बारे में

- न्याय न्युनतम आय योजना (या न्यूनतम आय योजना) का संक्षिप्त रूप है, और इसमें प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना 72,000 रुपये का गारंटीकृत भुगतान शामिल है।
- 2018 में, मौजूदा सरकार ने पीएम-किसान नामक एक ऐसी ही योजना शुरू की थी, जिसे किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के रूप में पेश किया गया था और इसमें "प्रति वर्ष 6,000/- की आय सहायता" शामिल थी।

न्याय/पीएम-किसान बनाम यूबीआई

- हालाँकि ये योजनाएँ यूबीआई से मिलती-जुलती हैं, लेकिन ये वास्तव में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) की शुरुआत नहीं हैं।
- यूबीआई के तहत, सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को, सार्वभौमिक रूप से और बिना शर्त, सबसे अमीर व्यक्ति से लेकर सबसे गरीब व्यक्ति तक, चाहे वे काम करते हों या नहीं, एक "बुनियादी" आय देती है।
- लेकिन, सरकार यूबीआई में भोजन से लेकर उर्वरक और चिकित्सा बिल तक सभी प्रकार की सब्सिडी भी वापस ले लेती है।
- न्याय और पीएम-किसान तीन पहलुओं में यूबीआई से अलग हैं।
- सबसे पहले, वे सभी मौजूदा सब्सिडी को हटाने के साथ नहीं हैं।
- दूसरे, यह राशि उस राशि से बहुत कम है जिसे कोई भी न्यूनतम या बुनियादी आय मान सकता है जो हर किसी को एक सभ्य जीवन जीने के लिए आवश्यक है।
- अंततः, योजनाओं का दायरा भारतीयों के एक वर्ग तक ही सीमित है; ये लक्षित योजनाएँ हैं, सार्वभौमिक नहीं।

यूबीआई के साथ समस्याएं

- जबकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) एक क्रांतिकारी सामाजिक नीति के रूप में वादा करती है, इसे कई संभावित चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है।

लागत और स्थिरता:

- सामर्थ्य: स्विट्जरलैंड जैसे समृद्ध देशों (यूबीआई को अपनाने से इनकार) में, जनसंख्या कम होने के बावजूद यूबीआई राशि काफी अधिक है।
- अपेक्षाकृत गरीब देशों में, जनसंख्या बहुत बड़ी है, भले ही यूबीआई राशि कम हो। किसी भी तरह से, सामर्थ्य एक बड़ी बाधा है।
- आर्थिक प्रभाव: दूसरी समस्या मौजूदा सब्सिडी में कमी और यूबीआई को निधि देने के लिए करों में बढ़ोतरी है।

व्यावहारिक चुनौतियाँ:

- प्रशासनिक जटिलता: यूबीआई योजना को लागू करने के लिए पंजीकरण, सत्यापन और भुगतान के वितरण को संभालने के लिए प्रभावी बुनियादी ढांचे और नौकरशाही की आवश्यकता होती है।
- राजनीतिक व्यवहार्यता: मौजूदा सब्सिडी को हटाने की घोषणा से राजनीतिक प्रतिक्रिया पैदा होना लगभग तय है।

अनिश्चितताएँ और अनपेक्षित परिणाम:

- व्यवहार परिवर्तन: कार्य नैतिकता, उद्यमिता और सामाजिक व्यवहार पर यूबीआई का प्रभाव अस्पष्ट है और इसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं।
- निर्भरता और काम के प्रति हतोत्साहन: यूबीआई पर संभावित निर्भरता और काम करने की प्रेरणा में कमी को लेकर चिंताएं मौजूद हैं, खासकर कम-कुशल श्रमिकों के लिए।

आगे की राह

- यूबीआई की व्यवहार्यता और प्रभावशीलता सावधानीपूर्वक डिजाइन, कार्यान्वयन और चल रहे मूल्यांकन पर निर्भर करती है।

- संभावित चुनौतियों को संबोधित करने और लाभों को अधिकतम करने के लिए व्यापक कार्यान्वयन से पहले साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए गहन अनुसंधान, सार्वजनिक बहस और पायलट कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध, इसका खतरा

खबरों में क्यों?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए शीर्ष खतरों में से एक के रूप में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) की पहचान की है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्या है?

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं जिससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
- हर साल लगभग 700,000 लोग एएमआर से मरते हैं। 2050 तक यह संख्या 10 मिलियन तक बढ़ सकती है और वार्षिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.8 प्रतिशत खा सकती है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध के कारण

- एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग: मनुष्यों और जानवरों में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक और अनुचित उपयोग रोगाणुरोधी प्रतिरोध का एक प्रमुख चालक है। इसमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना, निर्धारित एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स पूरा न करना और गैर-जीवाणु संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना शामिल है।
- अपर्याप्त खुराक और अवधि: जब एंटीबायोटिक दवाओं को सही खुराक में और अनुशंसित अवधि के लिए नहीं लिया जाता है, तो इससे लक्षित सूक्ष्मजीवों का अधूरा उन्मूलन हो सकता है, जिससे जीवित बैक्टीरिया प्रतिरोध विकसित कर सकते हैं।
- स्व-दवा: उचित चिकित्सा मार्गदर्शन के बिना स्व-पर्चे एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग में योगदान देता है।
- खाद्य-पशुओं में एंटीबायोटिक्स का सेवन: खाद्य पशुओं और पोल्ट्री में विकास प्रवर्तक के रूप में एंटीबायोटिक्स का उपयोग एक आम बात है और बाद में यह खाद्य श्रृंखला में विकसित होता है।
- खराब स्वच्छता: सीवेज का बड़ा हिस्सा अनुपचारित जल निकायों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे एंटीबायोटिक अवशेषों, एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी जीवों के साथ नदियाँ गंभीर रूप से प्रदूषित हो जाती हैं।

एएमआर द्वारा प्रस्तुत चुनौतियाँ

- संक्रामक रोगों, अंग प्रत्यारोपण, कैंसर कीमोथेरेपी और प्रमुख सर्जरी के सफल उपचार के लिए एंटीबायोटिक प्रतिरोध खतरे के रूप में उभर रहा है।
- एएमआर का मुद्दा स्वास्थ्य देखभाल, विशेषकर दवाओं पर जेब से खर्च का कारण बनता है। उच्च श्रेणी की दवाओं या दूसरी पंक्ति की महंगी एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग से उपचार की लागत अधिक हो जाती है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विरुद्ध वैश्विक प्रयास

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर वैश्विक कार्य योजना (जीएपी): विश्व स्तर पर, देश 2015 विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एएमआर पर वैश्विक कार्य योजना (जीएपी) 2015 में निर्धारित ढांचे के लिए प्रतिबद्ध हैं और बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (WAAW): यह एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली (ग्लास): डब्ल्यूएचओ ने ज्ञान अंतराल को भरने और सभी स्तरों पर रणनीतियों को सूचित करने के लिए 2015 में इसे लॉन्च किया था।
- ग्लास की कल्पना मनुष्यों में एएमआर की निगरानी, रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग की निगरानी, खाद्य श्रृंखला और पर्यावरण में एएमआर से डेटा को क्रमिक रूप से शामिल करने के लिए की गई है।
- वैश्विक एंटीबायोटिक अनुसंधान और विकास साझेदारी (जीएआरडीपी): डब्ल्यूएचओ और ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव (डीएनडीआई) की एक संयुक्त पहल, जीएआरडीपी सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करती है।
- 2025 तक, साझेदारी का लक्ष्य पांच नए उपचार विकसित करना और वितरित करना है जो डब्ल्यूएचओ द्वारा सबसे बड़े खतरे के रूप में पहचाने गए दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया को लक्षित करते हैं।
- देशवार पहल: नए एंटीबायोटिक दवाओं के विकास का समर्थन करने के लिए 2020 में एक बहु-क्षेत्रीय $ 1 बिलियन एएमआर एक्शन फंड लॉन्च किया गया था, और यूके उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए नए रोगाणुरोधकों के भुगतान के लिए एक सदस्यता-आधारित मॉडल का परीक्षण कर रहा है।
- अनावश्यक एंटीबायोटिक नुस्खों को कम करने के लिए रोगी शिक्षा पर पेरू के प्रयास।
- प्रिस्क्राइबर के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई नियामक सुधार, और ईयू-समर्थित वैल्यू-डीएक्स कार्यक्रम जैसे पॉइंट-ऑफ-केयर डायग्नोस्टिक्स के उपयोग को बढ़ाने की पहल।

- पशुधन में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए डेनमार्क के सुधारों से न केवल जानवरों में प्रतिरोधी रोगाणुओं के प्रसार में उल्लेखनीय कमी आई है, बल्कि खेती की दक्षता में भी सुधार हुआ है।

भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विरुद्ध किये गये उपाय

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एएमआर): इसका फोकस वन हेल्थ दृष्टिकोण पर है और इसे विभिन्न हितधारकों मंत्रालयों/विभागों को शामिल करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
- एएमआर निगरानी नेटवर्क: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने देश में दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के साक्ष्य उत्पन्न करने और रुझानों और पैटर्न को पकड़ने के लिए एएमआर निगरानी और अनुसंधान नेटवर्क (एएमआरएसएन) की स्थापना की।
- भारत का रेड लाइन अभियान: जो मांग करता है कि एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर-द-काउंटर बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए केवल डॉक्टर के पर्चे वाली एंटीबायोटिक दवाओं को लाल रेखा से चिह्नित किया जाए- एक कदम आगे है।
- एफएसएसएआई ने मछली और शहद जैसे खाद्य उत्पादों में एंटीबायोटिक दवाओं को सीमित करने के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017: यह रोगाणुरोधी प्रतिरोध को प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल मुद्दों में से एक मानती है और एंटीबायोटिक के उपयोग और एंटीबायोटिक दवाओं के विकास को प्रतिबंधित करने के संबंध में दिशानिर्देशों के विकास को प्राथमिकता देती है।
- राष्ट्रीय एंटीबायोटिक उपभोग नेटवर्क (एनएसी-नेट): नेटवर्क साइटें अपने संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं में एंटीबायोटिक खपत पर डेटा संकलित करती हैं और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) को भेजती हैं।

आगे की राह

- एएमआर द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और जनता को शामिल करते हुए एक समन्वित वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य पर एएमआर के प्रभाव को कम करने के लिए जिम्मेदार रोगाणुरोधी उपयोग, प्रतिरोध पैटर्न की निगरानी, नई दवाओं के विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आगे की पहल महत्वपूर्ण हैं।

आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS)

खबरों में क्यों?

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के माध्यम से भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है।

आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) क्या है?

- एबीपीएस के तहत, श्रमिकों के 12 अंकों के आधार नंबर उनके जॉब कार्ड के साथ-साथ उनके बैंक खातों से भी जुड़े हुए हैं।
- एबीपीएस कार्यकर्ता के आधार नंबर को उनके वित्तीय पते के रूप में उपयोग करता है।
- आधार को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) डेटाबेस के साथ मैप किया जाना चाहिए; और अंत में, बैंक की संस्थागत पहचान संख्या को एनपीसीआई डेटाबेस के साथ मैप किया जाना चाहिए।
- इस प्रणाली को पहली बार 1 फरवरी, 2023 से अनिवार्य बनाया गया था, लेकिन, कई विस्तारों के माध्यम से, केंद्र ने इसे 31 दिसंबर, 2023 तक की अनुमति दी।
- एबीपीएस 1 जनवरी, 2024 से अनिवार्य हो गया।

एबीपीएस के माध्यम से भुगतान के लाभ

- आसान और सुरक्षित प्रमाणीकरण: आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) के माध्यम से एक अद्वितीय पहचान विधि प्रदान करता है, जिससे लेनदेन सुरक्षित हो जाता है और धोखाधड़ी का खतरा कम हो जाता है।
- सुविधाजनक: आधार-आधारित भुगतान प्रणाली वित्तीय लेनदेन के लिए भौतिक कार्ड या दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करती है।
- उपयोगकर्ता अपने आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके खुद को प्रमाणित कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।
- यह लाभार्थी द्वारा बार-बार बैंक खाता बदलने की स्थिति में भी लाभार्थियों का भुगतान उनके बैंक खाते में सुनिश्चित करता है।
- सब्सिडी कार्यक्रमों में कम रिसाव: आधार को अक्सर विभिन्न सरकारी सब्सिडी और कल्याण कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ सीधे लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे।
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा: भुगतान प्रणालियों में आधार का एकीकरण डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देकर कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के लिए सरकार के प्रयास में योगदान देता है।
- यह देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए व्यापक पहलों के अनुरूप है।

एबीपीएस भुगतान से संबंधित चिंताएँ

- अत्यधिक निर्भरता: तकनीकी उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता के परिणामस्वरूप समस्याग्रस्त कार्यान्वयन हुआ है, जिससे लाभार्थियों को सिस्टम में सुधार के लिए उचित सहारा नहीं मिल पाया है।
- प्रमाणीकरण मुद्दे: ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यक्तियों को खराब कनेक्टिविटी, तकनीकी गड़बड़ियों या आधार डेटाबेस में त्रुटियों जैसे कारकों के कारण बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
- प्रक्रिया के किसी भी चरण में त्रुटि के परिणामस्वरूप भुगतान विफल हो जाता है।

निष्कर्ष

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि यदि तकनीकी समस्याएं हैं तो वह ग्राम पंचायतों के लिए केस-टू-केस आधार पर एबीपीएस से छूट पर विचार कर सकता है।
- मनरेगा एक महत्वपूर्ण मांग-संचालित कल्याण योजना है जो ग्रामीण गरीबों की मदद करती है और इसका कार्यान्वयन तकनीकी प्रणाली पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
- मंत्रालय एबीपीएस पर जोर देने से पहले समस्या की सीमा का पता लगाने के लिए सामाजिक ऑडिट कर सकता है।

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 में संशोधन

खबरों में क्यों?

- केंद्र ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 में संशोधन किया है।

संशोधित नियमों के बारे में

- केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति देता है।
- यह संशोधन पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय के परामर्श से तैयार किया गया था।
- यह महिला सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपने बच्चों को अपने पति या पत्नी के स्थान पर पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए नामांकित करने की अनुमति देता है, यदि उनकी मृत्यु के समय, तलाक, घरेलू हिंसा, या दहेज की मांग के लिए कोई कार्यवाही उक्त पति या पत्नी के खिलाफ लंबित हो।
- अब तक, नियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन पहले जीवित पति या पत्नी को मिलती थी और बच्चे पति या पत्नी की मृत्यु के बाद ही इसे प्राप्त करने के पात्र होते थे।

उद्देश्य:

- कई महिला अधिकारी और पेंशनभोगी पूछ रहे थे कि क्या उन मामलों में पति या पत्नी से पहले बच्चों को नामांकित करना संभव है जहां तलाक की कार्यवाही चल रही हो या पति या पत्नी के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले लंबित हों।
- यह संशोधन प्रकृति में प्रगतिशील है और महिला कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाएगा।

ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल सामग्री को विनियमित करना

खबरों में क्यों?

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पेश किया गया मसौदा प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 ओटीटी प्लेटफार्मों और डिजिटल सामग्री को कवर करने के लिए विनियमन को व्यापक बनाता है।

2023 का मसौदा विधेयक और ओटीटी प्लेटफॉर्म:

- विधेयक अनिवार्य पंजीकरण, स्व-नियमन के लिए सामग्री मूल्यांकन समितियों और एक त्रि-स्तरीय नियामक प्रणाली का प्रस्ताव करके ओटीटी प्लेटफार्मों और डिजिटल सामग्री को शामिल करने के लिए नियामक निरीक्षण का विस्तार करता है।
- अनिवार्य पंजीकरण: कुछ अधिकृत निकायों को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति या प्रसारण कंपनी औपचारिक पंजीकरण या सरकार को सूचना दिए बिना सेवाएं प्रदान नहीं कर सकती है या नेटवर्क नहीं चला सकती है।
- समान प्रावधान स्थलीय और रेडियो प्रसारण नेटवर्क पर लागू होते हैं।
- ये कोड उन व्यक्तियों और संगठनों पर लागू होंगे जो एक 'व्यवस्थित व्यवसाय' या 'पेशेवर' इकाई के रूप में काम करते हैं।
- हालाँकि, समाचार पत्रों की डिजिटल प्रतियों और वाणिज्यिक समाचार पत्रों के प्रकाशकों को छूट दी जाएगी।
- मसौदा विधेयक में स्व-नियमन के लिए 'सामग्री मूल्यांकन समितियां (सीईसी)' और कार्यक्रम कोड और विज्ञापन कोड उल्लंघनों पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए 'प्रसारण सलाहकार परिषद' स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- सामग्री की गुणवत्ता और पहुंच: टीवी, रेडियो या अन्य प्रसारण सेवाओं के माध्यम से प्रसारित किसी भी कार्यक्रम या विज्ञापन को प्रोग्राम कोड और विज्ञापन कोड का पालन करना होगा (हालांकि, ये कोड अभी तक परिभाषित नहीं हैं)।
- स्व-नियमन: प्रत्येक प्रसारक या प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटर को महिलाओं, बाल कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों सहित विभिन्न सामाजिक समूहों के सदस्यों के साथ एक सीईसी स्थापित करना होगा।
- सरकार द्वारा छूट प्राप्त विशिष्ट शो को छोड़कर, प्रसारकों को केवल सीईसी द्वारा प्रमाणित कार्यक्रमों को प्रसारित करने की अनुमति दी जाएगी।
- निरीक्षण, उपकरणों को जब्त करने का प्रावधान: विधेयक सरकार को बिना किसी पूर्व सूचना के निरीक्षण की अनुमति देता है।
- ऑपरेटरों को अपनी लागत पर निगरानी की सुविधा देनी होगी और उल्लंघन का संदेह होने पर उपकरण जब्ती का सामना करना पड़ सकता है। कंपनियां तब तक उत्तरदायी हैं जब तक वे ज्ञान या उचित परिश्रम की कमी साबित नहीं करतीं।
- 'अधिकृत अधिकारी' पर चिंता: सरकार के निर्देशों के तहत काम करने वाला एक 'अधिकृत अधिकारी' राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित हो सकता है।

- चयनात्मक लक्ष्यीकरण: यह भी आरोप लगाया गया है कि वास्तविक विनियमन की तुलना में नियमों का अधिक दुरुपयोग किया जाएगा।
- ऐसे उदाहरण हैं जब सरकार ने लोकलुभावन फर्जी खबरों को नजरअंदाज करते हुए कुछ सरकार विरोधी एजेंडे पर अंकुश लगाने की कोशिश की।

चुनौतियाँ एवं आलोचनाएँ:

- विभिन्न मीडिया के लिए समान नियमों का अनुप्रयोग: 'ओटीटी' प्रसारण सेवाओं के ग्राहकों, दर्शकों को यदि वे ऐसा करना चाहते हं तो किसी कार्यक्रम का उपभोग न करने की स्वायत्तता बरकरार रहेगी।
- यह केबल टीवी या रेडियो सेवाओं की प्रकृति का सीधा विरोधाभास है, जिसमें उपभोक्ता किसी कार्यक्रम के प्रसारण को रोकने का विकल्प नहीं चुन सकते (भले ही वे चैनल स्विच करने में सक्षम हों)।
- रैखिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना: मसौदा विधेयक भारतीय अल्पसंख्यक समुदायों के विलोपन या चयनात्मक प्रतिनिधित्व को बढ़ा सकता है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)

खबरों में क्यों?

- एनआईए ने 2023 में 94.70% सजा दर हासिल की।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के बारे में

- संस्थागत स्थापना: केंद्र सरकार ने नवंबर 2008 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम लागू किया और यह वर्तमान में भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।

उद्देश्य:

- सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खाने वाली एक पूरी तरह से पेशेवर जांच एजेंसी बनना।
- एक उच्च प्रशिक्षित, साझेदारी उन्मुख कार्यबल के रूप में विकसित करके राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद विरोधी और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जांच में उत्कृष्टता के मानक स्थापित करना।
- प्रभावी और त्वरित परीक्षण सुनिश्चित करना।
- मौजूदा और संभावित आतंकवादी समूहों/व्यक्तियों के लिए प्रतिरोध पैदा करना।
- आतंकवाद से संबंधित सभी सूचनाओं के भंडार के रूप में विकसित करना।

क्षेत्राधिकार:

- जिस कानून के तहत एजेंसी संचालित होती है वह पूरे भारत में लागू होता है और देश के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है।
- सरकार की सेवा में व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी तैनात हों।
- भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर सवार व्यक्ति चाहे वे कहीं भी हों।
- ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिक के खिलाफ भारत से बाहर कोई अनुसूचित अपराध करते हैं या भारत के हित को प्रभावित करते हैं।

एनआईए (संशोधन) अधिनियम 2019:

- यह एनआईए को विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों को निशाना बनाने वाले आतंकी हमलों की जांच करने का अधिकार देता है।
- मानव तस्करी जैसे अन्य अपराधों में भी जांच की जा सकती है; नकली मुद्रा का प्रचलन; प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण और बिक्री; और साइबर-आतंकवाद।
- कानून में एनआईए अधिनियम की अनुसूची में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-एफ शामिल है, जो साइबर आतंकवाद से संबंधित है और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान करती है।

एनआईए विशेष अदालतें:

- सरकार द्वारा विभिन्न विशेष न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है। संघ के विभिन्न राज्यों में किए गए अपराधों से उत्पन्न मामलों की सुनवाई के लिए भारत की।
- अपील: किसी विशेष न्यायालय के किसी भी निर्णय, वाक्य या आदेश, जो अंतरिम आदेश नहीं हैं, के खिलाफ तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- प्रत्येक अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी और जहां तक संभव हो, अपील स्वीकार होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर इसका निपटारा किया जाएगा।
- विशेष अदालतें गठित करने की राज्य सरकार की शक्ति: राज्य सरकार अनुसूची में निर्दिष्ट किसी या सभी अधिनियमों के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए एक या अधिक विशेष अदालतों का गठन कर सकती है।

सुगंधित फसलें और फूलों की खेती

खबरों में क्यों?

- उच्च मूल्य वाली सुगंधित फसलें और फूलों की खेती हाल ही में ओडिशा के आदिवासी समुदायों की आजीविका के पूरक साधन के रूप में उभरी है।

समाचार के बारे में

- सुगंधित पौधों का सफल परिचय ओडिशा के नबरंगपुर और कोरापुट जिलों में देखा गया है, जहां आदिवासी किसानों ने पारंपरिक मक्का की फसल से विविधता लाने में रुचि दिखाई है।
- लखनऊ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमैटिक प्लांट्स (CIMAP) की मदद से, जिले ने हाल ही में विभिन्न सुगंधित पौधे पेश किए हैं, जैसे कि,
- मेन्थॉल मिंट (सीआईएम उन्नति किस्म),
- रोज़मेरी (हरियाली किस्म),
- पचौली (सीआईएम समर्थ),
- दमिश्क गुलाब (रानीसाहिबा),
- कैमोमाइल,
- जेरेनियम (सीआईएम-भारत)।
- अनुकूल जलवायु और विशाल भूमि की उपलब्धता किसानों को सुगंधित वृक्षारोपण में प्रवेश करने के लिए रोमांचक अवसर प्रदान करती है, हालांकि यह एक अपरिचित क्षेत्र है।

सुगंधित पौधों के बारे में:

- सुगंधित पौधे वे होते हैं जिनमें सुगंधित यौगिक होते हैं, जो मूल रूप से आवश्यक तेल होते हैं।
- ये आवश्यक तेल गंधयुक्त, कमरे के तापमान पर अस्थिर, हाइड्रोफोबिक और अत्यधिक केंद्रित यौगिक होते हैं।
- इन्हें फूलों, कलियों, बीजों, पत्तियों, टहनियों, छाल, लकड़ी, फलों और जड़ों से प्राप्त किया जा सकता है।
- सुगंधित पौधों को औषधीय वृक्षारोपण के सामने आने वाली नियामक चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है।
- विविध उपयोगों के कारण बाजार में सुगंधित पौधों की भारी मांग है। उदाहरण: लेमनग्रास, मेंथा, वेटिवर, सिट्रोनेला, आदि।

उपयोग:

- पाक संबंधी जड़ी-बूटियाँ: तुलसी, मेंहदी, अजवायन के फूल, और पुदीना पाककला के प्रमुख व्यंजन हैं, जो व्यंजनों में स्वाद और सुगंध जोड़ते हैं।
- मसाले: जीरा, लौंग और स्टार ऐनीज़ हमारे स्वाद को अपनी शक्तिशाली सुगंध और स्वाद से समृद्ध करते हैं।
- औषधीय पौधे: लैवेंडर, कैमोमाइल और वेलेरियन जड़ अपने शांत और चिकित्सीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
- सौंदर्य प्रसाधन और इत्र: गुलाब, चमेली और चंदन के आवश्यक तेल इत्र और सौंदर्य उत्पादों में उनकी मनमोहक सुगंध के लिए बेशकीमती हैं।
- अरोमाथेरेपी: यूकेलिप्टस और लेमनग्रास जैसे पौधों के आवश्यक तेलों का उपयोग विश्राम और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए साँस लेने या मालिश के लिए किया जा सकता है।
- कीट विकर्षक: सिट्रोनेला और लेमनग्रास तेल सिंथेटिक कीट विकर्षक के लिए प्राकृतिक विकल्प प्रदान करते हैं।
- लेमनग्रास, सिट्रोनेला और वेटीवर की विशिष्ट गंध भी हाथियों को दूर भगाती है।
- भूदृश्य और बागवानी: सुगंधित गुलाब, लिली और लैवेंडर जैसे सजावटी पौधे बगीचों और बाहरी स्थानों में सुंदरता और खुशबू जोड़ते हैं।

अरोमा मिशन के बारे में:

- सीएसआईआर के अरोमा मिशन का लक्ष्य उच्च मूल्य और उच्च मांग वाली सुगंधित फसलों की खेती के माध्यम से किसानों की आय में लगभग रु. 30,000 से 60,000/हेक्टेयर/वर्ष की वृद्धि करना है।
- 4 जून, 2023 को सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जम्मू ने जम्मू और कश्मीर, यूटी के भद्रवाह में आयोजित लैवेंडर महोत्सव के दौरान सीएसआईआर-अरोमा मिशन के तीसरे चरण का शुभारंभ किया।
- इसका लक्ष्य इन फसलों की खेती के तहत 30,000 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को लाने का भी है ताकि लगभग 60,000 हेक्टेयर में सुगंधित फसलों की खेती को और बढ़ावा दिया जा सके।
- इससे इत्र, सौंदर्य प्रसाधन और दवा उद्योगों के लिए अतिरिक्त 700 टन आवश्यक तेल के उत्पादन में मदद मिलेगी और मूल्य संवर्धन और हर्बल उत्पादों में इन तेलों के उपयोग से कम से कम 200 करोड़ का व्यवसाय उत्पन्न होगा।
- "कौशल भारत" पहल के तहत गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री को बढ़ाने, आसवन, अंशांकन और मूल्य संवर्धन में सक्षम लगभग 45,000 कुशल मानव संसाधन भी विकसित किए जाएंगे।
- 25,000 से अधिक कृषक परिवारों को सीधा लाभ होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में 10-15 लाख से अधिक मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा।
- वैज्ञानिक हस्तक्षेप से विदर्भ, बुन्देलखण्ड, गुजरात, मराठवाड़ा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अन्य राज्यों के किसानों को सुनिश्चित लाभ मिलेगा जहां किसानों को बार-बार मौसम की मार झेलनी पड़ती है और अधिकतम आत्महत्याएं होती हैं।

3 पर्यावरण और पारिस्थितिकी

झारखंड में गिद्ध रेस्तरां:

सन्दर्भ:

- गिद्धों की घटती आबादी को संरक्षित करने के लिए झारखंड के कोडरमा में एक 'गिद्ध रेस्तरां' की स्थापना की गई है।

वल्चर रेस्तरां के बारे में

- यह एक अबाधित क्षेत्र है जहां गिद्धों और अन्य सफाईकर्मियों के लिए गैर विषैले, जहर मुक्त मांस और शव उपलब्ध कराए जाते हैं।
- इस पहल का उद्देश्य गिद्धों पर पशुधन दवाओं, विशेष रूप से डाइक्लोफेनाक के प्रतिकूल प्रभाव को संबोधित करना है।
- पहला 'गिद्ध रेस्तरां' 2015 में महाराष्ट्र के रायगढ़ में फांसाड वन्यजीव अभयारण्य में आया था।
  - चार अन्य ऐसे रेस्तरां हैं, सभी एक ही राज्य में।

गिद्धों के प्रकार

- गिद्ध बड़े मांस खाने वाले पक्षियों की 22 प्रजातियों में से एक हैं जो ज्यादातर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में रहते हैं।
- वे प्रकृति के कचरा संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करते हैं
- वन्यजीवों की बीमारियों को नियंत्रण में रखने में गिद्ध बहुमूल्य भूमिका निभाते हैं।
- भारत गिद्धों की नौ प्रजातियों का घर है, अर्थात् ओरिएंटल व्हाइट-बैक्ड, लॉन्ग-बिल्ड,
- पतली चोंच वाले, हिमालयी, लाल सिर वाले, मिस्री, दाढ़ी वाले, सिनेरियस और यूरेशियन ग्रिफ़ॉन।

संरक्षण की स्थिति

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-1: दाढ़ी वाले, लंबी चोंच वाले, पतली चोंच वाले, ओरिएंटल सफेद पीठ वाले।
- बाकी को 'अनुसूची IV' के तहत संरक्षित किया गया है।
- IUCN लाल सूची:
- गंभीर खतरे:
- ओरिएंटल सफेद पीठ वाला गिद्ध, लंबी चोंच वाला गिद्ध, पतली चोंच वाला गिद्ध और लाल सिर वाला गिद्ध।
- लुप्तप्राय: मिस्र का गिद्ध
- सबसे कम चिंतित: यूरेशियन ग्रिफ़ॉन

खतरे की स्थिति

- डाइक्लोफेनाक का उपयोग: एक पशुचिकित्सा नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा (NSAID) जो मवेशियों के शवों में पाई जाती है जिन्हें गिद्ध खाते हैं। 2008 में डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- कीटनाशक: ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक, पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल, पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन और भारी धातुओं की उपस्थिति भी मृत्यु दर का प्रमुख कारण थी।
- अन्य खतरों में घोंसले वाले पेड़ों की कमी, बिजली लाइनों द्वारा बिजली का झटका, और भोजन की कमी और दूषित भोजन शामिल हैं।

संरक्षण के प्रयासों

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) ने गिद्ध संरक्षण 2020-2025 के लिए एक कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें शामिल है:
- गिद्ध संरक्षण केंद्र: उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु को गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र मिलेगा।
- गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र: प्रत्येक राज्य में शेष आबादी के संरक्षण के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक गिद्ध-सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना।
- बचाव केंद्र: पिंजौर (हरियाणा), भोपाल (मध्य प्रदेश), गुवाहाटी (असम) और हैदराबाद (तेलंगाना) में चार बचाव केंद्रों की स्थापना। गिद्धों के इलाज के लिए वर्तमान में कोई समर्पित बचाव केंद्र नहीं हैं।
- गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्रों की स्थापना: भारत में नौ वीसीबी केंद्र हैं, जिनमें से तीन सीधे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) द्वारा प्रशासित हैं।
- कायाकल्प और संरक्षण प्रयासों के लिए स्थानीय ग्रामीणों को 'गीधाद मित्र' के रूप में शामिल करना।

पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव

सन्दर्भ:

- हॉर्नबिल की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल (PPHF) का 9वां संस्करण शुरू हुआ।

महोत्सव के बारे में

- यह महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले के सेइजोसा में आयोजित किया गया था।

- यह हॉर्नबिल की चार प्रजातियों का घर है, अर्थात् पुष्पांजलि, ब्रेट इंडियन, ओरिएंटल पाइड और लुप्तप्राय रूफस-नेक्ड।
- यह क्षेत्र न्यीशी लोगों की पारंपरिक मातृभूमि है, जो राज्य का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है।
- इसका आयोजन पक्के टाइगर रिजर्व और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कमेटी द्वारा भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से किया गया था।

पौधों और अनगुलेट्स के बीच सहविकासवादी संतुलन

सन्दर्भ:

- विदेशी प्रजातियों के आगमन से पौधों और अनइगुलेट्स के बीच सहविकासवादी संतुलन में व्यवधान उत्पन्न होता है।

अनगुलेट्स क्या हैं?

- अनगुलेट्स खुर वाले स्तनधारी हैं जो अपने पैर की उंगलियों पर चलते हैं। अनगुलेट शब्द लैटिन शब्द "अनगुइस" से आया है, जिसका अर्थ है कील, पंजा या खुर।
- अनगुलेट्स को दो वर्गों में विभाजित किया गया है: समान पंजे वाले खुर जैसे हिरण, जिराफ, मृग, और विषम पंजे वाले खुर जैसे घोड़े, ज़ेबरा और गैंडा।
- पौधों को चरते समय उनमें सेलूलोज़ को पचाने की क्षमता होती है।

पौधों और अनगुलेट्स के बीच सहविकासवादी संतुलन क्या है?

- सेल्युलोज एक रेशेदार पौधा सामग्री है जिसे पचाना कठिन होता है लेकिन अनगुलेट्स की आंत में विशेष बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण वे सेल्युलोज को पचा सकते हैं।
- तो, पौधे शाकाहार को रोकने के लिए सुरक्षा विकसित करते हैं और अनगुलेट्स इन सुरक्षा पर काबू पाने के तरीके विकसित करते हैं।
- एक महत्वपूर्ण पादप रक्षा तंत्र में ऐसे रसायनों का उपयोग किया जाता है जिनका उपभोग विषाक्त हो सकता है।
- हजारों वर्षों में, अनगुलेट्स में इन रसायनों को सहन करने या विषहरण करने और नाइट्रोजन युक्त पर्णसमूह तक पहुंचने के लिए तंत्र विकसित हुए।

विदेशी प्रजातियों का परिचय इस पर कैसे प्रभाव डालता है?

- विदेशी आक्रामक पौधों की शुरूआत इस सह-विकासवादी संतुलन को बाधित करती है और देशी अनगुलेट्स हार जाते हैं क्योंकि उनके पास पारिस्थितिकी तंत्र में नए विषाक्त पदार्थों को संबोधित करने के लिए तंत्र नहीं होते हैं।
- उदाहरण के लिए, आहार के एक निश्चित अनुपात से अधिक लैंटाना खाना देशी भारतीय प्रजातियों के लिए जहरीला हो सकता है।
- आक्रामक विदेशी देशी वनस्पतियों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे देशी अनगुलेट्स के लिए उपलब्ध खाद्य बायोमास कम हो जाता है।

चिंताओं

- मूल वनस्पति और जीव-जंतु जवाबी उपाय विकसित करते हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र एक नए परिवर्तित संतुलन तक पहुंचते हैं।
- तेजी से फैलते आक्रमण, सिकुड़ते आवास और खंडित भू-दृश्यों के कारण अनइगुलेट्स को एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ता है।
- संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन अक्सर अनगुलेट्स के लिए वहन क्षमता बढ़ाने के लिए जंगलों से घास के मैदान बनाने की वकालत करता है, लेकिन यह प्रथा समस्या को बढ़ा सकती है क्योंकि घास में झाड़ियों की तुलना में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है जिसे शाकाहारी खाते हैं।

निष्कर्ष

- अनगुलेट्स और आक्रामक पौधों की गतिशीलता के बीच कारण-प्रभाव संबंधों को समझना एक महत्वपूर्ण प्रबंधन आवश्यकता है जो अनुसंधान के लिए उच्च प्राथमिकता की हकदार है।
- एक नया विमर्श विकसित करना महत्वपूर्ण प्रतीत होता है जिसमें वैज्ञानिक साक्ष्य, हितधारक की प्राथमिकताएं और साक्ष्य-आधारित प्रबंधन शामिल हो ताकि ऐसे दृष्टिकोण विकसित किए जा सकें जो सभी मूल प्रजातियों की रक्षा करें और पौधों की जैव विविधता के और क्षरण को रोकें।

गहरे समुद्र में मूंगा चट्टान का मानचित्रण

सन्दर्भ:

- वैज्ञानिकों ने अमेरिकी अटलांटिक तट से दूर गहरे समुद्र में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान का मानचित्रण किया है।
- ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय मूंगा चट्टान प्रणाली है।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी

- चट्टान 200 मीटर से लेकर 1,000 मीटर की गहराई तक पाई गई जहां सूरज की रोशनी प्रवेश नहीं करती है।
- यह नई अंडरवाटर मैपिंग तकनीक का उपयोग करता है जो समुद्र तल की 3डी छवियों का निर्माण करना संभव बनाता है।

गहरे समुद्र में मूंगों की प्रजातियाँ

- केवल छह प्रजातियाँ हैं जो चट्टानें बनाती हैं।

- इनमें से सबसे आम लोफेलिया पर्टुसा है, जो मैक्सिको की खाड़ी और दक्षिण अटलांटिक खाड़ी सहित पूरे अटलांटिक महासागर में विशाल चट्टानें बनाती है।

उथले पानी वाले मूंगों की तुलना में

- गहरी चट्टानें उष्णकटिबंधीय और उथले पानी की चट्टानों की तुलना में समुद्र तल का अधिक भाग कवर करती हैं।
- दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय मूंगा चट्टान प्रणाली, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, लगभग 2,301 किलोमीटर तक फैली हुई है।
- गहरे समुद्र में रहने वाले मूंगों को अपना पोषण प्राप्त करने के लिए भोजन के वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, या तो सतह से गिरने वाले कार्बनिक पदार्थों को खाकर या छोटे प्लवक को खाकर। उनमें शैवाल की कमी होती है, क्योंकि जहां प्रकाश न हो वहां शैवाल जीवित नहीं रह सकते। ये चमकीले सफेद रंग के होते हैं।
- उथले पानी वाले मूंगे प्रकाश संश्लेषक शैवाल पर निर्भर होते हैं जो मूंगों के भीतर रहते हैं और अपने मेजबानों को पोषण प्रदान करते हैं। ये भूरे और हरे रंग के होते हैं।

मूंगे की चट्टानें

- मूंगा चट्टान एक पानी के नीचे का पारिस्थितिकी तंत्र है जो चट्टान का निर्माण करने वाले मूंगों की विशेषता है। चट्टानें कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा एक साथ जुड़े हुए मूंगा पॉलीप्स की कॉलोनियों से बनती हैं।
- मूंगे ज़ोक्सांथेला नामक एकल-कोशिका वाले शैवाल के साथ सहजीवी संबंध साझा करते हैं। ज़ोक्सांथेला मूंगों को उनका चमकीला रंग भी देते हैं। शैवाल मूंगे को भोजन और पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिन्हें वे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। मूंगे को 90 प्रतिशत तक ऊर्जा शैवाल प्रदान करते हैं। बदले में, मूंगे शैवाल को घर और प्रमुख पोषक तत्व देते हैं।
- वे शार्क, स्वोर्डफ़िश, समुद्री तारे, ऑक्टोपस, झींगा और कई अन्य प्रकार की मछलियों के लिए आवास प्रदान करते हैं।

कोरल के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल

- तापमान: पानी का तापमान 20°C से कम नहीं होना चाहिए। मूंगा चट्टानों के विकास के लिए सबसे अनुकूल तापमान 23°C से 25°C के बीच है।
- तापमान 35°C से अधिक नहीं होना चाहिए।
- लवणता: मूंगे केवल 27% से 40% के बीच औसत लवणता वाली लवणीय परिस्थितियों में ही जीवित रह सकते हैं।
- उथला पानी: मूंगा चट्टानें 50 मीटर से कम गहराई वाले उथले पानी में बेहतर विकसित होती हैं। पानी की गहराई 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

महत्व

- पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्य: मूंगा चट्टानें पानी के भीतर जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करती हैं, तट से टकराने वाली लहरों की शक्ति को कम करके तटीय क्षेत्रों की रक्षा करती हैं और लाखों लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करती हैं।
- मूंगों का प्राचीन और सबसे पुराना पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सतह का 1% से भी कम हिस्सा साझा करता है लेकिन वे लगभग 25% समुद्री जीवन को घर प्रदान करते हैं।
- एक ही चट्टान पर हजारों प्रजातियाँ जीवित पाई जा सकती हैं।
- अर्थव्यवस्था: मछली पकड़ने और पर्यटन उद्योगों में उनके योगदान और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली तटीय सुरक्षा के कारण प्रवाल भित्तियों का हर साल अनुमानित वैश्विक मूल्य £ 6 ट्रिलियन होता है।
- दुनिया भर में 500 मिलियन से अधिक लोग भोजन, नौकरियों और तटीय रक्षा के लिए चट्टानों पर निर्भर हैं।
    - तूफान से सुरक्षा: मूंगा चट्टानें तूफानी लहरों से भी सुरक्षा प्रदान करती हैं।
    - औषधीय महत्व: चट्टानों पर रहने वाले जानवरों और पौधों के अर्क का उपयोग अस्थमा, गठिया, कैंसर और हृदय रोग के उपचार के विकास के लिए किया गया है।

खतरे की स्थिति

- ये आवास जलवायु परिवर्तन और तेल और गैस ड्रिलिंग से होने वाली गड़बड़ी सहित समान जोखिमों के प्रति संवेदनशील हैं। इसमे शामिल है:
- ड्रिलिंग कीचड़ और तेल रिसाव से नुकसान: गहरे समुद्र में मूंगे अक्सर तेल और गैस परिचालन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए ड्रिलिंग कीचड़ और तेल रिसाव से नुकसान होने की संभावना है। यह गहरे समुद्र में मूंगा निवास के बड़े क्षेत्रों को स्थायी रूप से हटा सकता है।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: बढ़ते तापमान से प्रजातियों के वितरण में बदलाव आ सकता है और बढ़ती अम्लता मूंगे के कंकालों को कमजोर कर सकती है, खासकर गहरे पानी में।
- मानव-जनित, या मानवजनित गतिविधियां: प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना, डायनामाइट या साइनाइड का उपयोग करके विना-शकारी मछली पकड़ने की प्रथाएं, मछलीघर बाजार के लिए जीवित मूंगों को इकट्ठा करना, निर्माण सामग्री के लिए मूंगों का खनन करना, और गर्म होती जलवायु ऐसे कई तरीकों में से हैं जिनसे लोग चट्टानों को नुकसान पहुंचाते हैं।
- गहरे समुद्र में खनन: यह गहरे समुद्र के आवासों को नष्ट कर सकता है, दुर्लभ और अनोखी प्रजातियों को नष्ट कर सकता है, और गहरे समुद्र में तलछट के बादल, शोर, जहरीले रसायन, कंपन और प्रदूषण के अन्य रूपों को ला सकता है।

- यह अभी भी तांबे, निकल और कोबाल्ट जैसे पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (PMN) का उपयोग करने के लिए एक प्रायोगिक क्षेत्र है, जिसका उपयोग पवन टरबाइन और हाइब्रिड कारों जैसी प्रौद्योगिकियों के उत्पादन के लिए किया जाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- समुद्री जैव विविधता को बनाए रखने और आर्थिक, सामाजिक, मनोरंजक और सांस्कृतिक लाभ प्रदान करने में उनके महत्व के कारण यह एक महत्वपूर्ण कार्य है।
- इनमें समुद्री और तटीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए उन्नत विज्ञान का उपयोग, समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों की पहचान करना और उनकी सुरक्षा करना, गहरे समुद्र में प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा में मदद करने के लिए 3 डी मैपिंग जैसे उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों के साथ मानचित्रण और निगरानी करना शामिल है।

मॉस्किटोफिश

सन्दर्भ:

- हाल ही में, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पंजाब ने मच्छरों की समस्या से निपटने के लिए स्थानीय जल निकायों में मच्छर मछली छोड़ी है।

मॉस्किटोफिश के बारे में

- मच्छरों का जैविक नियंत्रण, मच्छरों के लार्वा को खाने के लिए ताजे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में मच्छर मछली को शामिल करना मच्छरों के खतरे को नियंत्रित करने का एक प्रमुख तरीका बन गया।
- यह कीटनाशकों जैसे रासायनिक समाधानों का एक प्रमुख विकल्प है जिसका मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- मच्छर शिकारियों में मच्छर मछली की दो प्रजातियाँ थीं, गम्बूसिया एफिनिस और गम्बूसिया होलब्रूकी।
- 1928 में, ब्रिटिश शासन के दौरान गंबूसिया को पहली बार भारत में पेश किया गया था। इस योजना का विचार यह था कि नई शुरू की गई प्रजातियाँ मच्छरों के लार्वा का शिकार करेंगी या उनसे प्रतिस्पर्धा करेंगी, जिससे उनकी आबादी कम हो जाएगी।
- रणनीति नेक इरादे से बनाई गई थी लेकिन इसका उल्टा असर हुआ, जिससे गंभीर पारिस्थितिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हुईं।

प्रमुख चिंताएं

- मच्छर मछलियाँ तेजी से बढ़ने लगीं और उनकी आबादी अंततः अपने मूल निवास स्थान से बहुत दूर तक फैल गई।
- मच्छर मछली की ये प्रजातियाँ अमेरिका में उत्पन्न हुई लेकिन आज वैश्विक निवासी बन गई हैं।
- वे अपने हानिकारक पारिस्थितिक प्रभाव के लिए कुख्यात हैं, जिसमें देशी जीवों को विस्थापित करना और उनका शिकार करना शामिल है।
- देशी मछलियों, उभयचरों और विभिन्न मीठे पानी के समुदायों के विलुप्त होने का कारण।
- जिन लेखकों ने हाल ही में भारत में गम्बूसिया प्रजाति के भीतर हैप्लोटाइप और जीनोटाइप की विविधता की जांच की, वे मच्छर मछली को सौ सबसे हानिकारक आक्रामक विदेशी प्रजातियों में से एक मानते हैं।
- हैप्लोटाइप डीएनए वेरिएंट हैं जो एक साथ विरासत में मिलने की संभावना है; जीनोटाइप एक जीव की संपूर्ण आनुवंशिक सामग्री है।
- अपने लचीलेपन के अलावा, इन मछलियों में अत्यधिक भोजन करने की आदतें भी होती हैं और जिन आवासों में उन्हें लाया जाता है, वहां उन्होंने आक्रामक व्यवहार का प्रदर्शन किया है।
- अन्य देशों में किए गए अध्ययनों से लगातार जल निकायों में गम्बूसिया की उपस्थिति के हानिकारक परिणामों का पता चला है।
- उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में, शुरू की गई मच्छर मछली के कारण रेड-फिन्ड ब्लू-आई (स्कैटुरिजिनिचथिस वर्मीलिपिनिस), एक स्थानिक मछली प्रजाति, स्थानीय रूप से विलुप्त हो गई है।
- भारत में, कुछ रिपोर्टों में गम्बूसिया की शुरूआत के बाद माइक्रोहिला टैडपोल में गिरावट का संकेत दिया गया है।

उठाए गए कदम

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1982 में मच्छर नियंत्रण एजेंट के रूप में गम्बूसिया की सिफारिश करना बंद कर दिया।
- 2018 में, भारत सरकार के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने भी जी एफिनिस और जी होलब्रुकी को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के रूप में नामित किया।

इसके आगे

- भारत की गम्बूसिया कहानी इस प्रकार कीट प्रजातियों के प्रबंधन के लिए जैविक नियंत्रण विधियों का उपयोग करते समय सावधानीपूर्वक विचार, अनुसंधान और निगरानी के महत्व को रेखांकित करती है।
- इस समय, प्रजातियों को मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में शामिल होने से रोकने के लिए अधिक कठोर प्रवर्तन उपाय महत्वपूर्ण हैं।
- गंबूसिया का विकल्प स्थानीय समाधानों से आना चाहिए। देशी मछली की प्रजातियाँ जो मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, उन्हें पेश करने की आवश्यकता है।

स्क्रब टाइफस

सन्दर्भ:

- तमिलनाडु में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, वर्षा में वृद्धि से मासिक स्क्रब टाइफस के मामलों में वृद्धि हो सकती है।

स्क्रब टाइफस क्या है?

- यह एक संक्रामक रोग है जो ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और संक्रमित घुनों (चिगर्स) के माध्यम से फैलता है।
- लक्षण: इसमें बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द और कभी-कभी दाने शामिल हैं।
- गंभीर मामलों में, संक्रमण से श्वसन संबंधी परेशानी, मस्तिष्क और फेफड़ों में सूजन, गुर्दे की विफलता और बहु-अंग विफलता हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मृत्यु हो सकती है।
- कारण: रोग फैलाने वाले घुन आमतौर पर झाड़ियों, जंगल और धान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कई कारक, जैसे खेती में रुचि, घरेलू पशुओं का मालिक होना, बाहरी गतिविधियाँ और स्वच्छता, इसके प्रसार को प्रभावित करते हैं।
- निदान: रोग का निदान करने के लिए एलिसा परीक्षण का उपयोग किया जाता है।

रोकथाम एवं उपचार

- स्क्रब टाइफस से बचाव के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। संक्रमित चिगर्स के संपर्क से बचकर संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है।
- अगर कोई स्क्रब टाइफस से संक्रमित हो जाता है तो उसका इलाज एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन से करना चाहिए।

स्क्रब टाइफस के प्रसार में जलवायु की भूमिका

- अध्ययन में पाया गया कि स्क्रब टाइफस की घटनाओं में तापमान, आर्द्रता और वर्षा की प्रमुख भूमिका थी।
- वर्षा में प्रत्येक मिलीमीटर की वृद्धि से मासिक स्क्रब टाइफस के मामलों में 0.5 से 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
- इसी प्रकार औसत सापेक्ष आर्द्रता में प्रत्येक प्रतिशत की वृद्धि के कारण मासिक स्क्रब टाइफस के मामलों में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वेज बैंक इकोसिस्टम

सन्दर्भ

- तेल और गैस ब्लॉकों की खोज ने कन्नियाकुमारी जिले में गंभीर चिंताएँ बढ़ा दी हैं क्योंकि यह वाड्ज बैंक पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।

वेज बैंक इकोसिस्टम

- यह समुद्र का एक हिस्सा है जो उपजाऊ मछली पकड़ने का मैदान है और जैव विविधता से समृद्ध है।
- कन्याकुमारी के समुद्र तट से दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित वेज बैंक पारिस्थितिकी तंत्र, इस स्थल से सटे भारत के दक्षिणी जिलों के मछुआरों के लिए समुद्री संसाधनों का मुख्य आधार है।

महत्व

- यह एक गोदाम की तरह है, मछलियों के लिए एक चारागाह, और इस क्षेत्र में 200 से अधिक प्रकार की दुर्लभ मछली प्रजातियों और 60 से अधिक प्रकार की जलीय प्रजातियों के साथ कई रीफ सिस्टम मौजूद हैं।
- वाड्ज बैंक एक अमूल्य खजाना था जिस पर स्वदेशी लोग और समुदाय भोजन और संसाधनों के लिए निर्भर थे जो उनकी संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण थे।

कोयला गैसीकरण

सन्दर्भ:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 8,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन को मंजूरी दी।

राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के बारे में

- यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्रीय कोयला मंत्रालय की एक पहल है।
- मिशन का लक्ष्य कोयला गैसीकरण के माध्यम से कोयले का उपयोग करना है, जिसमें 4 ट्रिलियन रुपये से अधिक के निवेश के साथ 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है।
- 2030 तक आयात कम होने की उम्मीद है।
- यह रासायनिक उत्पादों और उनके डेरिवेटिव के उत्पादन के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को अपनाने की कल्पना करता है।
- इससे प्राकृतिक गैस, मेथनॉल, अमोनिया और अन्य आवश्यक उत्पादों के आयात पर देश की निर्भरता कम होने की उम्मीद है।

महत्व

- दक्षता और पर्यावरणीय प्रभाव: कोयला जलाने की तुलना में कोयला गैसीकरण एक स्वच्छ विकल्प है।
- थर्मल पावर प्लांटों में कोयले से चलने वाले बॉयलरों में कोयले के नियमित दहन की तुलना में SOx और NOx उत्सर्जन कम होता है।
- आयात पर निर्भरता कम: भारत में गैसीकरण प्रौद्योगिकी को अपनाने से कोयला क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी, जिससे प्राकृतिक गैस, मेथनॉल, अमोनिया और अन्य आवश्यक उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी।

- आर्थिक प्रभाव: इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करके और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय बोझ को कम करने की क्षमता है, जो हरित भविष्य के प्रति देश की वैश्विक प्रतिबद्धताओं में योगदान देता है।
- नौकरी के अवसर: कोयला गैसीकरण को अपनाने से रोजगार सृजन में योगदान मिलेगा।

कोयला गैसीकरण से संबंधित चिंताएँ

- पर्यावरणीय प्रभाव: कोयला गैसीकरण वास्तव में पारंपरिक कोयला-संचालित थर्मल पावर प्लांट की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है।
- सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के अनुसार, गैसीकृत कोयले को जलाने से उत्पन्न बिजली की एक इकाई सीधे कोयले को जलाने से उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 2.5 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है।
- दक्षता और लागत: कोयला गैसीकरण में रूपांतरण की दक्षता कम है क्योंकि यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत उच्च गुणवत्ता वाले ऊर्जा स्रोत (कोयला) को कम गुणवत्ता वाले राज्य (गैस) में परिवर्तित करती है, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है।
- इसके अलावा, कोयला गैसीकरण संयंत्र पारंपरिक बिजली संयंत्रों की तुलना में महंगे हैं।
    - कार्यान्वयन चुनौतियाँ: नवीनतम कार्बन कैप्चर भंडारण प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन और कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशनों पर उत्सर्जन मानदंडों के कार्यान्वयन में देरी हुई है।
    - वित्तीय व्यवहार्यता: भारत में सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी संयंत्र, जैसे कि गुजरात में मुंद्रा और सासन, वित्तीय रूप से संघर्ष कर रहे हैं, जिससे हितधारकों को स्वच्छ और उन्नत प्रौद्योगिकी में निवेश करने में विश्वास खोना पड़ रहा है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- भारत को वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- भारत की हाइड्रोजन मांग अब तक 6.7 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर 2030 तक 11.7 मिलियन टन होने की संभावना है।
- रिफाइनरियां और उर्वरक संयंत्र अब हाइड्रोजन के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, जिसका उत्पादन प्राकृतिक गैस से किया जा रहा है।
- कोयला गैसीकरण के दौरान प्रक्रियाओं में कोयले के माध्यम से इसका उत्पादन किया जा सकता है।

ग्रीन हाइड्रोजन: भारत में अपनाने के लिए सक्षम उपाय रोडमैप

सन्दर्भ

- विश्व आर्थिक मंच ने अपनी रिपोर्ट 'ग्रीन हाइड्रोजन: भारत में अपनाने के लिए सक्षम उपाय रोडमैप' जारी की है।
- रिपोर्ट पांच क्षेत्रों की सिफारिश करती है जो भारत में हरित हाइड्रोजन को अपनाने में तेजी लाने में सार्वजनिक-निजी हस्तक्षेप से लाभान्वित हो सकते हैं।

हाइड्रोजन का निष्कर्षण

- हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोजन में मौजूद है।
- इसलिए, इसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए, इसे पानी जैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों (जो दो हाइड्रोजन परमाणुओं और एक ऑक्सीजन परमाणु का संयोजन है) से निकालना होगा।
- हरित हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को संदर्भित करता है जो इलेक्ट्रोलिसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से पवन, सौर या जलविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है।
- इलेक्ट्रोलिसिस में विद्युत प्रवाह का उपयोग करके पानी (H2O) को हाइड्रोजन (H2) और ऑक्सीजन (O2) में विभाजित करना शामिल है।
- जब यह बिजली नवीकरणीय स्रोतों से आती है, तो उत्पादित हाइड्रोजन को "हरित" माना जाता है क्योंकि समग्र प्रक्रिया का पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम होता है।
- ब्रे हाइड्रोजन: इसमें स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग (SMR) नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन निकालना शामिल है।
- यह प्रक्रिया उपोत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) छोड़ती है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करती है।
- ब्लू हाइड्रोजन: इसमें प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन के उत्पादन के दौरान उत्पन्न CO2 उत्सर्जन को कैप्चर करना और संग्रहीत करना शामिल है।
    - ग्रीन हाइड्रोजन का महत्व: ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा वाहक के रूप में ध्यान आकर्षित कर रहा है क्योंकि यह अपने उत्पादन के दौरान कार्बन उत्सर्जन से बचाता है।
- इसे विभिन्न क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने के प्रयासों में एक प्रमुख घटक के रूप में देखा जाता है, जिसमें ऐसे उद्योग भी शामिल हैं जो वर्तमान में जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
- समग्र कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ परिवहन, औद्योगिक प्रक्रियाओं और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन का उपयोग खोजा जा रहा है।

परिवर्तन की आवश्यकता

- भारत वर्तमान में ऊर्जा जरूरतों के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और देश की ऊर्जा की मांग बढ़ने वाली है - 2030 तक मांग 35% बढ़ने का अनुमान है।
- भारत ने ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) में 2070 तक नेट शून्य हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई।
- शुद्ध शून्य की राह पर उत्सर्जन को कम करते हुए भारत की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए हरित हाइड्रोजन महत्वपूर्ण है।

- देश की अधिकांश वर्तमान हाइड्रोजन आपूर्ति ग्रे हाइड्रोजन है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- रुझान: देश में हरित हाइड्रोजन के लिए जमीनी स्तर पर सीमित संभावनाएं हैं, और यह दर्शाता है कि अधिकांश लोग "प्रतीक्षा करें और देखें" चरण में हैं।
- कई लोगों को उम्मीद है कि 2027 और उसके बाद हरित हाइड्रोजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा।

पांच लक्ष्य, जो अगर पूरे हो गए, तो भारत में हरित हाइड्रोजन के उठाव में तेजी ला सकते हैं:

- आपूर्ति पक्ष पर, ग्रे हाइड्रोजन के साथ लागत-समता तक पहुंचने के लिए $2/किग्रा हाइड्रोजन की लागत आएगी।
- मांग पक्ष पर, इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहन बनाकर अंतिम उद्योगों को हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने में सक्षम बनाना।
- शुरुआती अपनाने वालों के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी में वृद्धि - उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुद्रास्फीति कटौती अधिनियम (IRA) के तहत, $ 3/किलोग्राम हाइड्रोजन तक कर क्रेडिट की घोषणा की है।
- नीतियों और प्रोत्साहनों पर दीर्घकालिक स्पष्टता के साथ प्रौद्योगिकियों के लिए लंबे पूंजी निवेश चक्र का समर्थन करना।
- स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइज़र प्रौद्योगिकी के विकास और परीक्षण को प्रोत्साहित करना।

हरित हाइड्रोजन की दिशा में परिवर्तन के लिए भारत सरकार की पहल

- राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (NHEM): एनजीएचएम राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन (NHM) का एक हिस्सा है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 में की थी।
- उद्देश्य: भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना।
- हरित हाइड्रोजन नीति: भारत में कई राज्य निवेश आकर्षित करने और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीतियां बनाने पर काम कर रहे हैं।
    - हाइड्रोजन ऊर्जा रोडमैप: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) देश में हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती का मार्गदर्शन करने के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए एक रोडमैप पर काम कर रहा है।
    - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में उन्नत देशों और संगठनों के साथ सहयोग का उद्देश्य ज्ञान हस्तांतरण और प्रौद्योगिकी अपनाने की सुविधा प्रदान करना है।
    - नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नीति समर्थन: सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियां अप्रत्यक्ष रूप से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का समर्थन करती हैं, क्योंकि इन स्रोतों का उपयोग अक्सर हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में किया जाता है।
    - प्रोत्साहन और सब्सिडी: सरकार निजी क्षेत्र को हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी या अन्य सहायता तंत्र प्रदान कर सकती है।
- इसमें उत्पादन और उपभोग के लिए कर प्रोत्साहन, अनुदान और सब्सिडी शामिल हो सकती है।

निष्कर्ष

- भारत के पास हाइड्रोजन ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक नेता बनने का एक अनूठा अवसर है।
- उचित नीति समर्थन, उद्योग कार्रवाई, बाजार निर्माण और स्वीकृति, और बढ़ी हुई निवेशक रुचि के साथ, भारत खुद को कम लागत, शून्य-कार्बन विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है, साथ ही साथ आर्थिक विकास, रोजगार सृजन के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार.

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के 5 वर्ष

सन्दर्भ

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) ने हाल ही में पांच साल पूरे किए।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के बारे में

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में NCAP लॉन्च किया।
- एनसीएपी का प्रारंभिक लक्ष्य दो प्रमुख वायु प्रदूषकों, पीएम10 और पीएम2.5 को 2024 तक 20-30% तक कम करना था, जिसका आधार 2017 का स्तर था। सितंबर 2022 में, केंद्र ने इसे 2026 तक 40% कटौती के लिए संशोधित किया।
- इस योजना में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 131 गैर-प्राप्ति शहर शामिल हैं, जिनकी पहचान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा 2011 और 2015 के बीच उनके परिवेशी वायु गुणवत्ता डेटा के आधार पर की गई थी।
- गैर-प्राप्ति शहर वे हैं जो पांच वर्षों से अधिक समय से राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) से कम हैं।
- "प्राण" - गैर-प्राप्ति शहरों में वायु-प्रदूषण के विनियमन के लिए पोर्टल, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पोर्टल है।

NCAP की प्रगति की पांच साल की स्थिति की जांच

- 49 शहरों के लिए, PM2.5 डेटा सभी पाँच वर्षों के लिए उपलब्ध था। इनमें से 27 शहरों में 2019 से 2023 तक PM2.5 के स्तर में सुधार दर्ज किया गया।

- इसी तरह, PM10 के लिए, 46 शहरों के लिए पांच वर्षों का डेटा उपलब्ध था। इनमें से 24 शहरों में PM10 के स्तर में सुधार देखा गया।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- धन का कम उपयोग: अधिकांश शहरों द्वारा आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है। शहरों में कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक इच्छाशक्ति का अभाव है।
- असमान वितरण: कुछ शहरों को दूसरों की तुलना में अधिक धन प्राप्त होता है, जिससे प्रगति में असमानता और नाराजगी होती है।

कार्यान्वयन बाधाएँ:

- अंतर-विभागीय समन्वय: विभिन्न सरकारी एजेंसियों (पर्यावरण, परिवहन, उद्योग) के बीच निर्बाध सहयोग महत्वपूर्ण है, लेकिन नौकरशाही साइलो अक्सर प्रगति में बाधा डालती है।
- बुनियादी ढांचे में कमी: उद्योगों के लिए पर्याप्त निगरानी स्टेशनों, अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं और स्वच्छ विकल्पों की कमी प्रगति को धीमा कर देती है।

सार्वजनिक जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन:

- सीमित जागरूकता: कई नागरिक वायु प्रदूषण की गंभीरता को नहीं समझते हैं, जिससे कारपूलिंग या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने जैसी स्वच्छ प्रथाओं को अपनाने में बाधा आती है।
- परिवर्तन का विरोध: मौजूदा आदतें और निजी वाहनों पर निर्भरता पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार अपनाने में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
- अप्रभावी आउटरीच: जन जागरूकता अभियान सभी समुदायों, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों तक नहीं पहुंच सकते हैं।

औद्योगिक अनुपालन और विनियमन:

- कड़े मानक बनाम आर्थिक हित: सख्त उत्सर्जन मानदंडों को वित्तीय प्रभावों के डर से उद्योगों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।
- कमजोर प्रवर्तन: मौजूदा पर्यावरण नियमों में मजबूत प्रवर्तन तंत्र का अभाव है, जिसके कारण प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग गैर-अनुपालन कर रहे हैं।
- पुरानी प्रौद्योगिकियां: पुरानी, प्रदूषणकारी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले उद्योगों में स्वच्छ विकल्पों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन की कमी है।

तीव्र शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि:

- वाहनों और निर्माण गतिविधियों से बढ़ते उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

भौगोलिक कारक:

- स्थलाकृति और मौसम का पैटर्न प्रदूषकों को फँसा सकता है, जिससे दिल्ली एनसीआर जैसे कुछ क्षेत्रों में उन्हें फैलाना कठिन हो जाता है।

पैमाने:

- निधियों के उपयोग पर जोर: यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि निधियों को उनके उचित उपयोग के साथ शहरों के बीच समान रूप से वितरित किया जाए।
- सुव्यवस्थित कार्यान्वयन: नौकरशाही बाधाओं को दूर करना और परियोजना निष्पादन में तेजी लाना।
- प्रभावी जन जागरूकता अभियान: अनुरूप संदेशों के साथ विविध समुदायों को लक्षित करना और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना।
- नियमों और प्रवर्तन को मजबूत करना: सख्त मानकों को लागू करना, निगरानी में सुधार करना और प्रदूषण फैलाने वालों को जवाबदेह बनाना।
- प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश: उद्योगों के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन के अनुसंधान और विकास का समर्थन करना।
- NCAP भारत में स्वच्छ हवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने और सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों, उद्योगों और नागरिकों सहित सभी हितधारकों के निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

GM सरसों पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता

सन्दर्भ

- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड DMH-11 की जैव सुरक्षा के बारे में चिंता जताई है, जिसे पर्यावरणीय रिलीज के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

GM फसलें क्या हैं?

- वे फसलें जो अपने DNA को बदलने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं से गुज़री हैं, उन्हें आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें कहा जाता है।

- GM फसलों में उपयोग की जाने वाली तकनीकें हैं: जीन गन, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रोइंजेक्शन, एग्रोबैक्टीरियम आदि।
- संशोधन के प्रकार हैं: ट्रांसजेनिक, सीआईएस-जेनिक, सबजेनिक और एकाधिक गुण एकीकरण।
- GM फसलों में मुख्य लक्षण प्रकार शाकनाशी सहिष्णुता (HT), कीट प्रतिरोध (IR), स्टैक्ड लक्षण आदि हैं।

GM फसलों में भारतीय परिदृश्य

- बीटी कपास: 2002 में, जीईएसी ने बीटी कपास की व्यावसायिक रिलीज की अनुमति दी थी।
- बीटी कपास में मिट्टी के जीवाणु बैसिलस थुरिंगिएन्सिस (BT) से दो विदेशी जीन होते हैं जो फसल को आम कीट गुलाबी बॉलवर्म के लिए विषाक्त प्रोटीन विकसित करने की अनुमति देते हैं।
  - यह एकमात्र GM फसल है जिसे भारत में अनुमति है।
  - बीटी बैंगन और DMH-11 सरसों जैसी GM फसलों की कई किस्में विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

भारत में नियामक ढांचा

- जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC): यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEF और CC) के तहत, GM फसलों की व्यावसायिक रिलीज से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है।
- भारत में जीएम फसलों को विनियमित करने वाले अधिनियम और नियम हैं:
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (EPA)
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002
- पादप संगरोध आदेश, 2003
- विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत जीएम नीति
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम (8वाँ संशोधन), 1988.

GM फसलों की आवश्यकता

- खाद्य सुरक्षा: आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें उपज में सुधार कर सकती हैं, कीटों, बाढ़, पाला, सूखा आदि के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकती हैं।
- टिकाऊ खाद्य प्रणाली: कार्बन उत्सर्जन को कम करने और खाद्य उत्पादन की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए फसलों को भी संशोधित किया जा सकता है।
- उच्च उत्पादकता: जीएम फसलों के साथ कम क्षेत्र से और कम रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरक के साथ अधिक भोजन का उत्पादन करना संभव है।
- जीएम फसल उत्पादन में गैर-जीएम फसल उत्पादन में उपयोग होने वाली भूमि का लगभग 10% ही उपयोग होता है।
- पोषण संबंधी सुरक्षा: आनुवंशिक संशोधन फसलों की पोषण सामग्री को बढ़ा सकते हैं। फसलों में उच्च स्तर के आवश्यक पोषक तत्व हो सकते हैं, जिससे कुपोषण को दूर किया जा सकता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है।

GM फसलों के विरोध के कारण

- अनपेक्षित दुष्प्रभाव: पर्यावरणविदों का तर्क है कि जीएम फसलों के दीर्घकालिक प्रभाव का अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है और इसलिए उन्हें व्यावसायिक रूप से जारी नहीं किया जाना चाहिए। आनुवंशिक संशोधन ऐसे परिवर्तन ला सकता है जो लंबे समय में मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
- जैव विविधता के लिए खतरा: कुछ फसलों को कीटों के खिलाफ अपने स्वयं के विषाक्त पदार्थ बनाने के लिए इंजीनियर किया गया है। यह गैर-लक्ष्यों जैसे कि खेत के जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है जो उन्हें निगलते हैं।
- स्वास्थ्य जोखिम: GM फसलों को रोगाणुओं और कीटों को मारने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है। और जब हम उन्हें खाते हैं, तो ये एंटीबायोटिक मार्कर हमारे शरीर में बने रहेंगे और समय के साथ वास्तविक एंटीबायोटिक दवाओं को कम प्रभावी बना देंगे, जिससे सुपरबग का खतरा पैदा हो जाएगा।
- सामाजिक और आर्थिक मुद्दे: बहुराष्ट्रीय कृषि व्यवसाय कंपनियों द्वारा छोटे किसानों के हाथों से खेती छीनने को लेकर चिंताएं हैं। जीएम बीज कंपनियों पर निर्भरता किसानों के लिए वित्तीय बोझ साबित हो सकती है।
- सार्वजनिक चिंता: आम तौर पर लोग जीएम फसलों से सावधान रहते हैं क्योंकि वे एक प्रयोगशाला में इंजीनियर किए जाते हैं और प्रकृति में नहीं होते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- DMH-11 की पर्यावरणीय रिलीज कृषि में आत्मनिर्भरता और स्थिरता में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। इससे 2030 तक शून्य भुखमरी का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
- सरकारों को जीएम फसलों द्वारा उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना चाहिए, विशेष रूप से सुरक्षा परीक्षण, कानून, औद्योगिक रणनीति और खाद्य लेबलिंग के क्षेत्रों में।

यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा कर

सन्दर्भ:

- यूरोपीय संघ (EU) का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) भारत के लिए चिंता का विषय है और भारत को अपने स्वयं के कार्बन कराधान उपाय तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है।

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) क्या है?

- यह कार्बन सघन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन और यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले सीमेंट, लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन जैसे कार्बन रिसाव के सबसे महत्वपूर्ण जोखिम पर उचित मूल्य लगाने का एक उपकरण है।
- ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट के अनुसार, CBAM यूरोपीय संघ में चुनिंदा आयात पर 20-35% कर में तब्दील हो जाएगा।
- इसका इरादा 1 जनवरी, 2026 से यूरोपीय संघ में आने वाले कार्बन-सघन उत्पादों पर कर लगाने का है।
- यूरोपीय संघ CBAM द्वारा यूरोपीय ग्रीन डील के तहत 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में 55% की कमी का लक्ष्य हासिल करने का इरादा रखता है।

CBAM का महत्व

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का मुकाबला: कार्बन पर कीमत के रूप में, यह उत्सर्जन को हतोत्साहित करता है। व्यापार-संबंधी उपाय के रूप में, यह उत्पादन और निर्यात को प्रभावित करता है।
- घरेलू उत्पादों और आयात के बीच कार्बन की कीमत को 'बराबर' करके, यूरोपीय संघ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का दावा करता है, जिससे यूरोपीय संघ और गैर-यूरोपीय संघ व्यवसायों के बीच खेल का मैदान बराबर हो जाता है।

CBAM के साथ क्या मुद्दे हैं?

- व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) के अनुसार:
- रूस, चीन और तुर्की CBAM के सबसे अधिक संपर्क में थे।
- विकासशील देशों में भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ़्रीका सबसे अधिक प्रभावित होंगे।
- मोज़ाम्बिक सबसे कम विकासशील देश होगा।

CBAM के संबंध में भारत के लिए चुनौतियाँ

- व्यापार बाधा के रूप में कार्य करना: भारत द्वारा यूरोप को मुख्य रूप से एल्युमीनियम और लौह-इस्पात के कार्बन युक्त उत्पादों का निर्यात हरित रिपोर्टिंग नियमों के बोझ तले दबा दिया गया है, जो अपने आप में एक व्यापार बाधा है।
- लौह अयस्क छर्रों, लोहा, इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों के निर्यात में भारत का 26.6% हिस्सा जाता है, और 2023 में 7.4 बिलियन डॉलर मूल्य के इन सामानों का निर्यात यूरोपीय संघ को किया गया।
- भारत ने स्टील और एल्यूमीनियम का निर्यात किया, जो सभी उत्पादों के निर्यात मिश्रण में लगभग 14% का योगदान देता है।
- अप्रतिस्पर्धी निर्यात: भारत के उत्पादों में उसके यूरोपीय समकक्षों की तुलना में अधिक कार्बन तीव्रता है, लगाए गए कार्बन टैरिफ आनुपातिक रूप से अधिक होंगे जिससे भारतीय निर्यात काफी हद तक अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा।
- भुगतान संतुलन (BOP) पर प्रभाव: अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीतियां अन्य देशों को समान विनियमन लागू करने के लिए मजबूर करती हैं, जिसका अंततः भारत के व्यापारिक संबंधों और भुगतान संतुलन पर 'महत्वपूर्ण प्रभाव' पड़ता है।
- भारत कथित तौर पर उन शीर्ष आठ देशों में शामिल है जो सीबीएएम से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।

भारत के पास विकल्प उपलब्ध हैं

- भारत में कार्बन ट्रेडिंग तंत्र: कार्बन क्रेडिट और ट्रेडिंग योजना (CCTS): इसे देश का पहला घरेलू कार्बन बाजार विकसित करने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।
- इसे भारतीय कार्बन मार्केट (ICM) के लिए नियामक ढांचे के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका प्रशासक BEE था।
- इसने भारतीय कार्बन बाजार (ICM) के प्रशासन और प्रत्यक्ष निरीक्षण के लिए भारतीय कार्बन बाजार (NSCICM) के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति के गठन की कल्पना की।
- समिति की अध्यक्षता सचिव (विद्युत मंत्रालय) द्वारा की जाएगी; और सह-अध्यक्षता सचिव (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) द्वारा की जाती है।
- BEE आईसीएम के लिए प्रशासक होगा और अधिसूचना के तहत बाध्य होने वाली संस्थाओं के लिए जीएचजी उत्सर्जन प्रक्षेप पथ और लक्ष्यों के विकास के लिए जिम्मेदार होगा।
- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार के लिए नियामक होगा।
- देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता।
- भारत ने 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की कार्बन तीव्रता को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य रखा है।
- सरकार को कार्बन टैक्स नीति को डिजाइन करने और लागू करने में विभिन्न चुनौतियों और अवसरों पर विचार करना चाहिए,

जिसमें उचित कर दर निर्धारित करना, समानता सुनिश्चित करना, कर प्रणाली को सरल बनाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है।

- भारत में एक सफल कार्बन टैक्स नीति अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर सकती है।

पेरिसियन पैंसिस में स्व-परागण

समाचार में

- एक हालिया अध्ययन के अनुसार, पेरिस के पास उगने वाले पैंसी पौधे (वियोला अर्वेन्सिस) ने परागणकों पर निर्भर होने के बजाय कम अमृत पैदा करने के लिए खुद को विकसित किया है, जो स्व-परागण के लक्षण दिखाते हैं।

परागण क्या है?

- परागण एक फूल के नर परागकोश (प्रजनन अंग) से परागकणों को मादा वर्तिकाग्र (प्रजनन अंग) में स्थानांतरित करने की क्रिया है।

पौधे हो सकते हैं:

- स्व-परागण - पौधा स्वयं को निषेचित कर सकता है; या,
- क्रॉस-परागण - पौधे को उसी प्रजाति के दूसरे फूल तक पराग पहुंचाने के लिए एक वेक्टर (परागणकर्ता या हवा) की आवश्यकता होती है।
- परागणक: ऐसे जीव जो परागकोशों से फूलों के वर्तिकाग्र तक पराग के स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे निषेचन और बीजों का उत्पादन होता है।
- उदाहरण: मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, भृंग, पतंगे, ततैया।

स्व-परागण की प्रमुख चिंताएँ

- पौधों की प्रजातियों के बीच आनुवंशिक विविधता में कमी, बीमारियों और कीटों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है।
- स्व-परागण पारिस्थितिकी तंत्र में नए आनुवंशिक लक्षणों की शुरूआत को सीमित करके अनुकूलनशीलता को कम करता है।
- स्व-परागण से हानिकारक उत्परिवर्तन या हानिकारक अप्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति हो सकती है।
- पैंसी प्रजातियों की तरह, परागणकर्ता एक लूप में प्रवेश कर सकते हैं जहां कम अमृत पैदा करने वाले पौधे कम भोजन उपलब्धता को सक्षम करते हैं, जिससे वे गिरावट की ओर बढ़ जाते हैं।

परागणकर्ता क्यों घट रहे हैं?

- शहरीकरण, कृषि विस्तार और भूमि उपयोग में परिवर्तन ने उनकी आबादी को नष्ट कर दिया।
- रासायनिक कीटनाशकों, शाकनाशी और GMO के व्यापक उपयोग ने बहुत प्रभाव डाला है।

आक्रामक प्रजातियाँ और जलवायु परिवर्तन प्रभाव: "डीकार्बोनाइजिंग परिवहन में ई-ईंधन की भूमिका" रिपोर्ट

सन्दर्भ:

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने "द" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की
- रिपोर्ट परिवहन क्षेत्र को डीकार्बोनाइजिंग के समाधान के रूप में ई-ईंधन की क्षमता और चुनौतियों का व्यापक रूप से पता लगाती है।

मुख्य निष्कर्ष

- कम उत्सर्जन वाले ईंधन की तेजी से तैनाती: ईंधन दक्षता में सुधार और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बढ़ती बिक्री के माध्यम से सड़क परिवहन में जीवाश्म ईंधन की मांग में महत्वपूर्ण कमी संभव है।
- गहरे डीकार्बोनाइजेशन के लिए ई-ईंधन महत्वपूर्ण: इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन, या ई-ईंधन से प्राप्त ईंधन, एक व्यवहार्य मार्ग हो सकता है और 2030 तक तेजी से बढ़ सकता है, जो सस्ती नवीकरणीय बिजली के बड़े पैमाने पर विस्तार और इलेक्ट्रोलाइज़र की अनुमानित लागत में कटौती पर आधारित है।
- रिपोर्ट विमानन और शिपिंग जैसे क्षेत्रों में शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए विद्युतीकरण की सीमाओं पर प्रकाश डालती है।
- ई-ईंधन, अपने लगभग-शून्य कार्बन पदचिह्न के साथ, इन क्षेत्रों में गहरे डीकार्बोनाइजेशन के लिए आवश्यक माना जाता है।
- तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता: रिपोर्ट ई-ईंधन की वर्तमान उच्च लागत को स्वीकार करती है लेकिन तकनीकी प्रगति और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के साथ पर्याप्त लागत में कमी का अनुमान लगाती है।
- बुनियादी ढांचे की अनुकूलता: ई-ईंधन का उपयोग मौजूदा बुनियादी ढांचे और इंजनों में आसानी से किया जा सकता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए आवश्यक व्यापक बुनियादी ढांचे के उन्नयन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- संसाधन संबंधी विचार: बड़े पैमाने पर ई-ईंधन का उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा, पानी और संभावित रूप से प्राप्त CO2 की आवश्यकता होगी। इन संसाधनों का सतत प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि ई-ईंधन नई पर्यावरणीय चिंताएँ पैदा न करें।
- नीतिगत सिफ़ारिशें: रिपोर्ट में सरकारों से उनके उत्पादन और अपनाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण, अनुसंधान और विकास वित्तपोषण सहित सहायक नीतियों को लागू करने का आह्वान किया गया है।

E-ईंधन

- ई-ईंधन (इलेक्ट्रोफ्यूल्स), जिसे सिंथेटिक ईंधन के रूप में भी जाना जाता है, सौर या पवन ऊर्जा, पानी और कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित कम उत्सर्जन वाले तरल या गैसीय ईंधन हैं।
- उदा. ई-गैसोलीन, ई-डीज़ल, ई-हीटिंग ऑयल, ई-केरोसीन, ई-मीथेन, ई-केरोसीन और ई-मेथनॉल।
- उन्हें गैसोलीन, डीजल और जेट ईंधन जैसे पारंपरिक ईंधन को बदलने के लिए तैयार किया जा सकता है, जो मौजूदा इंजन और बुनियादी ढांचे के लिए एक ड्रॉप-इन समाधान प्रदान करता है।
- परिवहन में, कम उत्सर्जन वाले ई-ईंधन टिकाऊ जैव ईंधन के लिए एक पूरक समाधान प्रदान करते हैं।
- विशेष रूप से विमानन में, ई-ईंधन मौजूदा परिवहन, भंडारण, वितरण बुनियादी ढांचे और अंतिम-उपयोग उपकरणों का उपयोग करने की उनकी क्षमता से लाभान्वित होते हैं।

ई-ईंधन का उत्पादन कैसे किया जाता है?

- ई-ईंधन का उत्पादन हाइड्रोजन के निष्कर्षण पर आधारित है। यह एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से होता है जो पानी (जैसे अलवणीकरण संयंत्रों से समुद्री जल) को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के घटकों में तोड़ देता है।
- दूसरे प्रक्रिया चरण में, उदाहरण की सहायता से। फिशर-ट्रॉप्स संश्लेषण, हाइड्रोजन को हवा से निकाले गए CO2 के साथ जोड़ा जाता है और एक तरल ऊर्जा वाहक-ई-ईंधन में परिवर्तित किया जाता है।
- रिफाइनरियों में प्रसंस्करण के बाद, इस ई-ईंधन का उपयोग ई-गैसोलीन, ई-डीजल, ई-हीटिंग ऑयल, ई-केरोसिन और ई-गैस के रूप में किया जा सकता है और यह पारंपरिक ईंधन को पूरी तरह से बदल सकता है।
- इसके अलावा, उनकी ड्रॉप-इन क्षमता के कारण, ई-ईंधन को किसी भी अनुपात में पारंपरिक ईंधन के साथ मिश्रित किया जा सकता है।

ई-ईंधन के लाभ

- गहरा डीकार्बोनाइजेशन: ई-ईंधन जीवाश्म ईंधन की तुलना में लगभग-शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की क्षमता प्रदान करता है, खासकर जब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों के साथ जोड़ा जाता है।
- बहुमुखी प्रतिभा: इनका उपयोग मौजूदा परिवहन बुनियादी ढांचे और इंजनों में किया जा सकता है, जिसमें पूर्ण विद्युतीकरण की तुलना में न्यूनतम अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
- यह उन्हें विमानन और शिपिंग जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से आकर्षक बनाता है, जहां बैटरी तकनीक की सीमाएं हैं।
    - ऊर्जा सुरक्षा: ई-ईंधन जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता को कम कर सकता है और परिवहन के लिए स्वच्छ ऊर्जा का घरेलू स्रोत प्रदान कर सकता है।

चुनौतियां

- लागत: वर्तमान में, ई-ईंधन का उत्पादन जीवाश्म ईंधन की तुलना में काफी अधिक महंगा है। हालाँकि, उत्पादन बढ़ने और तकनीकी प्रगति होने पर लागत में कमी आने की उम्मीद है।
- स्केलेबिलिटी: ई-ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धता और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के लिए बुनियादी ढांचे के संदर्भ में सीमाओं का सामना करता है।
- भू-राजनीतिक निहितार्थ: ई-ईंधन पर बढ़ती निर्भरता तेल उत्पादक देशों से प्रचुर नवीकरणीय संसाधनों वाले देशों पर निर्भरता को स्थानांतरित कर सकती है, जिससे संभावित रूप से नई भू-राजनीतिक गतिशीलता पैदा हो सकती है।
- महंगा: कम उत्सर्जन वाले ई-ईंधन का उत्पादन वर्तमान में महंगा है, लेकिन जीवाश्म ईंधन के साथ उनकी लागत का अंतर 2030 तक काफी कम हो सकता है।
- भारी निवेश: शिपिंग के लिए कम उत्सर्जन वाले ई-ईंधन की त्वरित तैनाती के लिए ईंधन भरने के बुनियादी ढांचे और जहाजों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी।
- शिपिंग में 10% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए लगभग 70 मीट्रिक टन/वर्ष ई-अमोनिया या मेथनॉल की आवश्यकता होगी। यह अमोनिया की वर्तमान वैश्विक व्यापार मात्रा का 3.5 गुना या मेथनॉल में व्यापार का दो गुना है।
- CO तक पहुंच: यह कम उत्सर्जन वाले ई-ईंधन वाले कार्बन के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है।
- सर्वोत्तम पवन और सौर संसाधनों को आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण बायोएनर्जी संसाधनों के साथ सह-स्थित नहीं किया जाता है, जो कार्बन इनपुट की आवश्यकता वाले ई-ईंधन परियोजनाओं की साइटिंग पर अतिरिक्त बाधाएं डालता है।

ई-ईंधन को बढ़ाना: क्षमता को उजागर करने के उपाय

लागत में कमी:

- नीति समर्थन: सरकारों को कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र, कर छूट और सब्सिडी में साहसिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो ई-ईंधन उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकती है और इसे जीवाश्म ईंधन के साथ प्रतिस्पर्धी बना सकती है।
- तकनीकी प्रगति: अधिक कुशल इलेक्ट्रोलिसिस, कार्बन कैप्चर और रूपांतरण प्रौद्योगिकियों को लक्षित करने वाले अनुसंधान और विकास प्रयास उत्पादन लागत को काफी कम कर सकते हैं।
- पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ: बड़े पैमाने पर उत्पादन सुविधाओं में निवेश पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठा सकता है और ई-ईंधन की कीमतों को जीवाश्म ईंधन के करीब ला सकता है।

बुनियादी ढांचे का विकास:

- नवीकरणीय ऊर्जा: ई-ईंधन उत्पादन के लिए आवश्यक स्वच्छ बिजली प्रदान करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना महत्वपूर्ण है।
- जल और CO2 प्रबंधन: पर्यावरणीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए CO2 को पकड़ने और उपयोग करने के लिए सतत जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचा आवश्यक है।
- वितरण और भंडारण: परिवहन केंद्रों में ई-ईंधन वितरण और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण व्यापक रूप से अपनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

बाज़ार निर्माण और मांग प्रोत्साहन:

- सार्वजनिक खरीद: सरकारें सार्वजनिक परिवहन बेड़े और विमानन ईंधन में ई-ईंधन मिश्रण को अनिवार्य करके मांग पैदा कर सकती हैं।
- कॉर्पोरेट प्रतिबद्धताएं: एयरलाइंस, शिपिंग कंपनियां और ईंधन आपूर्तिकर्ता ई-ईंधन अपनाने, बाजार की मांग को बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं।

विनियामक और नीति ढांचा:

- कार्बन-तटस्थ ईंधन मानक: व्यापक रूप से अपनाने के लिए, ई-ईंधन को जीवन-चक्र जीएचजी उत्सर्जन को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत तकनीकी और सुरक्षा मानकों को पूरा करने की आवश्यकता होगी।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: अनुसंधान, विकास और नीति ढांचे पर वैश्विक सहयोग ई-ईंधन नवाचार और तैनाती में तेजी ला सकता है।

इसके आगे:

- कुल मिलाकर, ई-ईंधन में विद्युतीकरण जैसे अन्य समाधानों के साथ-साथ परिवहन क्षेत्र को डीकार्बोनाइजिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है।
- निरंतर अनुसंधान, तकनीकी विकास और उत्पादन बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में उनकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है।
- सड़क परिवहन क्षेत्र के जीएचजी उत्सर्जन को 2050 तक शून्य पर लाना अकेले एक उपाय से हासिल नहीं किया जा सकता है। ऐसे देश जो विभिन्न उपायों का एक सेट तैनात करते हैं जैसे कि परिवहन मांग को कम करना, वाहन दक्षता में सुधार करना और जैव ईंधन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा वाहक को जोड़ना।

वेटलैंड सिटी प्रत्यायन योजना

सन्दर्भ

- भारत ने रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी एक्रिडिटेशन (WCA) योजना के लिए इंदौर, भोपाल और उदयपुर को नामांकित किया है।

बारे में

- नगर निगमों के सहयोग से राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ये WCA के लिए नामांकित पहले तीन भारतीय शहर हैं।
- सिरपुर वेटलैंड (इंदौर), यशवंत सागर (इंदौर), भोज वेटलैंड (भोपाल), और उदयपुर और उसके आसपास के कई वेटलैंड इन शहरों के लिए जीवन रेखा हैं।
- यह उन शहरों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा जो अपनी प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्रभूमि को महत्व देते हैं।

वेटलैंड सिटी प्रत्यायन योजना:

- वेटलैंड सिटी प्रत्यायन योजना वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन द्वारा संचालित एक चालू कार्यक्रम है।
- यह योजना 2015 में संकल्प XII के तहत लागू की गई थी।

रामसर कन्वेंशन (COP12) के लिए अनुबंधित पक्ष।

- उद्देश्य: अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा और प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयासों का प्रदर्शन करने वाले शहरों को पहचानना और सम्मानित करना।

महत्व:

- यह स्वैच्छिक योजना उन शहरों को अपने प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता और सकारात्मक प्रचार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है जो अपनी प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्रभूमि को महत्व देते हैं।
- यह योजना आर्द्रभूमि के निकट और उस पर निर्भर शहरों को इन मूल्यवान पारिस्थितिक तंत्रों के साथ सकारात्मक संबंध को उजागर करने और मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- प्रत्यायन योजना को शहरी और पेरी-शहरी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए स्थायी सामाजिक-आर्थिक लाभ भी देना चाहिए।
- कुल मिलाकर, दुनिया के 43 शहरों को रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- इनमें से 18 को 2018 में और 25 को 2022 में मान्यता दी गई थी। हालाँकि, भारत को अभी भी प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाना बाकी है।

कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन

सन्दर्भ

- भारत के प्रधान मंत्री ने लक्षद्वीप को 100 GBPS इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कोच्चि - लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया।

बारे में

- आजादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा।
  - पहले, द्वीपों के साथ संचार का एकमात्र साधन सैटेलाइट माध्यम था, जिसकी बैंडविड्थ क्षमता सीमित थी और बढ़ती बैंडविड्थ मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं थी।
- इस परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था, जिसे दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अधिसूचित होने के बाद डिजिटल भारत निधि का नाम दिया जाएगा।
- भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) परियोजना निष्पादन एजेंसी है।
- लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती को अगत्ती, अमिनी, कदमत, चेटलेट, कल्पेनी, मिनिकॉय, एंड्रोथ, किल्टान, बांगरम और बित्रा द्वीपों के साथ जोड़ा जाएगा।

KLI-SOFC का महत्व

- यह 'डिजिटल इंडिया' और 'नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन' के उद्देश्य को प्राप्त करने और लक्षद्वीप द्वीप समूह में भारत सरकार की विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को शुरू करने में मदद करता है।
- पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा जो द्वीप में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और इन क्षेत्रों में समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी लाने में मदद करेगा।
- इस परियोजना से लक्षद्वीप को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की क्षमता को बल मिलेगा,
- हाई स्पीड ब्रॉडबैंड FTTH और 5G/4G मोबाइल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा।

ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी बोली राउंड-IX लॉन्च किया गया

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने हाल ही में ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के तहत दिए गए 10 ब्लॉकों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति (OALP)

- जून 2017 में लॉन्च किया गया, यह कंपनियों को अपनी पसंद के अन्वेषण ब्लॉक बनाने का अधिकार देता है, जिससे तेजी से खोज के लिए अधिक लचीलापन और क्षमता मिलती है।

OALP के मूल सिद्धांत

- बोलीदाता-संचालित अन्वेषण: कंपनियां उपलब्ध डेटा और भूवैज्ञानिक क्षमता के अपने मूल्यांकन के आधार पर अन्वेषण ब्लॉकों का प्रस्ताव कर सकती हैं।
- निरंतर बोली: बोली दौर साल में दो बार आयोजित किया जाता है, जिससे कंपनियों को लगातार नए ब्लॉकों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में मदद मिलती है।
- राजस्व-साझाकरण मॉडल: सफल बोलीदाता पहले के लाभ-साझाकरण मॉडल की जगह, निकाले गए हाइड्रोकार्बन संसाधनों के आधार पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान करते हैं।
- सरलीकृत प्रक्रियाएं: सुव्यवस्थित अनुमोदन प्रक्रियाएं और कम कागजी कार्रवाई का उद्देश्य अन्वेषण गतिविधियों में तेजी लाना है।

OALP के लाभ

- तेज़ अन्वेषण और विकास: ओएएलपी कंपनियों के लिए अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान करता है, जिससे संभावित रूप से तेल और गैस संसाधनों की त्वरित खोज और उत्पादन हो सकता है।
- निवेश में वृद्धि: नौकरशाही बाधाओं को कम करके और अनुकूल शर्तों की पेशकश करके, ओएएलपी का लक्ष्य भारतीय हाइड्रोकार्बन अन्वेषण में निवेश करने के लिए अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना है।
- बढ़ी हुई पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा: खुली बोली प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देती है और कंपनियों को कुशल अन्वेषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- बेहतर संसाधन उपयोग: ओएएलपी कंपनियों को उन क्षेत्रों का पता लगाने की अनुमति देता है जिन्हें पहले राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा अनदेखा किया गया था, जिससे संभावित रूप से भारत के हाइड्रोकार्बन संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- डेटा उपलब्धता: उपलब्ध भूवैज्ञानिक डेटा की गुणवत्ता और व्यापकता बोलीदाताओं को आकर्षित करने और उनकी पसंद को सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- पर्यावरण संबंधी विचार: पर्यावरण संरक्षण के साथ अन्वेषण गतिविधियों को संतुलित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, जिसके लिए कठोर नियमों और निगरानी की आवश्यकता है।

- सामुदायिक सहभागिता: पारदर्शी संचार सुनिश्चित करना और अन्वेषण गतिविधियों से प्रभावित स्थानीय समुदायों की चिंताओं का समाधान करना सामाजिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
- प्रतिस्पर्धा और संसाधन आवंटन: कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन करना और अटकलों को रोकते हुए आशाजनक ब्लॉकों का उचित आवंटन सुनिश्चित करना, सावधानीपूर्वक नियामक निरीक्षण की आवश्यकता है।

इसके आगे:

- कुल मिलाकर, ओएएलपी भारत के हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन में तेजी लाने के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- हालाँकि, इसकी सफलता चुनौतियों का समाधान करने, जिम्मेदार प्रथाओं को सुनिश्चित करने और पारदर्शिता और सतत विकास को बढ़ावा देने पर निर्भर करती है।

भारत में कोयला उत्पादन में वृद्धि

समाचार में

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान देश में कोयला उत्पादन बढ़कर 664 मिलियन टन से अधिक हो गया है।

बारे में

- यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 591 मिलियन टन से अधिक के आंकड़े की तुलना में 12.29 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि है।
- सरकार का लक्ष्य 2030 तक उत्पादन को और बढ़ाकर 1 बिलियन मिलियन टन तक पहुंचाने का है।
- यह वृद्धि बिजली क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर और मजबूत कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करती है, जो कोयला आपूर्ति श्रृंखला की प्रभावशीलता को उजागर करती है।

कोयला रिजर्व की वर्तमान स्थिति

- विश्व में भारत के पास कोयले का प्रचुर भण्डार है। 01-04-2022 तक कोयले का कुल अनुमानित भंडार 361.41 बिलियन टन था।
- भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार वाले शीर्ष तीन राज्य देश में कुल कोयला भंडार।
- भारत चीन के बाद वैश्विक स्तर पर कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, जो 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ देगा।

अधिक उत्पादन के कारण

- बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता: वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट (TPP) ने भारत की 74.3% बिजली पैदा की।
- औद्योगिक मांग: स्टील और सीमेंट जैसे उद्योग ईंधन स्रोत के रूप में कोयले पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
- सीमित घरेलू विकल्प: सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अभी भी कोयले को पूरी तरह से बदलने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुए हैं।
- 2022 में भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत के 36.44 एक्साजूल में से केवल 10.4% नवीकरणीय ऊर्जा (पनबिजली, सौर और पवन) से हैं; कोयला और तेल गैस का योगदान क्रमशः 55.1% और 33.3% है।

भारत की कोयले पर निर्भरता जारी रहने के पक्ष में तर्क

- 1750 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत और 2021 के अंत के बीच कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से भारत का संचयी उत्सर्जन वैश्विक कुल का केवल 3.3% है, जो यूरोप (31%), अमेरिका (24.3%) चीन (14.4%) से काफी पीछे है।
- दुनिया की 17% आबादी, जो भारत में रहती है, की विकास आवश्यकताओं को पूरा करना भी एक मौलिक कर्तव्य है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर 'सतत विकास' केवल एक खोखला मुहावरा बनकर रह जाएगा।
- भारत में TPV द्वारा उपयोग किया जाने वाला छियानवे प्रतिशत कोयला घरेलू खदानों से आता है और यही कारण है कि भारत में बिजली इतनी सस्ती है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- पर्यावरणीय प्रभाव: कोयला खनन और जलाना वायु प्रदूषण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जल प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- भारत में कोयले के भंडार में आमतौर पर राख का उच्च स्तर (35-50%) होता है। अधिक राख वाला कोयला जलाने से प्रदूषण फैलता है।
- कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट (TPP) भारत के लगभग 70% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।
- स्वास्थ्य पर प्रभाव: कोयले के दहन से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे गंभीर स्वास्थ्य परिणाम होते हैं।
- जलवायु परिवर्तन: कोयले पर निरंतर निर्भरता कार्बन तटस्थता लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं की दिशा में भारत की प्रगति में बाधा डालती है।
- सामाजिक प्रभाव: कोयला खनन खदानों के पास के समुदायों को प्रभावित करता है, जिससे विस्थापन, आजीविका हानि और पर्यावरणीय गिरावट के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

इसके आगे:

- 2070 तक नेट-शून्य तक पहुंचने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए, देश को बिजली क्षेत्र के उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को लागू करना जारी रखना चाहिए।
- भारत को ब्रिड में परमाणु, सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ाते हुए उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने टीपीपी (थर्मल पावर प्लांट) की दक्षता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।
- निकट भविष्य में कोयला उत्पादन में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। हालाँकि, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन शमन पर बढ़ते जोर के साथ, कोयले के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अनिश्चित बना हुआ है।
- ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाना और सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना भारत के टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

4 अर्थव्यवस्था

भारत की K-आकार की पुनर्प्राप्ति बहस

खबरों में क्यों?

- भारतीय स्टेट बैंक के एक अध्ययन के अनुसार, महामारी के बाद घरेलू अर्थव्यवस्था की K-आकार की रिकवरी के बारे में चल रही बहस त्रुटिपूर्ण और पक्षपातपूर्ण लगती है।

SBI के अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- आय असमानता कम हो रही है: कर योग्य आय के गिनी गुणांक द्वारा मापे गए विभिन्न आय स्तरों के बीच का अंतर, वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 22 तक क्रमशः 0.472 से 0.402 तक उल्लेखनीय रूप से कम हो गया है।
- गिनी गुणांक, जिसे गिनी सूचकांक या गिनी अनुपात के रूप में भी जाना जाता है, एक जनसंख्या में आर्थिक असमानता का माप है।
- व्यवसाय वृद्धि: इसने MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के आय पैटर्न में दिखाई देने वाले बदलाव पर प्रकाश डाला क्योंकि औपचारिकीकरण अभियान अधिक संस्थाओं को नेट में लाता है।
- लगभग 19.5 प्रतिशत प्रमुख सूक्ष्म आकार की कंपनियां अपनी आय को ऊपर की ओर स्थानांतरित करने में सक्षम हुई हैं।
- MSME इकाइयां बड़ी हो रही हैं और PLI जैसी पहल के साथ बड़ी मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत हो रही हैं।
- व्यक्ति की भारित औसत आय में वृद्धि: अध्ययन से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2014-21 के दौरान व्यक्ति की भारित औसत आय 3.1 लाख से बढ़कर 11.6 लाख हो गई है।
- भारित औसत आय विशिष्ट आय वर्ग के भीतर आय में वृद्धि और समग्र वृद्धि में उनके योगदान के अधिक सूक्ष्म और बारीक बैरोमीटर का प्रतिनिधित्व करती है।
- बढ़ती महिला श्रम शक्ति: SBI ने PLFS (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण) डेटा का हवाला दिया, जो दर्शाता है कि महिला श्रम बल की भागीदारी 2017-18 में 23.3 से बढ़कर 2022-23 में 37 हो गई है, जो 13.7 की वृद्धि दर्शाती है।
- अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं के बीच व्यवसाय के रूप में कृषि की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जबकि पुरुषों के लिए इसमें गिरावट आई है।
- महामारी के बाद उपभोग की प्रवृत्ति: पिरामिड के निचले हिस्से में उपभोग हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।
  - प्रति दिन $3.65, या ₹303 से कम खर्च करने वाले लोगों की खपत लगभग ₹8.2 लाख करोड़ बढ़ गई है।
  - अगले दशक के अंत तक भारत की लगभग आधी खपत निम्न-आय वर्ग द्वारा की जाएगी, जिसमें 90% आबादी शामिल होगी।

अर्थशास्त्रियों का मत

- किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास हमेशा K-आकार का होता है जहां कुछ क्षेत्र ऊपर-नीचे हो रहे होते हैं।
- शायद ही कभी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र ऊपर की ओर बढ़ते हैं और जब ऐसा होता है, तो यह तब अधिक होता है जब विकास प्रति वर्ष 8% से अधिक की लगातार ऊंची दर पर होता है।
- अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो कई क्षेत्र ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, खासकर स्टील, सीमेंट, मशीनरी जैसे बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्र।
- हालाँकि, उपभोक्ता-उन्मुख उद्योग अभी भी कंपनियों के H1 (पहली छमाही) प्रदर्शन के अनुसार पिछड़े हुए हैं और इसी तरह मानसून सामान्य से कम रहने के कारण कृषि क्षेत्र को भी झटका लगा है।

K-shaped recovery
– It is a post-recession scenario in which one section of the economy begins to recover while another segment continues to struggle.
– The concept of a K-shaped recovery first emerged in 2020 during the COVID-19 pandemic.
a. The COVID-19 pandemic recovery has been fractured and uneven. Millions of people remain unemployed, while the wealthiest have grown their fortunes.
– The portion of the population that recovers quickly is represented by the upper part of the K, while the lower part represents those groups that recover more slowly. In some cases, it could be that different industries recover at different speeds.

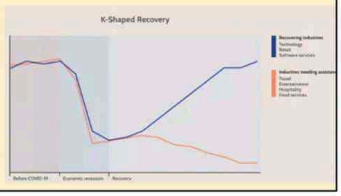

इस सन्दर्भ में आर्थिक सर्वेक्षण-2022-23 की मुख्य बातें

- भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक संरचनात्मक और शासन सुधार हुए, जिससे 2014-2022 के दौरान इसकी समग्र दक्षता में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत किया गया।
- वित्त वर्ष 2013 में भारत की आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से निजी उपभोग और पूंजी निर्माण के कारण हुई है।
- इससे रोजगार पैदा करने में मदद मिली है, जैसा कि शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट और कर्मचारी भविष्य निधि में तेजी से शुद्ध पंजीकरण में देखा गया है।
- फिर भी, रोजगार सृजन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए निजी पूंजीगत व्यय को जल्द ही नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की जरूरत है।
- PM-किसान और पीएम गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद की है, और उनके प्रभाव का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने भी समर्थन किया था।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के नतीजे भी वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2020 तक ग्रामीण कल्याण संकेतकों में सुधार दिखाते हैं, जिसमें लिंग, प्रजनन दर, घरेलू सुविधाएं और महिला सशक्तिकरण जैसे पहलू शामिल हैं।

अन्य प्रकार की आर्थिक सुधार

- आर्थिक सुधार विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से अधिकांश उनके घटित होने की दर से निर्धारित होते हैं।

a. V-आकार: V-आकार की रिकवरी एक ऐसी अर्थव्यवस्था में तीव्र और अचानक सुधार है जो तीव्र और गंभीर गिरावट के बाद होती है।

1. यह आमतौर पर अर्थव्यवस्था को एक बार के झटके के बाद होता है।

b. U-आकार: U-आकार की रिकवरी से होने वाली आर्थिक क्षति विकास के आधारभूत स्तर पर लौटने से पहले लंबे समय तक रहती है।

1. अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, लेकिन निचले स्तर पर नुकसान कुछ समय तक बना रहता है।

c. L-आकार: सबसे निराशाजनक परिदृश्य L-आकार की रिकवरी है।

1. इस रूप में, अर्थव्यवस्था कुछ हद तक तेज गिरावट से उबर जाती है, लेकिन विकास वर्षों तक कभी भी संकट-पूर्व स्तर पर नहीं लौटता है, यदि कभी भी। इसके बाद आर्थिक स्थिरता का दौर आता है।

d. W-आकार: यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था तेजी से ढहती है, उसके बाद एक छोटी और अस्थायी रिकवरी होती है और फिर एक और गिरावट आती है।

भारत का 1991 का आर्थिक संकट

खबरों में क्यों?

- 1990 से 1992 तक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले S वेंकिटरमनन का हाल ही में निधन हो गया।

S वेंकिटरमनन के बारे में

- उन्हें 1990 में सरकार द्वारा RBI के 18वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था।
- उन्होंने 1990 के भुगतान संतुलन संकट, उसके बाद के आर्थिक सुधारों और हर्षद मेहता घोटाले के महत्वपूर्ण वर्षों के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक का मार्गदर्शन किया।
- उन्होंने न केवल संकट प्रबंधन में बल्कि तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के तहत बाद के सुधारों को लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1991 भारत में आर्थिक संकट

- भुगतान संतुलन संकट: भारत को 1991 में गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया था, और इसे अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा।
- विदेशी ऋण: भारत पर भारी मात्रा में विदेशी ऋण जमा हो गया था और इस ऋण को चुकाना अधिकाधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। देश को अपने ऋण भुगतान में चूक का खतरा था।
- स्थिर विकास: भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी गति से विकास का अनुभव कर रही थी, और विभिन्न क्षेत्रों में अक्षमताओं, प्रतिस्पर्धा की कमी और नौकरशाही बाधाओं की विशेषता थी।
- औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली, जिसके लिए कई क्षेत्रों में निजी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती थी, ने आर्थिक गतिविधियों को अवरुद्ध कर दिया।
- राजकोषीय घाटा: राजकोषीय घाटा अधिक था, और सरकार बड़े बजटीय असंतुलन से जूझ रही थी।
- इससे उधारी में वृद्धि हुई, जिससे समग्र आर्थिक तनाव में योगदान हुआ।
- वैश्विक कारक: वैश्विक आर्थिक माहौल, जिसमें खाड़ी युद्ध के बाद तेल की बढ़ती कीमतें और उसके परमाणु कार्यक्रम के जवाब में भारत पर आर्थिक प्रतिबंध शामिल हैं, ने आर्थिक चुनौतियों को बढ़ा दिया है।

सरकार द्वारा तत्काल उठाया गया कदम

- विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए सोने की हिस्सेदारी गिरवी रखना: विदेशी मुद्रा भंडार महत्वपूर्ण $ 1 बिलियन के निशान से नीचे जाने के साथ, सरकार ने जब्त किए गए सोने को बेचने का फैसला किया।
- लगभग 47 टन सोना चार किस्तों में विदेशों में भेजा गया।
- इससे सरकार को लगभग 400 मिलियन डॉलर जुटाने में मदद मिली।
- पूरा ऑपरेशन, गोपनीयता के आवरण में, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित किया गया था।
- भारतीय रुपये का अवमूल्यन: भुगतान संतुलन संकट को दूर करने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए, सरकार ने प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये का लगभग 20% अवमूल्यन किया।

भारत सरकार द्वारा सुधार

- उदारीकरण: सरकार ने व्यापार बाधाओं को कम करके, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देकर और लाइसेंस राज को खत्म करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, जिसने विभिन्न उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया था।
- निजीकरण: सरकार ने दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण शुरू किया।
- यह विभिन्न क्षेत्रों में राज्य नियंत्रण की पिछली नीति से एक महत्वपूर्ण विचलन था।
- अविनियमन: सरकार ने नियमों और नौकरशाही बाधाओं को आसान कर दिया, जिससे व्यवसायों के लिए संचालन करना आसान हो गया। इसने अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ाने में योगदान दिया।

- राजकोषीय सुधार: सरकारी व्यय को कम करके और राजस्व सृजन में वृद्धि करके राजकोषीय घाटे को संबोधित करने का प्रयास किया गया।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) का निर्माण: विदेशी निवेश को आकर्षित करने और निर्यात-उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की अवधारणा पेश की गई थी।
- आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए इन क्षेत्रों को कुछ छूट और लाभ दिए गए थे।
- संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत: सरकार ने आर्थिक विकास के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाने के लिए कराधान, श्रम कानून और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए संरचनात्मक सुधारों का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया।
- बजट 1991-92: मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत, यह बजट भारत सरकार द्वारा किए गए सुधार उपायों की एक कड़ी थी।
- बजट ने कॉर्पोरेट कर दरों को 5 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दिया और बैंक जमा जैसे कुछ वित्तीय लेनदेन के लिए स्रोत पर कर कटौती की अवधारणा पेश की।
- लोगों के लिए बेहिसाब संपत्ति की घोषणा करने की योजना की भी घोषणा की गई। लोगों को इससे इम्यूनिटी दी गई।

निष्कर्ष

- इन सुधारों ने भारत की आर्थिक नीति में एक आदर्श बदलाव को चिह्नित किया, जिससे उच्च आर्थिक विकास हुआ, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई और बाद के वर्षों में आर्थिक संकेतकों में सुधार हुआ।
- वर्ष 1991 को अक्सर भारत के आर्थिक प्रक्षेप पथ में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि इसने देश के दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरने के लिए मंच तैयार किया।

भारत का खिलौना उद्योग

खबरों में क्यों?

- हालिया आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, खिलौना उद्योग वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2022-23 के बीच शुद्ध निर्यातक बन गया।
- इसके निर्यात में 239% की वृद्धि हुई और आयात में 52% की गिरावट आई, जिससे भारत शुद्ध निर्यातक बन गया।

भारतीय खिलौना उद्योग

- भारतीय खिलौना उद्योग विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, जिसके 2028 तक 3 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- घरेलू बाज़ार का आकार वर्तमान में $1.5B के अनुमानित मूल्य पर है। इस क्षेत्र में छोटे और मध्यम आकार के निर्माताओं का वर्चस्व है।
- गुड़िया, मुलायम खिलौने और बोर्ड गेम जैसी श्रम-केंद्रित खिलौना श्रेणियां अंतर्निहित लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और बढ़ती मांग के कारण भारत में महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षमता प्रदान करती हैं।
- यह मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों में उच्च मूल्य के निर्यात में वृद्धि के साथ, अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है।
- भारत में खिलौना निर्माता ज्यादातर NCR, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य भारतीय राज्यों के समूहों में स्थित हैं।

भारत शुद्ध निर्यातक कैसे बना?

- भारत ने योजना युग में एक अंतर्मुखी औद्योगिक नीति का पालन किया, जिसने 'दोहरी सुरक्षा' प्रदान करके घरेलू उत्पादन को आश्रय दिया - आयात शुल्क और छोटे पैमाने के क्षेत्र में विशेष उत्पादन के लिए उत्पाद का आरक्षण - जिसे 'आरक्षण नीति' के रूप में जाना जाता है।'
- आयात पर अंकुश (संरक्षणवाद): खिलौनों पर मूल सीमा शुल्क (BCD) फरवरी 2020 में 20% से बढ़ाकर 60% और उसके बाद बजट 2023 में 70% कर दिया गया।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने घटिया स्तर के खिलौनों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक आयात खेप का नमूना परीक्षण अनिवार्य कर दिया है।
- गुणवत्ता आश्वासन: खिलौनों के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) 2020 में जारी किया गया था, जो 01.01.2021 से प्रभावी है।
- लाइसेंसिंग: एक वर्ष के लिए परीक्षण सुविधा के बिना और इन-हाउस परीक्षण सुविधा स्थापित किए बिना खिलौने बनाने वाली सूक्ष्म बिक्री इकाइयों को लाइसेंस देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा विशेष प्रावधानों को अधिसूचित किया गया था, जिसे तीन साल के लिए आगे बढ़ाया गया था।
- BIS ने BIS मानक चिह्नों वाले खिलौनों के निर्माण के लिए घरेलू निर्माताओं को 1200 से अधिक लाइसेंस और विदेशी निर्माताओं को 30 से अधिक लाइसेंस प्रदान किए हैं।
- खिलौना उत्पादन और निर्यात को निरंतर आधार पर मजबूत करने पर 'मेक इन इंडिया' का नगण्य प्रभाव पड़ा।
- स्वचालित रूट के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है।
- खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीटी): इसमें 21 विशिष्ट कार्य बिंदु हैं, जिन्हें 14 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जिसमें डीपीआईआईटी समन्वय निकाय है।
- सरकार एनएपीटी के माध्यम से खिलौनों में 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देने के लिए व्यापक सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है।

इससे जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- उच्च लागत: छोटे निर्माता मशीनरी उत्पादन को अपग्रेड करने में असमर्थ हैं क्योंकि उपकरण पर कर अधिक है।

- विनियमन और मानकों का पालन: उनमें से कई ने नियामक परिवर्तनों को बनाए रखने और बीआईएस मानकों का पालन करने के लिए संघर्ष किया है।
- आपूर्ति की कमी: छोटे पैमाने के खुदरा विक्रेताओं को आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ता है, और अनिच्छा से कम गुणवत्ता वाला उत्पाद खरीदते हैं।
- वे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने और आपूर्ति करने वाली बड़ी कंपनियों पर निर्भर हैं।
- बेरोज़गारी: अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का उत्पादन कम हो गया, हालाँकि यह अधिकांश प्रतिष्ठानों और रोज़गार के लिए जिम्मेदार है।
- भारत का खिलौना उद्योग बहुत छोटा है और 2000 से 2016 के बीच डेढ़ दशकों के दौरान, नौकरी के नुकसान के साथ उद्योग का उत्पादन वास्तविक रूप से आधा (मुद्रास्फीति का शुद्ध) हो गया था।

निष्कर्ष

- खिलौना उद्योग 2020-21 से शुद्ध निर्यातक बन गया है। बढ़ती टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं के साथ 'मेक इन इंडिया' नीतियों ने इसे संभव बनाया।
- संरक्षणवाद को लागू करने के लिए निवेश नीतियों के कार्यान्वयन और विशिष्ट उद्योगों या समूहों के अनुरूप स्थानीयकृत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए घरेलू क्षमताओं के विकास को बढ़ावा देकर एक सकारात्मक चक्र बनाना है।

पर्वतमाला परियोजना

खबरों में क्यों?

- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने पर्वत माला कार्यक्रम के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपये की 200 से अधिक रोपवे परियोजनाओं की घोषणा की।

पर्वतमाला परियोजना के बारे में

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम - "पर्वतमाला" की घोषणा की - जिसे PPP मोड पर लिया जाएगा।
- भारत सरकार द्वारा 60% योगदान समर्थन के साथ हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल के तहत PPP पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- यह कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर एक पसंदीदा, पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ विकल्प होगा।
- इसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व जैसे क्षेत्रों के लिए शुरू किया जा रहा है।
- महत्व: इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार करना है।

आय में बढ़ता अंतर

खबरों में क्यों?

- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पिछले दशक में असमानता में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।

मुख्य निष्कर्ष

- रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गिनी गुणांक 2014-15 में 0.472 से गिरकर 2022-23 में 0.402 हो गया है।
- गिनी गुणांक नियमित वेतन और आकस्मिक वेतन वाले श्रमिकों के लिए गिरता है, लेकिन स्व-रोज़गार वाले के लिए बढ़ जाता है। हालाँकि, परिवर्तन काफी हद तक न्यूनतम हैं।

आय का ध्रुवीकरण

- गिनी गुणांक में गिरावट के साथ-साथ आय में ध्रुवीकरण भी होता है। शीर्ष 10% की आय निचले 30% की तुलना में तेजी से बढ़ी है, स्व-रोज़गार श्रमिकों के बीच बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण देखा गया है।
- स्व-रोज़गार की श्रेणी में स्वयं के खाते वाले श्रमिक शामिल हैं, जैसे कि व्यक्तिगत किसान, सड़क किनारे फेरी लगाने वाले, आदि और जो स्व-रोज़गार हैं लेकिन अन्य श्रमिकों को भी नियोजित करते हैं।

विभिन्न खंडों के लिए गिनी गुणांक

- स्व-रोज़गार श्रमिकों के लिए गिनी 0.37 से बढ़कर 0.3765 हो गई है, जो 1.5% की वृद्धि है।
- नियमित और आकस्मिक वेतन श्रमिकों के लिए, गुणांक रजिस्टर क्रमशः 1.7% और 4.8% गिर जाता है।
- यद्यपि असमानता में कमी आई है, लेकिन शीर्ष आय अर्जित करने वालों के बीच असमानता कहीं अधिक कम हुई है।

निष्कर्ष

- विश्लेषण करदाता डेटा पर आयोजित किया जाता है, और आय अर्जित करने वाले अधिकांश लोग कर दायरे से बाहर आते हैं।
- 2022-23 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 80% आय अर्जित करने वाले प्रति वर्ष 2.5 लाख से कम कमाते हैं - न्यूनतम कर योग्य राशि।

- रिपोर्ट में केवल उन व्यक्तियों पर विचार किया जाता है जो काम से आय अर्जित करते हैं। इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं जो अवैतनिक पारिवारिक सहायक के रूप में काम करते हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है।

भारत का पहला AI यूनिकॉर्न

खबरों में क्यों?

- ओला समूह की AI फर्म क्रुट्रिम भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न है।
- क्रुट्रिम ने एक फंडिंग राउंड में $1 बिलियन के मूल्यांकन पर $50 मिलियन जुटाए हैं।

यूनिकॉर्न क्या है?

- यूनिकॉर्न एक शब्द है जिसका उपयोग उद्यम पूंजी उद्योग में $ 1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली निजी तौर पर आयोजित स्टार्टअप कंपनी का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
- यह शब्द पौराणिक प्राणी की तरह, ऐसी कंपनियों की दुर्लभता और विशिष्टता का प्रतिनिधित्व करने के लिए गढ़ा गया था।
- यूनिकॉर्न को अक्सर उनकी तीव्र वृद्धि, विघटनकारी व्यवसाय मॉडल और पर्याप्त निवेश आकर्षित करने की क्षमता की विशेषता होती है।
- यूनिकॉर्न का विकास: महामारी के दौरान घर से काम करने से भारत में डिजिटल व्यवसायों की वृद्धि को बढ़ावा मिला, इस घटना के परिणामस्वरूप यूनिकॉर्न की एक लंबी सूची भी बन गई।
- मुख्य रूप से तीन कारक, एक संपन्न डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र, बड़ा स्मार्टफोन उपयोगकर्ता आधार और डिजिटल-फर्स्ट बिजनेस मॉडल, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक साथ आए हैं।
- यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाली कंपनियों को उच्च मूल्य वाला माना जाता है और उनमें अपने संबंधित उद्योगों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता होती है।

भारत के यूनिकॉर्न

- 2023 तक, भारत 111 यूनिकॉर्न का घर है, जिसका कुल मूल्यांकन $349.67 बिलियन है।
- वर्ष 2021, 2020 और 2019 में सबसे अधिक संख्या में भारतीय यूनिकॉर्न का जन्म हुआ।
- बेंगलुरु भारत की यूनिकॉर्न राजधानी है, जहां सबसे अधिक संख्या में यूनिकॉर्न मुख्यालय हैं, इसके बाद दिल्ली (NCR) और मुंबई का स्थान है।
- ई-कॉमर्स, फिन-टेक, ई-कॉमर्स, आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स, इंटरनेट सॉफ्टवेयर और सेवाओं जैसे पारंपरिक क्षेत्र इस क्षेत्र में हावी हैं, लेकिन सामग्री, गेमिंग, आतिथ्य, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण आदि जैसे अपरंपरागत क्षेत्रों की एक मजबूत लहर है।
- मेन्सा ब्रांड्स को 2021 में यूनिकॉर्न बनने में केवल 6 महीने लगे, जिससे यह एशिया में सबसे तेज़ यूनिकॉर्न में से एक बन गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यूनिकॉर्न के उदय का महत्व

- नौकरी सृजन: यूनिकॉर्न अक्सर तेजी से विकास का अनुभव करते हैं, जिससे नौकरी के अवसरों में वृद्धि होती है।
- नवाचार और प्रौद्योगिकी: उनकी सफलता एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक है जो नवाचार, अनुसंधान और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देता है।
- विदेशी निवेश: विदेशी निवेश न केवल इन कंपनियों के लिए पूंजी प्रदान करता है बल्कि आर्थिक विकास का समर्थन करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी के समग्र प्रवाह में भी योगदान देता है।
- उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र: इन कंपनियों की सफलता की कहानियां इच्छुक उद्यमियों को प्रेरित करती हैं, जिससे समग्र उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- वैश्विक मान्यता: भारतीय यूनिकॉर्न, विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर विस्तार करने वाले, प्रौद्योगिकी और व्यापार नवाचार के केंद्र के रूप में भारत की वैश्विक मान्यता को बढ़ाते हैं।
- आर्थिक विकास: यूनिकॉर्न की सफलता अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य जोड़कर आर्थिक विकास में योगदान करती है।

यूनिकॉर्न/स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- अटल इनोवेशन मिशन (AIM): यह योजना सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई थी, और इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना है क्योंकि सरकार कई आर्थिक क्षेत्रों में स्टार्ट-अप विकास में सहायता के लिए नए कार्यक्रम और नीतियां बनाती है।
- यह पांच वर्षों में वित्त फर्मों को लगभग 10 करोड़ रुपये का अनुदान देता है।
- मल्टीप्लायर अनुदान योजना (MGS): इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने वस्तुओं और सेवाओं के विकास के लिए उद्योगों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास को सशक्त बनाने के लिए मल्टीप्लायर अनुदान योजना (MGS) शुरू की।
- सरकार दो साल से कम अवधि के लिए प्रति प्रोजेक्ट अधिकतम 2 करोड़ रुपये की राशि देती है।
- डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS): पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विभाग ने DEDS योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार पैदा करना है।
- गतिविधियों में दूध उत्पादन, खरीद, संरक्षण, विपणन आदि शामिल हैं।
- स्टार्टअप इंडिया पहल: यह भारत में स्टार्टअप के लिए सबसे लोकप्रिय सरकारी योजनाओं में से एक है। स्टार्टअप इंडिया पहल का लक्ष्य उद्यमियों को पांच वर्षों से अधिक समय तक कर लाभ प्रदान करना है।

- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना: भारत सरकार ने शुरुआती चरण के स्टार्टअप की सहायता के लिए 2021 में इस योजना की शुरुआत की।
- इस योजना के तहत चयनित उद्यमियों को 5 करोड़ रुपये की फंडिंग मिलेगी।
- स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS): सरकार ने स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2016 में 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ फंड की स्थापना की है।
- इस फंड का प्रबंधन SIDBI (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

चुनौतियां

- यूनिकॉर्न स्टार्टअप की बढ़ती संख्या के साथ भारत एक जीवंत और विविध स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का घर है
- हालाँकि, इनमें से अधिकांश यूनिकॉर्न विभिन्न कारणों से, जैसे नियामक बाधाओं, उच्च लागत और प्रचुर निजी पूंजी के कारण, अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं।
- अमेरिका के विपरीत, जहां नैस्डैक है, या चीन, जिसके पास स्टार मार्केट है, भारत में स्टार्टअप के लिए कोई समर्पित स्टॉक एक्सचेंज नहीं है।
- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) जैसे मौजूदा एक्सचेंजों में लाभप्रदता मानदंड, न्यूनतम प्रमोटर होल्डिंग, लॉक-इन अवधि और प्रकटीकरण आवश्यकताओं जैसे कड़े लिस्टिंग मानदंड हैं, जो उपयुक्त नहीं हो सकते हैं स्टार्टअप्स की विकास-उन्मुख और नवाचार-संचालित प्रकृति।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

- भारतीय अर्थव्यवस्था अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम की सफलता से जटिल रूप से जुड़ी हुई है।
- दीर्घकालिक संभावनाएं अभी भी आशाजनक हैं क्योंकि आईएमएफ का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।
- आने वाले वर्षों में निवेश गतिविधि में तेजी आने की उम्मीद है क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाएगी, जिससे भारत की शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में स्थिति मजबूत हो जाएगी।
- स्टार्टअप्स में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है जो पेशेवर अपस्किलिंग और चल रही शिक्षा पर जोर देते हैं, जो श्रमिक सशक्तिकरण के लिए उद्योग के समर्पण को प्रदर्शित करते हैं।

भारत में मसूर उत्पादन में वृद्धि

खबरों में क्यों?

- भारत का मसूर (दाल) उत्पादन 2023-24 में 1.6 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर को छूने का अनुमान है।

मसूर के बारे में

- चालू रबी सीजन में मसूर का कुल रकबा बढ़कर 1.94 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 1.83 मिलियन हेक्टेयर था।
- दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता होने के बावजूद, भारत घरेलू कमी को पूरा करने के लिए मसूर और तुअर सहित कुछ दालों का आयात करता है।

भारत में दालों का उत्पादन

- भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का 25%), उपभोक्ता (विश्व खपत का 27%) और आयातक (14%) है।
- खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दालों की हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत है और देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान लगभग 7-10 प्रतिशत है।
- हालाँकि दालें ख़रीफ़ और रबी दोनों सीज़न में उगाई जाती हैं, रबी दालें कुल उत्पादन में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान देती हैं।
- चना सबसे प्रमुख दाल है जिसकी कुल उत्पादन में हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है, इसके बाद तुअर/अरहर की हिस्सेदारी 15 से 20 प्रतिशत और उड़द/काली मटपे और मूंग की हिस्सेदारी लगभग 8-10 प्रतिशत है।
- उच्च उत्पादकता वाले मुख्य क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल डेल्टा क्षेत्र, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तटीय और पूर्वी कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं।

भारत में कम उत्पादन के कारण

- कम उत्पादकता: अपनी पैदावार की अस्थिरता के कारण दलहन पारंपरिक रूप से एक उपेक्षित फसल रही है।
- अवशिष्ट फसल: भारत में दालों को एक अवशिष्ट फसल माना जाता है और सीमांत/कम उपजाऊ भूमि में वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगाया जाता है, जिसमें कीट और पोषक तत्व प्रबंधन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।
- हरित क्रांति के आगमन के साथ, जिसने बाहरी इनपुट और आधुनिक किस्मों के बीजों का उपयोग करके चावल और गेहूं को बढ़ावा दिया, दालों को सीमांत भूमि पर धकेल दिया गया। इसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में गिरावट आई और भूमि निम्नीकरण हुआ।
- तकनीकी प्रगति का अभाव: किसी भी दलहन फसल में प्रौद्योगिकी में कोई प्रगति नहीं हुई है।

- कम लाभकारी: किसान गेहूं और चावल जैसी अन्य फसलों की तुलना में दालों को कम लागत लाभ अनुपात वाला मानते हैं।
- उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYV) के बीजों का प्रवेश और अपनाना भी कम है।
- कटाई के बाद के नुकसान: भंडारण के दौरान अत्यधिक नमी और भंडारित अनाज के कीटों, विशेषकर दाल बीटल के हमले के कारण फसल के बाद के नुकसान होते हैं।

उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपाय

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सभी जिलों में क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)-दलहन लागू कर रहा है।
- अनुसंधान और विकास: देश में दलहनी फसलों की उत्पादकता क्षमता बढ़ाने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) इन फसलों पर बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान कर रही है और स्थान विकसित करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से अनुप्रयुक्त अनुसंधान कर रही है- विशिष्ट उच्च उपज देने वाली किस्में।
- पीएम-आशा: किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, सरकार एक व्यापक योजना पीएम-आशा लागू करती है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS) और निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना (PPSS) शामिल हैं। (MSP) किसानों को उनकी अधिसूचित तिलहन, दालें और खोपरा उपज के लिए।
- तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का की एकीकृत योजना (ISOPOM) 14 प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में शुरू की गई।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई जिसके तहत राज्य दलहन विकास कार्यक्रम चला सकते हैं।

भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह

खबरों में क्यों?

- शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर के कुल बजट अनुमान का 80.61% है।

टैक्स क्या है?

- सरकार द्वारा सामाजिक परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए आय जुटाने के लिए, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से व्यक्तियों और निगमों से कर एकत्र किया जाता है।
- प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उस व्यक्ति या कंपनी द्वारा सीधे सरकार को भुगतान किया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है।
- आयकर, संपत्ति कर, निगम कर और संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर के कुछ उदाहरण हैं।
- अप्रत्यक्ष कर वे हैं जो बिचौलियों द्वारा व्यक्तियों और निगमों से एकत्र किए जाते हैं जो कर का बोझ उठाते हैं और सरकार को हस्तांतरित करते हैं।
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है।
- निगम कर सरकार के कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है।

सरकार की आय के स्रोत के रूप में कर

- राजस्व प्राप्तियाँ दो प्रकार की हो सकती हैं - गैर-कर राजस्व और कर राजस्व।
- कर राजस्व कराधान के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त आय है।
- कर राजस्व रसीद बजट का एक हिस्सा बनता है, जो बदले में केंद्रीय बजट के वार्षिक वित्तीय विवरण का हिस्सा होता है।
- केंद्रीय बजट को राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में वर्गीकृत किया गया है।
- सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर राजस्व सरकार द्वारा करों के माध्यम से एकत्र किए गए देश के उत्पादन के हिस्से को दर्शाता है।

भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह का अवलोकन

- कर आधार को बढ़ाना पिछले कई वर्षों से प्रमुख कार्य योजना क्षेत्रों में से एक रहा है लेकिन उपलब्धि लक्ष्य से कम रही है।
- उच्च निवल मूल्य वाले करदाताओं और संभावित करदाताओं को कर के दायरे में लाकर नीति और प्रवर्तन कार्रवाई दोनों के माध्यम से कर आधार के साथ-साथ करदाता आधार को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
- नए करदाताओं को लाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, बजाय उन क्षेत्रों को लक्षित करके जो पहले से ही कर के दायरे में हैं, उन भुगतानकर्ताओं पर भारी बोझ डालना होगा जो वर्तमान में कर रहित हैं, विशेष रूप से अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र।

प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि का महत्व

- राजकोषीय स्थिरता: बढ़ता प्रत्यक्ष कर संग्रह उधार पर निर्भरता को कम करके और एक स्थायी राजस्व प्रवाह सुनिश्चित करके राजकोषीय स्थिरता में योगदान देता है। संतुलित बजट बनाए रखने और राजकोषीय घाटे से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है, जिसका समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- विकासात्मक योजनाओं के लिए धन आवंटन: अपेक्षा से अधिक राजस्व का मतलब यह भी है कि केंद्र राजकोषीय घाटे के बढ़ने की चिंता किए बिना विकासात्मक योजनाओं के लिए कुछ आय निर्देशित कर सकता है।
- आर्थिक विकास का संकेत: प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ना अक्सर आर्थिक विकास से जुड़ा होता है। जैसे-जैसे व्यक्ति और व्यवसाय अधिक आय और मुनाफा कमाते हैं, प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि होती है।

- साख: उच्च प्रत्यक्ष कर संग्रह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में किसी देश की साख पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- बजटीय योजना: विश्वसनीय और बढ़ता प्रत्यक्ष कर राजस्व सरकार को आय का अधिक पूर्वानुमानित स्रोत प्रदान करता है, जिससे बेहतर बजटीय योजना और सरकारी कार्यक्रमों के निष्पादन की सुविधा मिलती है।

प्रत्यक्ष करों की वृद्धि के लिए सरकार द्वारा किये गये उपाय

- कर सुधार: सरकार समय-समय पर कर संरचना को सरल बनाने, अनुपालन बोझ को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुधार लाती है।
- डिजिटल पहल: वस्तु एवं सेवा कर (GST) और ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग सिस्टम के उपयोग जैसी पहल का उद्देश्य कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करना, मैन्युअल त्रुटियों को कम करना और समग्र दक्षता में सुधार करना है।
- करदाता शिक्षा और जागरूकता: करदाताओं को उनके अधिकारों, दायित्वों और कर नियमों के अनुपालन के लाभों के बारे में सूचित करने के लिए जन जागरूकता अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत ने कर-संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल में सक्रिय रूप से भाग लिया है। अन्य देशों के साथ सहयोग से भारतीय निवासियों द्वारा विदेशों में उत्पन्न आय पर नज़र रखने और कर लगाने में मदद मिलती है, जिससे कर चोरी की गुंजाइश कम हो जाती है।
- कर कानूनों का सरलीकरण: कर कानूनों को करदाताओं के लिए अधिक समझने योग्य बनाने के लिए उन्हें सरल और तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया गया है।
- कर कानूनों में स्पष्टता बेहतर अनुपालन में योगदान कर सकती है और करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच विवादों को कम कर सकती है।

पश्चिमी गोलार्ध

- कर महत्वपूर्ण संसाधन हैं जिनका अधिकतमीकरण और जुटाना सरकारों के लिए समाज के गरीबों और वंचित वर्गों और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह कर आधार और करदाता आधार के विस्तार से संभव है।
- कर प्रशासन को पेशेवर बनाने और इसे करदाताओं के अनुकूल बनाने के लिए प्रशासनिक दक्षता और अनुपालन में सुधार के लिए भी सख्ती से काम करने की जरूरत है।

चाय उद्योग का अंधकारमय चरण

खबरों में क्यों?

- भारत का चाय उद्योग 2002-07 के "काले चरण" की याद दिलाने वाली चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो आत्मनिरीक्षण और लचीलेपन की मांग कर रहा है।

भारतीय चाय उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ

- बढ़ी हुई इनपुट लागत: पिछले दशक में चाय की कीमतें लगभग 4% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ी हैं, हालांकि गैस और कोयले जैसे इनपुट की लागत 9-15% की CAGR से बढ़ी है।
- मांग-आपूर्ति का अंतर: छोटे चाय उत्पादकों और उत्पादन में वृद्धि, घरेलू खपत और निर्यात के अनुपात में नहीं है, जिससे अधिशेष उत्पादन होता है।
- कमजोर निर्यात: ईरान बाजार भारत से कुल चाय निर्यात का लगभग 20% हिस्सा है और भुगतान संबंधी मुद्दों के कारण ईरान को निर्यात में गिरावट आई है, जिससे निर्यातकों को वित्तीय तनाव हो रहा है।
- वैश्विक बाजारों में अधिशेष के कारण समग्र निर्यात मांग में गिरावट के कारण अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट आई।
- नेपाल के बागान: पड़ोसी देशों, विशेषकर नेपाल से घटिया चाय की निर्बाध और आसान आमद भारत के चाय उद्योग को खतरे में डाल रही है।
- अन्य कारक: स्थिर कीमतें, कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के बीच बाजार की शक्ति का संकेंद्रण, और पेय को अधिक किफायती बनाने के लिए चाय की गुणवत्ता में गिरावट आदि को प्रमुख कारकों के रूप में पहचाना गया है।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- भारतीय चाय बोर्ड ने उनकी आजीविका और शिक्षा आवश्यकताओं में सुधार के लिए "छोटे चाय उत्पादकों के बच्चों को शिक्षा वजीफा की सहायता" की एक योजना तैयार की थी।
- भारत सरकार ने चाय बोर्ड के माध्यम से 352 स्वयं सहायता समूह (SHG), 440 किसान उत्पादक संगठन (FPO) और 17 किसान उत्पादक कंपनियों (FPC) के गठन में मदद की थी।
- छोटे चाय उत्पादकों को बेहतर मूल्य प्राप्ति और जानकारी के मामले में मदद करने के लिए एक मोबाइल ऐप "चाय सहयोग" विकसित किया जा रहा है।

भारतीय चाय उद्योग

- भारत दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक और सबसे बड़ा काली चाय उत्पादक है।

- भारतीय चाय ईरान, इराक, सीरिया, सऊदी अरब, रूस आदि जैसे विभिन्न स्थानों पर निर्यात की जाती है और यह दुनिया में चौथा सबसे बड़ा चाय निर्यातक है।
- भारतीय चाय उद्योग 1.16 मिलियन श्रमिकों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहा है और इतने ही लोग अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं।
- भारत में उत्पादित लगभग 55% चाय असम में पैदा होती है। भारत का चाय उत्पादन 2008 से 2022 में 39% बढ़ गया है।
- प्रमुख चाय उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल हैं। इनके अलावा देश में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा भी चाय उत्पादक राज्य हैं।
- सरकार को भारतीय चाय उत्पादकों/निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बेहतर निर्यात बुनियादी ढांचा प्रदान करके, RODTEP (निर्यात उत्पादों पर शुल्क या करों की छूट) दर को बढ़ाकर और उधार पर ब्याज दर को कम करके राज्य कर्तव्यों को पूरी तरह से चुकाकर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।
- घरेलू बाजार में कम कीमतों पर बेचे जाने वाले चाय के कचरे को विनियमित करने, खराब गुणवत्ता वाली चाय के आयात को प्रतिबंधित करने और इसके स्वास्थ्य लाभों पर जोर देते हुए चाय को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

Tea Board of India
– The Tea Board of India is functioning as a statutory body of the Central Government under the Ministry of Commerce.
– It was established by the enactment of the Tea Act in 1953, to promote the cultivation, processing, and domestic trade as well as export of tea from India.

Geographical Condition for Tea production
– The tea plant grows well in tropical and subtropical climates. Tea bushes require a warm and moist frost-free climate all through the year.
– Soil: It requires deep and fertile well-drained soil, rich in humus and organic matter.
– Temperature: The average annual temperature for tea plants to grow well is in the range of 15-23°C.
– Precipitation: The rainfall needed is between 150-200 cm. Frequent showers evenly distributed over the year ensure continuous growth of

स्विट्जरलैंड का आयात शुल्क हटाने का निर्णय

खबरों में क्यों?

- ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत सभी देशों से टैरिफ-मुक्त प्रवेश की अनुमति देने की स्विट्जरलैंड की नीति भारत के लिए लाभ सीमित करती है।
- स्विट्जरलैंड ने रसायनों, उपभोक्ता वस्तुओं, वाहनों और कपड़ों सहित उत्पादों पर टैरिफ समाप्त कर दिया है।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बारे में

- यह आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है।
- इसकी स्थापना 1960 में इसके तत्कालीन सात सदस्य राज्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- भारत के साथ व्यापार: 2022 में, संयुक्त EFTA-भारत व्यापारिक व्यापार 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया।
- EFTA राज्यों के प्राथमिक आयात में कार्बनिक रसायन (27.5%) शामिल थे, जबकि मशीनरी (17.5%) और फार्मास्युटिकल उत्पाद (11.4%), भारत को मुख्य निर्यात थे।

EFTA के साथ भारत के व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) के बारे में

- व्यापार समझौते पर बातचीत 2008 में शुरू हुई और 2016 में बातचीत फिर से शुरू हुई।
- वार्ता के नवीनतम दौर में वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), व्यापार और सतत विकास, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, व्यापार उपचार और सीमा शुल्क और व्यापार सुविधाएं शामिल थीं।

स्विट्जरलैंड की नीति EFTA के तहत भारत के लाभ को कैसे प्रभावित करती है?

- बातचीत पर प्रभाव: स्विट्जरलैंड के फैसले से बातचीत की गतिशीलता बदल जाती है क्योंकि इसका मौजूदा भारत-EFTA व्यापार समझौते से भारत के लाभ पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
- बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि: स्विट्जरलैंड ईएफटीए में भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य है और आयात शुल्क उन्मूलन का मतलब है कि EFTA के साथ एफटीए के बावजूद भारतीय उत्पादों को स्विट्जरलैंड में उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

- कृषि निर्यात में कोई लाभ नहीं: टैरिफ, गुणवत्ता मानकों और अनुमोदन आवश्यकताओं के जटिल जाल के कारण स्विट्जरलैंड में कृषि उपज का निर्यात चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
- स्विट्जरलैंड सहित EFTA ने अधिकांश बुनियादी कृषि उपज पर कृषि शुल्क शून्य करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है।
- नतीजतन, शून्य औद्योगिक टैरिफ और स्विट्जरलैंड को कृषि उपज निर्यात करने में कठिनाई के साथ, व्यापारिक निर्यात में भारत के संभावित लाभ प्रभावी रूप से समाप्त हो गए हैं।
- स्विट्जरलैंड के साथ व्यापार घाटा: वित्त वर्ष 2023 में, स्विट्जरलैंड से भारत का आयात 15.79 बिलियन डॉलर था, जो इसके 1.34 बिलियन डॉलर के निर्यात के बिल्कुल विपरीत था, जिससे 14.45 बिलियन डॉलर का पर्याप्त व्यापार घाटा हुआ।
- स्विट्जरलैंड की नीति इस व्यापार घाटे को और अधिक बढ़ाएगी।

निष्कर्ष

- वर्तमान प्रारूप में व्यापार समझौते से भारतीय निर्यात को मदद नहीं मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप उच्च आयात और व्यापक व्यापार घाटा होगा।
- भारत को इन वार्ताओं को व्यापार संतुलन, घरेलू हितों की रक्षा और एक निष्पक्ष और लाभकारी समझौते पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ाना चाहिए।

मॉडल-आधारित एल्गोरिदम ऋण

खबरों में क्यों?

- भारतीय रिज़र्व बैंक मॉडल-आधारित एल्गोरिदम ऋण देने से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की बारीकी से जांच कर रहा है, जिसके कारण असुरक्षित ऋणों में वृद्धि हुई है।

मॉडल-आधारित एल्गोरिथम ऋण देने के बारे में

- एल्गोरिथम मॉडल कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग द्वारा संचालित होते हैं
- इसने न केवल परिचालन लागत को कम किया है बल्कि वित्तीय सेवा प्रदाताओं की पहुंच का भी विस्तार किया है।
- यह अक्सर 'ब्लैक बॉक्स' के रूप में कार्य करता है, जिससे उनके निर्णयों के पीछे के तर्क को समझना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
  - इस तरह के मॉडल-आधारित ऋण से संभावित संकट पैदा हो सकता है।
- इसलिए प्रबंधन, निदेशक मंडल और ऑडिट समितियों को एल्गोरिदम में मजबूती सुनिश्चित करनी चाहिए और इन मॉडलों द्वारा पैदा होने वाले संभावित जोखिमों का आकलन करना चाहिए।
- रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी प्रणालियों को भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ वित्तीय क्षेत्र की गतिशीलता के अनुरूप ढालने के लिए पुन: अंशांकित किया गया है ताकि संभावित संकट को पहले ही भांप लिया जा सके।

प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात 9 वर्षों में 150% बढ़ा

खबरों में क्यों?

- वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने पिछले नौ वर्षों में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में 150% की वृद्धि पर प्रकाश डाला।
- भारतीय खाद्य बाजार में अपार संभावनाएं हैं, जो 1.4 बिलियन के घरेलू बाजार और लगभग 30 लाख लोगों के वैश्विक भारतीय प्रवासी की जरूरतों को पूरा करता है, जो भारतीय व्यंजनों का स्वाद लेते हैं।
- भारत का कृषि निर्यात कुल मिलाकर लगभग 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- भारत सरकार ने 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस क्षेत्र के लिए एक दृष्टिकोण निर्धारित किया है।

खाद्य प्रसंस्करण के बारे में

- खाद्य प्रसंस्करण से तात्पर्य कच्चे कृषि उत्पादों को मानव उपभोग के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों में बदलने से है।
- प्रसंस्करण कई प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, जैसे कटाई, सफाई, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, संरक्षण और परिवहन।
- इस क्षेत्र का आकार लगभग 322 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, और 14.6% की सीएजीआर से बढ़ते हुए 2025 तक इसके 543 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुख्य रूप से देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में केंद्रित है।
- महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात राज्य इस क्षेत्र में अग्रणी योगदानकर्ता हैं। हालाँकि, देश के पूर्वी और उत्तर--पूर्वी क्षेत्रों में इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी अप्रयुक्त संभावना है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का महत्व

- आर्थिक योगदान: खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र न केवल खाद्य उत्पादन में बल्कि पैकेजिंग, वितरण, विपणन और अनुसंधान एवं विकास में भी रोजगार प्रदान करता है।
- खाद्य सुरक्षा: उद्योग खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रसंस्करण विधियों में अक्सर रोगजनकों, संदूषकों और खराब करने वाले सूक्ष्मजीवों को खत्म करने या कम करने के चरण शामिल होते हैं।

- नवाचार: खाद्य प्रसंस्करण कच्चे माल को मिलाकर और परिवर्तित करके विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों के निर्माण की अनुमति देता है। यह नवाचार उपभोक्ताओं के लिए विविध भोजन विकल्पों में योगदान देता है।
- निर्यात के अवसर: प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ अक्सर लंबी होती है और वे परिवहन के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख खिलाड़ी बन जाते हैं।
- फोर्टिफिकेशन: खाद्य प्रसंस्करण आवश्यक पोषक तत्वों के साथ कुछ उत्पादों के फोर्टिफिकेशन की अनुमति देता है, जिससे आबादी में पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सके।
- ऊर्जा दक्षता: खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में प्रगति अधिक ऊर्जा-कुशल तरीकों में योगदान करती है, जिससे खाद्य उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित चुनौतियाँ

- अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की कमी: कई खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय छोटे और मध्यम उद्यमों (SME) क्षेत्र में संचालित होते हैं, जिनके पास अक्सर अपनी सुविधाओं और मशीनरी को नवीनतम तकनीक में अपग्रेड करने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी होती है।
- कोल्ड चेन और भंडारण की कमी: उद्योग अकुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं, अपर्याप्त भंडारण और परिवहन सुविधाओं और ऋण और वित्तपोषण तक पहुंच की कमी से भी ग्रस्त है।
- खाद्य सुरक्षा मुद्दे: संदूषण जोखिम, चाहे जैविक, रासायनिक या भौतिक, खाद्य जनित बीमारियों का कारण बन सकता है, जो उपभोक्ता विश्वास और उद्योग प्रतिष्ठा दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है।
- कच्चे माल की सोर्सिंग: फसल की पैदावार में परिवर्तनशीलता, मौसम की स्थिति और भू-राजनीतिक कारक प्रमुख सामग्रियों की उपलब्धता और लागत को प्रभावित कर सकते हैं।
- जटिल विनियम: उद्योग विनियमों, लाइसेंसों और परमिटों के एक जटिल जाल के अधीन है, जिसे नेविगेट करना व्यवसायों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

महत्वपूर्ण सरकारी पहल

- खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन: 2012 में केंद्रीय रूप से लॉन्च किया गया।
- प्रायोजित योजना (CSS)। इस मिशन का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और खाद्य श्रृंखला में मूल्यवर्धन बढ़ाना है।
- मेगा फूड पार्क योजना: मेगा फूड पार्क एक एकीकृत सुविधा है जो भंडारण, प्रसंस्करण प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के लिए मूल्य संवर्धन।
- मेगा फूड पार्क योजना के तहत भारत सरकार प्रति मेगा फूड पार्क परियोजना के लिए 50.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- मेगा फूड पार्क योजना "क्लस्टर" दृष्टिकोण पर आधारित है और एक अच्छी तरह से परिभाषित कृषि / बागवानी-प्रसंस्करण क्षेत्र की परिकल्पना करती है जिसमें समर्थन बुनियादी ढांचे और अच्छी तरह से स्थापित आपूर्ति श्रृंखला के साथ अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं।
- अन्य पहल: मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तीन प्रमुख योजनाओं को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहा है: प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण (PMFME) योजना, और उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की मंजूरी।
- बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण, उत्पाद ब्रांडिंग और निर्यात उन्मुख रणनीति की आवश्यकता है।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस इंटेलिजेंट फूड प्रोसेसिंग हब स्थापित करना। इन केंद्रों में संपूर्ण खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी करने, खेत से उपभोक्ता की मेज तक गुणवत्ता, पता लगाने की क्षमता और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने की क्षमता है।

आय में बढ़ता अंतर

खबरों में क्यों?

- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पिछले दशक में असमानता में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।

मुख्य निष्कर्ष

- रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गिनी गुणांक 2014-15 में 0.472 से गिरकर 2022-23 में 0.402 हो गया है।
- गिनी गुणांक नियमित वेतन और आकस्मिक वेतन वाले श्रमिकों के लिए गिरता है, लेकिन स्व-रोज़गार वाले के लिए बढ़ जाता है। हालाँकि, परिवर्तन काफी हद तक न्यूनतम हैं।

आय का ध्रुवीकरण

- गिनी गुणांक में गिरावट के साथ-साथ आय में ध्रुवीकरण भी होता है। शीर्ष 10% की आय निचले 30% की तुलना में तेजी से बढ़ी है, स्व-रोज़गार श्रमिकों के बीच बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण देखा गया है।

- स्व-रोज़गार की श्रेणी में स्वयं के खाते वाले श्रमिक शामिल हैं, जैसे कि व्यक्तिगत किसान, सड़क किनारे फेरी लगाने वाले, आदि और जो स्व-रोज़गार हैं लेकिन अन्य श्रमिकों को भी नियोजित करते हैं।

विभिन्न खंडों के लिए गिनी गुणांक

- स्व-रोज़गार श्रमिकों के लिए गिनी 0.37 से बढ़कर 0.3765 हो गई है, जो 1.5% की वृद्धि है।
- नियमित और आकस्मिक वेतन श्रमिकों के लिए, गुणांक रजिस्टर क्रमशः 1.7% और 4.8% गिर जाता है।
- यद्यपि असमानता में कमी आई है, लेकिन शीर्ष आय अर्जित करने वालों के बीच असमानता कहीं अधिक कम हुई है।

निष्कर्ष

- विश्लेषण करदाता डेटा पर आयोजित किया जाता है, और आय अर्जित करने वाले अधिकांश लोग कर दायरे से बाहर आते हैं।
- 2022-23 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 80% आय अर्जित करने वाले प्रति वर्ष 2.5 लाख से कम कमाते हैं - न्यूनतम कर योग्य राशि।
- रिपोर्ट में केवल उन व्यक्तियों पर विचार किया जाता है जो काम से आय अर्जित करते हैं। इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं जो अवैतनिक पारिवारिक सहायक के रूप में काम करते हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है।

दिवालियापन तंत्र समूह

खबरों में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में समूह दिवालियापन तंत्र के लिए एक निर्दिष्ट ढांचे पर जोर दिया।

दिवालियापन तंत्र समूह

- समूह दिवाला तंत्र एक कानूनी ढांचा है जिसे दिवाला परिदृश्यों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां एक कॉर्पोरेट समूह के भीतर कई कंपनियां वित्तीय रूप से संकटग्रस्त हैं।
- यह ढांचा इन कंपनियों के बीच जटिल अंतरनिर्भरता को संबोधित करता है, व्यापक विफलताओं को रोकता है और अधिक व्यापक और कुशल समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
- यूके, यूएस और जापान सहित कई विकसित देशों ने समूह दिवालियापन ढांचे को लागू किया है या विकसित कर रहे हैं।
- सीमा पार दिवाला पर UNCITRAL मॉडल कानून देशों को अपने स्वयं के ढांचे को डिजाइन करते समय समूह दिवाला तंत्र पर विचार करने के लिए सिफारिशें प्रदान करता है।

ज़रूरत

- एक निर्दिष्ट ढांचे के अभाव में, भारत में अदालतों के मार्गदर्शन में दिवाला तंत्र समूह विकसित हो रहा है।
- इसके अलावा, वर्तमान दिवाला ढाँचा अक्सर एक समूह के भीतर प्रत्येक कंपनी को एक अलग इकाई के रूप में मानता है। यह तब समस्याग्रस्त हो सकता है जब किसी समूह के भीतर की कंपनियां वित्तीय रूप से एक-दूसरे से जुड़ी हों, ऋण और संपत्ति सहायक कंपनियों के बीच साझा की गई हो।

फ़ायदे

- लेनदार वसूली में वृद्धि: एक समन्वित दृष्टिकोण परिसंपत्ति वसूली को अधिकतम कर सकता है और प्रत्येक कंपनी के लिए अलग-अलग कार्यवाही की तुलना में लेनदार रिटर्न में सुधार कर सकता है।
- व्यवहार्य व्यवसायों का संरक्षण: रूपरेखा समूह के भीतर स्वस्थ कंपनियों की पहचान करने और उन्हें बचाने में मदद कर सकती है, जिससे अनावश्यक नौकरी हानि और आर्थिक व्यवधान को रोका जा सकता है।
- समग्र आर्थिक स्थिरता में वृद्धि: डोमिनोज़ प्रभावों को रोककर और समूह दिवालियापन को कुशलतापूर्वक हल करके, ढांचा अधिक स्थिर व्यावसायिक वातावरण में योगदान कर सकता है।

चुनौतियां

- जटिलता: समूह ढांचे को अपनाने में संभावित चुनौतियाँ हैं: संपत्तियों का मिश्रण, 'समूह' की परिभाषा तैयार करना और सीमा पार पहलुओं को संबोधित करना।
- तनावग्रस्त संपत्तियों के लिए बाजार की अनुपस्थिति: तनावग्रस्त संपत्तियों पर, एक सफल समाधान योजना को लागू करने में एक बड़ी बाधा देश में तनावग्रस्त संपत्तियों के लिए एक जीवंत बाजार की अनुपस्थिति रही है। यह आईबीसी के तहत तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए संभावित समाधान आवेदकों के पूल को प्रभावी ढंग से सीमित करता है।
- संभावित दुरुपयोग: कंपनियों को अपने लाभ के लिए ढांचे का दुरुपयोग करने या संपत्ति को लेनदारों से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
- प्रवर्तन: ढांचे के अनुपालन को सुनिश्चित करने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रवर्तन तंत्र महत्वपूर्ण हैं।

इसके आगे

- ऋणों में एक मजबूत द्वितीयक बाज़ार ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र हो सकता है।
- व्यापक तरीके से वित्तीय ऋणदाता के नेतृत्व वाले समाधान ढांचे पर जोर देने के साथ संहिता में कोई भी संशोधन समय की मांग है।

विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक: Trends 2024 रिपोर्ट

खबरों में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक: Trends 2024 रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख निष्कर्ष

- बेरोजगारी और नौकरियों का अंतर दोनों महामारी-पूर्व स्तर से नीचे आ गए हैं लेकिन 2024 में वैश्विक बेरोजगारी बढ़ेगी।
- आर्थिक सुधार: 2023 में व्यापक आर्थिक माहौल काफी खराब हो गया।
  - चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के साथ-साथ लगातार और बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार और आक्रामक कदम उठाए गए।
  - उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण वैश्विक नतीजों के साथ 1980 के दशक के बाद से ब्याज दरों में सबसे तेज वृद्धि लागू की।
  - आर्थिक मंदी: चीन, तुर्किये और ब्राज़ील में मंदी काफी धीमी हो गई, जिससे वैश्विक औद्योगिक गतिविधि, निवेश और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- आर्थिक मंदी के बावजूद, 2023 में वैश्विक विकास अनुमान से मामूली अधिक था, और श्रम बाजारों ने आश्चर्यजनक लचीलापन दिखाया।
  - बेरोजगारी दर: 2023 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.1% थी, जो 2022 की तुलना में मामूली सुधार है।
- श्रम बाज़ार में भागीदारी दर भी काफी हद तक अपने महामारी के निचले स्तर से उबर गई थी।
- हालाँकि 2023 में असंतुलन कुछ हद तक कम हो गया, लेकिन चिंताएँ बढ़ रही हैं कि ये श्रम बाज़ार असंतुलन प्रकृति में चक्रीय के बजाय संरचनात्मक हैं।
  - अधिकांश G20 देशों में वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई क्योंकि वेतन वृद्धि मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही।
- 2023 में, अत्यधिक गरीबी में रहने वाले श्रमिकों की संख्या - क्रय शक्ति समता (PPP) के संदर्भ मंक प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम कमाई - विश्व स्तर पर लगभग दस लाख की वृद्धि हुई।
- केवल चीन, रूसी संघ और मैक्सिको ने 2023 में सकारात्मक वास्तविक वेतन वृद्धि का आनंद लिया।
- भारत और तुर्किये में वास्तविक वेतन वृद्धि भी सकारात्मक थी।

रिपोर्ट के अनुसार सुझाव

- तेजी से बूढ़े होते देशों में, नीति निर्माताओं को कमजोर श्रम बाजार लगाव वाले समूहों, विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और वृद्ध श्रमिकों की भागीदारी का समर्थन करने की आवश्यकता है।
- निवेश और कौशल नीतियों को उत्पादकता और संभावित विकास को बढ़ाने और तकनीकी प्रगति के अधिक उत्पादक उपयोग की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है।
- कम वेतन और कठिन कामकाजी परिस्थितियों वाले क्षेत्रों और व्यवसायों में सुधार उन श्रमिकों को वापस आने के लिए प्रेरित कर सकता है जो चले गए थे।
- यह सुनिश्चित करना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोबाइल कर्मचारियों को पर्याप्त नौकरियां मिलें, कुछ कमी को कम किया जा सकता है।
- श्रम बाजार समायोजन का सामना करने वाली किसी भी संरचनात्मक बाधा के अल्पावधि में गायब होने की संभावना नहीं है, जिससे यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकारें और सामाजिक भागीदार इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए पूरक प्रयासों में संलग्न हों।

भारत की GDP वृद्धि

खबरों में क्यों?

- NSO के अनुसार, 2023-24 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 7.3% अनुमानित है, जबकि एक साल पहले यह 7.2% थी।

NSO अनुमान की मुख्य बातें

- कृषि क्षेत्र के लिए जीवीए वृद्धि एक साल पहले के 4% से आधे से अधिक घटकर इस वर्ष 1.8% होने का अनुमान है, जैसा कि व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और सेवाओं के मामले में है, जिनकी GVA वृद्धि 14% से मध्यम होकर 6.3% 2022-23 में होने का अनुमान है।
- सकल घरेलू उत्पाद में निजी अंतिम उपभोग व्यय का हिस्सा 2022-23 में 58.5% से इस वर्ष घटकर कम से कम तीन वर्षों में सबसे कम 56.9% होने की उम्मीद है।
- निवेश दर जीडीपी के लगभग 30% तक पहुंचने की संभावना है, जो सरकारी पूंजीगत व्यय से प्रेरित है, अर्थव्यवस्था को गति देने की ज़िम्मेदारी लेने के लिए निजी निवेश के लिए उच्च उपभोग वृद्धि महत्वपूर्ण है।
- विनिर्माण जीवीए वृद्धि 2023-24 में बढ़कर 6.5% होने का अनुमान है, जो एक साल पहले सिर्फ 1.3% थी, जबकि खनन जीवीए 2022-23 में 4.6% से बढ़कर 8.1% होने की उम्मीद है।
- वर्ष 2023-24 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर वास्तविक जीडीपी या जीडीपी 171.79 लाख करोड़ के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि 31 मई 2023 तारीख को जारी वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी का अनंतिम अनुमान ₹160.06 लाख करोड़ है।

भारत की GDP वृद्धि

- भारत की आर्थिक विकास की कहानी प्रभावशाली रही है, इसकी नाममात्र GDP 2024 में अनुमानित 3.5 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर (IMF) तक पहुंच गई है।
- हालाँकि, इस उच्च विकास पथ को बनाए रखने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता होती है।

चुनौतियां

- वैश्विक विपरीत परिस्थितियां: धीमी वैश्विक वृद्धि, बढ़ती ब्याज दरें और भू-राजनीतिक तनाव विदेशी निवेश और व्यापार को कम कर सकते हैं, जिससे भारत के निर्यात-उन्मुख क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं।
- घरेलू बाधाएँ: बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ, नौकरशाही बाधाएँ और कौशल की कमी कुशल उत्पादन और निवेश में बाधा बनती है।
- ग्रामीण संकट और असमान विकास: कम कृषि आय और ग्रामीण क्षेत्रों में धीमी नौकरी सृजन के कारण कुल मांग कम हो जाती है और समग्र आर्थिक विस्तार में बाधा आती है।
- वित्तीय क्षेत्र की समस्याएं: बैंकिंग प्रणाली में तनावग्रस्त संपत्ति व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए ऋण उपलब्धता को सीमित करती है, जिससे निवेश और खपत प्रभावित होती है।
- पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए बढ़ते प्रदूषण स्तर को संबोधित करने और जिम्मेदार संसाधन उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

पैमाने

- बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देना: रेलवे, राजमार्गों, बंदरगाहों और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश से कनेक्टिविटी में सुधार होता है, लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है और निवेश आकर्षित होता है।
- व्यापार करने में आसानी: नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, नौकरशाही लालफीताशाही को कम करना और पारदर्शिता में सुधार से निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।
- कौशल विकास और शिक्षा: शिक्षा को प्राथमिकता देना, कौशल पहल और व्यावसायिक प्रशिक्षण उद्योग की मांगों को पूरा करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यबल को प्रासंगिक कौशल से लैस करता है।
- कृषि को पुनर्जीवित करना: सिंचाई सुविधाओं में सुधार, तकनीकी सहायता प्रदान करना और एग्रीटेक नवाचार को बढ़ावा देना किसानों के लिए कृषि उत्पादकता और आय को बढ़ा सकता है।
- वित्तीय क्षेत्र में सुधार: बैंकों को मजबूत करना, खराब ऋणों का समाधान करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ऋण प्रवाह में सुधार और आर्थिक विकास का समर्थन करना।

आगे बढ़ने का रास्ता

- भारत की उच्च GDP वृद्धि को बनाए रखने के लिए चुनौतियों का समाधान करना और प्रभावी उपायों को लागू करना महत्वपूर्ण है।
- समावेशी विकास, पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना और घरेलू और विदेशी निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना भविष्य की आर्थिक समृद्धि के प्रमुख चालक हैं।

ग्रामीण भारत में आजीविका

खबरों में क्यों?

- लाइफ स्किल्स कोलैबोरेटिव द्वारा आयोजित एक समूह चर्चा में, अधिकांश ग्रामीण युवाओं से जब भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने गांव में रहना पसंद किया।

बारे में

- शहरीकरण की प्रचलित प्रवृत्ति के साथ संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2047 तक लगभग 50% भारतीय आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी, यह महत्वपूर्ण है कि उन लोगों को नजरअंदाज न किया जाए जो गांवों में रहना पसंद करते हैं।

ग्रामीण आजीविका

- आय का मुख्य स्रोत: खेती ग्रामीण आजीविका का मुख्य स्रोत है, कई ग्रामीण परिवारों के बच्चे परिवार के स्वामित्व वाले खेतों पर काम करके अपने परिवार की आय में मदद करते हैं।
- बदलते रुझान: ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक बड़े व्यावसायिक बदलाव का अनुभव कर रही है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2004-05 और 2011-12 के दौरान 34 मिलियन किसान अपने खेतों को छोड़कर निर्माण जैसे अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित हो रहे हैं।
- यह न केवल ग्रामीण युवाओं के बीच कृषि को एक महत्वाकांक्षी व्यवसाय बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, बल्कि वैकल्पिक रोजगार के अवसर भी पैदा करता है।
- वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा: ग्रामीण भारत में वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा ग्रामीण आबादी को कुशल बनाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ मिश्रित है, लेकिन इसमें प्लेसमेंट के बहुत कम या कोई अवसर नहीं हैं।
- वर्तमान में, ग्रामीण शिक्षा शायद ही कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, यदि स्कूलों में सीखने को ग्रामीण जीवन कौशल से जोड़ा जाता है, तो ग्रामीण शिक्षा में एक सक्षम पीढ़ी का पोषण करने की क्षमता होगी।

ग्रामीण भारत में युवाओं को कुशल बनाने के लिए भारत सरकार की पहल

- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): 2015 में शुरू की गई, PMKVY एक प्रमुख कौशल विकास योजना है जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को बेहतर आजीविका सुरक्षित करने में मदद करने के लिए उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है।
- यह योजना कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, निर्माण और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY): DDU-GKY राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का एक हिस्सा है और ग्रामीण गरीब युवाओं पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य बाजार-संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलना है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM): 2011 में शुरू किए गए NRLM का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विविध और लाभकारी स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर गरीबी को कम करना है।
- इसमें ग्रामीण युवाओं के लिए आजीविका विकल्पों को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख घटक के रूप में कौशल विकास शामिल है।
- मनरेगा के तहत कौशल विकास पहल: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और मजदूरी रोजगार के प्रावधान शामिल हैं।
- राज्य अपने मनरेगा फंड का एक हिस्सा कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित कर सकते हैं।
- ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI): RSETI ग्रामीण युवाओं, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करने के लिए स्थापित संस्थान हैं।
- इन संस्थानों का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- कृषि में कौशल विकास: विभिन्न पहल विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिसमें आधुनिक कृषि तकनीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग और कृषि व्यवसाय कौशल शामिल हैं।
- डिजिटल इंडिया: डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को पाटना है।

इसके आगे

- सार्थक रोजगार की तलाश में इन युवाओं के शहरी क्षेत्रों में प्रवास को नियंत्रित करने के लिए, प्रासंगिक ग्रामीण कौशल को आत्मसात करने के लिए छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है।
- प्रभावी ग्रामीण शिक्षा को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि इन क्षेत्रों में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी और जीवन कौशल, औपचारिक शिक्षा के माध्यम से उनके लिए सुलभ हो सकें।
- अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के शैक्षिक साक्ष्य सुझाव देते हैं - जैसे कि मेक्सिको के टेली-स्कूल और भूटान का कल्याण से जुड़ा पाठ्यक्रम।
- टेली-स्कूल विषय-वस्तु के साथ-साथ मूल्यों पर भी पाठ प्रदान करते हैं, जिससे उन दूरदराज के क्षेत्रों के लिए मूल्य-आधारित माध्यमिक शिक्षा तक उच्च स्तर की पहुंच प्रदान होती है जहां माध्यमिक विद्यालय दुर्लभ हैं।
- इससे बच्चों और माता-पिता के बीच बेहतर दृष्टिकोण और बढ़ती आकांक्षाओं के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था में आश्चर्यजनक लाभ दिखाई दिया है।
- ई-लर्निंग के माध्यम से ग्रामीण आबादी को कृषि मशीनीकरण, प्रदूषण निगरानी, नर्सिंग और डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रदान करके, ग्रामीण भारत पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों व्यवसायों में रोजगार क्षमता को बढ़ावा दे सकता है, जिससे एक जीवंत अर्थव्यवस्था बन सकती है।

5 विज्ञान और तकनीक

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नौकरी का नुकसान

खबरों में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के प्रमुख के अनुसार, AI 40% नौकरियों को प्रभावित करेगा और संभवतः असमानता को और खराब करेगा।

IMF द्वारा विश्लेषण

- अमेरिका और ब्रिटेन जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में लगभग 60% नौकरियाँ AI के संपर्क में हैं और इनमें से आधी नौकरियाँ नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती हैं।
- अत्यधिक कुशल नौकरियों को प्रभावित करने की एआई की क्षमता का मतलब है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को प्रौद्योगिकी से अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- प्रौद्योगिकी कुछ मनुष्यों की उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद करेगी क्योंकि AI उनके प्रदर्शन में सुधार करता है।
- सबसे सुरक्षित अत्यधिक जोखिम वाली नौकरियां AI के लिए "उच्च पूरकता" वाली हैं, जिसका अर्थ है कि तकनीक उनके काम को पूरी तरह से विस्थापित करने के बजाय सहायता करेगी।
- इसमें उच्च स्तर की ज़िम्मेदारी वाली भूमिकाएँ और लोगों के साथ बातचीत करना शामिल है - जैसे कि सर्जन, वकील और न्यायाधीश।
- "कम पूरकता" वाली उच्च-एक्सपोज़र वाली नौकरियाँ - जिसका अर्थ है AI द्वारा विस्थापित होने की संभावना।
- इसमें टेलीमार्केटिंग, या वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश करने के लिए लोगों को कोल्ड-कॉल करना शामिल है।
- AI एप्लिकेशन वर्तमान में मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को निष्पादित कर सकते हैं, जिससे श्रम की मांग कम हो सकती है, जिससे मजदूरी कम हो सकती है और नियुक्तियां कम हो सकती हैं।
- कम जोखिम वाले व्यवसायों में बर्तन धोने वाले और कलाकारी करने वाले शामिल हैं।
- उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में एआई नौकरियों का जोखिम 40% है - IMF द्वारा चीन, ब्राजील और भारत सहित राज्यों के रूप में परिभाषित - और IMF के अनुसार, कम आय वाले देशों के लिए 26%, कुल मिलाकर 40% से कम है।
- अधिकांश परिदृश्यों में AI संभवतः वैश्विक अर्थव्यवस्था में समग्र असमानता को खराब कर देगा और राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना सामाजिक तनाव को बढ़ावा दे सकता है।
- IMF विश्लेषण से पता चलता है कि उच्च वेतन पाने वाले जिनकी नौकरियों में AI के साथ उच्च पूरकता है, वे अपनी आय में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे असमानता में वृद्धि हो सकती है।

AI ने अन्य सकारात्मक पक्ष को प्रेरित किया

- रोजगार सृजन: AI विकास, डेटा विश्लेषण और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी नए अवसर पैदा करता है।
- उत्पादकता में वृद्धि: AI विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता और दक्षता को बढ़ावा दे सकता है, जिससे संभावित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन हो सकता है।
- पुनः कौशल और अनुकूलन: उचित प्रशिक्षण और समर्थन के साथ, जिन श्रमिकों की नौकरियां एआई से प्रभावित होती हैं, वे पुनः कौशल प्राप्त कर सकते हैं और मांग के अनुसार नई भूमिकाओं के लिए अनुकूल हो सकते हैं।
    - रोजगार पर AI का शुद्ध प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि ऑटोमेशन के कारण नौकरियाँ खत्म हो जाएंगी, जबकि अन्य का सुझाव है कि एआई विस्थापित करने की तुलना में अधिक नौकरियाँ पैदा करेगा।
- वास्तविक प्रभाव संभवतः तकनीकी उन्नति की दर, सरकारी नीतियों और श्रमिकों की अनुकूलन क्षमता जैसे कई कारकों के आधार पर भिन्न होगा।

पैमाने

- शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश: श्रमिकों को AI-संचालित अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना महत्वपूर्ण है।
- सामाजिक सुरक्षा जाल: देशों के लिए बेरोजगारी लाभ जैसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल स्थापित करना और कमजोर श्रमिकों के लिए पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश करना महत्वपूर्ण है।
- ऐसा करने पर, हम AI संक्रमण को अधिक समावेशी बना सकते हैं, आजीविका की रक्षा कर सकते हैं और असमानता पर अंकुश लगा सकते हैं।
- विनियमन और नैतिक विचार: जिम्मेदार AI विकास को लागू करना और एआई के लाभों का उचित वितरण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण विचार हैं।
- AI संपत्ति अधिकार: एआई संपत्ति अधिकारों की परिभाषा के साथ-साथ पुनर्वितरण और अन्य राजकोषीय नीतियों के संबंध में देशों की पसंद अंततः आय और धन वितरण पर इसके प्रभाव को आकार देगी।

- मध्य-कैरियर परिवर्तन: AI मध्य-कैरियर परिवर्तन में मदद कर सकता है क्योंकि यह वह युग है जहां विशेषज्ञता उंगलियों पर है। इसलिए कोई भी विशेषज्ञ बन सकता है क्योंकि AI सहायक मदद के लिए मौजूद है।

पश्चिमी गोलार्ध:

- AI और नौकरी छूटने के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी है। जबकि AI नौकरी विस्थापन के संभावित जोखिम पैदा करता है, यह नई नौकरियों और आर्थिक विकास के अवसर भी प्रदान करता है।
- मुख्य बात पुन: कौशल, सामाजिक सुरक्षा जाल और जिम्मेदार AI विकास के माध्यम से संक्रमण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है।
- चुनौतियों को स्वीकार करके और सक्रिय रूप से भविष्य के लिए तैयारी करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि AI सभी को लाभान्वित करे और अधिक न्यायसंगत और समृद्ध भविष्य में योगदान दे।

प्रकाश उत्सर्जक डायोड

खबरों में क्यों?

- प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED) दुनिया के पसंद के प्रकाश स्रोत के रूप में पिछली शताब्दियों के तापदीप्त बल्बों और फ्लोरोसेंट लैंप की जगह लेते हैं।

प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED)

- डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक घटक है जिसमें संपर्क के दो बिंदु या टर्मिनल होते हैं, जिन्हें एनोड और कैथोड कहा जाता है। डायोड का प्राथमिक उद्देश्य धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देना है।
- प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED) एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है।
- LED का अनुप्रयोग उद्योगों, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों में होता है: स्मार्टफोन से लेकर टीवी स्क्रीन तक, साइनबोर्ड से लेकर ग्रीनहाउस में पौधों की रोशनी को 'फीड' करने तक, बारकोड स्कैनर से लेकर वायु गुणवत्ता की निगरानी तक।

LED द्वारा निर्मित रंग

- LED सभी तीन प्राथमिक रंग उत्पन्न कर सकते हैं जो लाल, हरा और नीला हैं।
- विभिन्न प्रकार के रंगों का उत्पादन करने के लिए विभिन्न LED को डिस्प्ले बोर्ड पर जोड़ा जा सकता है।

LED के फायदे

- लंबा जीवनकाल: एलईडी बल्ब 25,000 घंटे या उससे अधिक तक चल सकते हैं, जिसका अर्थ है कम बार प्रतिस्थापन और कम रखरखाव लागत।
- ऊर्जा दक्षता: वे विद्युत ऊर्जा के उच्च प्रतिशत को प्रकाश में परिवर्तित करते हैं, जिससे ऊर्जा की बर्बादी कम होती है और बिजली का बिल कम होता है।
- LED गरमागरम बल्बों के 16 लुमेन और फ्लोरोसेंट लैंप के 70 लुमेन की तुलना में 300 लुमेन (प्रति सेकंड उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की मात्रा) तक का उत्पादन कर सकते हैं।
- त्वरित प्रकाश: कुछ फ्लोरोसेंट लाइटों के लिए आवश्यक वार्म-अप समय के बिना एलईडी तुरंत प्रकाश करती हैं, जिससे यह उन अनुप्रयोगों में उपयोगी हो जाता है जहां तत्काल और लगातार प्रकाश आवश्यक है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल या आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था में।
- पर्यावरण के अनुकूल: LED बल्ब पारा मुक्त होते हैं और इनमें अन्य खतरनाक सामग्री नहीं होती है, जो उन्हें पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। वे पुनर्चक्रण योग्य भी हैं, जिससे पर्यावरण पर उनका प्रभाव कम हो जाता है।
- स्थायित्व: LED बल्ब नाजुक तापदीप्त और फ्लोरोसेंट बल्बों की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। वे झटके, कंपन और बाहरी प्रभावों के प्रति प्रतिरोधी हैं।

उत्तर कोरिया ने ठोस ईंधन मिसाइलों का परीक्षण किया

खबरों में क्यों?

- उत्तर कोरिया ने एक नई ठोस-ईंधन अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) का परीक्षण किया है।

ठोस-ईंधन प्रौद्योगिकी क्या है?

- ठोस ईंधन मिसाइलें ऐसे रॉकेट हैं जो ईंधन और ऑक्सीडाइज़र के पहले से पैक किए गए प्रणोदक मिश्रण का उपयोग करते हैं, तरल-ईंधन वाली मिसाइलों के विपरीत, जिन्हें ईंधन और ऑक्सीडाइज़र के लिए अलग टैंक की आवश्यकता होती है।
- एल्यूमीनियम जैसे धात्विक पाउडर अक्सर ईंधन के रूप में काम करते हैं, और अमोनियम परक्लोरेट, जो परक्लोरिक एसिड और अमोनिया का नमक है, सबसे आम ऑक्सीकारक है।
- ईंधन और ऑक्सीडाइज़र एक कठोर रबर जैसी सामग्री से एक साथ बंधे होते हैं और एक धातु आवरण में पैक किए जाते हैं।
- जब ठोस प्रणोदक जलता है, तो अमोनियम परक्लोरेट से ऑक्सीजन एल्यूमीनियम के साथ मिलकर भारी मात्रा में ऊर्जा और तापमान उत्पन्न करती है, जिससे जोर पैदा होता है और मिसाइल लॉन्च पैड से ऊपर उठ जाती है।

ठोस ईंधन के लाभ

- तेज़ तैनाती: ठोस ईंधन मिसाइलों को न्यूनतम तैयारी समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि ईंधन भरना आवश्यक नहीं है। यह त्वरित लॉन्च की अनुमति देता है, जिससे उन्हें पूर्व-खाली करना या लक्ष्य बनाना कठिन हो जाता है।
- उत्तरजीविता में वृद्धि: तरल ईंधन की तुलना में ठोस ईंधन अधिक स्थिर होता है और क्षति की संभावना कम होती है, जिससे मिसाइलें पूर्व-घातक हमलों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाती हैं।
- आसान भंडारण और रखरखाव: ठोस ईंधन की शेल्फ लाइफ लंबी होती है और तरल ईंधन की तुलना में कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, जिससे भंडारण सरल हो जाता है और लॉजिस्टिक बोझ कम हो जाता है।
- मिसाइलें अप्रत्याशित प्रक्षेप पथ पर उड़ सकती हैं और उड़ान में दिशा बदल सकती हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना और रोकना कठिन हो जाता है। वे दुश्मन के राडार और सेंसर को भ्रमित करने के लिए कई हथियार या डिकॉय भी ले जा सकते हैं।

उत्तर कोरिया इन्हें क्यों विकसित कर रहा है?

- संभावित खतरों के खिलाफ प्रतिरोध: उत्तर कोरिया अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों से संभावित खतरों के खिलाफ प्रतिरोध के लिए ठोस ईंधन मिसाइलें विकसित कर रहा है।
- अधिक सटीकता: ठोस-ईंधन मिसाइलें उत्तर कोरिया की मिसाइलों की सीमा और पेलोड को बढ़ा सकती हैं, साथ ही इसकी मिसाइलों की सटीकता और उत्तरजीविता में भी सुधार कर सकती हैं।
- त्वरित प्रतिक्रिया: ठोस-ईंधन मिसाइलें उत्तर कोरिया को अचानक हमला करने या किसी संकट में तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती हैं, क्योंकि उन्हें तरल-ईंधन मिसाइलों की तुलना में अधिक तेजी से और कम चेतावनी के साथ दागा जा सकता है।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन

खबरों में क्यों?

- सरकार चार प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना पर ध्यान देने के साथ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) को लागू करने के लिए एक समन्वय सेल स्थापित करेगी।

बारे में

- एनक्यूएम से क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, और क्वांटम सामग्री और उपकरणों में चार मिशन केंद्र स्थापित करने की उम्मीद है।
- यह अनिवार्य रूप से शिक्षा जगत, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं और उद्योग का एक संघ होगा।

मिशन समन्वय कक्ष (MCC)

- एमसीसी को मिशन के लिए एक समन्वय एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा और यह मिशन सचिवालय, डीएसटी के साथ समन्वय में काम करेगा।
- यह मिशन प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद (MTRC) के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के तहत कार्य करेगा।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM)

- सरकार ने 2023 में 2023-24 से 2030-31 तक राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) को मंजूरी दी।
- उद्देश्य: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना और बढ़ाना और क्वांटम टेक्नोलॉजी (क्यूटी) में एक जीवंत और अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
- यह QT के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास को गति देगा, देश में पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करेगा और भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजीज और एप्लिकेशन (QTA) के विकास में अग्रणी देशों में से एक बना देगा।
- उद्देश्य: मिशन के उद्देश्यों में सुपरकंडक्टिंग और फोटोनिक तकनीक जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों में 8 वर्षों में 50-1000 भौतिक क्यूबिट के साथ मध्यवर्ती पैमाने के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना शामिल है।
- भारत के भीतर 2000 किलोमीटर की रेंज में ग्राउंड स्टेशनों के बीच सैटेलाइट-आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार, अन्य देशों के साथ लंबी दूरी की सुरक्षित क्वांटम संचार, 2000 किलोमीटर से अधिक के अंतर-शहर क्वांटम कुंजी वितरण के साथ-साथ क्वांटम मेमोरी के साथ मल्टी-नोड क्वांटम नेटवर्क।
- सटीक समय, संचार और नेविगेशन के लिए परमाणु प्रणालियों और परमाणु घड़ियों में उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर विकसित करना।
- यह क्वांटम उपकरणों के निर्माण के लिए सुपरकंडक्टर्स, उपन्यास अर्धचालक संरचनाओं और टोपोलॉजिकल सामग्रियों जैसे क्वांटम सामग्रियों के डिजाइन और संश्लेषण का भी समर्थन करेगा।
- क्वांटम संचार, सेंसिंग और मेट्रोलॉजिकल अनुप्रयोगों के लिए एकल फोटॉन स्रोत/डिटेक्टर और उलझे हुए फोटॉन स्रोत भी विकसित किए जाएंगे।
- कार्यान्वयन: डोमेन में शीर्ष शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में चार थीमैटिक हब (T-हब) की स्थापना - क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री और उपकरण।
- हब बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान के माध्यम से नए ज्ञान के सृजन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और साथ ही उन क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देंगे जो उनके लिए अनिवार्य हैं।

- महत्व: NQM में देश के प्रौद्योगिकी विकास पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर तक बढ़ाने की क्षमता है।
- मिशन से संचार, स्वास्थ्य, वित्तीय, ऊर्जा के साथ दवा डिजाइन, अंतरिक्ष, बैंकिंग, सुरक्षा आदि में अनुप्रयोगों सहित विभिन्न क्षेत्रों को बहुत लाभ होगा।
- यह मिशन डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास लक्ष्य (SDG) जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भी भारी बढ़ावा देगा।
- गुण: यह दुनिया का सबसे पतला, मजबूत और बिजली और गर्मी दोनों का सबसे अधिक प्रवाहकीय पदार्थ है।
- यह तांबे की तुलना में बेहतर बिजली का संचालन करता है।
- यह स्टील से 200 गुना मजबूत लेकिन छह गुना हल्का है। यह लगभग पूरी तरह से पारदर्शी है क्योंकि यह केवल 2% प्रकाश को अवशोषित करता है।
- यह गैसों के लिए अभेद्य है, यहां तक कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों के लिए भी।

भारत का पहला ग्राफीन केंद्र

खबरों में क्यों?

- केंद्र सरकार ने हाल ही में केरल में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र (IICG) लॉन्च किया।
- केंद्र की स्थापना ग्राफीन और 2डी सामग्री प्रणालियों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, उत्पाद नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

ग्राफीन के बारे में

- ग्राफीन, छत्ते में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एक परत

अनुप्रयोग

- ग्राफीन कंपोजिट का उपयोग ऑटोमोटिव, खेल उपकरण और निर्माण में किया जाता है।
- इसका उपयोग उच्च-प्रदर्शन बैटरी और सुपर-कैपेसिटर, टचस्क्रीन और प्रवाहकीय स्याही के लिए किया जाता है।
- ग्राफीन-आधारित सेंसर का उपयोग पर्यावरण निगरानी, स्वास्थ्य देखभाल और पहनने योग्य उपकरणों के लिए किया जाता है।
- ग्राफीन ऑक्साइड झिल्ली का उपयोग जल शोधन और अलवणीकरण के लिए किया जाता है।
- कोविड के दौरान ग्राफीन आधारित मास्क बनाए गए।
- ग्राफीन रक्षा और एयरोस्पेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसकी असाधारण ताकत इसे कवच और बैलिस्टिक सुरक्षा के लिए एक आशाजनक सामग्री बनाती है।
- ग्राफीन में विद्युत चुम्बकीय तरंगों को अवशोषित करने और नष्ट करने की क्षमता होती है, जो इसे रडार हस्ताक्षर और विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप को कम करने वाली स्टील्थ कोटिंग्स और सामग्रियों को विकसित करने के लिए मूल्यवान बनाती है।
- ग्राफीन पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जो इसे रासायनिक और जैविक एजेंटों, विस्फोटकों, विकिरण और अन्य खतरनाक पदार्थों को समझने के लिए एक उत्कृष्ट उम्मीदवार बनाता है।
- इसके अलावा, ग्राफीन-आधारित सामग्री हमें रासायनिक और जैविक हमलों से भी बचा सकती है।

IIoT सेंसर में उत्कृष्टता केंद्र (CoE) के बारे में

- IICG के साथ, IIoT सेंसर में उत्कृष्टता केंद्र (CoE) भी लॉन्च किया गया।
- इसका उद्देश्य नेटवर्क और उपकरणों में बुद्धिमान सेंसर के अनुप्रयोगों के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने वाले इंटेलिजेंट IoT सिस्टम के दायरे में सेंसर के विकास को उत्प्रेरित करना है।
- IoT इंटरकनेक्टेड डिवाइसों का एक नेटवर्क है जो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार और डेटा साझा करता है।

मिट्टी से चलने वाला ईंधन सेल

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, वैज्ञानिकों ने एक नया ईंधन सेल विकसित किया है, जिसका दावा है कि यह मिट्टी में रहने वाले रोगाणुओं (बैक्टीरिया) से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है।

मृदा-संचालित ईंधन सेल के बारे में

- यह एक नई तकनीक है जो रसायनों के बजाय मिट्टी में मौजूद रोगाणुओं की मदद से बिजली पैदा करती है।
- कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के दौरान सूक्ष्मजीव इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड तक प्रवाहित होते हैं, जिससे एक विद्युत सर्किट बनता है जो बिजली उत्पन्न करता है।
- यह संभावित रूप से तब तक हमेशा के लिए रह सकता है जब तक मिट्टी में रोगाणुओं के विघटित होने के लिए कार्बनिक कार्बन मौजूद है।

महत्व

- इसका उपयोग संभावित रूप से हरित बुनियादी ढांचे और सटीक कृषि अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।

- यह पारंपरिक बैटरियों के लिए एक टिकाऊ, नवीकरणीय विकल्प प्रदान कर सकता है, जिसमें जहरीले, ज्वलनशील रसायन होते हैं जो जमीन में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कचरे की लगातार बढ़ती समस्या में योगदान करते हैं।

संकट चेतावनी ट्रांसमीटर

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने समुद्री डोमेन में खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए अपने डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर (DAT) को दूसरी पीढ़ी के DAT (DAT-SG) के रूप में अपग्रेड किया है।

दूसरी पीढ़ी DAT (DAT-SG)

- यह नियंत्रण केंद्र से संदेश प्राप्त कर सकता है, जिससे खराब मौसम, चक्रवात, सुनामी या अन्य आपात स्थितियों के बारे में अग्रिम अलर्ट प्रसारित करने की अनुमति मिलती है।
- यह संकट चेतावनी को सक्रिय करने वाले मछुआरों को एक पावती भेज सकता है, जो उन्हें आने वाले बचाव का आश्वासन देता है।
- मछली पकड़ने के संभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी ताकि उनकी पकड़ में अच्छी पैदावार हो सके और समय और ईंधन की बचत हो सके।
- इसे ब्लूटूथ का उपयोग करके मोबाइल फोन से जोड़ा जा सकता है, और मोबाइल पर एक ऐप का उपयोग करके संदेशों को मूल भाषा में पढ़ा जा सकता है।
- भारतीय मिशन नियंत्रण केंद्र (INMCC), एक केंद्रीय नियंत्रण केंद्र, के पास 'सागरमित्र' नामक एक वेब आधारित नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली है जो पंजीकृत डीएटी-एसजी का डेटाबेस बनाए रखती है।
- यह समुद्री बचाव समन्वय केंद्रों (MRCC) को नाव के बारे में जानकारी तक पहुंचने और वास्तविक समय में संकट में नाव का समन्वय करने में मदद करता है।
- यह भारतीय तटरक्षक बल को संकट के समय बिना किसी देरी के खोज एवं बचाव अभियान चलाने में मदद करता है।
- DAT-SG की सेवाएँ 24×7 आधार पर चालू हैं।

खाद्यान्न के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग

खबरों में क्यों?

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13) में भारत खाद्यान्न के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के मुद्दे के समाधान पर जोर देगा।

क्या है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का मामला?

- सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रम एक नीति उपकरण है जिसका उपयोग सरकार खाद्य सुरक्षा को पूरा करने और अपनी भूख से त्रस्त लाखों आबादी की सुरक्षा के लिए करती है।
- WTO के मानदंडों के अनुसार, विकासशील देशों के लिए कृषि सब्सिडी कृषि उत्पादन के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- हालाँकि भारत और कई अन्य विकासशील देश PSH के लिए सब्सिडी प्रदान करने के मुद्दे के स्थायी समाधान पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें सीमा के उल्लंघन की चिंता किए बिना खाद्यान्न के लिए MSP जैसी योजनाओं का विस्तार करने की अनुमति मिलेगी।

शांति खण्ड

- 2013 में बाली मंत्रिस्तरीय बैठक में WTO सदस्यों ने खाद्य सब्सिडी पर राष्ट्रों के बीच मतभेदों से निपटने के लिए शांति खंड नामक एक तंत्र स्थापित किया।
- इस खंड के तहत, विकासशील देशों को मध्यस्थता में नहीं घसीटा जा सकता है यदि वे किसानों को समर्थन पर 10 प्रतिशत की निर्धारित सीमा का उल्लंघन करते हैं।
- हालाँकि, इस बात पर भ्रम था कि क्या अस्थायी राहत चार साल के बाद भी जारी रहेगी।

पश्चिमी राष्ट्रों की चिंताएँ

- अमेरिका और कनाडा जैसे बड़े कृषि वस्तु निर्यातक इस तरह के कदम के आलोचक हैं क्योंकि उनका मानना है कि उच्च सब्सिडी वैश्विक बाजार में कृषि कीमतों को विकृत कर रही है।
- यह भी तर्क दिया जाता है कि प्रशासित कीमतों पर सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग से भारत जैसे देशों को व्यापार में अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है, जो WTO के खुले और निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांतों के विपरीत है।
- अमेरिका ने कहा कि बाली समझौते के फैसले के हानिकारक परिणाम हुए और भारत सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन सका।

भारत का रुख

- भारत ने प्रस्ताव दिया कि PSH कार्यक्रमों के लिए विकासशील देश द्वारा प्रदान की जाने वाली घरेलू सहायता को डब्ल्यूटीओ के AOA (कृषि पर समझौता) नियमों के अनुरूप माना जाना चाहिए और कटौती प्रतिबद्धताओं के अधीन नहीं होना चाहिए।

- सब्सिडी तत्व की गणना के लिए बाहरी संदर्भ मूल्य 1986-88 की कीमतों पर आंका गया है, जिससे सब्सिडी की गणना बढ़ जाती है क्योंकि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कीमतें बहुत अधिक हैं।
    - इसने यह भी तर्क दिया कि इसने किसानों और गरीब आबादी के हितों की रक्षा के लिए सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया है। इसलिए रियायती दरों पर सार्वजनिक खरीद और भंडारण की आवश्यकता है।

सरलता: मंगल हेलीकाप्टर

खबरों में क्यों?

- नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने अपनी 72वीं उड़ान के बाद अपने मार्स इनजेनिटी हेलीकॉप्टर से दोबारा संपर्क स्थापित किया।

Ingenuity के बारे में

- यह एक छोटा रोबोटिक हेलिकॉप्टर है और प्रायोगिक आधार पर मंगल ग्रह पर भेजा गया संचालित, नियंत्रित उड़ान भरने वाला पहला विमान है।
- इसे 'राइट ब्रदर्स मोमेंट' कहा गया है।
- यह मंगल के पतले वातावरण में उड़ता है, जो उड़ान के लिए अनुकूल नहीं है।
- यह अपनी बैटरियों को चार्ज करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है और ठंडी मंगल ग्रह की रातों के दौरान परिचालन तापमान बनाए रखने के लिए आंतरिक हीटरों पर निर्भर करता है।
- यह मंगल ग्रह और संभावित रूप से अन्य अंतरिक्ष स्थलों पर भविष्य के हवाई खोजकर्ताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

Mpemba प्रभाव

खबरों में क्यों?

- एमपेम्बा प्रभाव ने हाल ही में वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया।

एमपेम्बा प्रभाव के बारे में

- इसका नाम तंजानिया के छात्र एरास्टो मपेम्बा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1969 में इस प्रति-सहज ज्ञान युक्त घटना की ओर ध्यान आकर्षित किया था।
- अरस्तू, फ्रांसिस बेकन और रेने डेसकार्टेस ने सदियों पहले इस प्रभाव को देखा था।
- इसका प्रभाव यह है कि गर्म पानी समान परिस्थितियों में ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम सकता है।
- प्रयोग: शोधकर्ताओं ने इस घटना के कारणों को निर्धारित करने के लिए कई प्रयोग किए हैं
- माइक्रोबबल्स: पानी में निलंबित छोड़ दिया गया है जिसे उबालकर गर्म किया गया है।
- ये गुहाएं संवहन को बढ़ावा देती हैं और पानी ठंडा होने पर तेजी से गर्मी स्थानांतरित करती हैं।
- वाष्पीकरण: जैसे-जैसे गर्म पानी अधिक वाष्पित होता है, यह कुछ गर्मी भी दूर ले जाता है (वाष्पीकरण स्वाभाविक रूप से एंडोथर्मिक होता है, जिससे पसीना आपकी त्वचा को ठंडा करता है)।
- गर्म पानी में संवहन और त्वरित ताप हस्तांतरण दोनों बढ़ जाते हैं क्योंकि ऐसा पानी कम घना होता है।

ठंडे पानी में पाले की उपस्थिति:

- फ्रॉस्ट एक इन्सुलेटर है और गर्मी के नुकसान को धीमा कर सकता है।
- पानी में यौगिक: वैज्ञानिकों ने इस बात पर भी विचार किया है कि क्या पानी में कैल्शियम कार्बोनेट जैसे यौगिक उबलने से अवक्षेपित हो सकते हैं, और फिर घुल सकते हैं, जिससे पानी का हिमांक बढ़ सकता है।

डी.के. बसु जजमेंट

खबरों में क्यों?

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस दुर्व्यवहार और हिरासत में हिंसा के खिलाफ D.k. बसु फैसले (1996) पर प्रकाश डाला।

D.K. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले (1996) के बारे में:

- यह मानवाधिकार न्यायशास्त्र के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है, और भारत में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों की ओर ध्यान आकर्षित करता है।
- याचिकाकर्ता, पश्चिम बंगाल के कानूनी सहायता सेवाओं के कार्यकारी अध्यक्ष, D.K. बसु ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र लिखकर पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों पर ध्यान आकर्षित किया।
- पत्र को 'जनहित याचिका' के अंतर्गत एक रिट याचिका के रूप में माना गया था।

निर्णय:

- इसमें माना गया कि हिरासत में हिंसा, जिसमें लॉक-अप में यातना और मौत शामिल है, कानून के शासन और मानवीय गरिमा का उल्लंघन करती है।
- इसने मौलिक अधिकारों के अर्थ के क्षितिज को व्यापक बनाया।
- इसमें माना गया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा दिया जा सकता है।
- SC ने गिरफ्तारी और हिरासत के लिए 'बुनियादी आवश्यकताएँ' निर्धारित की हैं, जिनमें शामिल हैं:
- पहचान;
- गिरफ़्तारी का ज्ञापन;
- गिरफ़्तारी की सूचना;
- गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार की सूचना देना;
- दैनंदिनी लेख;
- निरीक्षण ज्ञापन;
- चिकित्सा परीक्षण;
- इलाक़ा मजिस्ट्रेट को दस्तावेज़ों की प्रतियां;
- वकील का अधिकार;
- पुलिस नियंत्रण कक्ष;

कैनबिस यौगिक में एंटीबायोटिक प्रभाव होता है

खबरों में क्यों?

- CSIR-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन (IIIM), जम्मू के वैज्ञानिकों ने पाया है कि भांग के पौधे में पाए जाने वाले यौगिकों के एक वर्ग फाइटोकैनाबिनोइड्स में कुछ अब तक अज्ञात एंटीबायोटिक गुण होते हैं।

अध्ययन के बारे में

- अध्ययन विशेष रूप से टेट्राहाइड्रोकैनाबिडिओल (THCBD), एक फाइटोकैनाबिनोइड, और स्टैफिलोकोकस ऑरियस, एंटीबायोटिक प्रतिरोध में योगदान करने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ इसकी प्रभावकारिता पर केंद्रित है।
- THCBD ने मेथिसिलिन-प्रतिरोधी स्ट्रेन सहित S. ऑरियस के विभिन्न प्रतिरोधी स्ट्रेन के खिलाफ मजबूत जीवाणुरोधी प्रभाव प्रदर्शित किया।

चुनौतियाँ और अवसर

- कानूनी बाधाएँ: भांग से संबंधित अनुसंधान कानूनी बाधाओं और इस पौधे का अध्ययन करते समय विशिष्ट नियमों का पालन करने की आवश्यकता के विरुद्ध आता है।
- स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 20 भांग के उपयोग को प्रतिबंधित करती है और अनुसंधान के लिए अपवाद नहीं बनाती है।
- अनुसंधान में आसानी का अभाव: वर्तमान में, कई विश्वविद्यालयों में संयंत्र पर अनुसंधान करने के लिए अनुमोदन की कमी है। इसलिए, एक रूपरेखा और परिवहन समझौता स्थापित करना महत्वपूर्ण है।
- घुलनशीलता चुनौती: किसी दवा के लिए घुलनशीलता एक महत्वपूर्ण विचार है। इससे पहले कि एंटीबायोटिक दवाओं के सक्रिय तत्व शरीर में एक विशिष्ट स्थान पर अवशोषित हो सकें, दवा को एक जलीय घोल में घुलने की आवश्यकता होगी। यदि यह ठीक से नहीं घुलता है, तो शरीर इसे इच्छित तरीके से अवशोषित नहीं कर पाएगा।

पश्चिमी गोलार्ध

- कैनबिस में एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते खतरे के खिलाफ भारत की लड़ाई में सेंध लगाने की क्षमता है।
- भांग की जीवाणुरोधी प्रकृति पर प्रकाश डालने से इसके आसपास की वर्जनाओं को दूर करने और इसे एक मूल्यवान संसाधन में बदलने में काफी मदद मिलेगी।
- दवा के रूप में इसके उपयोग का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक व्यापक सुरक्षा प्रोफ़ाइल मूल्यांकन करना।

कुष्ठ रोग के इलाज के लिए तीन-दवा आहार

खबरों में क्यों?

- केंद्र सरकार ने कुष्ठ रोग के लिए एक नई उपचार व्यवस्था को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य 2027 तक उप-राष्ट्रीय स्तर पर इसके संचरण को रोकना है।

तीन-दवा आहार

- WHO ने 2015 में इस उपचार आहार की सिफारिश की है।
- इसमें तीन दवाएं शामिल हैं - डैपसोन, रिफैम्पिसिन और क्लोफ़ाज़िमिन। इस संयोजन को MDT (मल्टीड्रग थेरेपी) कहा जाता है। MDT रोगज़नक़ को मारता है और रोगी को ठीक करता है।

- इस आहार को 'यूनिफ़ॉर्म MDT' के रूप में जाना जाता है, जहां सभी कुष्ठ रोगियों को एक ही तीन-पैक किट दी जा सकती है। यह उपाय प्रशासन में आसानी की सुविधा प्रदान करता है।
- उपचार की अवधि PB के लिए छह महीने और एमबी मामलों के लिए 12 महीने है।

कुष्ठ रोग

- कुष्ठ रोग, जिसे हैनसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है, एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो धीमी गति से बढ़ने वाले बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के कारण होता है।
- यह मुख्य रूप से त्वचा और परिधीय तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, जिससे उपचार न किए जाने पर संभावित विकलांगता हो सकती है।
  - कुष्ठ रोग उपचार न किए गए व्यक्तियों के साथ निकट और लगातार संपर्क से फैलता है, आमतौर पर नाक और मुंह से निकलने वाली श्वसन बूंदों के माध्यम से।
  - प्रारंभिक लक्षणों में अक्सर त्वचा पर पीले, दर्द रहित धब्बे शामिल होते हैं जो संवेदना खो सकते हैं।
  - कुष्ठ रोग का निदान त्वचा स्मीयर परीक्षण, तंत्रिका कार्य परीक्षण और बायोप्सी के माध्यम से किया जा सकता है।

निसार सैटेलाइट

खबरों में क्यों?

- भारत-अमेरिका उपग्रह- NISAR पृथ्वी के क्रायोस्फेरिक परिवर्तनों का अध्ययन करेगा जो प्राकृतिक संसाधन, खतरा प्रबंधन में मदद करेगा

NISAR के बारे में

- नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) पृथ्वी-अवलोकन मिशन के लिए नासा और इसरो के बीच अपनी तरह के पहले सहयोग का प्रतिनिधित्व करता है।
- रडार उपग्रह को 2024 में लॉन्च करने की तैयारी है
- NISAR का लक्ष्य उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन के कारणों और परिणामों का वैश्विक माप करना है।
- सहयोग: नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला अमेरिकी घटक का नेतृत्व करेगी और मिशन का एल बैंड एसएआर प्रदान करेगी।
- इसरो का UR राव सैटेलाइट सेंटर और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अंतरिक्ष यान बस, लॉन्च वाहन और एस-बैंड एसएआर इलेक्ट्रॉनिक्स में योगदान देगा।
- यह बादलों और अंधेरे में घुसने के लिए दो रडार सिस्टम, एक एल-बैंड और एक एस-बैंड को नियोजित करेगा, जो ध्रुवीय सर्दियों की रातों के दौरान भी व्यापक डेटा प्रदान करेगा।
- NISAR हर 12 दिनों में ग्रह की लगभग सभी भूमि और बर्फ की सतहों को कवर करेगा।

NISAR के अनुप्रयोग

- बर्फ का अध्ययन: एल-बैंड रडार विशेष रूप से बर्फ को भेदने में माहिर है, जो नीचे बर्फ की गतिविधि के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जबकि एस-बैंड रडार बर्फ की नमी पर ध्यान केंद्रित करता है, जो पिघलने के क्षेत्रों का संकेत देता है।
- ग्लेशियर: ध्रुवीय बर्फ से परे, NISAR पर्वतीय ग्लेशियरों में परिवर्तन को ट्रैक करेगा, जिसने 1960 के दशक से समुद्र के स्तर में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- वेटलैंड्स: यह मिशन पृथ्वी के विभिन्न महत्वपूर्ण संकेतों को ट्रैक करने की अपनी क्षमता से प्रतिष्ठित है, जिसमें वेटलैंड्स के स्वास्थ्य से लेकर वनों की कटाई और प्राकृतिक खतरों के प्रभाव तक शामिल हैं।
- भूभौतिकीय गतिशीलता: माप वैज्ञानिकों को यह भी बारीकी से अध्ययन करने में सक्षम करेगा कि जहां बर्फ और महासागर मिलते हैं वहां क्या होता है।
- उदाहरण के लिए, जब बर्फ की चादर के कुछ हिस्से समुद्र तल से नीचे जमीन पर बैठते हैं, तो खारा पानी बर्फ के नीचे रिस सकता है और पिघलने और अस्थिरता को बढ़ा सकता है।
- दक्षिणी महासागर: मिशन का दक्षिणी महासागर का व्यापक कवरेज अभूतपूर्व है और यह इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।

महत्व

- यह पहल एक महत्वपूर्ण समय पर आई है, क्योंकि पूर्वी अंटार्कटिका की हालिया उपग्रह इमेजरी में महत्वपूर्ण हिमनदों का पतन दिखाया गया है, जो विस्तृत निगरानी की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- मिशन बर्फ की चादरों की एक 'टाइम-लैप्स मूवी' भी प्रदान करेगा, जो उनकी गति का लगातार दृश्य पेश करेगी, इस प्रकार भविष्य में होने वाले परिवर्तनों की भविष्यवाणी में सहायता मिलेगी। बर्फ की चादरों की गतिशीलता को समझना और भविष्यवाणी करना महत्वपूर्ण है।
- उपग्रह की हर मौसम में काम करने की क्षमता हिमालय जैसे क्षेत्रों की निगरानी के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जहां बादल छाए रहने से डेटा संग्रह में बाधा आ सकती है।

क्वांटम कम्प्यूटिंग

खबरों में क्यों?

- क्वांटम कंप्यूटिंग ने पिछले दशक में विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण रुचि प्राप्त की है।

कंप्यूटिंग के बारे में:

- एक बिट (बाइनरी अंक) कंप्यूटिंग में सूचना भंडारण का सबसे छोटा टुकड़ा है। अक्सर, सार्थक जानकारी संप्रेषित करने के लिए बड़ी संख्या में बिट्स की आवश्यकता होती है।
- कंप्यूटर में, बिट एक भौतिक प्रणाली है जिसमें दो आसानी से पहचाने जा सकने वाले कॉन्फ़िगरेशन या स्थितियाँ होती हैं - जैसे। उच्च और निम्न वोल्टेज।
- ये भौतिक बिट्स उन अभिव्यक्तियों को दर्शाने और संसाधित करने के लिए उपयोगी हैं जिनमें 0s और 1s शामिल हैं: उदाहरण के लिए, कम वोल्टेज 0 का प्रतिनिधित्व कर सकता है और उच्च वोल्टेज 1 का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
- गेट एक सर्किट है जो बिट्स की स्थिति को पूर्वानुमानित तरीके से बदलता है। ये गेट जिस गति से काम करते हैं वह यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर कितनी तेजी से काम करेगा।

क्वांटम कम्प्यूटिंग:

- क्वांटम कंप्यूटिंग एक क्रांतिकारी कंप्यूटिंग प्रतिमान है जो गणना करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करता है।
- शास्त्रीय कंप्यूटरों के विपरीत जो बिट्स (0 या 1) पर निर्भर होते हैं, क्वांटम कंप्यूटर क्वैबिट्स का उपयोग करते हैं, जो सुपरपोजिशन (0 और 1 दोनों एक साथ) की स्थिति में मौजूद हो सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, एक गणना करने के लिए 16 अलग-अलग इनपुट की आवश्यकता होती है, एक शास्त्रीय कंप्यूटर को कुल चार बिट्स और सोलह गणनाओं की आवश्यकता होती है।
    - लेकिन सुपरपोज़िशन में चार क्यूबिट के साथ, एक क्वांटम कंप्यूटर एक ही गणना में सभी 16 इनपुट के अनुरूप उत्तर उत्पन्न कर सकता है।
- यह अनूठी संपत्ति उन्हें शास्त्रीय कंप्यूटरों की तुलना में कुछ गणनाओं को तेजी से करने की अनुमति देती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति के द्वार खुलते हैं।

अनुप्रयोग:

- दवा की खोज: नई दवाओं और सामग्रियों को विकसित करने के लिए जटिल अणुओं का अनुकरण करना, जिससे त्वरित चिकित्सा नवाचार को बढ़ावा मिलता है।
- वित्तीय मॉडलिंग: वित्तीय पोर्टफोलियो को अनुकूलित करना और अद्वितीय सटीकता और गति के साथ जोखिम का प्रबंधन करना।
- क्रिप्टोग्राफी: मौजूदा एन्क्रिप्शन विधियों को तोड़ना और नए, क्वांटम-प्रतिरोधी तरीकों को विकसित करना।
- मशीन लर्निंग: बड़े पैमाने पर डेटासेट पर एल्गोरिदम को बहुत तेजी से प्रशिक्षित करके AI में क्रांति ला रहा है, जिससे प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, कंप्यूटर विज़न और बहुत कुछ में सफलताएं मिल रही हैं।
- सामग्री विज्ञान: उच्च तापमान वाले सुपरकंडक्टर्स या कुशल सौर कोशिकाओं जैसे बेहतर गुणों के साथ नवीन सामग्रियों को डिजाइन करना।

चुनौतियाँ:

- हार्डवेयर सीमाएँ: क्यूबिट नाजुक होते हैं और त्रुटियों की संभावना होती है, जिससे बड़े, स्थिर क्वांटम कंप्यूटर बनाना मुश्किल हो जाता है।
- सॉफ्टवेयर विकास: क्वांटम एल्गोरिदम मौलिक रूप से शास्त्रीय एल्गोरिदम से अलग हैं, जिसके लिए विशेष प्रोग्रामिंग भाषाओं और तकनीकों की आवश्यकता होती है।
- लागत और पहुंच: वर्तमान क्वांटम कंप्यूटर महंगे हैं और अक्सर आम जनता या यहां तक कि छोटे अनुसंधान संस्थानों के लिए भी पहुंच योग्य नहीं होते हैं।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: क्वांटम कंप्यूटर की शक्ति मौजूदा एन्क्रिप्शन विधियों के लिए संभावित खतरे पैदा करती है, जिससे क्वांटम--प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी के विकास की आवश्यकता होती है।

पैमाने:

- अनुसंधान और विकास में निवेश: सरकारें और निजी कंपनियां क्वांटम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में संसाधन लगा रही हैं।
- त्रुटि सुधार तकनीक विकसित करना: विश्वसनीय क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण के लिए क्वबिट त्रुटियों को कम करने के लिए मजबूत तरीके महत्वपूर्ण हैं।
- क्वांटम इकोसिस्टम का निर्माण: क्वांटम कंप्यूटिंग को डेवलपर्स और शोधकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए प्लेटफॉर्म और टूल बनाना।
- सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करना: भविष्य में सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने के लिए क्वांटम-प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों और प्रोटोकॉल पर सहयोग करना।

निष्कर्ष:

- क्वांटम कंप्यूटिंग में विभिन्न उद्योगों में क्रांति लाने और मानवता के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों को हल करने की अपार क्षमता है।
- जबकि हम इस तकनीक के शुरुआती चरण में हैं, मौजूदा बाधाओं को दूर करने के निरंतर प्रयास एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जहां क्वांटम कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व संभावनाओं को अनलॉक करते हैं।

तीस मीटर टेलीस्कोप (TMT) परियोजना

खबरों में क्यों?

- एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मौना केआ, हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया और थर्टी मीटर टेलीस्कोप (TMT) परियोजना की प्रगति में चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर चर्चा की।

बारे में

- इस परियोजना को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आगामी परियोजनाओं ने स्थानीय विरोध को इस आधार पर आमंत्रित किया है कि दूरबीनों का निर्माण धार्मिक और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों का उल्लंघन है।
- वैकल्पिक साइट: स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में ला पाल्मा पर एक वैकल्पिक साइट पर टीएमटी का निर्माण करने की योजना है, जिसे अगले सर्वोत्तम विकल्प के रूप में देखा जाता है।

तीस मीटर टेलीस्कोप (TMT) परियोजना

- TMT की कल्पना 30 मीटर व्यास वाले प्राथमिक-मिरर ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड टेलीस्कोप के रूप में की गई है जो गहरे अंतरिक्ष में अवलोकन को सक्षम करेगा।
- इसे अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा और भारत के संस्थानों को शामिल करते हुए एक संयुक्त सहयोग के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
- परियोजना में भारतीय भागीदारी को 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी।

भारतीय योगदान

- भारत इस परियोजना में एक प्रमुख योगदानकर्ता होने की उम्मीद करता है और प्रदान करेगा
- हार्डवेयर (सेगमेंट सपोर्ट असेंबली, एक्चुएटर्स, एज सेंसर, सेगमेंट पॉलिशिंग और सेगमेंट कोटिंग), इंस्ट्रुमेंटेशन (फर्स्ट लाइट इंस्ट्रूमेंट्स), और सॉफ्टवेयर (ऑब्जर्वेटरी सॉफ्टवेयर और टेलीस्कोप कंट्रोल सिस्टम) जिनकी कीमत 200 मिलियन डॉलर है।
- दूरबीन को जिन 492 सटीक पॉलिश दर्पणों की आवश्यकता है, उनमें से भारत 83 का योगदान देगा।
- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIAP) TMT परियोजना से जुड़े भारतीय संस्थानों के संघ का नेतृत्व कर रहा है।

LK-99 में अतिचालकता

खबरों में क्यों?

- वैज्ञानिकों के एक समूह ने कमरे के तापमान पर LK-99 नामक सामग्री में अतिचालकता का संकेत मिलने की सूचना दी है।

सुपरकंडक्टर क्या है?

- सुपरकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जो बिना किसी प्रतिरोध के बिजली का संचालन कर सकता है या इलेक्ट्रॉनों को एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक पहुंचा सकता है।
- यह 240 K और 275 K के बीच के तापमान पर होता है, यानी लगभग -33 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस के बीच।
- इसका मतलब यह है कि जब सामग्री उस तापमान पर पहुंच जाएगी जिस पर सामग्री अतिचालक हो जाती है, तो उससे कोई गर्मी, ध्वनि या ऊर्जा का कोई अन्य रूप जारी नहीं किया जाएगा।

सुपरकंडक्टर के गुण

- इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव: सामग्री शून्य प्रतिरोध के साथ विद्युत धारा का परिवहन करेगी।
- थर्मोडायनामिक प्रभाव: सुपरकंडक्टिंग संक्रमण तापमान पर इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट गर्मी में भारी गिरावट आती है।
- विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा है जो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है।
- स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रभाव: सामग्री में इलेक्ट्रॉनों को कुछ ऊर्जा स्तर प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जाता है, भले ही वे ऐसा तब कर सकते थे जब सामग्री सुपरकंडक्टर नहीं थी।
- मीस्नर प्रभाव: एक सामग्री जो अपनी अतिचालक अवस्था में परिवर्तित हो रही है, वह अपने थोक में किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को सतह पर निष्कासित कर देगी। इस निष्कासन को मीस्नर प्रभाव कहा जाता है।

अतिचालकों के प्रकार

- सुपरकंडक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि वे चुंबकीय क्षेत्र पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं।
- टाइप I सुपरकंडक्टर्स: यदि सुपरकंडक्टर पर लागू चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत हो जाता है, तो सामग्री पूरी तरह से अपनी सुपरकंडक्टिंग स्थिति खो देगी और क्षेत्र को उसके शरीर में प्रवेश करने की अनुमति देगी।

- प्रकार II सुपरकंडक्टर्स: जब चुंबकीय क्षेत्र की ताकत एक सीमा को पार कर जाती है, तो सामग्री के अंदर की अतिचालकता धीरे-धीरे कम हो जाएगी, जब तक कि उच्चतर दूसरी सीमा पर, यह पूरी तरह से गायब नहीं हो जाती।

अनुप्रयोग

- चुंबकीय उत्तोलन (मैग्लेव) ट्रेनें: सुपरकंडक्टिंग चुंबक मैग्लेव ट्रेनों के विकास को सक्षम करते हैं, जो ट्रेन को पटरियों के ऊपर उठाने और आगे बढ़ाने के लिए चुंबकीय प्रतिकर्षण का उपयोग करते हैं, घर्षण को कम करते हैं और उच्च गति यात्रा की अनुमति देते हैं।
- इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन: सुपरकंडक्टर्स न्यूनतम हानि के साथ विद्युत शक्ति संचारित कर सकते हैं, जिससे वे उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं जहां दक्षता महत्वपूर्ण है।
- स्क्विड (सुपरकंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस) का उपयोग हृदय में विद्युत धाराओं द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर चुंबकीय कार्डियोग्राम लेने के लिए किया जा सकता है।
- पावर ग्रिड और फॉल्ट करंट लिमिटर्स: सुपरकंडक्टर्स को पावर ग्रिड की दक्षता बढ़ाने और फॉल्ट करंट लिमिटर्स के रूप में कार्य करने के लिए नियोजित किया जा सकता है, जिससे पावर सर्ज या फॉल्ट के दौरान विद्युत उपकरणों को होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है।

OTT सेक्टर

खबरों में क्यों?

- भारत का OTT बाज़ार, जिसका आकार $2.5 बिलियन है, 2023 में एक बड़े व्यवधान से गुज़रा।

बारे में

- यह व्यवधान Jio सिनेमा द्वारा उपयोगकर्ताओं को सबसे प्रीमियम सामग्री-आईपीएल मुफ्त प्रदान करने के कारण था।
- इसने बड़े पैमाने पर साथियों और उद्योग के लिए सदस्यता राजस्व वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला और डिज़नी प्लस ने मोबाइल ग्राहकों के लिए क्रिकेट विश्व कप मुफ्त की पेशकश की।

OTT सेवाएँ क्या हैं?

- OTT (ओवर-द-टॉप) उन सामग्री प्रदाताओं को संदर्भित करता है जो पारंपरिक केबल या सैटेलाइट टीवी सेवाओं की आवश्यकता के बिना उपयोगकर्ताओं को सीधे इंटरनेट पर मीडिया वितरित करते हैं।
- अनिवार्य रूप से, OTT प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं तक अपनी सामग्री पहुंचाने के लिए स्ट्रीमिंग तकनीक (इंटरनेट पर वास्तविक समय में डेटा [ऑडियो, वीडियो, आदि] प्रसारित करना) का उपयोग करते हैं।

भारतीय OTT सेक्टर

- बाज़ार का आकार और विकास: भारत में OTT बाज़ार वर्तमान में 10,500 करोड़ का है, जिसमें सदस्यता राजस्व भी शामिल है। CII के अनुसार, साल-दर-साल आधार पर 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2024 तक यह 12,000 करोड़ और वित्त वर्ष 2030 में 30,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।
- भारत में वर्तमान में 45 मिलियन से अधिक OTT ग्राहक हैं।

मुख्य खिलाड़ी:

- वैश्विक दिग्गज: नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, डिज़्नी+ हॉटस्टार।

फ़ायदे

- घरेलू खिलाड़ी: ZEE5, SonyLIV, Voot, MX प्लेयर, ALTBalajji।
- क्षेत्रीय खिलाड़ी: अहा (तेलुगु), होइचोई (बंगाली), वूट सेलेक्ट (तमिल)।

ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफार्मों के लिए नियम स्थापित करने के लिए मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने एक नया विधेयक पेश किया है जो विभिन्न प्रसारणों के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करेगा
- मूल सामग्री: विविध क्षेत्रीय और भाषाई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मूल भारतीय शो और फिल्में बनाने पर फोकस बढ़ रहा है।
- शैली विविधीकरण: थ्रिलर, वृत्तचित्र और रियलिटी शो की लोकप्रियता बढ़ने के साथ नाटक और कॉमेडी जैसी पारंपरिक शैलियों से परे विस्तार।
- भाषा फोकस: तमिल, तेलुगु, मलयालम और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में मूल सामग्री लॉन्च करने वाले प्लेटफार्मों के साथ, क्षेत्रीय भाषाओं पर फोकस बढ़ा।
- लघु-रूप सामग्री: वेब श्रृंखला और लघु वीडियो जैसी छोटी-आकार की सामग्री की बढ़ती लोकप्रियता।

चुनौतियां

- प्रतिस्पर्धा: वैश्विक और घरेलू दोनों खिलाड़ियों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूत सामग्री रणनीतियों और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण की आवश्यकता होती है।
- डेटा लागत और सामर्थ्य: उच्च डेटा लागत कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए बाधा बनी हुई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- पायरेसी और कॉपीराइट का उल्लंघन: सामग्री को पायरेसी से बचाना एक चुनौती बनी हुई है।

- विनियमन और सेंसरशिप: सरकारी नियमों और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ रचनात्मक स्वतंत्रता को संतुलित करने के लिए सावधानीपूर्वक नेविगेशन की आवश्यकता होती है।

ओटीटी प्लेटफार्मों को विनियमित करने वाले कानून

- 2022 में, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल सेवाएं, जिसमें ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सामग्री शामिल है) जारी की।
- विधेयक, एक बार पारित हो जाने पर, विनियमन और निगरानी के लिए सामग्री मूल्यांकन समितियों का गठन करेगा।

अवसर

- ग्रामीण बाज़ार का विस्तार: डेटा सामर्थ्य को संबोधित करने और क्षेत्रीय सामग्री प्राथमिकताओं को पूरा करने की रणनीतियाँ ग्रामीण बाज़ार की संभावनाओं को अनलॉक कर सकती हैं।
- तकनीकी प्रगति: संवर्धित/आभासी वास्तविकता और वैयक्तिकृत अनुशंसाओं का एकीकरण दर्शकों के अनुभव को बढ़ा सकता है।
- समेकन और साझेदारी: संसाधनों को अनुकूलित करने और प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए विलय और अधिग्रहण या रणनीतिक साझेदारी की संभावना।
- वैश्विक सामग्री निर्यात: भारतीय ओटीटी प्लेटफार्मों में मूल सामग्री को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करने की क्षमता है।

पश्चिमी गोलार्ध

- बढ़ती डिस्पोजेबल आय, बढ़ती इंटरनेट पहुंच और विविध और आकर्षक सामग्री के लिए बढ़ती भूख के कारण भारतीय ओटीटी क्षेत्र निरंतर विकास के लिए तैयार है।
- ग्रामीण बाजारों और तकनीकी प्रगति में अवसरों का लाभ उठाते हुए सामर्थ्य और चोरी जैसी चुनौतियों पर काबू पाना निरंतर सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।

आवाज क्लोनिंग

खबरों में क्यों?

- आर्टि3फिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से वॉयस क्लोनिंग ने AI सॉफ्टवेयर के आसपास भय पैदा कर दिया है क्योंकि AI वॉयस क्लोनिंग से संबंधित घोटाले बढ़ गए हैं।

बारे में

- मार्केट यूएस की एक रिपोर्ट से पता चला है कि इन वॉयस क्लोनिंग अनुप्रयोगों का वैश्विक बाजार 2022 में 1.2 बिलियन डॉलर का है और 15-40% से अधिक सीएजीआर के साथ 2032 में लगभग 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

वॉइस क्लोन कैसे किये जाते हैं?

- एक बार जब किसी घोटालेबाज को किसी व्यक्ति की ऑडियो क्लिप मिल जाती है, तो उसे बस अपनी वॉयस क्लिप को ऑनलाइन प्रोग्राम में अपलोड करना होता है जो कुछ स्वरों को छोड़कर आवाज को सटीक रूप से दोहराने में सक्षम होता है।
- ऑनलाइन ऐसे ढेर सारे एप्लिकेशन मौजूद हैं जिनमें मर्फ, रिसेम्बल और स्पीचिफाई जैसे लोकप्रिय एप्लिकेशन शामिल हैं।
- हाल ही में, पूर्व पाकिस्तानी प्रधान मंत्री इमरान खान की राजनीतिक पार्टी ने वोटों के लिए रैली करने के प्रयास में अब जेल में बंद नेता के एआई-जनित भाषण का इस्तेमाल किया।

अनुप्रयोग

- विरासत को संरक्षित करना: आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रियजनों की आवाज़ को जीवित रख सकते हैं।
- Apple ने iOS 17 में एक वॉयस क्लोनिंग फीचर पेश किया है जिसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो किसी अपक्षयी बीमारी के कारण अपनी आवाज खोने के खतरे में हैं।
- वैयक्तिकृत अनुभव: कस्टम वर्चुअल असिस्टेंट, इंटरैक्टिव कहानी सुनाना, और अधिक इमर्सिव डिजिटल इंटरैक्शन।
- गेमिंग: AI वॉयस गेम में प्रमुख तकनीकी कंपनियों का भी हाथ है। हाल ही में, मेटा ने SeamlessM4T लॉन्च किया, जो भाषण या पाठ से लगभग 100 भाषाओं को समझ सकता है और वास्तविक समय में अनुवाद उत्पन्न कर सकता है।
- अभिगम्यता: उन लोगों को आवाज प्रदान कर सकता है जिन्होंने इसे खो दिया है या बीमारी या विकलांगता के कारण इसे खो देंगे।
- गीत रचनाएँ: YouTube ने एक समान मार्ग अपनाया और ड्रीम ट्रैक की घोषणा की जो उन्हें डेमी लोवाटो, सिया और जॉन लीजेंड जैसे पॉप सितारों की अनुमति के साथ एआई वोकल्स की विशेषता वाले गीत क्लिप बनाने की अनुमति देता है।
- रचनात्मक अनुप्रयोग: कहानी कहने, ऑडियो गेम और गहन अनुभवों को बढ़ाना।

समस्याएँ

- घोटाले: अप्रैल 2023 में, अमेरिका के एरिजोना में रहने वाले एक परिवार को एआई क्लोन आवाज द्वारा किए गए फर्जी अपहरण के लिए फिरौती देने की धमकी दी गई थी।
- रिपोर्टिंग संबंधी मुद्दे: कई मामले रिपोर्ट नहीं किए गए और केवल कुछ ही प्रकाश में आए।
- फर्जी खबरें: AI वॉयस क्लोन तक आसान पहुंच ने भी दुष्प्रचार को जन्म दिया।

- हैरी पॉटर अभिनेत्री एम्मा वॉटसन ने कथित तौर पर माइन कामफ का एक हिस्सा पढ़ा।
- गोपनीयता और सहमति: अनधिकृत रिकॉर्डिंग और सहमति के बिना आवाज़ों के उपयोग के बारे में चिंताओं को संबोधित करने की आवश्यकता है।
- नैतिक विचार: प्रतिरूपण और दुरुपयोग के माध्यम से शोषण, हेरफेर और भावनात्मक नुकसान की संभावना।
- सामाजिक निहितार्थ: डिजिटल युग में पहचान, विश्वास और संचार गतिशीलता पर प्रभाव।
- घृणास्पद भाषण: हाल ही में, उपयोगकर्ताओं ने सेलिब्रिटी घृणास्पद भाषण उत्पन्न करने के लिए मुफ्त एआई वॉयस क्लोनिंग टूल का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
- रूढ़िवादी राजनीतिक पंडित बेन शापिरो ने कथित तौर पर डेमोक्रेट राजनेता एलेक्जेंड्रा ओकासियो-कोर्टेज़ के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणियां कीं।

पैमाने

- नियामक ढाँचे: दुरुपयोग को रोकने और गोपनीयता की रक्षा के लिए मजबूत कानूनी और नैतिक दिशानिर्देश महत्वपूर्ण हैं।
- अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग हाल ही में प्रस्तावित प्रतिरूपण नियम को अपनाने पर विचार कर रहा है जो भ्रामक आवाज क्लोनिंग को रोकने में मदद करेगा।
- तकनीकी सुरक्षा उपाय: वॉटरमार्किंग और अन्य प्रमाणीकरण तंत्र क्लोन आवाज़ों को पहचानने और सत्यापित करने में मदद कर सकते हैं।
- सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा: वॉयस क्लोनिंग तकनीक और इसके संभावित जोखिमों के बारे में जनता को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है।
- यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने एक वॉयस क्लोनिंग चैलेंज भी लॉन्च किया है, जिसमें जनता से क्लोन किए गए उपकरणों का पता लगाने, मूल्यांकन करने और निगरानी करने के लिए अपने विचार भेजने के लिए कहा गया है।
- जिम्मेदार विकास और अनुप्रयोग: सकारात्मक सामाजिक प्रभाव के लिए वॉयस क्लोनिंग के नैतिक और पारदर्शी उपयोग को बढ़ावा देना।

पश्चिमी गोलार्ध

- वॉयस क्लोनिंग का भविष्य जिम्मेदार विकास और उपयोग पर निर्भर करता है, इसके दुरुपयोग से बचने के लिए नैतिक विचारों और सुरक्षा उपायों के साथ इसके संभावित लाभों को संतुलित किया जाता है।

'डीप टेक' नीति

खबरों में क्यों?

- भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने बताया कि 'डीप टेक' नीति को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा गया था।

पृष्ठभूमि

- केंद्र सरकार ने सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जुलाई 2023 में 'ड्राफ्ट नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी (NDTSP)' का अनावरण किया।
- यह भारतीय डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम की जरूरतों को पूरा करने और उसे मजबूत करने के लिए एक व्यापक नीति ढांचे का प्रस्ताव करता है।
- यह दावा करता है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त 10000 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिन्हें बड़े तकनीकी क्षेत्र के भीतर विभिन्न उप-क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है।

राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति (NDTSP)

- इसे गहन तकनीकी अनुसंधान-संचालित नवाचारों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार किया गया है।
- यह गहन तकनीकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे भारत की वित्तीय स्थिरता मजबूत होती है और ज्ञान-केंद्रित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप भारत की समग्र उत्पादकता में वृद्धि होती है।
- विजन (डीप टेक ऑफ इंडिया):
- भारत के आर्थिक भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था में निर्बाध परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना;
- आत्मनिर्भर भारत अनिवार्यता के माध्यम से राष्ट्रीय क्षमता और संप्रभुता को बढ़ावा देना; और
- नैतिक नवाचार को बढ़ावा देना
- विषयगत प्राथमिकता:
- अनुसंधान, विकास और नवाचार का पोषण; बौद्धिक संपदा व्यवस्था को मजबूत बनाना; फंडिंग तक पहुंच को सुगम बनाना; साझा बुनियादी ढांचे और संसाधन साझाकरण को सक्षम करना; अनुकूल विनियम, मानक और प्रमाणपत्र बनाना; मानव संसाधन को आकर्षित करना और क्षमता निर्माण शुरू करना; खरीद और गोद लेने को बढ़ावा देना; नीति एवं कार्यक्रम अंतर्संबंध सुनिश्चित करना; और डीप टेक स्टार्टअप्स को कायम रखना।

महत्व

- अनुसंधान, विकास और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण: नीति गहरे तकनीकी स्टार्टअप के लिए उभरते विज्ञान आधार के उद्देश्य से बुनियादी अनुसंधान, विकास और नवाचार को नए सिरे से प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय में वृद्धि का प्रस्ताव करती है; और प्रशिक्षित वैज्ञानिक मानव संसाधनों का महत्वपूर्ण आधार।
- इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में मौजूदा अनुसंधान मूल्यांकन प्रथाओं को उचित रूप से संशोधित करना है ताकि ज्ञान आउटपुट को उद्यमशीलता परिणामों में अनुवादित किया जा सके।
- प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण: शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उद्योग के बीच निर्बाध साझेदारी बनाकर;
- शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के भीतर प्लेटफार्म और प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण कार्यालय और प्रदान करना;
- इसका उद्देश्य एआई, ब्लॉकचेन, जैव प्रौद्योगिकी, ड्रोन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना है।
- ओपन साइंस और डेटा शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म: यह नीति गहन तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों के बीच सहयोग और ज्ञान साझा करने को प्रोत्साहित करने के लिए एक ओपन साइंस और डेटा शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करने को बढ़ावा देती है।
- इसका उद्देश्य संकाय सदस्यों को उनकी मूल्यांकन और मूल्यांकन नीतियों में उपयुक्त संशोधनों के माध्यम से उद्यमशीलता जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) व्यवस्था को मजबूत बनाना: जैसे उपायों द्वारा:
- एक एकल विंडो प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करना जो एकीकृत आईपी फ्रेमवर्क को सक्षम बनाता है;
- गहन तकनीकी स्टार्टअप के लिए अनुकूलित;
- डिज़ाइन IP के निर्माण पर दिशानिर्देश, जिससे संबंधित प्रौद्योगिकी दक्षताओं में अधिक मजबूती आएगी;
- पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर मार्गदर्शन;
- सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) से एकीकृत डेटाबेस प्रकाशन, पेटेंट और परियोजना की जानकारी से भरा हुआ है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना: नीति वैश्विक आईपी से संबंधित सम्मेलन, सीमा पार आईपी सुरक्षा, मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में प्रावधान प्रदान करने और राष्ट्रीय आईपीआर नीति में उपयुक्त संशोधनों के मूल्यांकन के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित तंत्र स्थापित करने में भारत की स्थिति को मजबूत करने का प्रस्ताव करती है।
- साझा बुनियादी ढांचे और संसाधन साझाकरण को सक्षम करें: नीति का लक्ष्य जहां भी आवश्यक हो, मामूली शुल्क के लिए साझा बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करना है, जो स्टार्टअप के लिए प्रारंभिक पूंजी व्यय को कम करने की कुंजी है।

प्रमुख चिंता का विषय

- फंडिंग: वर्तमान में भारत में केवल 10% स्टार्टअप ही 'डीप टेक' हैं।
- 2023 में निवेश पांच साल के निचले स्तर 7 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जिससे भारत की वैश्विक रैंकिंग तीसरे से चौथे स्थान पर आ गई।
- सभी चरणों में फंडिंग में गिरावट आई, अंतिम चरण की फंडिंग में 73% की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, जो 2023 में 4.2 बिलियन डॉलर हो गई।
- फिनटेक या रिटेल सॉफ्टवेयर पर केंद्रित स्टार्टअप के विपरीत, 'डीप टेक' में आवश्यक धनराशि की मात्रा बहुत अधिक है।
- चीन से प्रतिस्पर्धा: भारत जैव ईंधन, स्मार्ट सामग्री, उन्नत मिश्रित सामग्री और उच्च-विनिर्देश मशीनिंग प्रक्रियाओं सहित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के मामले में दूसरे स्थान पर रहा।
- चीन की वैश्विक बढ़त रक्षा, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स, ऊर्जा, पर्यावरण, जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और क्वांटम प्रौद्योगिकी में फैली हुई थी।
- अन्य प्रमुख बाधाएं जैसे संसाधन और बुनियादी ढांचे की कमी, और सीमांत प्रौद्योगिकियों से जुड़े जोखिमों को समझना।

आगे बढ़ने का रास्ता

- फंडिंग किसी स्टार्टअप की विकास यात्रा का एक प्रमुख चालक है, और उत्पाद विकास, सत्यापन और स्केलिंग के लिए गहन तकनीकी स्टार्टअप के लिए दीर्घकालिक वित्त तक पहुंच विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
- डीप टेक स्टार्टअप के लिए लक्षित दीर्घकालिक फंडिंग की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है, और डीप टेक के सर्वोत्तम उपयोग के लिए प्रमुख बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है।
- भारतीय डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम के भीतर अंतर्राष्ट्रीय पहल हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत-अमेरिका संयुक्त कार्य समूह (2020); इंडो-इज़राइल डीप टेक एंड लाइफ साइंसेज मिशन; इंडो-जापान डीप टेक और स्टार्टअप पार्टनरशिप जिससे भारत डीप टेक के क्षेत्र में प्रभावी और कुशलता से उपयोग कर सकता है।

आदित्य L1 मिशन

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, इसरो ने आदित्य-एल1 को एल1 कक्षा में बांधने के लिए एक महत्वपूर्ण पैंतरेबाज़ी की।

क्या है आदित्य-एल1 मिशन?

- आदित्य-एल1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष-आधारित भारतीय वेधशाला है।
- सौर मिशन में अंतरिक्ष यान को वास्तव में सूर्य तक जाते नहीं देखा जाएगा, इसके बजाय यह एक बिंदु पर एक अंतरिक्ष वेधशाला बनाएगा जहां से ग्रहण के दौरान भी सूर्य को देखा जा सकता है।
- अंतरिक्ष यान को सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के, पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर, लैग्रेंज बिंदु 1 (L1) के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा।
- मिशन का जीवनकाल पांच साल का है, जिसके दौरान इसके पेलोड से घटना को समझने के लिए जानकारी प्रदान करने की उम्मीद की जाती है।
- कोरोनल हीटिंग; कोरोनल मास इजेक्शन; पूर्व भड़कना और भड़कना गतिविधियाँ और उनकी विशेषताएँ;
- अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता; और कणों और क्षेत्रों का प्रसार।
- यह सात पेलोड (उपकरण) से सुसज्जित है, जिनमें से चार सूर्य की रिमोट सेंसिंग करते हैं और उनमें से तीन इन-सीटू अवलोकन करते हैं।

सात पेलोड कौन से हैं?

- विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (YLC) कोरोना, इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी और कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा।
- सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT) फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर इमेजिंग- संकीर्ण और ब्रॉडबैंड पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह सौर विकिरण विविधताओं को भी मापेगा।
- सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (SoLEXS) और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (HEL1OS) एक विस्तृत एक्स-रे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली नरम और कठोर एक्स-रे फ्लेयर्स का अध्ययन करेंगे।
- आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट (ASPEX) और प्लाज़्मा एनालाइज़र पैकेज फॉर आदित्य (PAPA) सौर पवन या कणों में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन का विश्लेषण करेगा। यह ऊर्जावान आयनों का भी अध्ययन करेगा।
- उन्नत त्रि-अक्षीय उच्च रिज़ॉल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर L1 बिंदु पर अंतरग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे।

जीसैट-20

खबरों में क्यों?

- इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) 2024 की दूसरी तिमाही के दौरान स्पेसएक्स के फाल्कन-9 पर जीसैट-20 उपग्रह लॉन्च करेगी।

जीसैट-20 के बारे में

- यह 4700 किलोग्राम वजनी, का-का-बैंड वाला एक हाई थ्रूपुट सैटेलाइट (HTS) है, जो पूरी तरह से न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के स्वामित्व, संचालित और वित्त पोषित है।
- हाल ही में इसका नाम बदलकर GSAT-N2 कर दिया गया।
- यह NSIL द्वारा सक्षम दूसरा 'मांग संचालित' उपग्रह प्रक्षेपण होगा।

महत्व:

- यह एक उच्च क्षमता वाला संचार उपग्रह है जो इन-फ़्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी (IFMC) सेवाओं सहित ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए है।
- यह लगभग 48 जीबीपीएस की एचटीएस क्षमता के साथ अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों सहित पूरे भारत में कवरेज प्रदान करता है और इसे विशेष रूप से दूरदराज और असंबद्ध क्षेत्रों की मांग वाली सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

स्पेसएक्स का फाल्कन 9 क्यों?

- जीसैट-20 का वजन लगभग 4,700 किलोग्राम है, जो इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट, LVM-3 की प्रक्षेपण क्षमता से काफी भारी है।
- 4,000 किलोग्राम से अधिक वजन वाले अपने भारी उपग्रहों के लिए, भारत एरियनस्पेस के भारी प्रक्षेपण यान एरियन-5 पर निर्भर था।
- हालाँकि, इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया था और इसके उत्तराधिकारी एरियन-6 का पदार्पण होना अभी बाकी है।
- आमतौर पर, संचार उपग्रहों को 170 किमी x 36,000 किमी (जिसे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या जीटीओ के रूप में भी जाना जाता है) की कक्षा में अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है।
- भारत के GSLV और LVM3 रॉकेट इतनी उच्च अण्डाकार (अंडे के आकार की) कक्षा में पेलोड पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और विश्वसनीय रूप से सिद्ध हैं।
- जीएसएलवी जीटीओ तक लगभग 2250 किलोग्राम वजन पहुंचा सकता है
- LVM3 GTO को 4000 किग्रा पहुंचा सकता है।
- हालाँकि, GSAT-20 भारत के परिचालन रॉकेटों की पेलोड क्षमता से परे है।

भारत का पाम तेल आयात

खबरों में क्यों?

- भारत का पाम तेल आयात दिसंबर में बढ़कर चार महीनों में सबसे अधिक हो गया।

पाम तेल

- यह एक खाद्य वनस्पति तेल है जो तेल ताड़ के पेड़ों के फल से आता है, जिसका वैज्ञानिक नाम एलेइस गुइनेंसिस है।
- तेल ताड़ का पेड़ पश्चिम और मध्य अफ्रीका का मूल निवासी है। यह मलेशिया और इंडोनेशिया में भी बड़े पैमाने पर उगता है।
- फलों से प्राप्त पाम तेल का उपयोग साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, मोमबत्तियाँ, जैव ईंधन और चिकनाई वाले ग्रीस बनाने और टिनप्लेट के प्रसंस्करण और लोहे की प्लेटों पर कोटिंग करने में किया जाता है।
- बीजों से प्राप्त पाम कर्नेल तेल का उपयोग मार्जरीन, आइसक्रीम, चॉकलेट कन्फेक्शन, कुकीज़ और ब्रेड जैसे खाद्य उत्पादों के साथ-साथ कई फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण में किया जाता है।

पाम तेल का भारतीय आयात

- भारत एशिया में पाम तेल का सबसे बड़ा आयातक है, जो वैश्विक आयात का 15% हिस्सा है, इसके बाद चीन (9%), पाकिस्तान (4%) और बांग्लादेश (2%) का स्थान है।
- भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से पाम तेल खरीदता है।

खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी)

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका विशेष ध्यान उत्तर पूर्व क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है।
- वित्त पोषण: योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय किया गया है, जिसमें से 8,844 करोड़ रुपये भारत सरकार का हिस्सा है और 2,196 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा है।
- इस योजना के तहत, वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम के लिए 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करने का प्रस्ताव है और इस तरह अंततः 10 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य तक पहुंचना प्रस्तावित है।
- उद्देश्य: आयात बोझ को कम करने के लिए क्षेत्र विस्तार और कच्चे पाम तेल के उत्पादन को बढ़ाकर देश में खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाना।
- एनएमईओ-ऑयल पाम की मुख्य विशेषताएं हैं:
- रोपण सामग्री के लिए सहायता,
- 4 वर्ष की गर्भधारण अवधि तक अंतरफसल और रखरखाव के लिए इनपुट,
- बीज उद्यान, सूक्ष्म सिंचाई, वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों, सौर पंप, कटाई उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर सह हार्वेस्टर समूहों की स्थापना,
- किसानों और अधिकारियों को प्रशिक्षण, और पुराने ताड़ के तेल के बगीचों को फिर से रोपने आदि के लिए।

स्मार्ट 2.0

खबरों में क्यों?

- हाल ही में स्मार्ट 2.0 (आयुर्वेद अनुसंधान को मुख्यधारा में लाने का दायरा)।
- यह कार्यक्रम केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) द्वारा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (NCISM) के साथ शुरू किया गया था।
- 'स्मार्ट 2.0' का उद्देश्य अंतःविषय अनुसंधान विधियों का उपयोग करके आयुर्वेद हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता और सुरक्षा को प्रदर्शित करने और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में अनुवाद करने के लिए ठोस सबूत उत्पन्न करना है।

केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS)

- यह आयुर्वेद में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान के निर्माण, समन्वय, विकास और प्रचार के लिए एक शीर्ष संगठन है।
- CCRAS आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

वर्चुअल एसेट प्रदाताओं के खिलाफ FIU IND अधिनियम

खबरों में क्यों?

- फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU IND) ने नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को अनुपालन कारण बताओ नोटिस जारी किया।

अनुपालन कार्यवाही के संबंध में

- अपतटीय संस्थाओं के खिलाफ अनुपालन कार्रवाई के हिस्से के रूप में, FIU IND ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना "अवैध रूप से संचालन" के लिए अपतटीय वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं (VDA SPs) को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
  - FIU IND ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर इन अपतटीय संस्थाओं से जुड़े यूआरएल को ब्लॉक करने का आग्रह किया है।

- इस कदम का उद्देश्य पीएमएलए में उल्लिखित नियामक दायित्वों का पालन किए बिना भारत में उनके निरंतर संचालन को रोकना है।
- मार्च 2023 में, भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म नियमों के तहत लाया गया था।
- उन्हें पीएमएलए 2002 का अनुपालन करने, ऑनबोर्ड किए गए ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने और उनकी वित्तीय स्थिति और संभावित संदिग्ध लेनदेन के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया गया था।
- यह दायित्व भौतिक उपस्थिति के बावजूद भारत में कार्यरत सभी वीडीए एसपी पर लागू होता है और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों और फिएट मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान, वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के हस्तांतरण, वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों या वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर नियंत्रण सक्षम करने वाले उपकरणों की सुरक्षा या प्रशासन जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं। आदि को रिपोर्टिंग इकाई के रूप में FIU IND के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है।

उद्देश्य

- PMLA और इसके रिपोर्टिंग दायित्व का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए वित्तीय लेनदेन की निगरानी और ट्रैकिंग को सक्षम करना है।
- हालिया कदम वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग/काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (एएमएल-सीएफटी) ढांचे के तहत लाने के व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में आया है।

वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियाँ

- अब तक 31 वीडीए एसपी ने एफआईयू आईएनडी के साथ पंजीकरण कराया है।
- हालाँकि, कई अपतटीय संस्थाएँ, हालांकि भारतीय उपयोगकर्ताओं के एक बड़े हिस्से को सेवा प्रदान करती हैं, पंजीकृत नहीं हो रही थीं और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (सीएफटी) ढांचे के तहत नहीं आ रही थीं।

VDA को विनियमित करने के लिए अन्य कदम

- ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), जो केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग के लिए वैश्विक मंच है, ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं में क्रिप्टो परिसंपत्तियों से वित्तीय स्थिरता के बारे में एक रिपोर्ट (अगस्त 2023) में तीन उच्च-स्तरीय नीति विकल्पों पर विचार किया।
  - इनमें पूर्ण प्रतिबंध, रोकथाम और विनियमन शामिल हैं। बीआईएस ने पाया कि एकमुश्त प्रतिबंध लागू करने योग्य साबित नहीं हो सकता है।
  - इसका कारण क्रिप्टो बाज़ारों की छद्म-गुमनाम प्रकृति है। ऐसी संभावना हो सकती है कि नियामकों की बाजार पर पूरी नजर न रह जाए, जिससे उनकी पारदर्शिता और कम हो जाएगी और वे कम पूर्वानुमानित हो जाएंगे।
  - रोकथाम का अर्थ क्रिप्टो बाजारों और पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों के बीच प्रवाह को नियंत्रित करना होगा।
- हालाँकि, बीआईएस ने तर्क दिया कि रणनीति क्रिप्टो बाजारों में निहित कमजोरियों को संबोधित नहीं करेगी और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिरता जोखिम हो सकता है।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

- जैसे-जैसे वैश्विक स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी परिदृश्य विकसित हो रहा है, निवेशकों की सुरक्षा और अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए नियामक हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया है।
- भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयां आभासी डिजिटल संपत्तियों के उपयोग से जुड़े संभावित जोखिमों को संबोधित करने में एक सक्रिय रुख का संकेत देती हैं।
- क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदाय भारत में उद्योग के नियामक परिदृश्य पर प्रभाव का आकलन करने के लिए घटनाक्रम का उत्सुकता से निरीक्षण करेगा।

रेडियोकार्बन डेटिंग

खबरों में क्यों?

- रेडियोकार्बन डेटिंग ने प्रसिद्ध मृत सागर की आयु और प्रामाणिकता स्थापित करने में मदद की।

रेडियोकार्बन डेटिंग

- रेडियोकार्बन डेटिंग, या कार्बन-14 डेटिंग, एक वैज्ञानिक विधि है जो कार्बनिक पदार्थों की आयु का सटीक निर्धारण कर सकती है।
- इसे 1940 के दशक के अंत में विलार्ड लिब्बी द्वारा विकसित किया गया था, यह तकनीक कार्बन-14 आइसोटोप के क्षय पर आधारित है।

रेडियोकार्बन डेटिंग कैसे काम करती है?

- इसकी शुरुआत ब्रह्मांडीय किरणों से होती है - पदार्थ के उपपरमाण्विक कण जो लगातार सभी दिशाओं से पृथ्वी पर बरसते हैं।
- जब ब्रह्मांडीय किरणें पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पहुंचती हैं, तो भौतिक और रासायनिक परस्पर क्रिया से रेडियोधर्मी आइसोटोप कार्बन-14 बनता है।
- जीवित जीव इस कार्बन-14 को अपने ऊतकों में अवशोषित करते हैं। एक बार जब वे मर जाते हैं, तो अवशोषण बंद हो जाता है, और कार्बन-14 बहुत धीमी गति से एक अनुमानित दर पर अन्य परमाणुओं में परिवर्तित होने लगता है।
- कितना कार्बन-14 बचा है, इसे मापकर वैज्ञानिक यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोई विशेष कार्बनिक वस्तु कितने समय से मृत है।

कार्बन-14 डेटिंग की सीमाएँ क्या हैं?

- रेडियोकार्बन डेटिंग लगभग 60,000 वर्ष पुरानी कार्बनिक सामग्रियों पर काम करती है।
- पारंपरिक रेडियोकार्बन डेटिंग के लिए किसी वस्तु के 10 से 100 ग्राम (0.35 से 3.5 औंस) के नमूनों की आवश्यकता होती है, जो संबंधित सामग्री पर निर्भर करता है।
- डेटिंग के नए रूप बहुत कम मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, 20 से 50 मिलीग्राम या 0.0007 से 0.0018 औंस तक।
- रेडियोकार्बन के नमूने भी आसानी से दूषित हो जाते हैं, इसलिए सटीक तारीखें प्रदान करने के लिए, उन्हें साफ और अच्छी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए।

क्या पिछले कुछ वर्षों में रेडियोकार्बन डेटिंग में सुधार हुआ है?

- तकनीकी और विश्लेषणात्मक प्रगति ने रेडियोकार्बन डेटिंग को तेज़ और अधिक सटीक बना दिया है - और आवश्यक नमूने के आकार को कम करके इसके उपयोग की सीमा का विस्तार किया है।
- रेडियोकार्बन डेटिंग के नवीनतम रूप, जिसे एक्सेलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहा जाता है, में केवल 20 से 50 मिलीग्राम के नमूनों की आवश्यकता होती है, हालांकि, यह अधिक महंगा भी है।
- एक और नया विकास बायेसियन सांख्यिकीय मॉडलिंग है, जो रेडियोकार्बन तिथियों पर संभाव्यता विश्लेषण लागू करता है, जिसमें हमेशा एक त्रुटि मार्जिन शामिल होता है।

कार्बन-14 परीक्षण से कौन सी खोजें सामने आईं?

- इस सफलता ने पुरातत्व में एक नई वैज्ञानिक कठोरता का परिचय दिया, जिससे पुरातत्वविदों को दुनिया भर के मनुष्यों के इतिहास को एक साथ रखने की अनुमति मिली।
- कार्बन डेटिंग ने हमें यह बताने में मदद की है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, पृथ्वी की जलवायु को समझने और उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने और सूर्य की गतिविधि और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों को ट्रैक करने में मदद मिली है।
- रेडियोकार्बन डेटिंग ने मानव-जनित जलवायु परिवर्तन की खोज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसका उपयोग समय के साथ वातावरण में कार्बन के स्रोतों को ट्रैक करने के लिए किया था।

XPoSat (एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट) मिशन

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV-C58 XPoSat (एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट) मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

बारे में

- XPoSAT मिशन प्रक्षेपण ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) की 60वीं उड़ान को भी चिह्नित किया।
- XPoSat (एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट) चमकीले खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित पोलारिमेट्री मिशन है।
- इस प्रक्षेपण के बाद, भारत अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया, जिसने खगोलीय स्रोतों, जैसे कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों आदि का अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला भेजी।

XPoSat के पेलोड

- अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में दो वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। प्राथमिक पेलोड POLIX (एक्स-रे में पोलारिमीटर उपकरण) पोलारिमेट्री मापदंडों को मापेगा।
- XSPECT (एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग) पेलोड 0.8-15 केवी की ऊर्जा रेंज में स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी देगा।

अंतरिक्ष में एक्स-रे कैसे देखे जाते हैं?

- एक्स-रे में बहुत अधिक ऊर्जा और बहुत कम तरंग दैर्ध्य होती है, 0.03 और 3 नैनोमीटर के बीच, इतनी छोटी कि कुछ एक्स-रे कई तत्वों के एक परमाणु से भी बड़ी नहीं होती हैं। किसी वस्तु का भौतिक तापमान उसके द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य निर्धारित करता है। वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी, शिखर उत्सर्जन की तरंगदैर्ध्य उतनी ही कम होगी।
- एक्स-रे लाखों डिग्री सेल्सियस वाली वस्तुओं से आती हैं - जैसे पल्सर, गैलेक्टिक सुपरनोवा अवशेष और ब्लैक होल।

महत्व

- मिशन ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक और पल्सर पवन निहारिका जैसे विभिन्न खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है।
- अंतरिक्ष आधारित वेधशालाएँ भी ऐसे स्रोतों से उत्सर्जन की सटीक प्रकृति के बारे में जानकारी देने में असमर्थ हैं। इसलिए, नए उपकरण विशिष्ट गुणों को माप सकते हैं।

6 अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

चाबहार बंदरगाह के विकास पर समझौते पर हस्ताक्षर

खबरों में क्यों?

- भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के आगे विकास पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

चाबहार बंदरगाह

- ईरान का चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित है और देश का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है।
- यह सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के चाबहार शहर में स्थित है।
- चाबहार में दो बंदरगाह हैं; शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेश्टी।
- पहला एक पुराना बंदरगाह है जिसमें फीडर जहाजों को समायोजित करने के लिए सीमित पानी का मोर्चा है।
- शाहिद बेहेश्टी बंदरगाह को चार चरणों में विकसित किया जा रहा है। सभी 4 चरणों के पूरा होने पर बंदरगाह की क्षमता 82 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी।
- यह बंदरगाह ऊर्जा संपन्न फारस की खाड़ी के देशों के दक्षिणी तट तक पहुंच प्रदान करता है और चाबहार बंदरगाह के चालू होने से भारत पाकिस्तान को बायपास कर सकता है।

भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का महत्व

- भू-राजनीतिक महत्व: चाबहार बंदरगाह रणनीतिक रूप से दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के चौराहे पर स्थित है। यह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी समुद्री पहुंच प्रदान करता है।
- भारत अफगानिस्तान तक माल पहुंचाने में पाकिस्तान को दरकिनार कर सकता है।
- INCTC का प्रवेश द्वार: चाबहार बंदरगाह भारत की ईरान तक पहुंच को बढ़ावा देगा, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INCTC) का प्रमुख प्रवेश द्वार है, जिसमें भारत, रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के बीच समुद्री, रेल और सड़क मार्ग हैं।
- चीन का मुकाबला: चाबहार बंदरगाह अरब सागर में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने में भारत के लिए फायदेमंद होगा जिसे चीन पाकिस्तान को ग्वादर बंदरगाह विकसित करने में मदद करके सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है।
- ग्वादर बंदरगाह चाबहार से सड़क मार्ग से 400 किमी और समुद्र मार्ग से 100 किमी से भी कम दूरी पर है।
- व्यापार लाभ: चाबहार बंदरगाह के चालू होने से भारत में लौह अयस्क, चीनी और चावल के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- भारत में तेल की आयात लागत में भी काफी गिरावट देखने को मिलेगी।

भारत और ईरान संबंधों पर संक्षिप्त जानकारी

- राजनीतिक संबंध: भारत और ईरान ने 1950 में एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने संयुक्त समिति बैठक (JCM), विदेश कार्यालय सहित विभिन्न स्तरों पर कई द्विपक्षीय परामर्श तंत्र स्थापित किए हैं।
  - परामर्श (FOC), राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर सुरक्षा परामर्श।
- भारत और ईरान के पास विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त कार्य समूह भी हैं।
- आर्थिक संबंध: वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत-ईरान द्विपक्षीय व्यापार 21.76% की वृद्धि दर्ज करते हुए 2.33 बिलियन डॉलर था।
- भारत और ईरान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए भुगतान के अपने चैनलों में विविधता लाने की भी कोशिश कर रहे हैं।
  - ऊर्जा सहयोग: भारत लगातार ईरानी तेल के शीर्ष आयातकों में से एक रहा है, हालांकि ईरान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण इस रिश्ते को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
  - क्षेत्रीय स्थिरता: भारत और ईरान क्षेत्र की स्थिरता, विशेष रूप से अफगानिस्तान के संदर्भ में, चिंताओं और हितों को साझा करते हैं।
- दोनों देशों ने आम सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न पहलों पर सहयोग किया है।

चिंता के क्षेत्र

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध: ईरान को विशेष रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है।
- इन प्रतिबंधों से भारत और ईरान के बीच आर्थिक संबंधों पर असर पड़ा है, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में।
- भारत की ईरान से तेल आयात करने की क्षमता प्रभावित हुई है, जिससे उनके ऊर्जा सहयोग में अनिश्चितताएं पैदा हो गई हैं।
- भू-राजनीतिक चुनौतियाँ: मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक परिदृश्य जटिल रहा है, और दोनों देशों को अपने क्षेत्रीय हितों को संतुलित करने के लिए सावधानीपूर्वक नेविगेट करने की आवश्यकता है।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: अफ़ग़ानिस्तान में अस्थिर परिस्थितियों सहित क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति का भारत और ईरान दोनों पर प्रभाव पड़ता है।
- क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर उनका सहयोग आवश्यक है, लेकिन रणनीतिक दृष्टिकोण में अंतर चुनौतियां पैदा कर सकता है।
- चाबहार बंदरगाह विकास: हालाँकि चाबहार बंदरगाह का विकास एक महत्वपूर्ण परियोजना है, लेकिन प्रगति अनुमान से धीमी रही है।
- बाहरी खिलाड़ियों का प्रभाव: भारत और ईरान दोनों के बाहरी खिलाड़ियों के साथ संबंध हैं जो एक-दूसरे के हितों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं।
- क्षेत्र में बाहरी शक्तियों का प्रभाव उनकी द्विपक्षीय गतिशीलता को जटिल बना सकता है और आपसी सहयोग के लिए चुनौतियाँ पैदा कर सकता है।
- परमाणु समझौते की अनिश्चितताएँ: ईरान परमाणु समझौते (JCPOA) से जुड़ी अनिश्चितताएँ और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रति अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में बदलाव की संभावना भारत और ईरान के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है।

इसके आगे:

- हालाँकि भारत ने मध्य पूर्व में एक संतुलन अधिनियम का पालन किया है, लेकिन ईरान और पश्चिम के बीच बढ़ते तनाव के बीच उभरते भू-राजनीतिक पुनर्गठन भारत के लिए ईरान के साथ अपने सहयोग को गहरा करने के लिए नई चुनौतियाँ पैदा कर सकते हैं।
- रिश्ते को अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ियों के प्रभाव सहित भू-राजनीतिक गतिशीलता के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- हालाँकि, दोनों देश सहयोग और आर्थिक साझेदारी के अवसर तलाशना जारी रखते हैं।

भारत और सऊदी अरब

खबरों में क्यों?

- भारत और सऊदी अरब ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए रक्षा सहयोग पर एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

भारत-सऊदी अरब संबंध:

- 1947 में राजनयिक संबंधों की स्थापना, और 2006 में दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर करके इसे मजबूत किया गया और 2010 में रियाद घोषणा पर हस्ताक्षर करके इसे रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया।
- 2016 में भारत के प्रधान मंत्री की रियाद यात्रा ने राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की भावना को प्रदर्शित किया।
- किंग सलमान ने भारत के प्रधान मंत्री को किंग अब्दुलअज़ीज़ सैश (राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान) प्रदान किया, जो सऊदी अरब-भारत संबंधों के महत्व को दर्शाता है।

वर्तमान परिदृश्य:

- सऊदी अरब के साथ भारत के संबंधों में हाल के वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, जो व्यापार और अन्य निवेशों में उल्लेखनीय वृद्धि से चिह्नित है।
- व्यापार: वित्त वर्ष 2023 में सऊदी अरब के साथ भारत का विदेशी व्यापार 52.75 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- भारत को अप्रैल 2000 से जून 2023 के बीच सऊदी अरब से 3.22 बिलियन डॉलर का FDI प्राप्त हुआ।
- भारत सऊदी अरब से कच्चा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, कच्चा प्लास्टिक, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन प्राप्त करता है।
- ऊर्जा सुरक्षा: सऊदी अरब भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देता है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है, खपत का 87% तेल आयात करता है, और मध्य पूर्व भारत के कच्चे तेल के आयात का 60% से अधिक हिस्सा है।
- खाद्य सुरक्षा: भारत अपनी खाद्य सुरक्षा में सऊदी देशों का पूरक है क्योंकि सऊदी अरब अपनी खाद्य जरूरतों और कपड़ा सहित विनिर्मित वस्तुओं के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है।
- रणनीतिक साझेदारी परिषद (SPC): यूके, फ्रांस और चीन के बाद भारत 2019 में भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद (SPC) की स्थापना के लिए सऊदी अरब के साथ साझेदारी करने वाला चौथा देश है।
- इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, निवेश के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर आपसी सहयोग को आगे बढ़ाना है।
- रक्षा सहयोग: भारत और सऊदी अरब के पास रक्षा सहयोग पर एक संयुक्त समिति (JCDC) है जो नियमित रूप से मिलती है।
- भारतीय नौसेना विभिन्न पहलों के माध्यम से रॉयल सऊदी नौसेना बल के साथ सहयोग करती है, जिसमें द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी, प्रशिक्षण और अन्य समुद्री रास्ते जैसी परिचालन बातचीत शामिल है।
- भारतीय नौसेना के जहाज सऊदी अरब के विभिन्न बंदरगाहों पर नियमित रूप से पोर्ट कॉल करते रहे हैं।
- विभिन्न अभ्यास: भारतीय नौसेना विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पूर्व मिलान, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, संयुक्त समुद्री बलों और जिबूती आचार संहिता जेद्दा संशोधन (DCOC-JA) में रॉयल सऊदी नौसेना बल के साथ भी बातचीत कर रही है।
- क्षेत्रीय स्थिरता: दोनों देश क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए, क्योंकि यमन में ईरान समर्थित हौथी आतंकवादियों ने जहाजों पर हमले बढ़ा दिए हैं और लाल सागर में समुद्री यातायात बाधित कर दिया है।
- हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS): दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्री डकैती के खिलाफ लड़ाई में व्यावहारिक सहयोग और IONS में रॉयल सऊदी नौसेना की सक्रिय भूमिका का पता लगा सकती हैं।

चुनौतियां

- ऊर्जा निर्भरता: उनके रिश्ते का मुख्य तत्व ऊर्जा, विशेष रूप से सऊदी अरब के कच्चे तेल के निर्यात के आसपास घूमता रहता है।
- भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है, खपत का 87% तेल आयात करता है, और मध्य पूर्व भारत के कच्चे तेल के आयात का 60% से अधिक हिस्सा है।
- सऊदी अरब की पाकिस्तान को सहायता: भारत के साथ बातचीत के दौरान, सऊदी अरब की पाकिस्तान को सहायता चिंता बढ़ाती है।
- आर्थिक बदलाव, राजनीतिक परिवर्तन और भू-राजनीतिक गतिशीलता: इन कारकों ने उनके संबंधों का परीक्षण किया है। हालाँकि, अंतर्निहित सम्मान, साझा हितों और आपसी विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने उनके संबंधों को लचीला बनाए रखा है।
- चीन की भूमिका: देश चीन के साथ भी जुड़ा हुआ है, ईरान और इज़राइल के साथ मेल-मिलाप की ओर बढ़ रहा है, और अब अमेरिका, भारत और यूरोप के साथ सऊदी साझेदारी को भी मजबूत कर रहा है।
- कई लोग पहले ही इस भागीदारी को सत्ता परिवर्तन के रूप में वर्णित कर चुके हैं, जिसमें चीन मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है।
- मध्य पूर्व में चीन का प्रभाव बढ़ने से अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को आर्थिक और रणनीतिक रूप से मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

- चुनौतियों के बावजूद, दोनों देशों ने आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी साझेदारी को अपनाने के महत्व को पहचाना है। उन्होंने अर्थव्यवस्था, निवेश के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 2019 में भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद (SPC) की स्थापना की है।
- भारत को धैर्यपूर्वक यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या खाड़ी में चीन की बढ़ती भागीदारी उसके दीर्घकालिक सुरक्षा हितों और शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन के लिए हानिकारक है।
- भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के बीच I2U2 साझेदारी ने पहले ही भारत को क्षेत्र के गठबंधन कैनवास पर ला दिया है।
- साथ ही, हाल के घटनाक्रम भारत को मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित करने का अवसर भी प्रदान करते हैं।

विश्व आर्थिक मंच

खबरों में क्यों?

- जलवायु परिवर्तन, संघर्षों और गलत सूचनाओं पर बढ़ती चिंताओं के बीच WEF की वार्षिक बैठक 2024 स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) के बारे में:

- यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है जो गंभीर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं को एक साथ लाता है।
- यह वैश्विक नेताओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और उन्हें संबोधित करने, सहयोग और साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

WEF की उत्पत्ति:

- WEF की स्थापना 1971 में जर्मन प्रोफेसर क्लाउस श्वाब द्वारा की गई थी, और इसने 'हितधारक पूंजीवाद' की अवधारणा पेश की थी।
- हितधारक पूंजीवाद पूंजीवाद का एक रूप है जहां कंपनियां अपने सभी हितधारकों और बड़े पैमाने पर समाज की जरूरतों पर विचार करके दीर्घकालिक मूल्य निर्माण की तलाश करती हैं।
- इसे मूल रूप से यूरोपीय प्रबंधन फोरम के नाम से जाना जाता था।

WEF द्वारा रिपोर्ट:

- वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट: यह विभिन्न देशों में लिंग अंतर का आकलन करती है। लिंग अंतर महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर है जो सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या आर्थिक उपलब्धियों या दृष्टिकोण में परिलक्षित होता है।
- 2023 की रिपोर्ट में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर था।
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट: यह तेजी से तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक अनिश्चितता, गर्म होते ग्रह और संघर्ष की पृष्ठभूमि में, अगले दशक में हमारे सामने आने वाले कुछ सबसे गंभीर जोखिमों का पता लगाती है।
- अन्य रिपोर्टों में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट (GCR), यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट और वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट शामिल हैं।

WEF में भारत:

- WEF में भारत की उपस्थिति महत्वपूर्ण है, केंद्रीय मंत्रियों के साथ,
  - मुख्यमंत्री, और कई अधिकारी और CEO भाग ले रहे हैं।
- दावोस में भारतीय उद्योग की उपस्थिति की संकल्पना 'विश्वसनीय भारत' की थीम के साथ की गई है, जो भारत की प्रभावशाली आर्थिक उपलब्धियों और वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में इसकी भविष्य की क्षमता को प्रदर्शित करती है।

ईरान-पाकिस्तान संघर्ष

खबरों में क्यों?

- पाकिस्तान में ईरान के मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान ने 'ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर' (विद्रोहियों को मौत) के तहत ईरान में मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं।

बलूचिस्तान कहाँ है?

- बलूचिस्तान एक विशिष्ट सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान वाला क्षेत्र है, जो तीन देशों: पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के बीच विभाजित है।
- 909 किलोमीटर लंबी ईरान-पाकिस्तान सीमा, जिसे गोल्डस्मिथ लाइन के नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान के साथ एक यात्रा बिंदु से उत्तरी अरब सागर तक फैली हुई है।
- इस क्षेत्र का नाम बलूच जनजाति से लिया गया है। लगभग 9 मिलियन जातीय बलूच रेखा के दोनों ओर, पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान और ईरानी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में रहते हैं।
- इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जिसमें कुल भूभाग का 44% हिस्सा शामिल है।
- यह शुष्क है और देश का सबसे कम आबादी वाला और सबसे कम आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्र है।

बलूचिस्तान के मुद्दे

- आर्थिक मुद्दे: बलूचिस्तान के लोगों को लंबे समय से महसूस हो रहा था कि उनके क्षेत्र को विकास और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में उपेक्षित किया गया है, जिससे सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान के प्रति नाराजगी बढ़ गई है।
- राजनीतिक मुद्दे: पाकिस्तान में, बलूच एक जातीय अल्पसंख्यक हैं जो शारीरिक और राजनीतिक रूप से पंजाबी-प्रभुत्व वाले शासन से दूर हैं और ईरान में भी, बहुसंख्यक-सुन्नी हैं।
  - बलूच एक धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जिन्हें राज्य द्वारा सताया गया है।
- अलग राज्य की मांग: बाद के वर्षों में दोनों देशों में उनके हाशिए पर जाने से "ग्रेटर बलूचिस्तान" राष्ट्र राज्य के लिए कई अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ावा मिला।

उग्रवादी समूह शामिल

- जैश अल-अदल (JAA): सुन्नी अलगाववादी आतंकवादी समूह बलूचिस्तान से स्वतंत्र रूप से काम करता है और ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है।

- बलूच लिबरेशन फ्रंट और बलूच लिबरेशन आर्मी: दोनों ईरान स्थित दो बलूच आतंकवादी समूहों के ठिकाने हैं जिन्हें पाकिस्तान द्वारा "आतंकवादी संगठन" माना जाता है।

ईरान और पाकिस्तान के बीच संबंध

- ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले, दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मजबूती से जुड़े हुए थे।
- 1955 में, वे दोनों बगदाद संधि में शामिल हो गए, जिसे बाद में केंद्रीय संधि संगठन (सेंटो) के रूप में जाना गया, जो नाटो पर आधारित एक सैन्य गठबंधन था।
- हालाँकि, एक अति-रूढ़िवादी शिया शासन ने ईरान में सत्ता संभाली और सुन्नी-बहुल पाकिस्तान सैन्य तानाशाह जनरल जिया-उल-हक के तहत अपने स्वयं के इस्लामीकरण के दौर से गुजर रहा था। इस तरह दोनों देशों ने खुद को सांप्रदायिक विभाजन के विपरीत छोर पर पाया।
- बलूच उग्रवादी विद्रोह पाकिस्तान और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव का स्रोत रहा है। दोनों देश अक्सर एक-दूसरे पर अलगाववादी आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाते रहे हैं।

क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी

- परंपरागत रूप से भारत मध्य पूर्व के भीतर संघर्षों में तटस्थ रहा है।
- हालाँकि, बलूच सीमा की नाजुकता, बलूचिस्तान में चीन की रणनीतिक उपस्थिति और खाड़ी में इसकी बढ़ती भूमिका भारत के लिए गहरी चिंता का विषय है।
- इसके अलावा भारत ने सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह में भी निवेश किया है जो भारत के लिए चिंता का विषय है।

भारत और क्यूबा

खबरों में क्यों?

- डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और क्यूबा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत और क्यूबा संबंध

- शुरुआत: भारत और क्यूबा के बीच उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंध हैं और वे पारंपरिक रूप से गर्मजोशीपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे हैं।
- जनवरी 1959 में क्यूबा की क्रांति के बाद नई क्यूबा सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में भारत शामिल था।
- व्यापार: द्विपक्षीय व्यापार मध्यम रहा है। क्यूबा को भारतीय निर्यात की मुख्य वस्तुएं फार्मास्युटिकल उत्पाद, कार्बनिक रसायन, प्लास्टिक उत्पाद, चिकित्सा उपकरण, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा उत्पाद, धातु उत्पाद, खनिज तेल उत्पाद और उपकरण हैं।
- क्यूबा से आयात में मुख्य रूप से फार्मास्युटिकल और तंबाकू उत्पाद शामिल हैं।
- विकास सहयोग: द्विपक्षीय संबंधों में विकास सहायता एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है।
- भारत ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न तूफानों से हुई तबाही के मद्देनजर क्यूबा को आपदा राहत सहायता प्रदान की है।
- ऊर्जा: ऊर्जा सहयोग भारत-क्यूबा संबंधों के मुख्य पहलुओं में से एक है। क्यूबा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का एक सदस्य देश और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र का उपाध्यक्ष है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य: दोनों पक्षों की ओर से मंत्री स्तर की यात्राओं से विज्ञान और प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत-क्यूबा संबंध मजबूत हुए हैं।
  - सांस्कृतिक संबंध: क्यूबा में भारतीय संस्कृति और सभ्यता को काफी सराहा जाता है।
- क्यूबा में महात्मा गांधी, नेहरू और टैगोर का विशेष स्थान है।
  - भारतीय समुदाय: क्यूबा में भारतीय समुदाय छोटा है। समुदाय के घटकों में से एक भारतीय मूल के लोग हैं, भारतीयों के वंशज जो बीसवीं सदी की शुरुआत में जमैका और वेस्ट इंडीज के अन्य हिस्सों से गन्ने के बागानों में काम करने के लिए क्यूबा आए थे।

Cuba: Key Facts

Capital: Havana
Location: Cuba is located where the northern Caribbean Sea, Gulf of Mexico, and the Atlantic Ocean meet.
– West: Mexico
– North: American state of Florida and the Bahamas.
– Southeast: Haiti/Dominican Republic
– South: Jamaica and the Cayman Islands

Political Features:
– Cuba has had a socialist political system since 1959 based on the "one state – one party" principle.
– Cuba is constitutionally defined as a Marxist–Leninist socialist state guided in part by the political ideas of Karl Marx.

Geographical Features:

– Island Nation:
1. Cuba is an archipelago of nearly 4,200islands, cays and islets.
2. It comprises of the island of Cuba, as well as Isla de la Juventud and several minor archipelagos.
3. White sand beaches, as well as mangroves and marshes, are found in thecoastal area.

s terrain is mostly flat or rolling , with rugged hills and mountains in utheast.

est Point:
hest point is Pico Turquino at 6ft.
is a part of the Sierra Maestra untain range, located in the theast of the island.

shwater: Cuba has negligible inland area.
e largest natural water mirror is a de Leche.

भारत-म्यांमार सीमा मुक्त आवाजाही व्यवस्था

खबरों में क्यों?

- केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) को समाप्त करने की योजना बना रहा है।

मुक्त संचलन व्यवस्था (FMR) समझौता

- FMR दोनों देशों के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था है जो सीमा के दोनों ओर रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा के दूसरे देश के अंदर 16 किमी तक यात्रा करने की अनुमति देती है।
- इसका उद्देश्य ऐतिहासिक विभाजन को कम करना और सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को सुविधाजनक बनाना था।
- भारत और म्यांमार के बीच की सीमा का सीमांकन 1826 में अंग्रेजों द्वारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की राय लिए बिना किया गया था, जिसने प्रभावी रूप से एक ही जातीयता और संस्कृति के लोगों को उनकी सहमति के बिना दो देशों में विभाजित कर दिया।
- क्षेत्र के लोगों के बीच सीमा पार मजबूत जातीय और पारिवारिक संबंध हैं।
- इसे 2018 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य स्थानीय व्यापार और व्यवसाय को प्रोत्साहन देना और क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देना था।
- इस क्षेत्र में सीमा शुल्क और सीमा हाटों के माध्यम से सीमा पार वाणिज्य का एक लंबा इतिहास रहा है।

भिन्न राय

- मणिपुर ने सितंबर 2023 में गृह मंत्रालय से FMR को निलंबित करने और संपूर्ण भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का आग्रह किया था।
- इसने म्यांमार से शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर प्रवास को रोकने के लिए 2022 में पहले ही FMR को निलंबित कर दिया था।
- हालाँकि, मिजोरम और नागालैंड ने एमएचए के इस कदम का विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि एफएमआर सीमा पार रहने वाली जनजातियों को अपने जातीय, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखने के साथ-साथ दोनों पक्षों के लोगों की आर्थिक भलाई में योगदान करने की अनुमति देता है।
- उन्होंने म्यांमार से लगी पूरी सीमा पर बाड़ लगाने के प्रस्ताव का भी विरोध किया है।

Both countries share a largely unfenced 1,643 km border, which goes through the states of Arunachal Pradesh (520 km), Nagaland (215 km), Manipur (398 km) and Mizoram (510 km).They also share a India and Myanmarmaritime boundary in the Bay of Bengal.India said the whole border with Myanmar will be secured by fencing like the Bangladesh border.India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway: It involves the construction of a 1,360 km road from Moreh in India to Mae Sot in Thailand via Myanma.Energy Infrastructure: India has been investing inMyanmar's energy sector, including the construction of a gas pipeline from Myanmar to India.Security: India has been providing training and equipment to Myanmar's security forces to enhance their capacity to deal with security threats.Operation Sunrise: It is a coordinated effort between the security forces of India and Myanmar to target insurgent groups operating along the border between the two countries.

FMR समझौते को ख़त्म करना भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ?

- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: अवैध अप्रवासी, नशीली दवाओं के तस्कर और म्यांमार के विद्रोही FMR की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं।
- जातीय हिंसा पर नियंत्रण: क्षेत्र में जातीय हिंसा के कई मामले सामने आए हैं।
- 2023 की दूसरी छमाही में कुकी जनजातियों और मेइतीस के बीच जातीय हिंसा में लगभग 200 लोगों की जान चली गई है।
- सीमा प्रबंधन: FMR को समाप्त करने का निर्णय भारत-म्यांमार सीमा को सुरक्षित करने की एक व्यापक योजना का हिस्सा है।
- सरकार की योजना भारत-बांग्लादेश सीमा की तरह सीमा पर बाड़ लगाने की है।
- आवाजाही का विनियमन: एफएमआर ने दोनों देशों के स्थानीय लोगों को बिना वीजा और पासपोर्ट के एक निश्चित दूरी तक दोनों ओर प्रवेश करने की अनुमति दी।
- सीमा पार लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने वाली इस व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा।

अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत की रणनीति

- बुनियादी ढांचे का विकास: सीमाओं को सुरक्षित करने की रणनीति के साथ-साथ देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए, सीमा प्रबंधन प्रभाग द्वारा कई पहल की गई हैं।
- इनमें बाड़, फ्लडलाइटिंग, सड़कें, बॉर्डर आउट पोस्ट (BOP), कंपनी ऑपरेटिंग बेस (COB) का निर्माण और भारत-पाकिस्तान, भारत--बांग्लादेश के साथ तकनीकी समाधान की तैनाती शामिल है।

भारत-चीन, भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-म्यांमार सीमाएँ।

- सैनिकों और निगरानी की तैनाती: घुसपैठ रोधी ग्रिड बनाने के लिए भारतीय सेना और बीएसएफ को कई परतों में तैनात किया गया है।
- सीमा पर बाड़ लगाने और अन्य निगरानी उपकरणों की तैनाती से घुसपैठ को कम करने में मदद मिली है।
- सीमा के हमारी तरफ ड्रग डीलरों को पकड़ने के लिए राज्य के भीतर हमारे खुफिया नेटवर्क में सुधार करना हमारे सुरक्षा बलों की मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए।
- बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार सीमाओं के साथ: इन देशों के साथ हमारी सीमाओं की सुरक्षा मुख्य रूप से अर्धसैनिक बलों द्वारा की जाती है, और उन्हें मानव तस्करी, ड्रग्स, हथियारों, अवैध प्रवास और संदिग्ध विद्रोहियों की आवाजाही से निपटना पड़ता है।
- ड्रग्स चुनौती: सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी में ड्रोन एक प्रभावी उपकरण साबित हुए हैं।
- इस खतरे से निपटने के लिए सीमा पर केवल सतर्कता से अधिक की आवश्यकता होगी।
- स्वतंत्र रूप से सीमा पार करना इस तथ्य को उजागर करता है कि भारत-म्यांमार सीमा की अभी भी खराब सुरक्षा की जा रही है।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

- यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भारत और म्यांमार के बीच की सीमा सभी हितधारकों द्वारा प्रभावी ढंग से सुरक्षित और विनियमित हो।

दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक

खबरों में क्यों?

- स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक हाल ही में संपन्न हुई।

- केवल FMR को खत्म करने से जमीनी स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि मणिपुर के मामले में हुआ, जहां FMR सितंबर 2022 से निलंबित है।
- लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करना जारी है

बारे में

- हर साल, व्यापार, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के नेता दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने और आगे के रास्ते तलाशने के लिए स्विस शहर में इकट्ठा होते हैं।
- पांच दिवसीय सत्र तीन वर्षों में पहली बार ऑफ़लाइन आयोजित किया गया था।

2024 शिखर सम्मेलन के पांच निष्कर्ष:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: मानव कल्याण के लिए कई परिवर्तनकारी क्षमताओं पर चर्चा की गई, साथ ही विनियमन की आवश्यकता, नौकरी छूटने का डर, प्रतिरूपण और गलत सूचना के जोखिम और संभावित रूप से खराब होने वाली असमानताओं पर भी चर्चा की गई।
- समग्र चर्चा से ऐसा प्रतीत हुआ कि सकारात्मकताएं नकारात्मकताओं से अधिक हैं, और मानव बुद्धि को एआई से किसी बड़े खतरे का सामना नहीं करना पड़ा।
- युद्ध और अनिश्चितता: व्यापारिक नेताओं ने नाजुक भू-राजनीतिक स्थिति, मध्य पूर्व और यूरोप में युद्ध, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के खतरों और खाद्य सुरक्षा के आसपास अनिश्चितता से उत्पन्न जोखिम के बारे में बात की।
- फिर भी, इज़राइल-गाजा हिंसा के बारे में शांति के लिए कोई योजना या रोडमैप पेश नहीं किया गया।
- जलवायु: व्यवसायों के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने और मतभेदों के बावजूद इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए देशों को एकजुट होने की आवश्यकता एक अन्य विषय था।
- विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के वित्तपोषण में विकसित देशों की सहायता की आवश्यकता पर चर्चा की गई।
- चीन की अर्थव्यवस्था: धीमी अर्थव्यवस्था का सामना करते हुए, चीन ने पश्चिम से अधिक निवेश आकर्षित करने की कोशिश की, जिसमें कुछ ठंडक देखी गई है।
- 5.2% पर, 2023 में चीन की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे है, और यह इसे अलग-थलग करने के अमेरिकी प्रयासों से जूझ रहा है।
- भारत: दावोस में प्रमुख तकनीकी कंपनियों के बूथों के साथ, भारत अपने क्षेत्रीय एशियाई साथियों के बीच सबसे अधिक दिखाई दे रहा था।
- भारतीय कारोबारी नेताओं को प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों पर बहस में सबसे आगे देखा गया।
- फोरम बैठक की प्रमुख बातों में से एक डब्ल्यूईएफ और भारत सरकार के समर्थन से लैंगिक समानता और समानता के लिए एक ग्लोबल गुड अलायंस की शुरुआत की घोषणा थी।
- इस गठबंधन का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम के चिन्हित क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान साझाकरण और निवेश को एक साथ लाना है।

19वाँ NAM शिखर सम्मेलन

खबरों में क्यों?

- 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) शिखर सम्मेलन युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया।

शिखर सम्मेलन में मुख्य चर्चाएँ

- इज़राइल-हमास युद्ध: NAM देशों के नेताओं ने शिखर सम्मेलन के दौरान गाजा में इज़राइल के हमले की निंदा की और तत्काल युद्धविराम की मांग की।
- भारत ने एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का आग्रह किया और दो-राज्य समाधान के लिए कहा जहां फिलिस्तीनी लोग एक सुरक्षित सीमा के भीतर रह सकें।
- भारत की "विश्व मित्र" पहल: भारत ने अपने संबोधन में दुनिया के मित्र या वैश्विक एकजुटता और सहयोग के लिए "विश्व मित्र" के रूप में अपनी भूमिका पर जोर दिया।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) क्या है?

- NAM विकासशील देशों का एक गठबंधन है जो शीत युद्ध के दौरान किसी भी प्रमुख महाशक्ति के साथ पहचान करने से इनकार करता है।
- इतिहास: इसकी उत्पत्ति 1955 में इंडोनेशिया में बांडुंग सम्मेलन में हुई थी, जिसके दौरान 29 एशियाई और अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों, जिनमें कई नए स्वतंत्र राज्य भी शामिल थे, जो वर्षों से उपनिवेश थे, ने आम चिंताओं पर चर्चा की।
- NAM की स्थापना हुई और इसका पहला सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया।
- संस्थापक: आंदोलन के संस्थापक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, भारत के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर, घाना के क्वामे नक्रूमा और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप टीटो हैं।
- सचिवालय: NAM के पास कोई स्थायी सचिवालय या औपचारिक संस्थापक चार्टर, अधिनियम या संधि नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के बाद, NAM राष्ट्रों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है।
- सदस्य: वर्तमान में, NAM सदस्यता में 120 देश शामिल हैं: अफ्रीका से 53, एशिया से 39, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से 26, और यूरोप से दो। इसमें गैर-संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश फिलिस्तीन और 17 अन्य पर्यवेक्षक देश भी शामिल हैं।

आज की दुनिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन के समक्ष चुनौतियाँ

- बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता: उभरती शक्तियों और बदलते गठबंधनों के साथ भू-राजनीतिक परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है। NAM को इन परिवर्तनों से निपटने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
- मानवाधिकार: गाजा में संकट जैसे मानवाधिकार और शासन से संबंधित मुद्दों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता हासिल की है। लोकतंत्र, मानवाधिकारों के हनन और सुशासन से संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हुए विविध राजनीतिक प्रणालियों को संतुलित करना मुश्किल है।
- आंतरिक मतभेद: NAM में विविध राजनीतिक प्रणालियों, आर्थिक संरचनाओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले देश शामिल थे। आंतरिक मतभेदों को सुलझाना और आंदोलन के भीतर एकजुटता बनाए रखना एक सतत चुनौती है।

आज NAM की प्रासंगिकता

- आर्थिक चुनौतियों का समाधान: शीत युद्ध के बाद, विकसित और विकासशील देशों के बीच अभी भी आर्थिक विभाजन है। आज की दुनिया में NAM की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है क्योंकि यह आंदोलन अब राजनीतिक अवधारणा से आर्थिक अवधारणा में बदल गया है।
- विश्व शांति सुनिश्चित करने के लिए: यह आंदोलन विश्व शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता को संरक्षित करना भी उतना ही प्रासंगिक है। यह दक्षिण देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- राष्ट्रों का विकास: यह विकासशील से विकसित राष्ट्रों की ओर बढ़ने के वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास के प्रमुख मुद्दों को भी उठाता है।

इसके आगे

- इन चुनौतियों के बावजूद, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग और बातचीत का एक मंच बना हुआ है, जो राजनयिक प्रयासों, संघर्ष समाधान और शांति और विकास को बढ़ावा देने में योगदान दे रहा है।

नाटो

खबरों में क्यों?

- तुर्की की संसद ने स्वीडन की उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की सदस्यता की बोली को मंजूरी दे दी।

नाटो के बारे में

- इसका गठन 1949 में वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था।
- नाटो के संस्थापक सदस्य देश थे: बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों का एक सुरक्षा गठबंधन है।
- इसका उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है।
- नाटो में शामिल होना: ओपन डोर पॉलिसी नाटो का एक संस्थापक सिद्धांत है।
- इसका मतलब यह है कि यूरोप का कोई भी देश नाटो में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है यदि वह सदस्यता के मानकों और दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार है, गठबंधन की सुरक्षा में योगदान देता है और स्वतंत्रता, लोकतंत्र और कानून के शासन के नाटो के मूल्यों को साझा करता है।

शासनादेश

- यह लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्यों को समस्याओं को हल करने, विश्वास बनाने और लंबे समय में संघर्ष को रोकने के लिए रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है।
- यह विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
- यदि राजनयिक प्रयास विफल हो जाते हैं, तो इसके पास संकट-प्रबंधन अभियान चलाने की सैन्य शक्ति है।
- वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के तहत, पार्टियाँ इस बात पर सहमत हैं कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में उनमें से एक या अधिक के खिलाफ सशस्त्र हमला उन सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा।

तुर्की अंतत: स्वीडन की नाटो बोली का समर्थन करता है

खबरों में क्यों?

- हाल ही में तुर्की की संसद द्वारा इसकी सदस्यता का समर्थन करने के बाद नाटो में शामिल होने के स्वीडन के प्रयास में एक बड़ी बाधा दूर हो गई।

बारे में:

- यह कदम स्वीडन द्वारा अपने आतंकवाद विरोधी कानून को कड़ा करने और सुरक्षा चिंताओं पर तुर्की के साथ घनिष्ठ सहयोग का वादा करने के बाद आया।

- किसी नए देश को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल होने के लिए सभी मौजूदा सदस्यों को इसका अनुमोदन करना होगा। तुर्की और हंगरी लगभग पिछले दो वर्षों से स्वीडन के प्रवेश का विरोध कर रहे थे।

पृष्ठभूमि

- स्वीडन ने दो शताब्दियों में कोई युद्ध नहीं लड़ा है, वह दो विश्व युद्धों और शीत युद्ध के दौरान तटस्थ रहा है।
- हालाँकि, रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद इस तटस्थता को छोड़ना पड़ा।
  - नाटो में शामिल होने के पक्ष में जनता की राय बढ़ने के साथ, स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने 2022 में सदस्यता के लिए आवेदन किया।
  - जबकि फिनलैंड की बोली को मंजूरी दे दी गई, स्वीडन को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और हंगरी के प्रधान मंत्री विक्टर ओर्बन के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा।

नाटो में शामिल होने के स्वीडन के प्रयास के विरोध के पीछे कारण:

- एर्दोगन ने स्वीडन के विलय पर आपत्ति जताई और स्वीडिश अधिकारियों पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK) सहित आतंकवादी समूहों पर बहुत उदार होने और स्वीडन में कुरान जलाने के विरोध प्रदर्शन के दौरान मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाया।
- स्वीडन के साथ हंगरी की शिकायतों में हंगरी के प्रधान मंत्री ओर्बन के तहत कानून के शासन और लोकतंत्र की स्थिति के बारे में स्टॉकहोम की नकारात्मक टिप्पणियां शामिल हैं। ओर्बन अन्य नाटो देशों की तुलना में रूस के साथ भी अधिक मित्रवत हैं।
- तुर्की के इस कदम के बाद, ओर्बन ने हाल ही में कहा कि उन्होंने सहयोगी और साझेदार के रूप में सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में भविष्य के सहयोग पर चर्चा करने के लिए स्वीडिश प्रधान मंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन को बुडापेस्ट में आमंत्रित किया था।

स्वीडन नाटो में क्या लाएगा?

- एक बार जब कोई देश नाटो का सदस्य बन जाता है, तो उसके क्षेत्र पर हमला अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन पर हमला माना जाता है, और सभी 31 सदस्य एक-दूसरे की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं (उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5)।
- इसने स्वीडन को प्रभावी रूप से अमेरिका की "परमाणु छतरी" के नीचे डाल दिया।
- एक बार जब स्वीडन सदस्य बन जाएगा, तो रूस के नियंत्रण वाले हिस्से को छोड़कर लगभग सभी बाल्टिक सागर तट नाटो क्षेत्र बन जाएंगे।
- यह गठबंधन को रूस के करीब रणनीतिक आधार प्रदान करेगा, आपूर्ति लाइनों को अधिक सुव्यवस्थित बनाएगा, और समुद्र में संपत्तियों की रक्षा करना आसान बनाएगा।
- स्वीडन की सेना, हालांकि संख्यात्मक रूप से छोटी है, आधुनिक है और पिछले नाटो मिशनों में अनुभवी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें उन्नत विमान और पनडुब्बी क्षमताएं हैं।

भारत और फ्रांस ने संबंधों को मजबूत किया

खबरों में क्यों?

- 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन मुख्य अतिथि थे।

भारत और फ्रांस संबंधों की प्रमुख झलकियाँ

- रणनीतिक साझेदारी: भारत के 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद, फ्रांस भारत के साथ रणनीतिक वार्ता शुरू करने वाला पहला देश था।
  - अन्य देशों की तुलना में भारत की सुरक्षा मजबूरियों के बारे में अधिक समझ प्रदर्शित करके, फ्रांस ने भारत पर द्विपक्षीय प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया।
  - फ्रांस पहला पश्चिमी देश था जिसके साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए।
  - वर्ष 2023 में भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होंगे।
- भारत और फ्रांस के बीच व्यापक रोडमैप, जिसे पिछले साल बैस्टिल दिवस पर अपनाया गया था, को तीन स्तंभों सुरक्षा और संप्रभुता के लिए साझेदारी के तहत वर्गीकृत किया गया था; ग्रह के लिए साझेदारी और लोगों के लिए साझेदारी।
- आर्थिक: व्यापार संबंधों में लगातार वृद्धि देखी गई है, 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार 13.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 659.77 मिलियन अमेरिकी डॉलर के FDI प्रवाह के साथ फ्रांस भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, फ्रांस को भारतीय निर्यात कुल 3.06 बिलियन डॉलर और फ्रांस से आयात कुल 2.36 बिलियन डॉलर था।
- रक्षा: दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा वार्षिक रक्षा वार्ता (रक्षा मंत्री स्तर) और रक्षा सहयोग पर उच्च समिति (सचिव स्तर) के तहत की जाती है।
- P-75 स्कॉर्पीन डील 2005: फ्रांसीसी मदद से भारत में मझगांव डॉक्स लिमिटेड में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक समझौता।
- भारत की वायु शक्ति के हिस्से के रूप में राफेल जेट की खरीद गहरे रक्षा संबंधों का प्रमाण है।
- वायु सेना (गरुड़ श्रृंखला) और सेनाओं (शक्ति), नौसेनाओं (वरुण) के बीच संयुक्त रक्षा अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
- अंतरिक्ष: इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी, सेंटर नेशनल डी'एट्यूड्स स्पैटियल्स (CNES) के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में 50 वर्षों से अधिक समय से सहयोग का एक समृद्ध इतिहास है।
- फ्रांस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए घटकों और उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।

- ऊर्जा सहयोग: 2023 में जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना (JNPP) से संबंधित चर्चाओं के दौरान हुई प्रगति का दोनों नेताओं ने स्वागत किया। हालाँकि, यहाँ प्रगति धीमी रही है, हालाँकि पहले समझौते पर 2008 में सहमति बनी थी।
- दोनों पक्ष छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों (AMR) पर साझेदारी स्थापित करने पर भी सहमत हुए हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था।
  - शिक्षा: अनुमान है कि फ्रांस में लगभग 10,000 भारतीय छात्र हैं। 2018 में डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- 2023 में, 2030 तक फ्रांस में भारतीय छात्रों की संख्या 30,000 तक बढ़ाने पर सहमति हुई।
  - फ्रांस में समुदाय: मुख्य भूमि फ्रांस में अनुमानित 1,19,000 भारतीय समुदाय (NRI सहित) के सदस्य हैं, जो बड़े पैमाने पर पुडुचेरी, कराईकल, यनम, माहे और चंद्रनगर के पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों और तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब राज्यों से आते हैं।
  - पर्यटन: 2019 में लगभग 2.5 लाख फ्रांसीसी भारत आए, जबकि लगभग 7 लाख भारतीय पर्यटन के लिए फ्रांस गए।
- फ्रांसीसी पर्यटकों के लिए सभी भारतीय स्थलों में राजस्थान अग्रणी बना हुआ है।
- अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन: फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र के सुधारों के लिए भारत के दावे का समर्थन करना जारी रखा है।
- मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR), वासेनार अरेंजमेंट (WA) और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप (AG) में भारत के शामिल होने में फ्रांस का समर्थन महत्वपूर्ण था। फ्रांस परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में शामिल होने के लिए भारत की बोली का समर्थन करना जारी रखता है।
- भारत और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT) को अपनाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है।

भविष्य का दृष्टिकोण

- जैसा कि हम आगे देखते हैं, भारत-फ्रांस संबंध और भी अधिक ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हैं क्योंकि 2023 में प्रधान मंत्री की फ्रांस की राजकीय यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।
- भारत के साथ घनिष्ठ संबंध फ्रांस को ग्लोबल साउथ में अपने हितों को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं।
- दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और महत्व के कई क्षेत्रों में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस साझेदारी को जारी रखने के रणनीतिक महत्व को पहचानते हैं।
- वर्तमान यात्रा से दोनों देशों को रूस-यूक्रेन युद्ध, इज़राइल-हमास युद्ध, भारत-प्रशांत में चीन की मुखरता और रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

ICJ में इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का मामला

खबरों में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के न्यायाधीशों ने गाजा युद्ध में इज़राइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर एक मामले में दो दिनों की कानूनी बहस शुरू की।

मुद्दे के बारे में

- दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन, 1948 को लागू करते हुए आईसीजे का रुख किया था और उस पर गाजा में चल रहे सैन्य अभियान के दौरान नरसंहार करने का आरोप लगाया था।
- दक्षिण अफ्रीका और इज़राइल दोनों 1948 के नरसंहार सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता हैं।
- पहले के उदाहरण: 2019 में, गाम्बिया ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ कथित नरसंहार के लिए म्यांमार के खिलाफ ICJ का दरवाजा खटखटाया था।

दक्षिण अफ्रीका का स्टैंड

- दक्षिण अफ्रीका ने इजरायली अधिकारियों और सैन्य नेताओं के बयानों और टिप्पणियों पर जोर दिया, यह तर्क देने के लिए कि कोई भी उनके शब्दों और कार्यों से नरसंहार के इरादे का अनुमान लगा सकता है।
- इसमें तर्क दिया गया कि मौजूदा अभियानों को 1948 के 'नकबा', 75 साल के 'रंगभेद', 56 साल के कब्जे और 16 साल की घेराबंदी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
- नकबा, जिसका अरबी में अर्थ है 'तबाही', अरब-इजरायल युद्ध के दौरान फिलिस्तीनियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन को संदर्भित करता है।
- दक्षिण अफ्रीका ने गाजा निवासियों की हत्या को उचित ठहराने के लिए इजरायली प्रधान मंत्री के 'अमालेक' सिद्धांत पर प्रकाश डाला
- हिब्रू बाइबिल के अनुसार, अमालेक, इस्राएलियों का उत्पीड़न करने वाला था और अमालेकियों को खत्म करना इस्राएलियों का कर्तव्य है।
- इसने इज़राइल पर पर्याप्त मानवीय सहायता में बाधा डालकर, पानी, भोजन, ईंधन और बिजली में कटौती करके और गाजा में फिलिस्तीनियों को आश्रय या स्वच्छता प्रदान करने में विफल रहकर गाजा में भूख, निर्जलीकरण और भुखमरी पैदा करने का भी आरोप लगाया है।

- दक्षिण अफ्रीका ने गाजा में इजरायल के सैन्य अभियानों को तत्काल निलंबित करने और फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ कन्वेंशन के दायरे में किसी भी कार्य को करने से रोकने सहित कई उपायों की मांग की है।

इज़राइल के तर्कों का प्रतिवाद

- इज़राइल ने अपने चल रहे अभियान के पीछे किसी भी नरसंहार के इरादे को खारिज कर दिया और तर्क दिया कि उसकी प्रतिक्रिया वैध थी और अंतरराष्ट्रीय कानून के मानदंडों पर आधारित थी।
- इसने आत्मरक्षा के अधिकार पर अपनी प्रस्तुति दी।
- इसने दावा किया कि गाजा में उसके अभियानों का उद्देश्य उसके लोगों को नष्ट करना नहीं था, बल्कि उनकी रक्षा करना था और यह पूरी तरह से हमास और उसके सहयोगी समूहों के खिलाफ निर्देशित था और इसका उद्देश्य इजरायल को धमकी देने की हमास की क्षमता को खत्म करना था।
- इसने इस आरोप को खारिज कर दिया कि इसके प्रधान मंत्री या रक्षा मंत्री के नाम पर की गई कोई भी टिप्पणी किसी नरसंहार के इरादे का संकेत देती है।
- इज़राइल ने भी हताहतों की संख्या का दोष हमास पर मढ़ते हुए दावा किया कि मानव ढाल के रूप में नागरिकों का उपयोग करने का उद्देश्य नागरिकों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना था।

भविष्य का दृष्टिकोण

- अनंतिम उपाय जारी किए जाएं या नहीं, और यदि हां, तो ये उपाय क्या होंगे, इस पर कुछ हफ्तों के भीतर फैसला आने की उम्मीद है।
- ICJ के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही के निपटारे में आमतौर पर वर्षों लग जाते हैं।
- अनंतिम उपाय आईसीजे के अंतरिम फैसले हैं जिनका उद्देश्य किसी भी पक्ष को मुख्य मामले में अपूरणीय क्षति करने से रोकना है।
- हालाँकि, ICJ के पास अपने आदेशों को लागू करने का कोई साधन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए उपाय करना संभव है, लेकिन यह स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति के अधीन है।
- किसी प्रतिकूल फैसले की स्थिति में, इज़राइल ऐसे किसी भी आदेश को लागू करने के किसी भी प्रयास को वीटो करने के लिए अमेरिका पर भरोसा कर सकता है।

भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम (TPF)

खबरों में क्यों?

- भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम (TPF) की 14वीं मंत्री-स्तरीय बैठक हाल ही में आयोजित की गई।

बारे में

- मंत्री गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए एक संयुक्त सुविधा तंत्र (JFM) स्थापित करने पर सहमत हुए जो डुप्लिकेट परीक्षण आवश्यकताओं को खत्म करेगा और उच्च गुणवत्ता वाले सामानों में व्यापार के लिए अनुपालन लागत को कम करेगा।
- झींगा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष निर्यात बाजार है। इस संदर्भ में, दोनों मंत्रियों ने नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOA) के तकनीकी सहयोग से विकसित टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (TED) डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने का स्वागत किया।
- TED समुद्री कछुओं की आबादी पर मछली पकड़ने के प्रभाव को कम करने में एक प्रभावी उपकरण है और यह दोनों देशों के बीच समुद्री खाद्य व्यापार को बढ़ावा देगा।
- भारत ने महामारी-पूर्व स्तर तक पहुंचने के लिए भारत में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएस एफडीए) द्वारा निरीक्षणों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। फार्मा उत्पादों के लिए यूएसए भारत का शीर्ष निर्यात बाजार है।
- भारतीय पक्ष ने अमेरिकी सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली कार्यक्रम के तहत अपनी लाभार्थी स्थिति की बहाली में भारत की रुचि को दोहराया।

भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम (TPF)

- यह व्यापार और निवेश के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों सरकारों के बीच 2005 में स्थापित एक व्यवस्था है।
- TPF की सह-अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा की जाती है।

भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि।

- मुद्दों और चिंताओं पर पांच फोकस समूहों के तहत चर्चा की जाती है।
- यह संवाद व्यापक मुद्दों को संबोधित करता है जिससे प्रमुख क्षेत्रों में पहल होगी और द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार के लिए गति पैदा होगी।
- टीपीएफ को गैर-सरकारी व्यापार और निवेश विशेषज्ञों के विचार और सलाह प्रदान करने के लिए टीपीएफ के सहायक के रूप में 2007 में एक निजी क्षेत्र सलाहकार समूह (पीएसएजी) का गठन किया गया था।

भारत-अमेरिका व्यापार और आर्थिक संबंध

- FY23 में, भारत का अमेरिका के साथ 28.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष था।
- 2022-23 के दौरान, अमेरिका भारत में FDI का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था।
- भारत-अमेरिका व्यापार अपने मौजूदा व्यापार से 2026-27 में 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

संवाद तंत्र:

- भारत-US व्यापार नीति फोरम (TPF)।
- भारत-US वाणिज्यिक संवाद: मानकों, व्यापार करने में आसानी, यात्रा और पर्यटन और व्यावसायिक महत्व के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।
- भारत-US CEO फोरम: 2005 में स्थापित, फोरम वाणिज्यिक वार्ता के मौके पर मिलता है और वाणिज्यिक वार्ता के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT): इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों की सरकार और उद्योग को एक साथ लाने के लिए 2005 में ICT पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी।
- भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी वार्ता (EFP): इसका नेतृत्व वित्त मंत्री और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव करते हैं।
- इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क [IPEF]: भारत 13 भागीदार देशों के साथ 2022 में IPEF के लॉन्च में शामिल हुआ।
- भारत आपूर्ति श्रृंखला, कर और भ्रष्टाचार विरोधी तथा स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित आईपीईएफ के चार स्तंभों में से तीन में शामिल हो गया।

निष्कर्ष

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विकसित होते रिश्ते 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं।
- इस साझेदारी की क्षमता को पूरी तरह से अनलॉक करने के लिए, दोनों सरकारों को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बाधाओं को कम करने और एक व्यापक और रणनीतिक वैश्विक गठबंधन के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

भारत और चेक गणराज्य संबंध

खबरों में क्यों?

- भारत ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में चेक गणराज्य के साथ द्विपक्षीय सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- भारत और चेक गणराज्य आपसी संबंधों को मजबूत करने और नवाचार सहयोग के लिए अप्रयुक्त संभावनाओं का दोहन करने पर सहमत हुए हैं।
- उनका सहयोग नई और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऑटोमोबाइल, जलवायु परिवर्तन और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित होने के लिए तैयार है।

भारत-चेक गणराज्य द्विपक्षीय संबंध

- ऐतिहासिक संबंध: पूर्व चेकोस्लोवाकिया और वर्तमान चेक गणराज्य के साथ भारत के संबंध हमेशा मधुर, मैत्रीपूर्ण रहे हैं और इनका एक लंबा इतिहास रहा है।
- मध्ययुगीन युग में, बोहेमिया साम्राज्य (अब चेक गणराज्य का एक हिस्सा) भारत के साथ कीमती वस्तुओं और भारतीय मसालों का व्यापार करता था।
- चेक नेशनल रिवाइवल के दौरान - एक सांस्कृतिक आंदोलन जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान चेक भाषा, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से हुआ था, प्रमुख चेक विद्वान प्राचीन भारतीय संस्कृति से प्रेरित हुए।
- राजनयिक संबंध: इनकी स्थापना 18 नवंबर, 1947 को चेकोस्लोवाकिया के साथ हुई थी।
- 1 जनवरी 1993 को चेकोस्लोवाकिया के विघटन के बाद भारत ने तुरंत चेक गणराज्य को मान्यता दे दी।
- आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध: 2004 में चेक गणराज्य को यूरोपीय संघ में प्रवेश मिलने के बाद द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को गति मिली।
- इसके बाद नए तंत्र और विविध बातचीत के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय व्यापार 2022 में 3.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया, जो चेक आंकड़ों के अनुसार 1993 में केवल 86 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- रक्षा सहयोग: अक्टूबर 2003 में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को गति मिली।
- तदनुसार, एक संयुक्त रक्षा समिति की स्थापना की गई है।
- चेक रक्षा कंपनियां भारतीय सशस्त्र बलों को नियमित रूप से सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करती रही हैं।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग: भारत और चेक गणराज्य रक्षा, परमाणु ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, एआई, बिग डेटा, नैनोटेक्नोलॉजी, लेजर इत्यादि जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के इनक्यूबेटर के रूप में बाद की ताकत को देखते हुए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में काम कर रहे हैं।

क्या आप जानते हैं?

- चेक गणराज्य मध्य यूरोप में एक भूमि से घिरा देश है।
- इसकी सीमा उत्तर में पोलैंड, पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और पूर्व में स्लोवाकिया से लगती है।
- इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर प्राग है।
- इसमें पाँच मुख्य भौगोलिक क्षेत्र शामिल हैं: बोहेमियन पर्वत,

- जून 2017 में, इसरो ने पहला चेक तकनीकी उपग्रह चेक नैनोसैटेलाइट-VZLUSAT-1 (आकार 20 सेमी x 10 सेमी x 10 सेमी और वजन 2 किलोग्राम) लॉन्च किया। इसका मिशन पृथ्वी की कक्षा पर नए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को सत्यापित करना है।
- बहुपक्षीय सहयोग: चेक गणराज्य ने एनएसजी और यूरोपीय संघ के विचार-विमर्श में अपनी रचनात्मक भूमिका के माध्यम से परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत की पूर्ण सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया।
- शैक्षिक और पर्यटन सहयोग: प्राग में इंडोलॉजी की एक बहुत पुरानी परंपरा है, जिसकी शुरुआत 1850 के दशक में प्रतिष्ठित चार्ल्स विश्वविद्यालय में संस्कृत में एक चेयर की स्थापना से हुई थी।

Sudeten Mountains, the Bohemian Basin,the Bohemian-Moravian Highlands and the Moravian Lowlands.
– It has several major rivers, including theElbe, Ohre, and Vltava.

- इस विश्वविद्यालय में वर्तमान में हिंदी, बंगाली, तमिल जैसी भारतीय भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं।
- जनवरी 2020 में चेक विदेश मंत्री ने भारत से अत्यधिक कुशल/पेशेवरों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा के लिए कोटा में विस्तार की घोषणा की।
- चेक गणराज्य भारतीय पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है।
  - भारतीय समुदाय: लगभग 9000 भारतीय नागरिक-चेक गणराज्य में रहने वाले ज्यादातर IT पेशेवर, व्यावसायिक कर्मी और छात्र।

विश्व तमिल प्रवासी दिवस

खबरों में क्यों?

- दो दिवसीय विश्व तमिल प्रवासी दिवस समारोह में लगभग 58 देशों के तमिलों ने भाग लिया।

दिवस के बारे में

- इसका आयोजन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जाता है।
- तमिल साहित्य, शिक्षा, सामाजिक विकास, महिला, व्यवसाय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल और चिकित्सा जैसी 8 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तमिलों को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।

भारतीय प्रवासी

- डायस्पोरा ग्रीक मूल का शब्द है जिसका अर्थ है बीज बिखेरना या बोना।
- इसका उपयोग उन लोगों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो रोजगार, व्यवसाय या किसी अन्य उद्देश्य के लिए दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने के लिए अपनी मूल भूमि छोड़ देते हैं।
- भारतीय प्रवासी एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग उन लोगों को संबोधित करने के लिए किया जाता है जो उन क्षेत्रों से चले गए हैं जो वर्तमान में भारत गणराज्य की सीमाओं के भीतर हैं।
- ऐतिहासिक संबंध: ब्रिटिश शासन के दौरान गिरमिटिया मजदूरों के रूप में बड़ी संख्या में भारतीयों का फिजी, केन्या और मलेशिया जैसे पूर्व उपनिवेशों में प्रवास शुरू हुआ।
- यह स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भी जारी रहा और विभिन्न सामाजिक वर्गों के भारतीय यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और खाड़ी देशों जैसे देशों में चले गए।
  - संरचना: 'प्रवासी' को आमतौर पर अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) और भारत के विदेशी नागरिक (OCI) शामिल माना जाता है, जिनमें से PIO और OCI कार्ड धारकों को 2015 में एक श्रेणी ओसीआई के तहत विलय कर दिया गया था।
  - वितरण : ये विश्व के 140 से अधिक देशों में फैले हुए हैं।
- अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, म्यांमार, यूके, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा प्रत्येक में कम से कम दस लाख की भारतीय प्रवासी आबादी की मेजबानी करते हैं।

महत्त्व:

- भारतीय प्रवासी आज विश्व संस्कृति में एक महत्वपूर्ण और कुछ मामलों में अद्वितीय शक्ति हैं।
- भारत सरकार भारतीय प्रवासियों के महत्व को पहचानती है क्योंकि इससे भारत को आर्थिक, वित्तीय और वैश्विक लाभ हुआ है।
- प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ प्रेषण के संदर्भ में हुआ है।
- प्रेषण सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता करता है क्योंकि इसका उपयोग प्राप्तकर्ता परिवार के व्यक्तिगत उपयोग, मंदिर निर्माण और स्कूलों को दान के लिए किया जाता है।
- इन प्रेषणों ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग व्यवहार को बदलते हुए गरीबी कम करने में भूमिका निभाई है।
- एक सक्रिय प्रवासी के साथ संबंधों को पोषित करने में एक और ठोस दीर्घकालिक लाभ एक त्वरित तकनीकी क्षेत्र है
- प्रवासी भारतीयों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता वास्तविकता बन सकती है।

मुद्दे और चिंताएँ:

- प्रवासी भारतीयों का समर्थन न तो स्वचालित है और न ही निरंतर, और उनके हितों को भारत की प्राथमिकताएँ होने की आवश्यकता नहीं है।
- उदाहरण के लिए, अमेरिका में भारतीय समुदाय H-1B वीज़ा कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रस्ताव की आलोचना करने में पर्याप्त मुखर नहीं था, जिससे कई भारतीयों को लाभ हुआ है।

- प्रेषण का उपयोग हमेशा लाभकारी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भारत को खालिस्तान आंदोलन जैसे चरमपंथी आंदोलनों के लिए विदेशी फंडिंग के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा
- खराब योजनाएं और अप्रभावी कार्यान्वयन कभी-कभी भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान में बाधा डालते हैं।

हाल की नीतियाँ:

- प्रवासी भारतीयों के प्रति सरकार की पहल दोतरफा है।
  - एक के लिए, वे एनआरआई और ओसीआई को कांसुलर सेवाएं, सुरक्षा प्रदान करके और उनके साथ जुड़ने के लिए आउटरीच गतिविधियों का संचालन करके उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं।
  - वे प्रवासी भारतीयों को परोपकार, ज्ञान हस्तांतरण, नवाचार में निवेश और अन्य विकास परियोजनाओं में सहायता के माध्यम से भारत के विकास में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाते हैं।
  - विदेश मंत्रालय का भारत को जानें कार्यक्रम प्रवासी युवाओं के लिए बनाया गया तीन सप्ताह का ज्ञान कार्यक्रम है। केआईपी का प्राथमिक उद्देश्य भारत के बारे में उनकी समझ को बढ़ाकर भारतीय प्रवासी युवाओं और उनकी पैतृक मातृभूमि के बीच घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देना है।
  - भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिह्नित करने के लिए 2003 से हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) मनाया जाता है।

भविष्य का दृष्टिकोण

- आज, प्रवासी भारतीयों के लिए भारत की विकास गाथा में योगदान देने की अधिक संभावना है, उनकी सफलता उनके प्रति भारत सरकार की योजनाओं, नीतियों और आउटरीच गतिविधियों का भी प्रतिबिंब होगी।
- भारत सरकार को अपनी विदेश नीति के एक हिस्से के रूप में प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ना जारी रखते हुए, संवेदनशील मुद्दों से सावधान रहना होगा जो राज्य की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।

भारत और ब्रिटेन ने द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय कैडेट विनिमय कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

खबरों में क्यों?

- भारत और ब्रिटेन ने हाल ही में रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय कैडेट विनिमय कार्यक्रम के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

बारे में

- दोनों मंत्रियों ने रक्षा, सुरक्षा और सहयोग के कई मामलों पर चर्चा की, जिसमें रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।
- भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और यूके की रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (DSTL) के बीच अनुसंधान एवं विकास पर एलओए पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- ये दस्तावेज़ विशेष रूप से युवाओं के बीच लोगों के बीच आदान-प्रदान और दोनों देशों के बीच रक्षा अनुसंधान सहयोग के एक बड़े क्षेत्र को गति प्रदान करेंगे।

भारत-ब्रिटेन संबंध: एक बहुआयामी साझेदारी

- भारत और ब्रिटेन के बीच एक लंबा और जटिल रिश्ता है, जो इतिहास, संस्कृति और सामान्य हितों से आकार लेता है।

ऐतिहासिक संबंध:

- औपनिवेशिक अतीत: ब्रिटेन ने साझा इतिहास और सांस्कृतिक प्रभावों की एक जटिल विरासत को पीछे छोड़ते हुए 200 से अधिक वर्षों तक भारत पर शासन किया।
- स्वतंत्रता और राजनयिक संबंध: भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली और इसके तुरंत बाद दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए।

राजनीतिक संबंध:

- रणनीतिक साझेदारी: 2004 में उन्नत, यह संबंध आतंकवाद विरोधी, साइबर सुरक्षा, व्यापार और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर केंद्रित है।
- नियमित उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान: प्रधानमंत्रियों के दौरे और विदेश मंत्रियों के बीच बैठकें नियमित रूप से होती हैं, जो इस साझेदारी पर दोनों देशों के महत्व को दर्शाती हैं।
- राष्ट्रमंडल राष्ट्र: भारत और ब्रिटेन दोनों राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के सदस्य हैं, जो पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों का एक समूह है, जो निरंतर सहयोग और संवाद को बढ़ावा देता है।

आर्थिक संबंध:

- महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश: यूके भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है और उसने अप्रैल 2000 से सितंबर 2023 के बीच FDI प्रवाह में $34,513.58 मिलियन का निवेश किया है।
- यूके भारत का 18वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है, जबकि यूके में विदेशी निवेशकों के बीच भारत छठे स्थान पर है।
- प्रौद्योगिकी और नवाचार पर ध्यान: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है।

- संयुक्त आर्थिक पहल: दोनों देश आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए उन्नत व्यापार साझेदारी और यूके-भारत मुक्त व्यापार समझौते जैसी पहल पर काम कर रहे हैं।

सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयाम:

- मजबूत प्रवासी: 2021 की जनगणना के अनुसार ब्रिटेन में 1.864 मिलियन का एक बड़ा भारतीय प्रवासी है और यह ब्रिटेन की कुल आबादी का 3.1% है, जो कि 59.597 मिलियन है।
- शैक्षिक और शैक्षणिक भागीदारी: कई छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम और शैक्षणिक सहयोग ज्ञान साझा करने और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देते हैं।
- बॉलीवुड और क्रिकेट: इन सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिए साझा जुनून दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करता है।

चुनौतियां

व्यापार और निवेश:

- संरक्षणवाद और बाधाएँ: ब्रेक्सिट ने ब्रिटेन में भारतीय निर्यात पर बढ़ती व्यापार बाधाओं के बारे में चिंताएँ बढ़ा दीं। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों में घरेलू संरक्षणवादी नीतियां वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में बाधा डाल सकती हैं।
- पारंपरिक क्षेत्रों से परे विविधीकरण: IT और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों पर निर्भरता व्यापार के दायरे को सीमित करती है और व्यापक विविधीकरण की आवश्यकता होती है।

राजनीतिक और सुरक्षा तनाव:

- भू-राजनीतिक संरेखण: जबकि दोनों देश चीन के बढ़ते प्रभाव के बारे में चिंताओं को साझा करते हैं, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी अन्य शक्तियों के साथ उनके अलग-अलग संरेखण कभी-कभी घर्षण पैदा कर सकते हैं।
- क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दे: कश्मीर और अफगानिस्तान जैसे मुद्दों पर अलग-अलग रुख रणनीतिक सहयोग को जटिल बना सकते हैं।

मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ:

- भारत द्वारा यूके वीज़ा प्रथाओं के बारे में और यूके द्वारा विज्ञापनों, कोचिंग क्षेत्र के फर्जी दावों के बारे में चिंताएँ उठाई गई।

सुझाव:

- खुला और पारदर्शी संचार: रचनात्मक बातचीत में शामिल होने और चिंताओं को खुले तौर पर संबोधित करने से विश्वास और समझ पैदा हो सकती है।
- सामान्य हितों पर ध्यान दें: आतंकवाद-निरोध, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसे साझा चिंता के क्षेत्रों को प्राथमिकता देने से साझेदारी की नींव मजबूत हो सकती है।
- रचनात्मक समाधान और लचीलापन: बदलती परिस्थितियों को अपनाना और जटिल समस्याओं के लिए नवीन समाधान ढूंढना गति और प्रगति को बनाए रख सकता है।
- हितधारकों को शामिल करना: व्यवसायों, नागरिक समाज और शैक्षणिक समुदायों को शामिल करने से साझेदारी को व्यापक बनाया जा सकता है और व्यापक समर्थन प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष

- कुल मिलाकर, भारत-ब्रिटेन संबंध बहुआयामी और गतिशील हैं, जो इतिहास में निहित हैं लेकिन साझा हितों और आकांक्षाओं के साथ विकसित हो रहे हैं।
- मौजूदा ताकतों पर निर्माण करते हुए चुनौतियों का समाधान करना 21वीं सदी में इस महत्वपूर्ण साझेदारी को और मजबूत करने की कुंजी है।

लाल सागर संकट

खबरों में क्यों?

- यमन के हौथी मिलिशिया द्वारा नवंबर के बाद से लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हमलों की एक श्रृंखला ने स्वेज़ नहर के माध्यम से एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले सबसे तेज़ समुद्री मार्ग को असुरक्षित बना दिया है।

बारे में

- हमले ने मालवाहकों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे में केप ऑफ गुड होप के आसपास लंबे समय तक पारगमन करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिससे शिपमेंट महंगा हो गया है और डिलीवरी में भी समय लग रहा है।
- इसने वैश्विक व्यापार के संकटों को और बढ़ा दिया है क्योंकि यह महामारी के बाद से उभर रहा है, रूस-यूक्रेन युद्ध की गर्मी महसूस कर रहा है और वैश्विक आर्थिक मंदी से जूझ रहा है।

लाल सागर व्यापार मार्ग का महत्व

- मिस्र की स्वेज नहर से अरब प्रायद्वीप को अफ्रीका से अलग करने वाली संकीर्ण बाब अल-मंडेब जल-डमरूमध्य तक फैला लाल सागर, वैश्विक शिपिंग और ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक प्रमुख व्यापार मार्ग बना हुआ है।

- 1869 में खोली गई, स्वेज़ नहर दुनिया की सबसे व्यस्त नहरों में से एक है, जो वैश्विक व्यापार का लगभग 12% हिस्सा लेती है। 2022 में 23,583 जहाजों ने इस मार्ग का उपयोग किया।
- पूर्व और पश्चिम को जोड़ना: लाल सागर पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है, जो यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के बीच समुद्री व्यापार के लिए एक छोटा और अधिक सीधा मार्ग प्रदान करता है।
- सामरिक महत्व: स्वेज नहर, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम जलमार्गों में से एक है, जो वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाती है और शिपिंग समय और लागत को कम करती है।
- वस्तुओं और संसाधनों में व्यापार: यह क्षेत्र तेल और प्राकृतिक गैस का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और लाल सागर ऊर्जा संसाधनों के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग बना हुआ है।
- आर्थिक प्रभाव: लाल सागर के माध्यम से व्यापार मार्ग रोजगार प्रदान करके, आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करके और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देकर इसके किनारे के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं।
- राजनीतिक महत्व: बाब अल मांडेब और स्वेज नहर जैसे प्रमुख चोकपॉइंट्स पर नियंत्रण का वैश्विक व्यापार और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।
- माल के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए लाल सागर की सीमा से लगे देशों के बीच राजनीतिक स्थिरता और सहयोग महत्वपूर्ण है।

भारतीय व्यापार पर प्रभाव

- हमलों के बाद, प्रमुख कार्गो शिपिंग लाइनों ने फैसला किया कि वे इस मार्ग पर काम नहीं करेंगे। यहां तक कि छोटे फीडर जहाजों ने भी हाल ही में इन जल क्षेत्रों में चलना बंद कर दिया है।
- वस्तुएं सबसे बुरी तरह प्रभावित होती हैं, चाहे वह रसायन, प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल हो, क्योंकि माल ढुलाई में बढ़ोतरी को अवशोषित करने के लिए मार्जिन नहीं है।
    - पश्चिमी गोलार्ध का लगभग 90% माल, चाहे वह भारत से आने वाला हो या जहाज से भेजा गया हो, जो लाल सागर के माध्यम से जाता था, अब केप ऑफ गुड होप के माध्यम से फिर से भेजा जा रहा है।
- शेष 10% भारतीय आयात या निर्यात कार्गो या तो परिवहन नहीं कर रहा है या पारगमन सुविधा का उपयोग कर रहा है।
    - आयात और निर्यात दोनों चक्रों का बढ़ना: कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि उसके लगभग 25% कंटेनर भारतीय निर्यातकों द्वारा रोके जा रहे हैं।
- लंबे मार्ग के कारण लगने वाले अतिरिक्त समय के अलावा, विकास से आयात महंगा हो सकता है और बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है।
    - माल ढुलाई लागत में वृद्धि: हालांकि माल ढुलाई लागत में वृद्धि - कुछ मामलों में छह गुना तक - और लंबी यात्रा के समय से सभी खेपों पर असर पड़ने की संभावना है, लेकिन इसका असर कम मूल्य, उच्च- से सबसे अधिक महसूस किया जाएगा। भारी मात्रा में कार्गो के साथ-साथ खराब होने वाली वस्तुएं भी।
    - अंतिम उत्पाद: इसके अलावा, संकट के परिणामस्वरूप अंतिम उत्पाद महंगे हो सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, लाल सागर संकट पेट्रोल और डीज़ल की पंप कीमतों को कम करने की किसी भी योजना के आड़े आ सकता है।
- ऊर्जा सुरक्षा: मूल्य के संदर्भ में भारत के सकल आयात की हिस्सेदारी के रूप में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का सकल आयात 2022-23 में 25.8% था।
- वास्तव में, सरकार की पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल के अनुसार, अप्रैल-सितंबर 2023 की अवधि में भारत की आयात निर्भरता (खपत पर आधारित) 87.6% थी।

क्या प्रतिक्रिया रही?

- संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि "कोई भी कारण या शिकायत" लाल सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता के खिलाफ हौथी हमलों को उचित नहीं ठहरा सकती है।
- अमेरिका बहुराष्ट्रीय 'ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन' के लिए अधिक समर्थन चाहता है, जो समुद्री मार्गों को खुला और खतरों से मुक्त रखने के लिए नेतृत्व कर रहा है।
- भारत स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और कहा जा रहा है कि वाणिज्य सचिव ने अधिकारियों और व्यापार निकायों के साथ चर्चा की है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA का एक वर्ष

खबरों में क्यों?

- भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को हाल ही में एक साल पूरा हुआ।

बारे में

- दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को संपन्न करने के लिए भी बातचीत चल रही है लेकिन फिलहाल कोई निश्चित समय सीमा नहीं है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता:

- ECTA 2 दिसंबर, 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है। यह 29 दिसंबर, 2022 को लागू हुआ।

उद्देश्य:

- द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना: टैरिफ और व्यापार बाधाओं को हटाने का उद्देश्य व्यापार की मात्रा बढ़ाना और दोनों देशों में व्यवसायों के लिए अवसर पैदा करना है।
- बाज़ार पहुंच बढ़ाना: यह समझौता भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक-दूसरे के बाज़ारों में तरजीही पहुँच प्रदान करता है।
- भारत समझौते के लागू होने के 5 साल बाद नकारात्मक सूची पर सहमत हुआ है।
- सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें: सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने का उद्देश्य सीमा पार व्यापार में शामिल व्यवसायों के लिए समय और लागत बचाना है।
- नियामक सहयोग को बढ़ावा देना: ईसीटीए दोनों देशों के बीच तकनीकी मानकों और विनियमों के सामंजस्य को प्रोत्साहित करता है।

भारत को अपेक्षित लाभ

- ऑस्ट्रेलिया को भारत के 96.4% निर्यात के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच: इसमें कपड़ा, कृषि और चमड़े के उत्पाद जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
- निर्यात: 2026-27 तक निर्यात में 10 बिलियन की वृद्धि होने की उम्मीद है और 2035 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार 45-50 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है।
- रोजगार सृजन में वृद्धि: व्यापार बढ़ने से भारत में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 10 लाख नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
- अधिक विदेशी निवेश: बेहतर बाजार पहुंच और अधिक पूर्वानुमानित विनियामक वातावरण भारत में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकता है।
- ऑस्ट्रेलिया के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध: ईसीटीए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करता है, जिससे सहयोग के नए रास्ते खुलते हैं।

अब तक की उपलब्धियां

- आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल और नवंबर 2023 के बीच ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात साल दर साल 14% बढ़कर 5.87 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि इस अवधि में आयात साल दर साल 19% घटकर 11.46 बिलियन डॉलर हो गया।
- अप्रैल और नवंबर 2023 के बीच दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा 5.2 बिलियन डॉलर था, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 8.6 बिलियन डॉलर था।
- इसी अवधि में तरजीही तर्ज पर ऑस्ट्रेलिया को निर्यात 17.8% बढ़ा और गैर-तरजीही तर्ज पर 15.14% बढ़ा।
- इस बीच, व्यापार समझौता लागू होने के बाद से ऑस्ट्रेलिया से भारत को कृषि निर्यात 50% अधिक है।

निष्कर्ष

- जबकि ECTA आशाजनक अवसर प्रस्तुत करता है, कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसे नियामक मानकों में अंतर और संभावित कार्यान्वयन मुद्दे।
- समझौते के लाभों को अधिकतम करने के लिए दोनों देशों के बीच निरंतर बातचीत और सहयोग महत्वपूर्ण है।
- इसका सफल कार्यान्वयन आगे के सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान दे सकता है।

ब्रिक्स का विस्तार

खबरों में क्यों?

- मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्यों के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं।

ब्रिक्स के बारे में

- यह 2022 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन द्वारा अपनाए गए निर्णय के अनुसार किया गया था।
- 1 जनवरी से अर्जेंटीना समेत छह देशों को इस गुट में शामिल करने का प्रस्ताव।
- अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति ने अपने देश को ब्रिक्स का सदस्य बनने से अलग करने की घोषणा की।

ब्रिक्स

- ब्रिक्स एक संक्षिप्त शब्द है जो पांच प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के समूह को संदर्भित करता है: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
- यह शब्द मूल रूप से 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा गढ़ा गया था।
- ब्रिक्स दुनिया के पांच सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% और वैश्विक व्यापार का लगभग 16% प्रतिनिधित्व करता है।
- उत्पत्ति: एक औपचारिक समूह के रूप में, BRIC की शुरुआत 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के बाद हुई।

- इस समूह को 2006 में न्यूयॉर्क में UNGA से इतर BRIC विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान औपचारिक रूप दिया गया था।
- बैठक की सफलता से BRIC के तत्वावधान में एक वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ।
- प्रारंभ में, समूह को BRIC कहा गया था क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को 2010 में शामिल किया गया था और वहां से इसे BRICS कहा गया है।
- शिखर सम्मेलन: ब्रिक्स देशों की सरकारें 2009 से हर साल औपचारिक शिखर सम्मेलन में मिलती हैं।
- समय के साथ, ब्रिक्स देश तीन स्तंभों के तहत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आए हैं:
- राजनीतिक और सुरक्षा,
- आर्थिक और वित्तीय,
- सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का आदान-प्रदान।
- न्यू डेवलपमेंट बैंक: जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, ब्रिक्स राज्यों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।
- बैंक ऋण, गारंटी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करेगा।

विस्तार का महत्व

- समूह को मजबूत बनाना: ब्रिक्स वर्तमान में दुनिया की लगभग 40% आबादी और दुनिया की GDP के एक चौथाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।
- अतिरिक्त के साथ, यह दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा, और इसमें दुनिया के तीन सबसे बड़े तेल उत्पादक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान शामिल होंगे।
- मध्य पूर्व पर ध्यान: सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र को शामिल करने के साथ, मध्य पूर्व पर एक स्पष्ट फोकस है, जिसका भू-आर्थिक, भू-रणनीतिक और भू-राजनीतिक प्रभाव है।
- विकासशील देशों का प्रतिनिधि: नए सदस्यों के शामिल होने से विकासशील देशों के प्रतिनिधि निकाय के रूप में ब्रिक्स समूह का प्रभाव बढ़ जाता है।
- वैश्विक शासन के लिए आवाज: समूह अब दुनिया की आबादी और अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
- हालाँकि, इसका मतलब केवल यह है कि समूह संभावित रूप से वैश्विक शासन की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए एक शक्तिशाली आवाज है और इन व्यवस्थाओं में एक शक्तिशाली अभिनेता है।

भारत की स्थिति पर प्रभाव

- चीनी प्रभुत्व: नए शामिल सदस्यों में से, भारत प्रत्येक को विकसित करने के लिए एक मूल्यवान साझेदारी मानता है।
- समूह के और अधिक चीन समर्थक बनने की आशंकाएं उभरी हैं, जो संभावित रूप से भारत के प्रभाव और चिंताओं पर ग्रहण लगा सकती हैं।
- यद्यपि चीन चाहता है कि ब्रिक्स पश्चिम-विरोधी रुख अपनाए, लेकिन भारत का दृष्टिकोण इस समूह को "गैर-पश्चिमी" इकाई के रूप में बनाए रखने की ओर झुका हुआ है।
- चुनौतियों को संबोधित करना: ब्रिक्स को दीर्घकालिक प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए, भारत और चीन को अपने सीमा विवादों को संबोधित करना होगा और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए संसाधनों के आवंटन सहित जटिल वैश्विक मामलों पर सहयोग करना होगा।
- यदि भारत का लक्ष्य वास्तव में वैश्विक दक्षिण की आवाज का प्रतिनिधित्व करना है, तो इन विविध हितों को एक एकीकृत रुख में समेटना शुरू में अनुमान से कहीं अधिक कठिन चुनौती पेश कर सकता है।

निष्कर्ष

- चूंकि ब्रिक्स आम सहमति से संचालित निर्णय-प्रक्रिया के आधार पर काम करता है, इसलिए विविध अर्थव्यवस्थाओं, भौगोलिक स्थानों और हितों वाले 10 देशों के बीच आम सहमति हासिल करना मूल पांच सदस्यों के बीच ऐसा करने की तुलना में काफी अधिक चुनौतीपूर्ण साबित होता है।
- संस्था की निरंतर प्रभावशीलता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, लंबे समय में, ब्रिक्स आसानी से प्राप्त होने वाले उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुन सकता है।

राज्यपाल की भूमिका और सुधार की आवश्यकता

खबरों में क्यों?

- केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक संशोधित याचिका दायर कर राज्यपाल को लंबित बिलों को तुरंत मंजूरी देने का निर्देश देने की मांग की है।

समाचार में

- केरल ने राज्यपाल को प्रस्तुत विधेयकों के निपटान के लिए लागू समयसीमा पर संविधान के अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान में "जितनी जल्दी हो सके" वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की भी मांग की है।

राज्यपाल के बारे में

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 और 154 के अर्थ के तहत राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख है।
- अनुच्छेद 153 राज्यपाल: प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बशर्ते कि इस अनुच्छेद में कोई भी बात दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने से नहीं रोकेगी।

- अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति: (1) राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
- अनुच्छेद 163: राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि जब तक वह इस संविधान के तहत या इसके तहत अपने कार्यों या किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए आवश्यक न हो। उनमें से अपने विवेक पर।

विधेयक पारित करने से संबंधित शक्तियाँ

- संविधान के अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि जब किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की सहमति के लिए उनके पास प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके पास चार विकल्प होते हैं -
- विधेयक को मंजूरी दे सकता है;
- विधेयक पर सहमति रोक सकता है, यानी विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, ऐसी स्थिति में विधेयक कानून बनने में विफल रहता है;
- राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए विधेयक (यदि यह धन विधेयक नहीं है) लौटा सकता है;
- विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है।

उभरते हुए मुद्दे

- हाल के वर्षों में, राज्यों और राज्यपालों के बीच कड़वाहट मुख्य रूप से सरकार बनाने के लिए पार्टी के चयन, बहुमत साबित करने की समय सीमा, विधेयकों पर रोक लगाने और राज्य प्रशासन पर नकारात्मक टिप्पणी पारित करने को लेकर रही है।
- सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही से कुछ राज्यपालों के आचरण पर चिंताएँ पैदा होती हैं।
- कई राज्य इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहे थे, जहां राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत शक्ति का प्रयोग किए बिना और अत्यधिक अवधि के लिए विधेयकों को लंबित रख रहे थे, जिससे राज्य विधानमंडल अप्रभावी हो गए थे।
- कोई राज्यपाल किसी विधेयक पर कितनी देर तक सहमति रोक सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में मनमुटाव विशेष रूप से तीव्र हो गया है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

- शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल "अपनी औपचारिक संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग केवल कुछ प्रसिद्ध असाधारण स्थितियों को छोड़कर अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार करेंगे।"
- NCT ऑफ दिल्ली बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने "संवैधानिक संस्कृति" की धारणा के आधार पर "संविधान के नैतिक मूल्यों" की पहचान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- इसमें कहा गया है कि "संवैधानिक नैतिकता उन व्यक्तियों पर जिम्मेदारियां और कर्तव्य रखती है जो संवैधानिक संस्थानों और कार्यालयों पर कब्जा करते हैं"
- रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) में, यह पता चलने के बाद कि राज्यपाल ने बिहार में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने में शक्ति का दुरुपयोग किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का प्रेरित और मनमौजी आचरण न्यायिक समीक्षा के योग्य है।

आयोग की रिपोर्ट

- सरकारिया आयोग की रिपोर्ट (1988) में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि "कुछ राज्यपाल उनसे अपेक्षित निष्पक्षता और दूरदर्शिता के गुणों को प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं"।
- इसने सिफारिश की कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित मुख्यमंत्रियों से परामर्श किया जाना चाहिए।
- अनुच्छेद 200 के तहत प्रस्तुत राज्य विधेयक से निपटने में, राज्यपाल को अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए, केवल इसलिए कि व्यक्तिगत रूप से, उन्हें विधेयक में सन्निहित नीति पसंद नहीं है
- पुंछी आयोग (2010) ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत विधेयक के संबंध में छह महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

- अब विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपालों के व्यवहार के बारे में सोचने का समय आ गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय को अब एक आधिकारिक निर्णय लेना चाहिए ताकि असहयोगी राज्यपाल अपने लाभ के लिए अस्पष्ट क्षेत्रों का उपयोग न कर सकें।
- यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या 'अनुमति रोकना' किसी विधेयक को अस्वीकार करने का अंतिम कार्य है या सदन द्वारा पुनर्विचार के संदेश के साथ विधेयक को वापस करने के रूप में अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है,
- हालाँकि, संघवाद संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और राज्यपाल के कार्यालय को राज्यों में निर्वाचित सरकारों की शक्तियों को कम नहीं करना चाहिए।

म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त होगी

खबरों में क्यों?

- भारत ने म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बनाई है।

- म्यांमार में रहने वाले लोग, जो भारत में आ सकते हैं, उन्हें जल्द ही वीजा की आवश्यकता होगी।

मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) के बारे में

- Indo-म्यांमार सीमा के दोनों ओर 16 किमी के भीतर फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) के साथ एक खुली सीमा है।
- दोनों देश एक बिना बाड़ वाली सीमा साझा करते हैं, और दोनों तरफ के नागरिकों के बीच पारिवारिक और जातीय संबंध हैं, जिसने 1970 के दशक में इस व्यवस्था को प्रेरित किया। इसे आखिरी बार 2016 में संशोधित किया गया था।
- पहाड़ी जनजातियों का प्रत्येक सदस्य, जो या तो भारत का नागरिक है या म्यांमार का नागरिक है, और जो सीमा के दोनों ओर 16 किमी के भीतर रहता है, सीमा पास दिखाने पर सीमा पार कर सकता है, जो आमतौर पर टेलीस्कोप प्रबंधक के लिए मान्य होता है तत्व, "तंत्रिका नेटवर्क" या सॉफ़्टवेयर जो दूरबीन को काम करेगा।

भारत, पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठानों की विनिमय सूची

खबरों में क्यों?

- भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान-प्रदान किया।

बारे में

- परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाएं भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौते के तहत शामिल हैं।
- यह दोनों देशों के बीच ऐसी सूचियों का लगातार 33वां आदान-प्रदान है, पहला आदान-प्रदान 01 जनवरी 1992 को हुआ था।

परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के विरुद्ध हमले का निषेध:

- इसे भारत-पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है
- गैर-हमला समझौता, जिस पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए और 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ।
- इसमें प्रावधान है कि भारत और पाकिस्तान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी को समझौते के तहत शामिल होने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे।
- प्रत्येक पक्ष दूसरे देश में किसी भी परमाणु प्रतिष्ठान या सुविधा को नष्ट करने या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी कार्रवाई को करने, प्रोत्साहित करने या उसमें भाग लेने से परहेज करेगा।
- 'परमाणु स्थापना या सुविधा' शब्द में परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान रिएक्टर, ईंधन निर्माण, यूरेनियम संवर्धन, आइसोटोप पृथक्करण और पुनर्संसाधन सुविधाओं के साथ-साथ किसी भी रूप में ताजा या विकिरणित परमाणु ईंधन और सामग्री वाले अन्य प्रतिष्ठान और महत्वपूर्ण मात्रा में भंडारण करने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं।

समझौते का महत्व:

- दोनों देश टिकाऊ शांति और मैत्रीपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।
- वे आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित ऐसे द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में विश्वास निर्माण उपायों की भूमिका के प्रति सचेत हैं।
- भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा सा परमाणु आदान-प्रदान भी एक सप्ताह में 20 मिलियन लोगों की जान ले सकता है। यदि परमाणु सर्दी शुरू हो जाती है, तो विकासशील दुनिया में लगभग 2 अरब लोगों को भूख से मरने का खतरा होगा।

परमाणु ऊर्जा: भारत और पाकिस्तान

खबरों में क्यों?

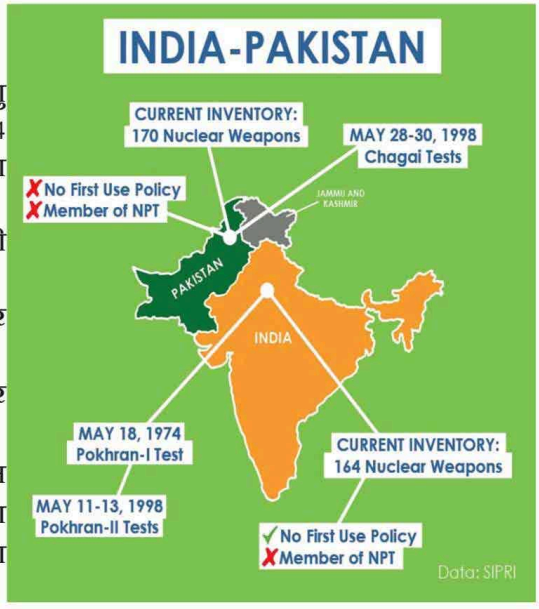

- भारत ने 1974 में अपने पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया, और परमाणु हथियार विस्फोट करने वाला छठा देश बन गया, और इसके पास लगभग 164 परमाणु हथियार हैं और इसमें भूमि-आधारित, समुद्र-आधारित और वायु-प्रक्षेपण परमाणु क्षमताएं हैं।
- भारत ने नो फर्स्ट यूज़ नीति की घोषणा की थी, जिसका अर्थ है कि उन्होंने किसी भी संघर्ष में पहले परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करने की कसम खाई है।
- हालाँकि, अगस्त 2019 तक, भारत ने कहा कि वे इस नीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं।
- भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की सदस्यता का प्रयास कर रहा है और 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) का सदस्य बन गया।
- भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और न ही पाकिस्तान 1998 में परमाणु शक्ति बना, आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार का परीक्षण करने वाला दुनिया का 7वां राज्य बन गया और उसके पास लगभग 170 हथियार हैं।
- यह संख्या अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी द्वारा 1999 में किए गए अनुमान से अधिक है कि पाकिस्तान के पास 2020 तक 60-80 हथियार होंगे।

- यदि मौजूदा विकास प्रवृत्ति जारी रहती है, तो पाकिस्तान का शस्त्रागार 2025 तक 220 से 250 हथियार तक बढ़ सकता है।

पाकिस्तान:

- पाकिस्तान 1998 में परमाणु शक्ति बन गया, आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार का परीक्षण करने वाला दुनिया का 7वां राज्य बन गया और उसके पास लगभग 170 हथियार हैं।
- यह संख्या अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी द्वारा 1999 में किए गए अनुमान से अधिक है कि पाकिस्तान के पास 2020 तक 60-80 हथियार होंगे।
- यदि मौजूदा विकास प्रवृत्ति जारी रहती है, तो पाकिस्तान का शस्त्रागार 2025 तक 220 से 250 हथियार तक बढ़ सकता है।
- भारत के विपरीत, पाकिस्तान ने पहले इस्तेमाल न करने की नीति की घोषणा नहीं की है, और इसके बजाय भारत की बड़ी और बेहतर पारंपरिक ताकतों के जवाब में छोटे युद्धक्षेत्र या 'सामरिक' परमाणु हथियारों पर जोर देने का विकल्प चुना है।
- हालाँकि, इसने गैर-परमाणु हथियार वाले देशों के खिलाफ 'पहले उपयोग न करने' की स्थिति अपनाई है।
- पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को अपनी मिसाइलों से अलग रखता है और केवल एक को ही इकट्ठा करेगा यदि इसका उपयोग किया जाएगा।
- पाकिस्तान की घोषित रणनीतिक परमाणु नीति भारत की परमाणु और बेहतर पारंपरिक ताकतों के खिलाफ न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध बनाए रखते हुए 'पूर्ण स्पेक्ट्रम निरोध' के माध्यम से संघर्ष से बचने का दावा करती है।
- भारत के समान, पाकिस्तान परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

CCS UPSC

7 योजना फरवरी 2024

1. जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 संकल्पना और विकास

- केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्रालय व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे-मोटे अपराधों को अपराधमुक्त करके इसे कम किया जा सकता है।
- इस संबंध में, न्यायपालिका और विधायी विभाग दोनों के लिए समय की बचत करते हुए, सभी क्षेत्रों में गैर-अपराधीकरण प्रयासों को एकजुट करने के लिए एक सामान्य संशोधन विधेयक का विचार भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सामने रखा गया था।
- जन विश्वास अधिनियम, 2023 की शुरुआत की गई
- कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाएं,
- अनुपालन बोझ कम करें,
- अधिक व्यवसाय-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना।
- इसने गैर-हानिकारक और छोटे आपराधिक अपराधों को क्रमशः प्रशासनिक कार्रवाइयों और नागरिक दंड से बदलने के लिए एक संतुलित कानूनी ढांचे को प्राथमिकता दी।
- जन विश्वास अधिनियम के लिए 19 केंद्रीय मंत्रालयों में समन्वय के लिए सावधानीपूर्वक योजना और स्पष्ट संचार चैनलों की आवश्यकता थी। नियमित परामर्श, अंतर-मंत्रालयी बैठकें और नियामक सुधारों के प्रति साझा प्रतिबद्धता प्रभावी समन्वय की कुंजी थी। व्यापक ब्रीफिंग, अनौपचारिक संचार चैनलों और समग्र गति को बनाए रखते हुए चिंताओं को तेजी से हल करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण के माध्यम से चुनौतियों का समाधान किया गया।
- जन विश्वास अधिनियम के निर्माण के दौरान हितधारकों की भागीदारी में मंत्रालय स्तर पर परामर्श और उद्योग संघों के साथ व्यापक प्रयास शामिल थे। संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए, विभिन्न उद्योगों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को समझने के लिए नियमित संचार चैनल स्थापित किए गए। यह व्यापार करने में आसानी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
- अधिनियम ने 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों के प्रावधानों को संबोधित किया, जो इस तरह के व्यापक विधायी बदलाव के प्रबंधन में चुनौतियां पेश करता है। सामान्य निर्देशों, एक समिति और व्यापक कानूनी जांच ने संशोधनों में स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- अधिनियम के विकास के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के हितों और उद्देश्यों को संरेखित करना एक बड़ी चुनौती थी।
- इस संबंध में, प्रधान मंत्री और कैबिनेट सचिव के मार्गदर्शन ने एक सामान्य उद्देश्य और दृष्टिकोण प्रदान करके विभिन्न मंत्रालयों के संबंधित संशोधनों को संरेखित करने में मदद की।
- इसके अतिरिक्त, गैर-अपराधीकरण प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए सीईओ नीति आयोग, कानूनी मामलों के विभाग (DOLA), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT), और संबंधित मंत्रालयों और विभागों की एक समिति बनाई गई थी।
- यह अधिनियम 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों के प्रावधानों को संबोधित करता है।
- सभी संबंधित मंत्रालयों को जारी किए गए सामान्य निर्देशों ने एकीकृत और एकजुट दृष्टिकोण स्थापित करके जटिलताओं को दूर करने में मदद की।
- इसके अलावा, सीईओ नीति आयोग, कानूनी मामलों के विभाग और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के प्रतिनिधियों की एक समिति ने मार्गदर्शक ढांचे के रूप में काम करने वाले सामान्य सिद्धांतों को स्थापित करने में मदद की।
- ऐसा एक सिद्धांत विशेष रूप से सामान्य आपराधिक प्रावधानों (अधिनियम में लागू किसी भी उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करने वाले प्रावधान) को लक्षित करना था। रणनीति यह थी कि छोटे प्रावधानों को अपराधमुक्त करते हुए अलग-अलग अपराधीकरण के लिए गंभीर उल्लंघनों की पहचान की जाए। उदाहरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (धारा 15) के तहत सामान्य प्रावधान अधिनियम के तहत सभी उल्लंघनों के लिए पांच साल तक की कैद की सजा निर्धारित करता है। इसे जन विश्वास अधिनियम, 2023 के तहत संशोधित किया गया है और इसे अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड की निर्दिष्ट सीमा से प्रतिस्थापित किया गया है। संशोधनों की कानूनी तौर पर बड़े पैमाने पर जांच की गई।
- अंतर-मंत्रालयी परामर्श से भी बेहतर सहयोग में मदद मिली।
- यह अत्यधिक बोझ वाली न्यायपालिका के कार्यभार को भी कम करता है।
- यह सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करके (और उन्हें नागरिक दंड या प्रशासनिक कार्रवाइयों से प्रतिस्थापित करके) प्राप्त करता है।
- गंभीर आपराधिक परिणाम अब छोटी तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक से जुड़े नहीं हैं।
- जन विश्वास अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद अदालतों को अब 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले अधिकांश मामलों पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

- कुछ विधायिकाओं ने जहां भी लागू और व्यवहार्य हो, उपयुक्त न्यायनिर्णयन तंत्र भी पेश किया है। इसके अलावा, दंड से संबंधित निर्णय अधिकारियों के निर्णयों से उत्पन्न असंतोष के लिए शिकायत निवारण मंच के रूप में अपीलीय तंत्र भी पेश किया गया है।
- जन विश्वास अधिनियम को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के समक्ष प्रस्तुत करने में विचारों और चुनौतियों को संबोधित करने की एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया शामिल थी। पारदर्शी संचार, विस्तृत प्रस्तुतियाँ और समिति की चिंताओं के प्रति जवाबदेही, पूर्वव्यापी प्रभाव को छोड़कर, सिफारिशों को समायोजित करने में महत्वपूर्ण थी, जिसे संभव नहीं माना गया था।
- जन विश्वास अधिनियम की जेपीसी द्वारा गहन समीक्षा की गई, जिसने सामान्य सिफारिशें कीं, जिनमें से अधिकांश को मंत्रालयों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। चुनौतियों में पूर्वव्यापी प्रभाव पर JPC की सिफारिश को संबोधित करना शामिल था, जिसकी सावधानीपूर्वक जांच की गई और उसे अव्यवहारिक माना गया।
- जन विश्वास अधिनियम के सिद्धांत और सीख जन विश्वास 2.0 जैसे भविष्य के प्रयासों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इनमें उच्च अधिकारियों के निर्देश, जेपीसी की सिफारिशें और गैर-अपराधीकरण के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल हैं। अधिनियम की सफलता सहयोगात्मक प्रयासों, पारदर्शिता और विधायी ढांचे में मूल्यवान प्रतिक्रिया को शामिल करने की प्रतिबद्धता पर टिकी हुई है।

2. नागरिकों पर भरोसा करना अपराधमुक्त करने का तरीका

- जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 (जन विश्वास विधेयक) का मसौदा तैयार करने का अनुभव भारत के विधायी विभाग के लिए एक अनूठा और चुनौतीपूर्ण प्रयास था।
- जन विश्वास विधेयक लोगों पर भरोसा करने और देश में जीवन और व्यापार को आसान बनाने के उद्देश्य से उपायों को लागू करने के भारतीय प्रधान मंत्री के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है।
- यह दस्तावेजों के स्व-सत्यापन, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के निर्माण और वस्तु एवं सेवा कर, दिवालियापन और दिवालियापन कानूनों में विभिन्न अन्य सुधारों जैसी पहलों के साथ संरेखित है।
- विशेष रूप से, जन विश्वास कानून आपराधिक दंडों को मौद्रिक दंड में परिवर्तित करके, विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देकर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।
- इस अभूतपूर्व कार्य में मसौदा तैयार करने वाली टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोई सटीक विधायी मिसाल न होने और विषयों की विविध श्रृंखला शामिल होने के कारण, टीम को अज्ञात प्रारूपण क्षेत्र में नेविगेट करना पड़ा।
- प्रारंभ में लगभग 30 अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव था, यह विधेयक 182 प्रावधानों के साथ 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के साथ समाप्त हुआ, जिसमें स्वतंत्रता पूर्व और बाद के अधिनियम शामिल थे।
- मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में 19 प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ सहयोग, कैबिनेट के लिए 42 मसौदा नोटों की जांच और समान संख्या में संशोधन विधेयकों का मसौदा तैयार करने की आवश्यकता थी।
- कार्य की तात्कालिकता और समयबद्धता स्पष्ट थी, क्योंकि सरकार का नीतिगत एजेंडा 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' पर केंद्रित था। व्यक्तिगत के बजाय विभिन्न अधिनियमों के सभी संशोधनों को शामिल करने वाले एक ही विधेयक का मसौदा तैयार करने का निर्णय बिलों ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया और कैबिनेट पर बोझ कम किया।
- जन विश्वास विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य छोटे अपराधों के लिए कारावास को मौद्रिक दंड से बदलना, अपराध की गंभीरता के आधार पर दंड को तर्कसंगत बनाना और आपराधिक अदालतों के अलावा अन्य अधिकारियों द्वारा निर्णय की सुविधा प्रदान करना है।
- एक प्रमुख नवाचार में मुद्रास्फीति से मेल खाने, निष्पक्षता और आनुपातिकता सुनिश्चित करने के लिए जुर्माना और दंड के आवधिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करना शामिल है।
- मसौदा तैयार करने वाली टीम को विभिन्न अधिनियमों में प्रावधानों को निरस्त करने पर विचार करते हुए एक उपयुक्त बचत खंड की आवश्यकता पर भी ध्यान देना था। इस खंड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि निरस्त प्रावधानों के तहत की गई कार्रवाइयां वैध रहेंगी।
- विधेयक के लंबे और छोटे शीर्षकों को 'व्यवसाय करने में आसानी' के लिए अपराधों को 'अपराधीकरण' और 'तर्कसंगत' बनाने के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था।
- जन विश्वास अधिनियम, एक संशोधित कानून होने के बावजूद, क़ानून की किताब में एक स्थायी स्थान रखता है। इसकी अनूठी विशेषताएं, जिनमें कारावास को मौद्रिक दंड में बदलना और समय-समय पर संशोधन शामिल हैं, इसके स्थायी महत्व में योगदान करती हैं। भविष्य में और अधिक जन विश्वास अधिनियम हो सकते हैं, जो भारत में विश्वास-आधारित शासन और विधायी दृष्टिकोण में संभावित बदलाव का संकेत देते हैं।

3. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GEM) डिजिटल लहर का नेतृत्व कर रहा है

- सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM), अगस्त 2016 में स्थापित, एक मजबूत डिजिटल पोर्टल है जो केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के लिए एंड-टू-एंड खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
- यह सरकारी खरीदारों को पूरे भारत में विक्रेताओं से सीधे सामान और सेवाएं खरीदने के लिए एक पेपरलेस, कैशलेस और संपर्क रहित पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है।
- GeM विक्रेता पंजीकरण से लेकर माल की प्राप्ति और समय पर भुगतान तक पूरी खरीद प्रक्रिया को कवर करता है।
- सार्वजनिक खरीद में डिजिटल समाधान की आवश्यकता एक अपारदर्शी, समय लेने वाली और भ्रष्ट प्रणाली की चुनौतियों के कारण उत्पन्न हुई जो गुटबंदी से ग्रस्त थी।

- GeM की कल्पना मैन्युअल प्रक्रियाओं को बदलने, सार्वजनिक खरीद को अधिक कुशल, पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए की गई थी। इस मंच का उद्देश्य उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक प्रतिस्पर्धी बाज़ार स्थापित करना है।
- GeM की उत्पत्ति तकनीकी रूप से उन्नत, केवल-डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने में निहित है। डिजिटलीकरण से प्रक्रिया दक्षता में वृद्धि हुई है, पारदर्शिता में सुधार हुआ है, चक्र समय कम हुआ है और बोलीदाताओं के बीच विश्वास बढ़ा है। यह प्लेटफ़ॉर्म देशभर में परेशानी मुक्त डिजिटल लेनदेन का समर्थन करता है, खरीदारों और विक्रेताओं को सशक्त बनाता है।
- चुनौतियों के बावजूद, GeM ने साल-दर-साल महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। पहले वर्ष में, इसने ~INR 420 करोड़ का सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) दर्ज किया। वित्त वर्ष 21-22 में, लेनदेन बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये हो गया, और वित्त वर्ष 22-23 में, 88% की वृद्धि हासिल की गई, जो 2 लाख करोड़ रुपये के GMV को पार कर गया। GeM का लक्ष्य वित्त वर्ष 23-24 में 3 लाख करोड़ GMV का आंकड़ा पार करना है।
- प्रारंभ में, GeM प्लेटफ़ॉर्म ने उत्पाद श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित की। लेकिन, इसने अपने पोर्टफोलियो का तेजी से विस्तार किया और इसमें विभिन्न प्रकार की सेवा पेशकशों को भी शामिल किया।
- GeM की सफलता की कहानी में चमकदार रोशनी में से एक सेवाओं में ऑर्डर मूल्य है, जिसमें पिछले 3 वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 22-23 में इसमें 168% की वृद्धि देखी गई। इसकी स्थापना के बाद से इसे 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 4.8 लाख सेवा ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।
- GeM 11,600 से अधिक उत्पाद श्रेणियों और 300 से अधिक सेवा श्रेणियों के साथ एक श्रेणी-संचालित e-मार्केटप्लेस है।
- GeM खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को एक एकीकृत मंच पर जोड़कर व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देता है। प्लेटफ़ॉर्म की विशेषताओं में एक गतिशील सामान और सेवा प्लेटफ़ॉर्म, विविध खरीद मोड, अनुबंध प्रबंधन, कैशलेस भुगतान और एक विश्वास-आधारित रेटिंग प्रणाली शामिल है।
- GeM ने MSME, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों, कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों सहित विविध पृष्ठभूमि के विक्रेताओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच सरकारी निविदाओं में समान अवसर प्रदान करते हुए समावेशिता सुनिश्चित करता है। GeM सहाय, एक मोबाइल एप्लिकेशन, MSME और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट एक्सेस चुनौतियों का समाधान करता है, ऑर्डर स्वीकृति के बिंदु पर ऋण की पेशकश करता है।
- आगे देखते हुए, GeM ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्नत तकनीकों के साथ अपने प्लेटफ़ॉर्म को नया रूप देने और उन्नत करने की योजना बनाई है।
- मंच का उद्देश्य उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाना, पारदर्शिता में सुधार करना और सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में समावेशिता को बढ़ावा देना है।
- GeM अपने क्षेत्रीय पदचिह्न का विस्तार करने, सभी स्तरों से सरकारी खरीदारों को एकीकृत करने और देश की शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रतिबद्धता में योगदान करने के लिए पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

4. नाजुक संतुलन: विनियामक प्रवर्तन और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 का अवलोकन:

- यह अधिनियम भारत के नियामक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसमें 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया गया है।
- इसका उद्देश्य पारंपरिक दृष्टिकोण से हटकर विनियामक प्रवर्तन को संतुलित करना और व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाना है।

उन्नत निरोध के लिए दंड संशोधन:

- दंडों में पर्याप्त संशोधन से विभिन्न अपराधों के लिए कारावास की जगह अधिक जुर्माना/जुर्माने लगाए जाएंगे।
- रणनीतिक बदलाव व्यावसायिक संचालन को बाधित किए बिना उल्लंघनों के खिलाफ प्रभावी निवारण पर केंद्रित है।

उद्योग की गैर-अपराधीकरण की मांग:

- निवेश माहौल को बढ़ाने के लिए लंबे समय से उद्योग जगत की मांग अपराधमुक्त करने की है।
- छोटे परिचालन अपराधों के लिए निदेशकों के खिलाफ आपराधिक मामलों ने एक निवारक प्रभाव पैदा किया था और व्यवसायों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने में बाधा उत्पन्न की थी।

फिक्की के गैर-अपराधीकरण के सिद्धांत:

- निदेशकों, विशेष रूप से स्वतंत्र निदेशकों को परिचालन गैर-अनुपालन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
- तकनीकी त्रुटियों के लिए कोई आपराधिक दायित्व नहीं, केवल वित्तीय दंड का प्रस्ताव है।
- बाद में गैर-अनुपालन के लिए एक श्रेणीबद्ध दंड प्रणाली की वकालत करता है।

नियामक ढांचे में वैश्विक संरेखण:

- अधिनियम वैश्विक रुझानों के अनुरूप है जो हिरासत की सजाओं पर वित्तीय परिणामों पर जोर देता है।
- वैश्विक व्यापार परिदृश्य में भारत के एकीकरण के लिए आवश्यक और अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) पर प्रभाव:

- अधिनियम नियामक ढांचे को सरल बनाता है, जिससे दिन-प्रतिदिन के कार्यों में MSME पर बोझ कम हो जाता है।
- वैश्विक समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में एमएसएमई को लाभ पहुंचाते हुए, अधिक समान अवसर प्रदान करता है।

जन विश्वास 2.0: सिफ़ारिशें और विचार:

- फिक्की ने चल रहे जन विश्वास 2.0 अभ्यास के लिए अतिरिक्त विचारों की सिफारिश की है।
- तकनीकी खामियों और गंभीर अपराधों के बीच अंतर का प्रस्ताव।
- अनुपालन को सुव्यवस्थित करने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए अपराधों को कम करने के प्रावधानों का सुझाव दिया गया है।

क्षेत्र-विशिष्ट सिफ़ारिशें:

- संशोधन के लिए श्रम संहिताओं, कानूनी मेट्रोलॉजी और पर्यावरण कानूनों में विशिष्ट अनुभागों पर प्रकाश डाला गया है।
- इन क्षेत्रों में व्यावसायिक हितों के साथ बेहतर तालमेल के लिए दंडों पर फिर से विचार करने की वकालत।

चुनौतियाँ और समाधान:

- अत्यधिक केंद्रीय कानून के कारण राज्य स्तर पर चुनौतियों को स्वीकार करता है।
- व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए प्रमुख राज्यों को गैर-अपराधीकरण प्रक्रिया में अग्रणी बनाने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण का आग्रह किया गया है।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 का महत्व:

- भारत में अधिक व्यवसाय-अनुकूल वातावरण बनाने पर अधिनियम के परिवर्तनकारी प्रभाव को मान्यता देता है।
- गैर-अपराधीकरण को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- राज्यों को कुछ कानूनों को अपराधमुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करने में हरियाणा के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- नागरिकों के लिए व्यवसाय करने और जीवनयापन में आसानी बढ़ाने के लिए बोझिल अनुपालन को कम करने के महत्व पर जोर दिया गया है।

निष्कर्ष:

- जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023, भारत के नियामक दृष्टिकोण को नया आकार देने वाली एक ऐतिहासिक पहल है।
- व्यवसायों और समग्र आर्थिक परिदृश्य पर गैर-अपराधीकरण के सकारात्मक प्रभाव को बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर चल रहे प्रयास और सहयोगात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

5. दक्षिण-दक्षिण सहयोग के बीच भारत-अफ्रीकी संबंध

ग्लोबल साउथ डायनेमिक्स का परिचय:

- ग्लोबल साउथ अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षवाद में एक विशिष्ट आवाज़ के रूप में उभरता है, जो मान्यता और शक्ति के लिए विकासशील देशों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
- चुनौतियों में व्यापार की प्रतिकूल वैश्विक शर्तें, सीमित निवेश के अवसर, संप्रभु ऋण संबंधी चिंताएं और जलवायु परिवर्तन, COVID-19, संघर्ष और जीवनयापन की बढ़ती लागत जैसे हालिया संकट शामिल हैं।

वैश्विक दक्षिण में भारत की भूमिका:

- भारत, NAM (गुटनिरपेक्ष आंदोलन) के संस्थापक और G77 विचार-विमर्श में एक सक्रिय भागीदार के रूप में, खुद को ग्लोबल साउथ के लिए एक वैध आवाज के रूप में रखता है।
- वैश्विक नियम-निर्माण में जीत हासिल करने के लिए प्रतिष्ठित पूंजी का उपयोग करता है और विकासशील देशों की चिंता के मुद्दों का समाधान करता है।

भारत और अफ्रीका के बीच ऐतिहासिक संबंध:

- सिंधु घाटी और अफ्रीकी सभ्यताओं के बीच प्राचीन व्यापार का दस्तावेजीकरण किया गया।
- हिंद महासागर के माध्यम से प्राचीन मिस्र और भारतीय शासकों के बीच समुद्री संबंधों ने 'मानसून संस्कृति' की स्थापना की।
- दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की नैतिक और राजनीतिक जागृति ने गांधीवादी नैतिकता के प्रति आभार व्यक्त करने वाले अफ्रीकी नेताओं के साथ संबंधों को मजबूत किया है।

अफ्रीकी विकास में भारत का योगदान:

- भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, नव स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों का समर्थन करता है।
- बांडुंग सम्मेलन दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) में एक मील का पत्थर है, जो उत्तरी-प्रभुत्व वाली प्रणालियों को चुनौती देता है।

भारत-अफ्रीकी सहयोग की गतिशीलता:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों, स्वास्थ्य समानता, जलवायु न्याय और ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव मजबूत होता है।
- जुड़ाव ECOWAS, अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते, ब्रिक्स, OIC, ADB, NDB और अन्य सहित क्षेत्रीय संगठनों तक फैला हुआ है।

आर्थिक और व्यापार संबंध:

- 2001 और 2013 के बीच व्यापार की मात्रा में चौदह गुना वृद्धि दर्ज की गई।
- भारत हाइब्रिड सहभागिता रणनीति के साथ अफ्रीका में शीर्ष 5 निवेशकों में से एक बन गया है।
- व्यापार विविधीकरण, निजी निवेश और भारत-अफ्रीका साझेदारी परियोजना जैसी पहल 2022-23 तक व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने में योगदान करती हैं।

विकासात्मक पहल और निवेश:

- एक्ज़िम बैंक के फोकस अफ्रीका कार्यक्रम और भारत-अफ्रीका साझेदारी परियोजना जैसी पहल विकास को बढ़ावा देती हैं।
- व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते, व्यापार समझौते और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आपसी विकास में योगदान करते हैं।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग रणनीतियाँ:

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) पारंपरिक शक्ति गतिशीलता को चुनौती देते हुए एक नियम-निर्माता के रूप में विकसित होता है।
- त्रिकोणीय सहयोग ढाँचे, जैसे कि g7+, का उद्देश्य पारस्परिक लाभ और साझा लक्ष्य हैं।

बेहतर सहयोग के लिए नुस्खे:

- विशेष रूप से कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में उत्पादक क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान दें।
- शासन मानकों को मजबूत करना, सहायता और निवेश के माध्यम से मानव और सामाजिक विकास में सुधार करना और प्रकृति के बदले ऋण स्वैप समझौतों का पता लगाना।

चुनौतियाँ और भविष्य की पहल:

- चुनौतियों में व्यापार मुद्दे, राजनीतिक अस्थिरता, रसद लागत और अफ्रीकी संसाधनों का प्रतिभूतिकरण शामिल हैं।
- भविष्य की पहल मानव संसाधन, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए परिणाम-संचालित, मांग-संचालित और संदर्भ-अज्ञेयवादी होनी चाहिए।

वैश्विक विकास में दक्षिण-दक्षिण सहयोग की भूमिका:

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग को राष्ट्रीय प्रणालियों के साथ जुड़ने और एसडीजी और MDG जैसे वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्रिय होना चाहिए।
- विखंडन से बचने और सहायता के लाभों को अधिकतम करने के लिए सहयोग नेटवर्क को गहरा करना चाहिए।

निष्कर्ष:

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग के सिद्धांतों में अंतर्निहित भारत-अफ्रीकी संबंध आर्थिक, व्यापार और विकासात्मक आयामों के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में विकसित हुए हैं।
- भविष्य में आपसी विकास, चुनौतियों का समाधान करने और वैश्विक विकास के उभरते परिदृश्य में गहरे सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

8 कुरुक्षेत्र फरवरी 2024

1. ग्रामीण परिदृश्य को पुनर्परिभाषित करना: स्टार्टअप समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं

- भारत 1 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप (DPIIT डेटा) के साथ विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है।
- स्टार्टअप संस्कृति शहरी केंद्रों से आगे बढ़ रही है, विकेंद्रीकरण और समावेशिता में योगदान दे रही है जहां स्टार्टअप ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं।

ग्रामीण स्टार्टअप के लिए सरकारी योजनाएँ:

- अटल सामुदायिक नवप्रवर्तन केंद्र (ACIC): 2020 में अटल नवप्रवर्तन मिशन (AIM) के तहत लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों के लिए सामुदायिक नवप्रवर्तन केंद्र बनाना है। अब तक 14 ACIC स्थापित किए गए हैं, जो 200 से अधिक समुदाय-आधारित स्टार्टअप का समर्थन करते हैं।
- स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP): ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित, यह गैर-कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रामीण लोगों का समर्थन करने के लिए DAY-NRLM के तहत एक उप-योजना है।
- कौशल भारत मिशन: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित, इसका उद्देश्य प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास करना है। PMKVY 2.0 के 70.5% लाभार्थियों को कार्यक्रम के बाद प्लेसमेंट प्राप्त हुआ है।
- एस्पायर (MSME मंत्रालय द्वारा योजना): इसका उद्देश्य आजीविका बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (LBI) के माध्यम से कृषि-ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षण और ऊष्मायन सहायता प्रदान करना है। देश में 61 लाइवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर (एलबीआई) कार्यरत हैं जो 50,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

ग्रामीण स्टार्टअप परिदृश्य:

- भारत में कुल जनसंख्या का 65% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, जो एक महत्वपूर्ण बाजार प्रस्तुत करता है।
- डिजिटलीकरण की भूमिका: भारत वैश्विक स्तर पर सबसे सस्ती डेटा दरों में से एक है। इंटरनेट की पहुंच और डेटा पहुंच ग्रामीण जरूरतों को पूरा करने वाले स्टार्टअप्स में वृद्धि को बढ़ावा दे रही है।
- ग्रामीण भारत स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा बाजार प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से एग्रीटेक, खाद्य प्रसंस्करण, एड-टेक, कौशल विकास, ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, हस्तशिल्प और पारंपरिक कला और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में।

ग्रामीण स्टार्टअप के प्रकार:

- ग्रामीण समाधानों के साथ शहरी-आधारित संस्थापक: शहरी क्षेत्रों के उद्यमी ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करते हैं। इसमें कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि में प्रौद्योगिकी-संचालित पहल शुरू करके शहरी और ग्रामीण जीवन शैली के बीच अंतर को पाटना शामिल है।
- ग्रामीण समाधानों वाले ग्रामीण-आधारित संस्थापक: कृषि नवाचारों या शिल्प संरक्षण जैसी स्थानीय आवश्यकताओं और परंपराओं के अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर समाधान विकसित करते हैं।
- स्वयं सहायता समूह (SHG): सामूहिक सामुदायिक उद्यम हस्तशिल्प या सूक्ष्म उद्यमों जैसी गतिविधियों के माध्यम से आय सृजन और विकास पर केंद्रित हैं।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME): स्थानीय उद्यम ग्रामीण बाजारों की विशिष्ट मांगों को पूरा करते हैं और रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं।

ग्रामीण स्टार्टअप के लिए चुनौतियाँ:

- कनेक्टिविटी मुद्दे: शहरी आपूर्तिकर्ताओं के साथ सीमित कनेक्टिविटी, देरी, बढ़ी हुई लागत और लॉजिस्टिक जटिलताओं के कारण परिचालन दक्षता को प्रभावित कर रही है।
- वित्तपोषण तक पहुंच: ग्रामीण स्टार्टअप के लिए विश्वसनीय और किफायती वित्तपोषण हासिल करने में कठिनाई।
- सहायता प्रणाली का अभाव: मार्गदर्शन, नेटवर्किंग के अवसरों और ऊष्मायन केंद्रों की अनुपस्थिति विकास में बाधक है।
- जल्दी अपनाने वालों को ढूँढने में कठिनाई: सीमित संचार चैनल, कम आय और कम डिजिटल पैठ, जल्दी अपनाने वालों की पहचान करने में चुनौतियाँ पैदा करते हैं।
- सीमित फंडिंग तंत्र: स्टार्टअप के लिए फंडिंग मुख्य रूप से प्रमुख शहरी केंद्रों में केंद्रित है, जिससे ग्रामीण स्टार्टअप के पास पूंजी तक सीमित पहुंच होती है।

निष्कर्ष:

- स्टार्टअप्स का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास अपरिहार्य है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में एक सक्षम नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना महत्वपूर्ण है।

- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप के विकास का समर्थन करने वाले वातावरण को बढ़ावा देना, 2030 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के लिए अनिवार्य है।

2. कृषि-स्टार्टअप के माध्यम से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन

- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद कुल 90 यूनिकॉर्न के साथ भारत को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब का दर्जा दिया गया है।
- भारत की GDP में कृषि का योगदान लगभग 18% है और 55% आबादी अपनी आजीविका के लिए सीधे कृषि पर निर्भर है।
- हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में लगातार वृद्धि देखी गई है, और स्टार्टअप के उदय ने युवा उद्यमियों को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए पारंपरिक भूमिकाएँ छोड़ने के लिए प्रेरित किया है।
- उत्पादकता बढ़ाने और कृषि आय बढ़ाने के लिए कृषि प्रक्रिया के हर चरण में हाइब्रिड बीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो-टैगिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, मोबाइल ऐप और फार्म प्रबंधन जैसी तकनीकों को लागू किया जा सकता है।

स्टार्टअप को सुविधा प्रदान करने वाले सरकारी सुधार:

- मेक इन इंडिया (2014): इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। लिंक में मेक इन इंडिया के बारे में और जानें।
- स्टार्टअप इंडिया (2016): नवाचार, वित्त पोषण सहायता और उद्योग-अकादमिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 19-सूत्रीय कार्य योजना। इससे विभिन्न क्षेत्रों में नवीन विचारों को प्रदर्शित करने वाली नई कंपनियों की स्थापना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- अटल इनोवेशन मिशन (AIM): यह इनोवेशन हब के विकास को उत्प्रेरित कर रहा है, बड़ी चुनौतियों का समाधान कर रहा है, स्टार्टअप का पोषण कर रहा है और प्रौद्योगिकी-संचालित क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है।
- न्यूजेन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर (न्यूजेन IEDC): यह 25 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करके शैक्षणिक संस्थानों के भीतर सालाना 20 नई परियोजनाओं का समर्थन करके ज्ञान-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित स्टार्टअप को बढ़ावा देता है।
- नवाचार और कृषि-उद्यमिता कार्यक्रम (2018-19): इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना है।

कृषि-स्टार्टअप का बढ़ता प्रसार

- पिछले कुछ वर्षों में, भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप्स की एक लहर सामने आई है, जिसका लक्ष्य विपणन लिंकेज, आपूर्ति श्रृंखला, पुराने उपकरणों का उपयोग, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और किसानों के लिए विविध बाजारों तक सीमित पहुंच जैसे मुद्दों को हल करना है।

कृषि-तकनीक स्टार्टअप का समर्थन करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र:

- इनक्यूबेटर/एक्सलेरेटर: A-आइडिया, एग्री उड़ान, सेंटर फॉर इनोवेशन, इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (CIIE), इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT) और एग्री-टेक स्टार्टअप एक्सेलेरेटर कुछ महत्वपूर्ण एक्सेलेरेटर और इनक्यूबेटर हैं जो भारत में कृषि-तकनीकी क्षेत्र समर्थन करते हैं।
- केंद्रीय बजट 2023 में सरकारी समर्थन: ग्रामीण बुनियादी ढांचे, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटन में वृद्धि। E-नाम के साथ ग्रामीण बाजारों का एकीकरण और कृषि वस्तुओं के व्यापक कवरेज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का विस्तार।
- कृषि-स्टार्टअप आपूर्ति श्रृंखला और बाजार लिंकेज को प्रभावित कर रहे हैं: भारत की आपूर्ति-संचालित कृषि में चुनौतियों का समाधान करना। सब्ज़ीवाला, मेराकिसान और देहात जैसी कंपनियों ने बागवानी उत्पादों को सफलतापूर्वक एकत्रित किया।

निष्कर्ष:

- भारत सरकार, "स्टार्टअप इंडिया" जैसी पहल के माध्यम से, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का सक्रिय रूप से समर्थन करती है।
- कृषि-तकनीक स्टार्टअप बाजार संबंधों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत कर रहे हैं, जिससे कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और स्थिरता में योगदान मिल रहा है।
- कृषि-स्टार्टअप के इरादों को लाभदायक उद्यमों में बदलने के लिए संस्थानों का व्यापक नेटवर्क महत्वपूर्ण है।

3. स्टार्टअप के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को फिर से परिभाषित करना

- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि और उद्योगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, बर्बादी को कम करता है और मूल्यवर्धन सुनिश्चित करता है। कृषि का यह विविधीकरण और व्यावसायीकरण किसानों के लिए वृद्धिशील रोजगार और आय उत्पन्न करता है।
- यह भारत में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है, जो 2015-16 से 2020-21 तक 10.3% की दर से बढ़ा है, जबकि समग्र विनिर्माण क्षेत्र की 5.1% की वृद्धि हुई है।

स्टार्टअप: सूर्योदय और समावेशी विकास

- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारत में जबरदस्त उद्यमशीलता क्षमता वाला एक "उद्यम क्षेत्र" है। स्टार्टअप नवाचार को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- महिलाओं की भूमिका: महिला उद्यमी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (2022-23) के अनुसार, क्षेत्र के अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों में 25% श्रमिक महिलाएं हैं।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए आत्मनिर्भर निधि जैसी पहल ने विकास-उन्मुख स्टार्टअप को इक्विटी सहायता प्रदान की है।

केंद्रित ध्यान के माध्यम से चुनौतियों का सामना करना:

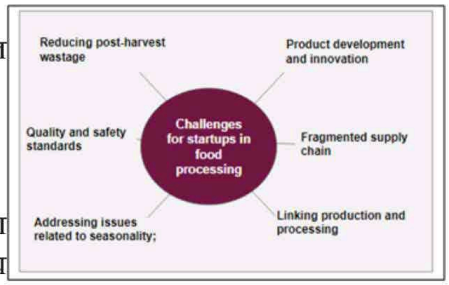

- भारत में स्टार्टअप्स को उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य और जागरूकता (4 "ए") से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

सरकारी पहल:

- मेक इन इंडिया: इस पहल के तहत खाद्य प्रसंस्करण एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है।
- विभिन्न योजनाएं: प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना, सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, कृषि-इंफ्रा फंड, आदि, सभी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं।

छवि स्रोत: कुरुक्षेत्र पत्रिका

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। पिछले नौ वर्षों में इस क्षेत्र ने 50,000 करोड़ रुपये का एफडीआई आकर्षित किया है।

स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना:

- फंड ऑफ फंड्स योजना: स्टार्टअप के शुरुआती, प्रारंभिक और विकास चरणों के लिए पूंजी प्रदान करना।
- स्टार्टअप द्वारा लिए गए ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना।
- स्टार्टअप्स के लिए फास्ट-ट्रैक पेटेंट आवेदन और निपटान।
- लचीलापन बढ़ाने के लिए कर लाभ और विस्तारित निगमन अवधि।
- कृषि त्वरक निधि: युवा ग्रामीण उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना।
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) जैसी सरकारी एजेंसियां अन्य देशों के साथ निर्यात और सहयोग की सुविधा प्रदान करती हैं। निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 2014 में 13% से बढ़कर 2023 में 23% हो गई है।

निष्कर्ष:

- तकनीकी प्रगति और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताएं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्टार्टअप के विकास को गति दे सकती हैं।
- मूल्य श्रृंखला में स्टार्टअप में अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की क्षमता और गतिशीलता है।

4. पूर्वोत्तर भारत के लिए विकास के इंजन के रूप में स्टार्टअप

भारत के स्टार्टअप परिदृश्य का अवलोकन:

- भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 763 जिलों में 1.12 लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ विश्व स्तर पर तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप के रूप में उभरा है।
- स्टार्टअप आंदोलन नए अवसरों का लाभ उठाने, धन सृजन और नौकरियां पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जनसांख्यिकीय लाभांश को ध्यान में रखते हुए।

उद्यमिता में परिवर्तन:

- पिछले दशक में भारत में नवीन समाधानों और प्रौद्योगिकी के कारण उद्यमिता में वृद्धि देखी गई है।
- नीतिगत सुधारों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे नौकरी तलाशने वाली मानसिकता से नौकरी सृजनकर्ताओं की संस्कृति में बदलाव को बढ़ावा मिला है।

स्टार्टअप और भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाएँ:

- स्टार्टअप वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भारत की महत्वाकांक्षा का अभिन्न अंग हैं।
- पारिस्थितिकी तंत्र पारंपरिक केंद्रों से आगे बढ़ गया है, जिसमें 49% स्टार्टअप टियर 2 और 3 शहरों से उभर रहे हैं।

स्टार्टअप और क्षेत्रों में विविधता:

- भारत में स्टार्टअप पारंपरिक आईटी सेवाओं से परे विविधता का प्रदर्शन करते हुए 56 क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
- हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जैसे शहर स्टार्टअप हब बन गए हैं, छोटे शहरों के उद्यमी स्केलेबल अवसरों में योगदान दे रहे हैं।

उत्तर-पूर्व भारत में स्टार्टअप:

- उत्तर-पूर्व भारत में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो रहा है, भले ही महानगरीय क्षेत्रों के समान गति से नहीं।
- क्षेत्र के प्रत्येक राज्य ने अपनी स्टार्टअप नीतियों को लागू किया है, जिसमें असम और मणिपुर स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का नेतृत्व कर रहे हैं।

उत्तर-पूर्वी स्टार्टअप पर हावी होने वाले क्षेत्र:

- उत्तर-पूर्व भारत में स्टार्टअप मुख्य रूप से कृषि, हथकरघा, कपड़ा, पर्यटन, IT और ITES, खुदरा, स्वास्थ्य, शिक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ बहुमत में हैं, इसके बाद ITES, हथकरघा और कपड़ा और शिक्षा हैं।

उत्तर-पूर्वी स्टार्टअप्स के सामने चुनौतियाँ:

- सामान्य चुनौतियों में फंडिंग तक सीमित पहुंच, कुशल जनशक्ति की कमी, सीमित मेंटरशिप समर्थन और पेशेवर सेवाओं की आवश्यकता शामिल है।
- महानगरीय क्षेत्रों में अधिक परिपक्व स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में इस क्षेत्र को अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इनक्यूबेटर और फंडिंग पहल:

- उत्तर-पूर्व क्षेत्र में लगभग तीस इनक्यूबेटर हैं, जिनमें से 80% शैक्षणिक संस्थानों में हैं।
- जबकि नॉर्थ-ईस्ट वेंचर फंड (NEVF) जैसे फंड हैं, स्टार्टअप का एक छोटा प्रतिशत उद्यम पूंजी फंडिंग तक पहुंचने के लिए उपयुक्त है।

स्केलेबिलिटी और इनोवेशन में चुनौतियाँ:

- उत्तर-पूर्व भारत में बड़ी संख्या में स्टार्टअप 'मी-टू' उद्यम हैं, जो स्केलेबिलिटी के लिए चुनौतियां पेश करते हैं।
- मेंटरशिप और तकनीकी मार्गदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र में पहचाने गए अंतराल हैं, जो नवोन्मेषी स्टार्टअप के विकास में बाधा बन रहे हैं।

उत्तर-पूर्व स्टार्टअप के लिए संभावित रास्ता:

- स्टार्टअप के लिए डिजाइन सोच, रचनात्मक क्षमता निर्माण और सहयोगात्मक समस्या-समाधान को एकीकृत करने पर जोर।
- वित्त पोषण, दस्तावेज़ीकरण और उद्यमियों का एक जीवंत और समावेशी समुदाय बनाने के लिए संरचित समर्थन की आवश्यकता है।

उत्तर-पूर्व स्टार्टअप को सशक्त बनाना:

- नवोन्मेषी, उद्यमशीलता में कुशल युवाओं की एक विस्तृत पाइपलाइन का निर्माण महत्वपूर्ण है।
- ऐसे परिणाम-उन्मुख स्थायी ऊष्मायन मोड विकसित करना जो उद्यम निधि के बिना भी प्रतिस्पर्धी व्यवसायों का समर्थन करते हैं।

एकीकरण और सहयोग:

- इनक्यूबेटरों, विशेषज्ञ सलाहकारों, सलाहकारों, वकीलों, लेखाकारों और तकनीकी विशेषज्ञों के नेताओं का निर्माण।
- सरकारी एजेंसियों, निजी इन्क्यूबेटरों और फंडिंग संस्थानों में सूचना, बुनियादी ढांचे और फंडिंग प्रयासों को एकीकृत करना।

विकास के लिए 'आत्मनिर्भरता' का लाभ उठाना:

- भारत सरकार के 'आत्मनिर्भरता' पर फोकस का लाभ उठाना उत्तर-पूर्व भारत में स्टार्टअप के लिए आवश्यक है।
- 'आत्मनिर्भर भारत' पहल नवाचार और उद्यमिता की भावना के अनुरूप है, जो स्टार्टअप के लिए अवसर प्रदान करती है।

भारतीय स्टार्टअप के लिए वैश्विक अवसर:

- भारत की आर्थिक वृद्धि, तकनीकी प्रगति और युवा कार्यबल स्टार्टअप के लिए एक आशाजनक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्थिरता पर ध्यान वैश्विक एसडीजी प्राथमिकताओं के साथ संरेखित है, जो भारतीय स्टार्टअप के लिए अवसर प्रदान करता है।

उत्तर-पूर्व भारत एक प्रवेश द्वार के रूप में:

- उत्तर पूर्व भारत की एक्ट ईस्ट नीति इसे दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करती है, जो स्टार्टअप को सफलता के लिए एक रणनीतिक मंच प्रदान करती है।

निष्कर्ष:

- उत्तर-पूर्व भारत में विकसित हो रहा स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास और नवाचार के लिए महत्वपूर्ण क्षमता रखता है।
- चुनौतियों का समाधान करना, मार्गदर्शन को बढ़ावा देना और सरकारी पहलों का लाभ उठाना स्टार्टअप को क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए सशक्त बना सकता है।

5. महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप का समर्थन करना

- महिला उद्यमियों की बढ़ती भागीदारी के साथ भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से बढ़ रहा है।
- महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या 2017 में 6,000 से बढ़कर 2022 में 80,000 (1233% की वृद्धि) हो गई है।
- महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए वीसी फंडिंग की हिस्सेदारी 2017 में 11% से बढ़कर 2022 में 20% हो गई।
- पिछले दशक में निवेश पर रिटर्न के मामले में महिला नेतृत्व वाली कंपनियों ने पुरुष नेतृत्व वाली कंपनियों की तुलना में 63% बेहतर प्रदर्शन किया है।
- 2022 में यूनिकॉर्न बने 105 स्टार्टअप में से 17% महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप थे।

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल:

- स्टार्टअप्स योजना के लिए फंड ऑफ फंड्स: स्टार्टअप्स योजना के लिए फंड ऑफ फंड्स में 10% धनराशि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए आरक्षित है।
- महिला उद्यमियों के लिए वर्चुअल इनक्यूबेशन कार्यक्रम: प्रो-बोनो त्वरण के साथ 20 महिलाओं के नेतृत्व वाले तकनीकी स्टार्टअप का समर्थन किया गया।

- महिला उद्यमियों को समर्पित वेबपेज: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नीतिगत उपाय प्रदान करता है।
- जागरूकता और क्षमता-निर्माण कार्यशालाएँ: महिला उद्यमियों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करने वाली विभिन्न कार्यशालाएँ।
- विंग (भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिलाएं): क्षमता विकास के माध्यम से सालाना 7,500 महिला उद्यमियों का समर्थन करने का लक्ष्य है।

महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए चुनौतियाँ

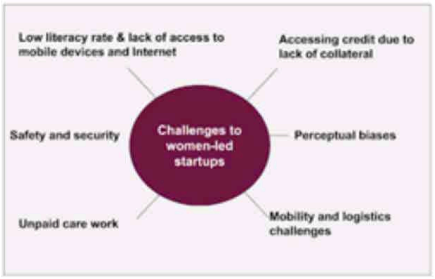

- महिलाओं के स्वामित्व वाले स्टार्टअप को संपार्श्विक, साख योग्यता और धारणा संबंधी पूर्वाग्रहों के कारण ऋण तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए सरकारी योजनाएँ:

- महिलाओं के लिए मुद्रा योजना/महिला उद्यमी योजना: महिला उद्यमियों के नेतृत्व वाले गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि और गैर-कृषि-आधारित व्यवसायों में महिला उद्यमियों के लिए बिना गारंटी के 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है।
- स्टैंड-अप इंडिया (SUI) योजना: ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है।
- ग्रामीण/वंचित महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं: इसमें कौशल उन्नयन और महिला कॉयर योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कॉयर उद्योग में लगी महिला कारीगरों के कौशल विकास करना है।
- महिला समृद्धि योजना: सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (NSFDC) द्वारा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए एक माइक्रोफाइनेंस योजना।
- महिला उद्यमिता मंच (WEP): महिला उद्यमियों के लिए जानकारी, कार्यशालाएं और अभियान आयोजित करता है।
- नई रोशनी योजना: अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिए एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम। नई रोशनी योजना के बारे में और पढ़ें।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विशेष योजनाएँ: महिला उद्यमियों के लिए रियायती वित्तपोषण विकल्प। उदाहरणों में भारतीय स्टेट बैंक (स्त्री शक्ति योजना), पंजाब नेशनल बैंक (PNB महिला उद्यमी) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सेंट कल्याणी) शामिल हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- नीति आयोग की रिपोर्ट 'भारत में महिला उद्यमियों को सरकारी सहायता को डिकोड करना' के अनुसार, भारत में महिलाओं का आर्थिक योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 17% है।
- महिला उद्यमियों को लाभ पहुंचाने और सभी उद्यमिता सहायता योजनाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
- इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल प्रशिक्षण जैसे गैर-वित्तीय समर्थन के साथ-साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था में उद्यमिता का समर्थन करने वाली अधिक योजनाओं की भी आवश्यकता है।
- महिला-स्वामित्व वाले उद्यम जनसांख्यिकीय बदलाव ला सकते हैं और भावी पीढ़ियों को प्रेरित कर सकते हैं।